राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अङ्क ७] तृतीय विधान सभा के सप्तम् सत्र, १९६५ का १६वां दिवस [संख्या १३

गुरुवार, दिनांक ११ मार्च, १९६५

विधान सभा की बैठक म. पू. ११.०७ बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[स्वायत्त शासन, खाद्य, गृह, राजस्व, सिंचाई, खनिज, पुनर्संस्थापन एवं स्वास्थ्य, विभाग]

श्री अध्यक्ष : प्रश्न।

प्रश्न संख्या २८६

श्री मुरलीधर व्यास।

(अनुपस्थित–कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या २८७

श्री विजयसिंह झाला !

(अनुपस्थित–कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या २८८

श्री कृष्णकुमार गोयल !

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : यह मामला अदालत में विचाराधीन है, इस लिये मैं इसे नहीं उठाना चाहता।

उप–मन्त्री, गृह (श्री निरंजननाथ आचार्य) : But I have now my own objection to this, Sir. विचाराधीन भी है, माननीय सदस्य इसके कौंसल हैं। इसलिये मेरा ऑब्जेक्शन है wherein the member is the Defence Counsel; he ought not have asked it.

मैं बहुत धीमी गति से इस ओब्जेक्शन को माननीय अध्यक्ष, आपके सामने रखता हूं कि श्री बाढ़दार ने भी इस तरह का प्रश्न रख दिया था.......

Page No 2

श्री अध्यक्ष : इतनी धीमी गति से कि अध्यक्ष उस पर विचार न करे।

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह एग्रेवेटे इसलिये है कि आप कौंसल हैं और इसका जवाब चाहते हैं, धीमी गति से यह ऑब्जेक्शन है, पर यह बड़ा सीरियस ऑब्जेक्शन है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : मैं स्पष्टीकरण कर दूं। यह घटना घटी थी उस समय मैंने प्रश्न दिया था। उसके बाद चालान पेश हो चुका है. इसलिये आरम्भ में ही मैंने कह दिया कि मैं ऐसे नहीं उठाना चाहता।

श्री निरंजननाथ आचार्य : आपको प्रश्न नहीं पूछना था तो चेम्बर में कहते....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : जिस समय प्रश्न भेजा, डिफेन्स कौंसल नहीं थे।

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह नहीं है तरीका। दो, तीन, चार रोज पहले डिफेन्स कौंसल हुए थे तो अध्यक्ष महोदय, को अवगत करा देना चाहिये था तब तो बोनाफाइड प्रमाणित होता। I have a right to raise a question of breach of privilege.

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : आपकी दृष्टि में क्या होना चाहिये ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : ब्रीच ऑफ प्रिविलेज है।

श्री भैरोंसिंह : अगर ब्रीच ऑफ प्रिविलेज है तो आप मूव कर दीजिये।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : प्रिविलेज मोशन के लिये लिख कर देना पड़ता है, इस तरह हाउस में नहीं उठाया जाता।

(शोर-गुल)

(सर्वश्री निरंजननाथ आचार्य और सतीशचन्द्र अग्रवाल साथ साथ बोलते रहे)

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं ऐसा समझता हूं कि मन्त्री महोदय धमकी दे रहे हैं....

(सर्वश्री निरंजननाथ आचार्य और सतीशचन्द्र अग्रवाल साथ साथ बोलने लगे)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप यह ब्रीज ऑफ प्रिविलेज की धमकी दे रहे हैं और अगर आपने ब्रीच ऑफ प्रिविलेज नहीं उठाया तो मैं आपके खिलाफ प्रिविलेज मोशन मूव करूंगा। माननीय अध्यक्ष, आपने नाम कॉल अपोन किया; मेम्बर सवाल पूछना नहीं चाहते, ऐसी हालत में सरकार की ओर से खड़े होकर इस तरह बोलने का इन्हें कोई अधिकार नहीं है। ऐसी हालत में आप कुछ भी निवेदन नहीं कर सकते। आपने जो कुछ कहा, गलत कहा है, अनुचित कहा है, आपका यह तरीका गलत है आपको खड़ा रहने का, आपको बोलने का कोई अधिकार नहीं है, इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मंत्री महोदय को अपना स्थान ग्रहण कराया जाय, इनको बोलने का अधिकार नहीं है।

श्री अध्यक्ष : अब इस प्रश्न को यहां ही समाप्त किया जाय और कोई कार्यवाही करनी हो तो प्रस्ताव या अन्य तरीके से उठा सकते हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : इस धमकीबाजी की परम्परा को तो बन्द किया जाय।

श्री अध्यक्ष : श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

आदर्श नगर जयपुर की सड़कों की मरम्मत

२८६. **श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे ?:—

(१) आदर्श नगर जयपुर में अब तक कुल कितना रुपया नगर सुधार प्रन्यास अथवा नगर परिषद् द्वारा सड़कों के निर्माण या मरम्मत पर खर्च किया गया है ? इसका वर्षानुसार विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) क्या यह सही है कि इस क्षेत्र में सड़कों की हालत बहुत बुरी हो गई है जिन पर आवागमन मुश्किल है ?

(३) क्या यह सही है कि सितम्बर, १९६३ में वहां के सभ्य नागरिकों ने एक विशाल प्रदर्शन विधान सभा भवन के समक्ष किया था और वहां नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु एक ज्ञापन भी प्रस्तुत किया था जिस पर सदन के उप नेता माननीय श्री हरिभाऊ उपाध्याय ने प्रदर्शनकारियों के समक्ष भाषण देते हुए यह आश्वासन दिया था कि इस ज्ञापन पर शीघ्रातिशीघ्र कार्यवाही की जावेगी ? यदि हां, तो विज्ञापन में उठाये गए मुद्दों पर क्या कार्यवाही की गई ?

(४) क्या यह सही है कि सन् १९६४ की वर्षा ऋतु में वहां की सड़कें और भी अधिक टूट-फूट चुकी हैं जिनकी तुरन्त मरम्मत कराए जाने का विधान सभा का आश्वासन भी सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उसको क्रियान्वित करने की दिशा में क्या कार्यवाही की गई है ?

(५) क्या यह सही है कि मान्य मन्त्री महोदय ने इस इलाके से निर्वाचित विधान सभाई सदस्य द्वारा पुनः अनुरोध किए जाने पर एक आदेश यानी पत्र सार्वजनिक निर्माण विभाग को लिखा गया कि आदर्श नगर की सड़कों की मरम्मत हेतु ढाई लाख रुपयों की व्यवस्था की गई है ? यदि हां, तो उस सम्बन्ध में क्या हुआ ?

(६) क्या नगर की अन्य सड़कों की भांति इस इलाके की सड़कों को भी सरकार पी० डब्ल्यू० डी० को ट्रान्सफर करने का इरादा रखती है ?

(७) इस इलाके की सड़कों की मरम्मत आदि की जिम्मेदारी किसकी है ?

उप-मन्त्री, स्वायत्त शासन (श्री दौलतराम सारण) : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न सार्वजनिक निर्माण विभाग को स्थानांतरित किया गया है। वे ही उत्तर देंगे।

Page No 4

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जो प्रश्न पूछना नहीं चाहते उसका उत्तर देने को तैयार हो जाते हैं और जो प्रश्न पूछते हैं उसका उत्तर नहीं है आपके पास। मुझे अफसोस है कि यह कितना महत्वपूर्ण सवाल है। पिछली बार श्री हरिभाऊ उपाध्याय ने प्रदर्शनकारियों को आश्वासन दिया था। श्री बरकतउल्ला खां ने ढाई लाख रुपये मन्जूर किए थे। श्री भैरोंसिंह और अन्य लोगों की उपस्थिति में पत्र लिखा था, ढाई लाख रुपए—पी० डब्ल्यू० डी० को ढाई लाख रुपए ट्रांसफर किए थे। लोग वहाँ परेशान हो रहे है, गाड़ियां जा नहीं सकती, नरक-कुंड बना हुआ है, और बार बार आप यही कहते हैं कि उत्तर तैयार नहीं है, अगली बार पोस्टपोन किया जाय। सरकार को इस बारे में चेतावनी दी जाय। १८ साल हो गए, प्लॉटों का पट्टा नहीं है। अगले सप्ताह निश्चित रूप से हर चीज़ का जवाब इस सदन में दिया जाय, ऐसा निर्देश सरकार को दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : सबसे बड़ी बात कही गई है कि इस प्रश्न को स्थानांतरित किया गया है। मैं समझता हूं कि यह प्रश्न स्वायत्त शासन मन्त्री का है और पहले भी यह चर्चा सदन में आई है। मन्त्री महोदय बगैर विचार किए प्रश्न दूसरे विभागों को भेज देते हैं और दूसरे विभाग भी वैसे ही करते हैं, फिर तीसरे के पास प्रश्न जाता है। प्रश्न किस जगह भेजना है, उसका स्वयं मंत्री महोदय संतोष करें और दूसरे मंत्री को, अगर वह स्वीकार करता हो तभी उसको प्रश्न भेजें। यह प्रश्न जैसे कि पहले चर्चा आ चुकी है, सड़कों का प्रश्न होने से ही सार्वजनिक विभाग का नहीं हो जाता। जो भी मसला उठाया गया है, सब स्वायत्त शासन विभाग के पास जानकारी होनी चाहिए, इसलिए मेरा निवेदन है कि उपमंत्री या मंत्री जी स्वयं इस समस्या पर जो इतने समय से सदन में कई बार आई है, जिसका निराकरण नहीं हो पाया है उसकी जानकारी करके अगले सप्ताह विस्तृत रूप से उत्तर देने की व्यवस्था करें।

(विराम)

श्री हनुमानसिंह चौधरी।

खातेदारी खेतों की पत्थरगढ़ी-तहसील नावां

२६०. श्री हनुमानसिंह चौधरी (नावां) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि तहसीलदार के हुक्म से नावां तहसील के कई गांवों के खातेदारी खेतों की पत्थरगढ़ी की गई है व की जा रही है ? यदि हां, तो किस कानून के अधीन प्राइवेट पार्टीज़ के बीच भूमि कम या अधिक होने के सम्बन्ध में विवाद होने पर ऐसी कार्यवाही की जा रही है ?

(२) सन् १९६३ व ६४ में तहसील के कौन कौन से गांवों में ऐसी पत्थरगढ़ी की कार्यवाही की गई ?

(३) उक्त दो वर्षों में पत्थरगढ़ी की फीस कितनी वसूल की गई व किस नियम के अंतर्गत इस प्रकार की फ़ीस ली जाती

Page No 5

(श्री हनुमानसिंह चौधरी)

हैं व इसका उपयोग किस तरह से किया जाता है ?

(४) क्या सरकार के ध्यान में है कि इस प्रकार की अनधिकृत कार्यवाही से किसानों में मुकदमेबाजी बढ रही है व लोग हैरान हैं ?

(५) क्या इस समस्या के संबंध में संबंधित क्षेत्र के विधान सभा के सदस्य का उप-मंत्रीजी को दिनांक २१-८-६४ को कोई पत्र प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

उप-मंत्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (१) जी हां, यह सही है कि तहसील नावां के कुछ गांवों में काश्तकारों की दर्ख्वास्तों के पेश होने पर खेतों की सीमाबन्धी तहसीलदार नावां ने रेवेन्यू इन्सपेक्टर को आदेश देकर पत्थरगढ़ी करवाई है। यह कार्यवाही काश्तकारों ने अपने खेतों की मिस्सादेही के लिए करवाई है। यह कार्यवाही राजस्थान लेंड रेवेन्यू एक्ट, १९५६, की धारा १२८ के अनुसार की गई है।

(२) सन् १९६३ व ६४ में ग्राम देवली ठीकरीया खुर्द गांवों में पत्थरगढ़ी की गई है।

(३) गत दो वर्षों में कोई फीस नहीं ली गई।

(४) खेतों की सीमाबन्धी सेटलमेंट रेकॉर्ड में निर्दिष्ट सीमा के अनुसार की गई जिससे काश्तकार पड़ौस में सरकारी जमीन पर अनधिकृत कब्जा न कर सकें तथा न पड़ौसी काश्तकार का खेत पर अपने खेत की सीमा उड़ा लें ताकि भविष्य में सीमा का कोई तनाजा काश्तकारों के बीच नहीं रहे।

(५) जी हां, वह पत्र कलेक्टर नागौर को भेज दिया गया था।

श्री हनुमानसिंह चौधरी : राजस्थान लेंड रेवेन्यू एक्ट की धारा १२८ के तहत लेंड रेकॉर्ड ऑफीसर को अख्तयार है बाउंडरी डिस्प्यूट को तय करने का, न कि तहसीलदार को।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : हां, नया कानून बनने के बाद ये फंक्शन्स उनको डेलीगेट हुए हैं।

श्री हनुमानसिंह चौधरी : क्या इस तरह की पत्थरगढ़ी करने से किसानों को परेशानी नहीं हुई ? कई तरह फौजदारी मुकदमे हुए हैं। कहीं भी कानून के अंदर प्रावधान नहीं है कि दुबारा खेतों में पत्थरगढ़ी की जाय।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : प्रावधान तो है, जितना उसके नाम पर रक्बा दर्ज है उसकी भी पत्थरगढ़ी कराने के लिए एप्लाई कर सकते हैं।

श्री हनुमानसिंह चौधरी : ये पॉवर्स तहसीलदार को कब डेलीगेट किए गए हैं? सक्युलर बताइए।

Page No 6

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैंने निवेदन किया कि तहसीलदार को ही पॉवर्स हैं उसके बाद में १९६३-६४ के आस-पास कानून बना, उसके अंदर इन फंक्शन्स को पंचायतों को डेलीगेट किया गया।

श्री हनुमानसिंह चौधरी : दफा १२८ के तहत लेंड रेकॉर्ड्स ऑफीसर को अख्तयार है; न कि तहसीलदार को।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह तो मैंने कहा है।

श्री हनुमानसिंह चौधरी : कहीं भी पॉवर्स डेलीगेट नहीं की गई हैं। जो कुछ भी किया है, तहसीलदार ने गलत कार्यवाही की है, आप जांच करवाएं।

एक माननीय सदस्य : अब ये पॉवर्स तहसीलदार के पास में हैं। अगर कोई काश्तकार आपस में झगड़ें तो तहसीलदार वहां जाकर उसकी पत्थरगढ़ी करेगा ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : ये पॉवर्स पंचायतों को डेलीगेट हुई हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री भानुप्रसाद कराड़िया।

ट्रक दुर्घटना

२९१. **श्री भानुप्रसाद कराड़िया (चौमू)**: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि दिनांक १६-७-६३ को जयपुर में त्रिपोलिया के सामने एक नवयुवक की ट्रक दुर्घटना में मृत्यु हुई थी ? यदि हां, तो ट्रक किसका था और आज तक उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ?

उप-मंत्री, गृह (श्री निरंजननाथ आचार्य) : जी हां। प्रकाश गोल्डन ट्रांसपोर्ट कम्पनी, जयपुर का ट्रक था। ट्रक चालक के विरुद्ध अदालत में चालान प्रस्तुत किया गया। जहां से वह १६-९-६३ को बरी कर दिया गया।

श्री भानुप्रसाद कराड़िया : ट्रक का गलत साइड पर होने के कारण इस नौजवान की मृत्यु नहीं हुई थी ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : हां, आदमी मरा था।

श्री भानुप्रसाद कराड़िया : गलत साइड पर होने के लिए सरकार ने क्या किया ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : अदालत ने ऐसा नहीं माना।

श्री भानुप्रसाद कराड़िया : गुनहगार होते हुए भी उसको क्यों छोड़ा गया ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : It is a reflection on the court.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, ट्रक एक्सीडेंट्स के केसेज़ जयपुर शहर में बढ़ते जा रहे हैं और बहुत से लोगों की मौत हुई है। अभी ७-८ दिन पहले २५ साल का नौजवान, अच्छा पढ़ा-लिखा, उसकी भी ऐसे ही मृत्यु हुई। इस बात को एग्जामिन करने की जरूरत है कि प्रोसीक्यूशन के केसेज़ फेल क्यों होते हैं ? ड्राइवर भाग जाता है, एवीडेन्स कलेक्ट नहीं होती है। जहां इन्सानों की जानें चली जायं, डकैती या चोरी का मामला हो तो ऐसी बात नहीं, लेकिन मौत के मामलों में कुछ गंभीरता से सोचना चाहिए।

श्री निरंजननाथ आचार्य : ऐसे

Page No 7

(श्री निरंजननाथ आचार्य)
मसले बार बार एग्ज़ामिन किए गए हैं। यही केस लीजिए, गवाह जितने पेश हुए, वे होस्टाइल हो गए, यह सामाजिक प्रश्न है, इसलिए फेल होते हैं। यह केस भी सक्सेसफुल हो सकता था, अगर गवाह होस्टाइल न होते।

श्री दुर्गालाल बादृदार (हवामहल, जयपुर) : यह बात तो मानी जा सकती है, लेकिन ट्रैफिक कन्ट्रोल करने के उत्तरदायित्व को आप कितना निभा रहे हैं जिसकी वजह से शहरों की बिज़ी रोड्स पर एक्सीडेंट्स होने के चान्सेज़ ज्यादा होते हैं? उसको कन्ट्रोल करने लिए आप क्या व्यवस्था कर रहे हैं?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : ट्रक ड्राइवर्स बड़ी रेश ड्राइविंग करते हैं। मैंने खुद एस० पी०, गंगानगर को फोन किया था। मैं सड़क की कोर्नर पर एक दूकान पर खड़ा था और एक ट्रक ६० माइल की स्पीड से आया। सिर्फ एक इंच से मैं एस्केप हो गया। इस प्रकार से सिटीज़ के अंदर एक्सीडेंट्स होते हैं। इस रैश ड्राइविंग को आप स्टोप कीजिए। बहुत से एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। कई जगह तो ऐसी घटनाएं हुई हैं राजस्थान में कि लाश ट्रक के साथ लपककर ५०-५० मील तक चलती गई, लेकिन ट्रक नहीं रुका। यह काफी गंभीर विषय है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : गंगानगर के प्रश्न पर हम और ज्यादा सतर्कता रखते हैं। जो लोग रेस्टोरेंट्स पर शराब पीकर जाते हैं, उनके बारे में माननीय सदस्य जानते हैं। दो-तीन महीने से हम गंगानगर में सजग हैं।

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई): क्या माननीय मंत्रीजी यह बतावेंगे कि एक्सीडेन्ट् दिन में हुआ या रात को?

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : होम का पोर्टफोलिया जब से बदला है और चीफ मिनिस्टर के पास आया है तब से एडवाइज़री कमेटी की कोई मीटिंग नहीं हुई है? एक मीटिंग भी नहीं हुई है, अध्यक्ष महोदय।

श्री निरंजननाथ आचार्य : एडवाइज़री कमेटी की मीटिंग होनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष : आप ही बुला लीजिये।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स फील करते हैं।

श्री निरंजननाथ आचार्य : दोनों करते हैं। इनका और मेरा एक ही कम्प्लेक्स है, ये भी ब्लैक और मैं भी ब्लैक।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : तीस चालीस मील होर्न करते रहिये, ट्रक वाले कभी साइड नहीं देंगे। मैं यह चैलेन्ज करके कहता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : प्रश्न संख्या २६२।

एक माननीय सदस्य : अकेला लड़का था, शिड्यूल्ड कास्ट है और रेश ड्राइविंग के कारण से उसके साथ एक्सीडेन्ट हुआ है और वह मारा गया है। कोई जवाब नहीं मिला।

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह।

(श्री भैरोंसिंह)

मक्का के एक्सपोर्ट का परमिट

२६२. **श्री भैरोंसिंह** (किशनपोल, जयपुर) : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सही है कि उदयपुर के व्यापारियों से लगभग ४ वर्ष पूर्व मक्का के एक्सपोर्ट के परमिट दिये जाने के लिए २) रु० प्रति मन के हिसाब से लिया जाकर मेज़ कन्ज्यूमर्स कॉऑपरेटिव सोसाइटी के द्वारा यह रकम कोमर्शियल बैंक, उदयपुर में जमा कराई गई ? यदि हां, तो कितनी रकम ?

(ख) उक्त सोसाइटी के कितने सदस्य हैं और कौन कौन पदाधिकारी हैं ? इस सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन कब हुआ है ?

(ग) मक्का के एक्सपोर्ट के परमिट किस अधिकारी द्वारा दिये गये और कुल मिला कर कितने मन मक्का का एक्सपोर्ट परमिट दिया गया ?

(घ) २) रु० प्रति मन के हिसाब से एकत्रित की गई इस रकम का क्या उपयोग हुआ ? विवरण सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उप-मन्त्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (क) जी हां। परमिट दिये जाने के लिए १।।) रु० प्रतिमन के हिसाब से कुल रकम ६८,८४६.२५ रुपया कॉमर्शियल बैंक, उदयपुर में जमा करवाये गये। कोई मेज़ कन्ज्यूमर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं बनाई गई।

(ख) ऐसी कोई सोसाइटी नहीं बनाई गई है।

(ग) कुल ४५,८९७।। मन मक्का के परमिट जिलाधीश द्वारा जारी किये गये।

(घ) १।।) रु० प्रतिमन से ली गई इस रकम के बॉंड खरीदे जाकर छात्रावास संघ उदयपुर को दिये गये।

श्री भैरोंसिंह : यह रुपया बैंक में किसने जमा कराया और किसके नाम से जमा हुआ ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : बैंक में एक कन्ज्यूमर्स रिलीफ फन्ड, उदयपुर के नाम से अकाउन्ट खोला गया और उसमें व्यापारियों ने रकम जमा कराई।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह रुपया कलेक्टर की ओर से जमा कराया गया ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : व्यापारियों की ओर से।

श्री भैरोंसिंह : डिपोज़ीटर कौन थे ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : व्यापारी जो परमिट लाते थे वे ही जमा कराते थे उस अकाउन्ट में।

श्री भैरोंसिंह : परमिट लाने के साथ १।।) रुपया लेने का निर्णय किसने किया था ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इसका मुझे पता नहीं है। इसकी जानकारी नहीं है, क्योंकि व्यापारी स्वयं जमा कराते थे इस नाम के अकाउन्ट में। यह जानकारी है।

Page No 9

श्री भैरोंसिंह : इस परमिट के साथ १॥) रु० जमा कराने की बात का निर्णय किसने लिया था ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : व्यापारियों ने ।

श्री भैरोंसिंह : क्या इस निर्णय में कलेक्टर महोदय शामिल हैं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : कलेक्टर थे या नहीं, यह मैं नहीं जानता। लेकिन कलेक्टर को यह मालूम है कि बैंक में रुपया जमा हो रहा था और परमिट वे इश्यू करते थे ।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि बैंक में यह रकम एक मुश्त जमा हुई है ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : एक मुश्त जमा नहीं हुई है । २७-३-५६ से १५-४-५६ के बीच रकम जमा हुई है ।

श्री भैरोंसिंह : कितने कितने रुपये जमा हुए ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : टोटल एक मुश्त जमा नहीं हुए हैं। २७-३-५६ से १५-४-५६ के बीच में हुए हैं।

श्री भैरोंसिंह : कौनसा फन्ड बताया आपने ? यह फन्ड किसने क्रीयेट किया और किस कानून के अन्तर्गत किया गया ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : कानून का सवाल नहीं है। व्यापारियों ने यह तय किया, इस हिसाब से जमा करा देंगे। उनमें से कुछ ने अकाउन्ट खोला और जमा करा दिया। छात्रावास संघ उदयपुर। उन रुपये के बोंड्स खरीद लिये और संघ को दे दिये ।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि इस पैसे पर सरकार का अधिकार है और उसके बिना अनुमति के पैसा नहीं लिया जा सकता ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : सरकार का अधिकार माना भी जाय तो आपत्ति नहीं है ।

श्री भैरोंसिंह : सरकार को अधिकार है या नहीं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : अधिकार का प्रश्न नहीं है। सरकार का रुपया यह नहीं था और व्यापारियों का था और किसी अच्छे काम के लिए देना व्यापारियों ने मुनासिब समझा और उसके लिए बोन्ड्स दिये गये ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : इस फण्ड में से रुपया विदड्रॉ करने का किसको पॉवर था ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : नकद तो विदड्रा ही नहीं किया गया है। बौंड खरीदे गये।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मनी विदड्रॉ करने को किसको पॉवर्स थे ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : Actually who was to operate this question, यह सूचना मेरे पास नहीं है ।

Page No 10

श्री भैरोंसिंह् : बोंड्स किसके नाम से खरीदे गये ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इसकी डिटेल्स हमारे पास नहीं हैं। इतना है कि राजस्थान स्टेट डेवलपमेन्ट लोन्स बोंड्स खरीदे गये। ७२ थे।

श्री भैरोंसिंह् : किसके द्वारा खरीदे गये ?

श्री अध्यक्ष : स्थिति तो माननीय सदस्यों के सामने स्पष्ट है कि व्यापारियों की ओर से रुपया जमा हुआ, कलेक्टर को मालूम था और उसकी सहमति से जमा हुआ ।

श्री भैरोंसिंह् : परमिट किस तारीख को और रुपया किस तारीख को कलेक्ट किया ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : ये डिटेल्स मेरे पास नहीं हैं। २७-३-५६ से १५-४-५६ तक रुपया जमा हुआ, उन्हीं तारीखों को परमिट्स इश्यू हुए।

प्रश्न संख्या २६३

श्री अध्यक्ष : श्री मोहनराज।

(अनुपस्थित–कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या २६४

श्री गणपतिलाल वर्मा।

(अनुपस्थित–कृपया आगे देखिये)

श्री नत्थीलाल।

नूरपुर माइनर का खुदाई कार्य

२६५. श्री नत्थीलाल (नदबई) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि नदबई तहसील में पर्थेना कैनाल से उटारदा ग्राम के पास सिरस का नक्का से निकलने वाली नूरपुर माइनर (नलची) जो करीबन एक मील खुद चुकी है उसकी खुदाई का कार्य आगे की ओर ग्राम गुदावली व खेड़ी देवीसिंह की तरफ का रुक गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

उप-मंत्री, सिंचाई (श्री दिनेशराय डांगी) : जी नहीं। खुदाई का कार्य चल रहा है और जल्दी ही पूरा होने वाला है।

श्री अध्यक्ष : श्री जुझारसिंह।

लाइम स्टोन की लीज़

२६६. श्री जुझारसिंह् (चेचट) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि छोटे ठेकेदारों को सुविधा देने व उत्पादन बढ़ाने की दृष्टि से सरकार ने रामगंज मन्डी तथा अन्य क्षेत्रों में चूना पत्थर (लाइम स्टोन) की खानों के प्लॉटों (६००० × १५००) का आकार घटा (३०० × ३०० तक) देने का आदेश दिया है ? यदि हां, तो यह आदेश अभी तक प्रभावशाली क्यों नहीं किया गया है ?

(श्री जुझारसिंह)

(२) क्या सरकार के पास ऐसे अंक उपलब्ध हैं कि जिनके आधार पर वह यह बता सके कि इस समय रामगंज मन्डी तहसील में वर्तमान आकार के प्लॉटों का कितने प्रतिशत भाग ठेका लेने वाली पार्टियों द्वारा काम में लिया जा रहा है ?

(३) सरकार छोटे आकार के प्लॉट कब से लीज़ पर देना आरम्भ करेगी ?

उप-मन्त्री, खनिज (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (१) जी नहीं। प्रश्न ही नहीं उठता।

(२) जी हां। जिन पार्टियों के पास एक से अधिक प्लॉट हैं वे आधे से ज्यादा प्लॉट्स में काम करते हैं और आधे से कम प्लॉट्स बन्द रहते हैं। जिन पार्टियों के पास केवल एक ही प्लॉट है उसमें उसी स्थान से पत्थर निकाला जाता है जहां से पत्थर निकालने की सुविधा हो। पूरे प्लॉट में एक साथ काम करना सम्भव नहीं है। इसके अलावा इन प्लॉटों का अधिकतर भाग किसानों के अधिकार में है जिसको सम्बन्धित ठेकेदार समय समय पर खरीदते रहते हैं।

(३) २०० एकड़ से कम क्षेत्र के प्लॉट देने का सरकार का विचार नहीं है।

श्री जुझारसिंह : अभी आपने बताया कि जिनके पास प्लॉट्स पड़े हुए हैं वे सारे के सारे प्लॉट्स पर ओपरेट नहीं कर सकते हैं। जितने पत्थर निकाल सकते हैं वह निकाल पाते हैं। क्या आप यह नहीं कर सकते कि साइज़ छोटी कर दी जाय तो छोटे व्यापारी भी आसानी से ओपरेट कर सकेंगे और सरकार को भी अधिक रॉयल्टी मिलेगी और उन लोगों को रोजगार भी मिलेगा ? इस बारे में ध्यान देंगे।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : माननीय अध्यक्ष जी, यह प्रश्न कई बार उठा है और कई बार सरकार की नीति के सम्बन्ध में निवेदन किया है कि बहुत छोटे आकार के प्लॉट्स बना देने से साइन्टिफिक तरीके से माइन्स का एक्सप्लोइटेशन नहीं होता है, बल्कि इर्रेगुलर वे में सारी खानें खराब हो जाती हैं। डम्प के लिए भी कोई जगह रखने को नहीं होती है और डैड रेन्ट की आय का भी जहां तक सवाल है इस तरह से काम करने से आय भी कम होती है। साइन्टिफिक वर्किंग प्रोपर नहीं हो सकता, इसलिए सरकार की यह नीति है कि सौ दो सौ फुट के प्लॉट्स बनाने की यह वस्तु नहीं है और जो नीति है वह २०० एकड़ की है वह उचित है और वह जनता और मिनरल और इन्डस्ट्री के दृष्टिकोण से भी उचित है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : आप समझाइयेगा कि डड रेन्ट कैसे कम हो जायगा ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : डैड रेन्ट तो चाहे सौ वर्ग गज पर काम करे हम डैडरेन्ट तो उससे दो सौ एकड़ का लेते हैं। इसलिए जिस हिस्से पर जो काम नहीं करता है उसका भी डैड रेन्ट आता है।

श्री जुझारसिंह : बहुत से प्लॉट्स में खाली जगह रहने दी जावे। डैड रेन्ट आता है, रॉयल्टी के लिए पत्थर रह जाता है उसकी रॉयल्टी आती है उससे सरकार को आमदनी होती है। पूरे एरिया पर एक्स्ट्रेक्ट नहीं होता है। छोटे प्लॉट्स देने से डैड रेन्ट और रॉयल्टी का फायदा होगा।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जब तक बड़ा एरिया नहीं होता है कोई आदमी इन्वेस्टमेंट नहीं करता है, मशीनरी नहीं लगाता और साइन्टिफिक तरीके से एक्स्प्लोइटेशन नहीं करता। माइन्स नेशनल वैल्थ हैं इसको इर्रेगुलर वे में फोर दी सेक ऑफ इन्कम एन्ड एक्स्प्लोइटेशन नहीं किया जा सकता। साइन्टिफिक तरीके से इसका एक्स्प्लोइटेशन होना चाहिये और सही युटिलाइजेशन हो, यह दृष्टिकोण है। यह दृष्टिकोण नहीं है कि आपको टैक्स दे दिया और जितना निकाल पाये निकाल लिया।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : डैड रेन्ट और आमदनी बढ़ेगी। छोटे प्लॉट होंगे तो एक्स्प्लोइटेशन भी ज्यादा होगा, छोटे पीसेज का चैकिंग भी ज्यादा हो सकेगा।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री योगेन्द्रनाथ हांडा।

पतलूनों की सिलाई का ठेका

२६७. श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि जुलाई, १९६० में राजस्थान के आई० जी० पी० द्वारा एक फर्म को पतलूनों की सिलाई का ठेका दिया गया ? यदि हां, तो कृपया फर्म का नाम, पतलूनों की संख्या, दर व फर्म द्वारा कार्य पूरा करने की निर्धारित अवधि तथा फर्म को दिये गये कपड़े का माप बतायें।

(२) क्या फर्म ने ठेके की शर्तों का पालन किया था ? यदि नहीं, तो सरकार ने फर्म के विरुद्ध क्या कार्यवाही की ? क्या फर्म को दिया गया सारा कपड़ा उससे पुनः प्राप्त हो गया है ? यदि नहीं, तो फर्म के पास अब भी कितने गज कपड़ा बाकी है ?

(३) सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में उठाई गई हानि की राशि क्या है ?

उप-मन्त्री, गृह (श्री निरंजननाथ आचार्य) : जी हां, मेसर्स देवेकोस गारमेन्टल फैक्ट्री, जयपुर को दिनांक २७-७-६० को रु० ०.२६ नये पैसे प्रति पतलून की दर से ५४,००० (चौपन हजार) पतलून (स्लैक्स) सीने का ठेका दिया गया था। इसके लिये फर्म को ८०,००० (अस्सी हजार) गज खाकी जीन दी गई थी। इसकी अवधि पांच माह की थी।

(२) जी नहीं। सरकार ने फर्म के विरुद्ध सिविल कोर्ट, जयपुर में दीवानी दावा दिनांक १३-२-६५ को दायर कर दिया है। फर्म को ८०,००० खाकी जीन दी गई थी, जिसमें से १४,१६० गज ४५ इन्च कपड़ा अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है।

(३) २४,६३३ रुपये ३२ नये पैसे की।

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

अध्यक्ष महोदय, मैं रूल ३७ के अन्तर्गत प्रिविलेज क्लेम करता हूं। सप्लीमेंटरी सवाल पूछे नहीं जा सकते, यह मामला अदालत में चल रहा है।

रूल ३७ (७) इस प्रकार है :

"37 (7) it shall not ask for information on a matter which is under adjudication by a court of law having jurisdiction in any part of India;"

श्री अध्यक्ष : आपकी आपत्ति स्वीकार की जाती है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : जो इन्चार्ज था कपड़ा देने के लिये, उसके विरुद्ध आप क्या कार्यवाही कर रहे हैं ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : अदालत के फैसले के बाद ही अर्ज कर सकता हूं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : इसके बारे में ऑडिट ऑब्जेक्शन भी हुआ था ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : इस वक्त कुछ नहीं कह सकता।

देवगढ़ तहसील में जागीरी बोन्ड्स का वितरण

२६८. **श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत (भीम)**: क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि देवगढ़ तहसील में लगभग अड़तीस हजार के जागीरी बोन्ड पड़े हैं, जिनका अभी तक वितरण नहीं किया जा सका ?

(२) क्या यह भी सही है कि ये जागीरी बोन्ड बहुत छोटी छोटी रकमों के हैं और ज्यादातर विधवा औरतों के व नाबालिगों के हैं, जिन्हें प्राप्त करने के लिये उन्हें उदयपुर डिप्टी कलेक्टर और सैशन जज के पास जाना होता है। उत्तराधिकारी की कार्यवाही कराने में बड़ी दिक्कत आती है और इतना खर्चा लग जाता है जितनी कि बोर्ड की राशि भी नहीं होती है ?

(३) इन बेवाओं की तथा नाबालिगों की इस दिक्कत को देखते हुए क्या सरकार २०० रुपये तक की रकम के उत्तराधिकारी की कार्यवाही करने का अधिकार एस० डी० ओ० को देने का विचार रखती है ?

उप-मंत्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा): (१) जी हां।

(२) जी हां।

(३) रिज़म्प्शन के पूर्व जागीरदार की मृत्यु हो जाने पर उनका जायन्दा लड़का होने पर धारा ३८ के अन्तर्गत एस० डी० ओ० को इस सम्बन्ध में कार्यवाही करने के पहले से ही अधिकार हैं। बकाया के लिए कलेक्टर कार्यालय व रेवेन्यू बोर्ड को अधिकार हैं। रिज़म्प्शन के बाद मृत्यु होने वाले का उत्तराधिकारी का प्रमाण-पत्र जिलाधीश द्वारा ही दिया जाता है।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : अध्यक्ष महोदय, रिज़म्प्शन के बाद ऐसे केसेज़ ज्यादा होने लगे हैं। ऐसी हालत में छोटी छोटी राशि के लिये नाबालिगों और औरतों को उदयपुर जाना पड़ता है। ऐसी हालत में आप एस० डी० ओ० को यह अधिकार देने का इरादा रखते हैं क्या ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैंने बताया कि रिज़म्प्शन के पहले मृत्यु हो जाती है तब तो एस० डी० ओ० को अधिकार है; बाद में अधिकार नहीं है, कलेक्टर को अधिकार है उस अधिकार को जिलाधीश से बदल कर एस० डी० ओ० को देने का विचार नहीं है।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : इसके कारण दिक्कत है; आपको एतराज क्या है इस प्रकार करने से ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : बहुत निपट गया, अब तो बहुत कम बाकी है।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : अध्यक्ष महोदय, २८ हजार की रकम देवगढ़ तहसील में पड़ी है जिसमें किसी के १०० रुपये हैं तो किसी के १५०। बड़े बड़े लोग तो ले चुके, ये मामूली रकम विधवाओं, नाबालिगों की बाकी है। तो ऐसी हालत में उनके लिए वहीं व्यवस्था हो जाय तो गवर्नमेंट को क्या एतराज है ? आखिर कलेक्टर भी तो एस० डी० ओ० को ही पूछ कर करता है, फिर एस० डी० ओ० को अधिकार देने में क्या आपत्ति है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इस प्रकार का पॉवर देने के लिये एक्ट में अमेन्डमेन्ट करना पड़ता है, जहां तक कलेक्टर का सवाल है। उसमें कलेक्टर जागीर भी शामिल है। डिप्टी कलेक्टर्स को भी पॉवर है, इस स्टेज तक की व्यवस्था अभी मौजूद है। एस० डी० ओ० तक करने के लिये कानून में तरमीम करनी पड़ेगी।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : रोजाना आप छोटी छोटी बातों के लिए तरमीम कर लेते हैं; तो इस प्रकार के अमेन्डमेन्ट्स लाने में आपको क्या आपत्ति है ?

श्री अध्यक्ष : कलेक्टर मौके पर जाकर कर सकते हैं।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : तहसील हैड-क्वार्टर के लिये इस संबंध में आदेश कर देंगे। जहां भी इस तरह के मामले हों, उनको वहीं निपटा दिया जाय।

प्रश्न संख्या २९९

श्री अध्यक्ष : श्री दुर्गालाल बाढ़दार।

(अनुपस्थिति–कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ३००

श्री मानिकचन्द सुराणा।

(अनुपस्थित–कृपया आगे देखिये)

Page No 15

अजान बांध के नाले पर पुलिया का निर्माण

३०१. **श्री सांवलियाराम** (रूपवास-सु०): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि अजान बांध से एक नाला जो गांव छोटा खेमरा और बड़ा खेमरा के पास होकर बहता है उस पर पुलिया का अभाव है और इससे लोगों को परेशानी रहती है ?

(२) यदि हां, तो क्या सरकार इस नाले पर पुलिया बनवाने का विचार रखती है ?

उप-मंत्री, सिंचाई (श्री दिनेशराय डांगी) : जी हां ।

(२) यह कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग से संबन्धित है ।

श्री सांवलियाराम : सार्वजनिक निर्माण विभाग के अन्दर तो ये पुलिया आती हैं जिन पर रोड्स हैं, माइनर हैं । यह नाला बस्ती के अन्दर बहता रहता है । आप इस संबन्ध में पुनः जांच कर लें, यह आपसे ही संबन्धित है ?

श्री दिनेशराय डांगी : मेरी सूचना के अनुसार यह बरसाती है और बरसात में पानी इकट्ठा हो जाता है । पुलिया बनाया जाय तो यह सार्वजनिक निर्माण विभाग ही बना सकता है ।

श्री सांवलियाराम : यह नाला बांध से निकल कर आता है, बरसात में तीन महीने तक लगातार बहता है, इसलिए यह आपसे ही संबन्धित है ?

श्री दिनेशराय डांगी : पानी से सिंचाई हो सकती है तो सब करा कर जांच की जायगी ।

श्री सांवलियाराम : पुलिया आप बना सकते हैं ?

श्री दिनेशराय डांगी : पुलिया विदाउट रिटर्न हम कैसे बना सकते हैं ?

श्री अध्यक्ष : श्री अब्दुलजब्बार ।

भूतपूर्व सैनिकों को भूमि-जिला भीलवाड़ा

३०२. **श्री अब्दुलजब्बार** (निम्बाहेड़ा): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि जिला भीलवाड़ा में भूतपूर्व सैनिकों को जमीन काश्त के वास्ते अभी तक नहीं दी गई है ? यदि हां, तो अभी कुल कितनी दर्ख्वास्तें विचाराधीन हैं और उन पर कब तक अलॉटमेंट हो जाएगा ?

उप-मंत्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : जी नहीं । १५३ भूतपूर्व सैनिकों को भूमि आवंटन की गई है । २० प्रार्थना पत्र पेंडिंग हैं । इनमें से १८ को मार्च, ६५ के आखीर तक व २ को अप्रेल के

Page No 16

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

आखीर तक अलॉट करने की कार्यवाही की जा रही है।

श्री अब्दुलजब्बार : यह जो आप अलॉटमेंट का एश्योरेन्स दे रहे हैं वह सही मायने में हो क्योंकि सैनिक बहुत परेशान हैं।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : हमने एक्स सर्विसमैन को अलॉटमेन्ट के लिए शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज इन तीनों को देने के बाद अगर जमीन बचती है तो दूसरों को दी जाय, ऐसे आदेश निकाल दिये हैं। प्रार्थना-पत्र लिए जा रहे हैं, उनके एलॉटमेन्ट की कार्यवाही अब होगी। ये जो फीगर्स बता रहे हैं वे आज के एलॉटमेंट के नहीं हैं, ६३ तक के हैं; इसमें से ५१ केसेज ६४ के हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री रघुनाथ बिश्नोई।

सिवाय चक, भूमि ग्राम रतोड़ा, तहसील सांचोर

३०३. श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सच है कि खसरा नं० ५४ रकबा ५६ बीघा, स्थित ग्राम रतोड़ा, तहसील सांचोर राजकीय सिवाय चक की भूमि है और इसी प्रकार रेकार्ड में दर्ज है ? अगर हां, तो क्या यह भी सच है कि ऐसी भूमि पर बिना तहसील भूमि आवन्टन सलाहकार कमेटी की इजाजत के कोई काश्त नहीं कर सकता ?

(२) क्या यह भी सही है कि उक्त खसरा नम्बर राजस्व भूमि पर संवत् २०१५ की सावण फसल की काश्त मथुरापुरी स्वामी हाडेचा की दर्ज है ? अगर हां, तो इसकी इजाजत तहसील कमेटी द्वारा कब दी गई थी ? अगर बिना इजाजत काश्त की गई तो उसके खिलाफ राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट की धारा ९१ के अधीन कार्यवाही क्यों नहीं की गई ?

(३) क्या यह सच है कि मथुरापुरी स्वामी हाडेचा के खातेदारी की भूमि काफी है और उसको कानूनन ऐसी भूमि की काश्त के लिए इजाजत भी नहीं मिल सकती ? अगर हां, तो उक्त काश्त ऐसी भमि पर किस प्रकार दर्ज की गई है ?

(४) क्या यह भी सच है कि एक ट्रेसपासर की काश्त दर्ज करना व गिरदावरी स्लिप देना कानूनन गलत है ? अगर हां, तो उपरोक्त काश्त किस प्रकार दर्ज की गई है और पटवारी हल्का ने एक ट्रेसपासर का केस बनाकर तहसील अदालत में क्यों नहीं पेश किया ? उक्त काश्त का संवत् २०१५ का क्या लगान वसूल कर लिया गया है ? अगर हां, तो किस दर से ?

(५) उपरोक्त खसरा नम्बर में किस पटवारी ने काश्त दर्ज की ? क्या यह सच है कि उपरोक्त काश्त पड़त भूमि में काश्त न होते हुए भी दर्ज की गई ? अगर हां, तो ऐसे पटवारी के खिलाफ सरकार क्या कार्यवाही करने को तैयार है ?

(६) अगर उपरोक्त मामले में राजस्थान लैन्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत कोई

Page No 17

(श्री रघुनाथ बिश्नोई)

कार्यवाही अब तक नहीं की गई है तो क्या सरकार अब ऐसी कार्यवाही करने को तैयार है ? अगर हां, तो कब तक और अगर नहीं, तो क्यों नहीं ?

उप-मन्त्री. राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (१) जी हां । परन्तु इसका रकबा १६।२ है ।

(२) जी नहीं । यह सही नहीं है कि उक्त आराजी पर सम्वत् २०१५ में सावण काश्त श्री मथुरापुरी की थी । परन्तु यह सही है कि रबी की काश्त उसकी दर्ज है । अतिक्रमणकारी होने के नाते श्री मथुरापुरी के विरुद्ध राजस्थान लैन्ड रेवेन्यू एक्ट की धारा ६१ के आधीन कार्यवाही चालू कर दी गई है ।

(३) जी हां । श्री मथुरापुरी के पास कुल भूमि ४७४ बीघा है एवं उसको अधिक भूमि अलॉट नहीं की जा सकती । चूंकि उसने बहैसियत अतिक्रमणकारी भूमि काश्त की थी, इसलिये अतिक्रमित दर्ज की गई ।

(४) ट्रेसपासर की काश्त दर्ज करना कानूनन गलत नहीं है । काश्त दर्ज होने के पश्चात् ही राजस्थान लैन्ड रेवेन्यू एक्ट की धारा ६१ के तहत कार्यवाही की जाती है । परन्तु ऐसी शिकायत आने पर कि अतिक्रमणकारियों की काश्त दर्ज होने से कठिनाइयां होंगी यह हिदायत १९६३ में जारी कर दी गई, इस प्रकार की काश्त दर्ज ना की जावें । उक्त काश्त का लगान ८ रु० १ आना वसूल किया गया जो आठ आना बीघा की दर से किया गया ।

(इससे आगे के भाग का उत्तर नहीं दिया गया)

श्री रघुनाथ बिश्नोई : दर्ज की जाकर इस साल में दी जा सकती है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इस मामले के अन्दर पटवारी ने जो इंद्राजात किये हैं, वह गलत तरीके से किया था, इस सम्बन्ध में सारी कार्यवाही चल रही है । पटवारी को निलम्बित भी कर दिया है ।

प्रश्न संख्या ३०४

श्री अध्यक्ष : श्री नत्थीसिंह ।

(अनुपस्थित–कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ३०५

श्री हरिप्रसाद ।

(अनुपस्थित–कृपया आगे देखिये)

श्री मावा ।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : इनका नाम मावा से बदल कर मावाप्रसाद कर दिया जावे ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : नहीं तो, मावा–मिश्री कर दिया जावे ।

Page No 18

जयसमन्द की ढेबर कैनाल से सीपेज

३०६. श्री मावा (सलूम्बर) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि जयसमन्द की ढेबर कैनाल से खाखल में काफी झरन (सीपेज) होने से काफी जमीन ऊसर हो गई है और पानी भरा रहने से उपज नहीं होती और किसानों को उस भूमि का लगान देना पड़ता है ?

(२) क्या यह सही है कि सीपेज की इस समस्या के हल के लिये कई बार प्रार्थना की गई है और विभाग द्वारा आश्वासन दिये गये हैं ?

(३) क्या सरकार अब इस समस्या के हल के लिये कोई शीघ्र कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उप-मन्त्री, सिंचाई (श्री दिनेशराय डांगी) : (१) जी हां, लगभग ११४ एकड़ भूमि खराब है। भूमि के लगान का सम्बन्ध राजस्व विभाग से है।

(२) जी हां।

(३) जी हां, उचित कार्यवाही शुरू कर दी गई है।

श्री मावा : कार्यवाही कब शुरू की गई और कब पूरी हो जावेगी ?

श्री दिनेशराय डांगी : सीमेन्ट की लाइनिंग शुरू कर दी गई है। २१ जरीब काम पूरा किया जा चुका है, बाकी जारी है।

श्री मावा : नहर आपने देखी भी है या नहीं ?

श्री दिनेशराय डांगी : बन्ध तो देखा है।

श्री नाथूराम (बागीडोरा) : जयसमन्द से पक्की नहर बनी है। वह पानी लीक करता है खाखल के पास। कच्ची नहर बनी है।

श्री दिनेशराय डांगी : इसी का उत्तर मैंने दिया है कि सीमेन्ट की लाइनिंग का काम हो रहा है। २१ जरीब हो चुका है, बाकी जारी है।

भरतपुर में सड़क की मरम्मत

३०७. श्री श्रवणलाल (हिन्डौन-सु.) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि भरतपुर में नदिया मोहल्ले में जामा मस्जिद से पथवारी तक के आम रास्ते की सड़क बहुत खराब हो गई है और वहां वर्षा काल में कीचड़ भरा रहता है ?

(२) क्या सरकार इस रास्ते के सुधार के लिये आवश्यक कार्यवाही करेगी ?

उप-मन्त्री, स्वायत्त शासन (श्री दौलतराम सारण) : (१) यह सही है।

(२) जी हां।

Page No 19

श्री श्रवणलाल : सही है तो फिर निर्माण-कार्य के लिये क्या सोच रही है सरकार ?

श्री दौलतराम सारण : नगरपालिका ने अपने प्रस्ताव संख्या ४६० के द्वारा उसके निर्माण का निश्चय किया है। एस्टीमेट तैयार हो चुके हैं, टेक्निकल एप्रूवल के लिये पी० डब्ल्यू० डी० को भेजा है।

लगान की वसूली तथा कमीशन का भुगतान

३०८. **श्री भीमसेन** (लूणकरणसर) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे —

(१) माह जनवरी, १९६३ के बाद में तहसील लूणकरणसर में कुल कितना लगान वसूल हुआ तथा किसके माध्यम से वसूली की गई ?

(२) इस वसूली के लिये नम्बरदारों को कितना कमीशन दिया जाना चाहिये ?

(३) क्या यह सही है कि नम्बरदारों को उक्त कमीशन अभी तक नहीं दिया गया है ? अगर हां, तो क्यों ?

(४) उक्त कमीशन का पेमेन्ट कब तक कर दिया जायेगा ?

उप-मन्त्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (१) माह जनवरी, १९६३ के बाद में तहसील लूणकरणसर में कुल लगान ७२,८०१ रुपया वसूल हुआ जो चौधरियान के माध्यम से वसूल हुआ था।

(२) इस वसूली के लिये चौधरियान को पांच प्रतिशत से ३६४,० रुपया दिया जाना देय होता है।

(३) जी हां, कमीशन नम्बरदारों को नहीं दिया गया है क्योंकि राज्य सरकार के आदेश अनुसार जनवरी, १९६३ के बाद में की जाने वाली वसूली पर नम्बरदारों को कमीशन देय नहीं है।

(४) यह प्रश्न ही नहीं उठता है।

श्री भीमसेन : कमीशन क्यों नहीं देते ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इसके लिये जो प्रेस्क्राइब्ड टाइम है उस टाइम के अन्दर वसूली करके नहीं दिया इसलिये।

श्री भीमसेन : लेट वसूली में कुसूर पटवारियों का है, चौधरियों का नहीं है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : ऐसा प्रश्न सामने नहीं आया। आप ही ला रहे हैं।

श्री भीमसेन : ऐसा ही मामला है, देर से वसूली शुरू की पटवारियों ने। चौधरियों की इसमें गलती नहीं है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : अगर सरकार ने ऐसा कुछ कहा हो कि अमुक तारीख से शुरू करना या ऐसा काम जिसके लिये सरकार जिम्मेवार हो और

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

उसके कारण देरी हुई हो तो वहां मामला दूसरी किस्म का होता है, लेकिन इस प्रकार की बात नहीं हो तब मैंने जो जवाब दिया है वह ठीक है।

श्री फूलचन्द जैन (सुजानगढ़) : अब यह कमीशन किसको देंगे ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : वह सरकार के खजाने में है।

श्री भीमसेन : यह गलती पटवारियों की है कि उन्होंने वसूली लेट शुरू की। चौधरियों की नहीं और इसलिये उनको यह कमीशन मिलना चाहिये।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह प्रश्न हमारे सामने आया नहीं। इसके सम्बन्ध में तो इसलिये अब क्या कह सकता हूं ? और अब तो लम्बरदारी प्रथा ही समाप्त हो गई। काफी अर्सा हो गया उसे।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसींद) : गलती नहीं की, पर काम तो किया है। काम की मजूरी तो देनी चाहिये।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह नियमों की बात है।

प्रश्न संख्या ३०६

श्री अध्यक्ष : श्री उदयलाल वर्दिया।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

प्राइमरी हैल्थ, सेन्टर, सीमलवाड़ा में डाक्टर की कमी

३१०. **श्री विजयपाल कटारा** (डूंगरपुर-मु०) : क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि प्राइमरी हैल्थ सेन्टर, सीमलवाड़ा में नियुक्त डॉक्टर लम्बे अर्से से ट्रेनिंग में है ? यदि हां, तो अन्य डॉक्टर भेजने का सरकार विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उप-मन्त्री, स्वास्थ्य (श्रीमती प्रभा मिश्रा) : जी नहीं। डाक्टर एस. आर. दत्ता जो १७-९-६४ से प्राइमरी हैल्थ सेन्टर, सीमलवाड़ा, जिला डूंगरपुर में कार्य कर रहे हैं उनको ४ सप्ताह को फेमिली प्लानिंग ट्रेनिंग में भेजा गया जो दिनांक १-२-६५ से आरम्भ हुई थी। ट्रेनिंग समाप्त करके अब उक्त डाक्टर ने दिनांक २-३-६५ को सीमलवाड़ा चार्ज ले लिया है। ऐसी स्थिति में नए डॉक्टर को भेजने का प्रश्न नहीं उठता है।

श्री विजयपाल कटारा : इस तरह से देरी न करके जल्दी डॉक्टर भेजने के लिये आगे से सरकार ने क्या विचार किया है ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : डॉक्टर है वहां पर। तारीख भी मैंने बता दी, उस टाइम में ट्रेनिंग के लिये भेजा गया था। उसके बाद वापिस पहुंच गया।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : ऐसा भी हैल्थ सेन्टर है, जहां डॉक्टर नहीं है ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : बहुत से हैं।

ग्रामीणों को मकान बनाने हेतु भूमि

३११. **श्री जोधसिंह चौहान** (गिरवां) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि गिरवां तहसील (उदयपुर) के हर गांव में आबादी बढ़ गई है और गांवों में जितनी भी जमीन हल्का आबादी की है वहां मकान बनाने की अब गुंजाइश नहीं रही है ?

(२) क्या यह भी सत्य है कि कई ग्राम पंचायतों से कई वर्षों से काश्त की भूमि को हल्का आबादी में बदलने की कार्यवाही के लिये दरख्वास्तें आ चुकी हैं, फिर भी सरकार अभी कोई कार्यवाही नहीं कर रही है जिससे ग्रामीण मकान बनाने के बिना परेशान हैं ?

(३) किन ग्राम पंचायतों की ऐसी दरख्वास्तें कितने अर्से से विचाराधीन हैं और उन पर क्या कार्यवाही अब तक हो चुकी है और कब तक हल्का आवादी घोषित कर दी जावेगी ?

(४) क्या यह सही है कि कई ग्रामों में ग्राम पंचायतों ने किसानों को भूमि मकान बनाने के लिये, किसानों को राहत पहुंचाने के लिये दे दी है और तहसीलदार या पटवारियों ने उनको नोटिस दे रखे हैं कि वह जमीन हल्का अबादी नहीं है इसलिये मकान गिरा दें या मकान नहीं बना सकते ?

(५) क्या सरकार उन किसानों को उस जमीन पर जो कि हल्का आबादी नहीं है फिर भी पंचायतों ने बेच दी है अपना मकान बनाने देने या उनका आधिपत्य रहने देने का विचार रखती है ?

(६) ऐसे कितने आदमी हैं जिन्होंने हल्का आबादी के अलावा भूमि पर अपने मकान बना रखे हैं और काबिज हे ?

उप-मन्त्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (१) जी हां।

(२) ग्राम पंचायत बूजडा, बड़ी चीखा, मदार की पत्रावलियां पेन्डिग हैं जिनमें पंचायतों से उत्तर अपूर्ण आने से कार्यवाही मुकम्मिल नहीं हुई है। तहसील को शीघ्र पूर्ण किये जाने हेतु लिखा गया है।

(३) ग्राम पंचायत, मदार २२-२-६३
ग्राम पंचायत, बड़ी ३१-३-६२
ग्राम पंचायत, बूजडा ३-५-६२
ग्राम पंचायत, चीखा १८-४-६३

(४) उदयपुर से पांच मील के गांवों में जो मकान बिला नाम भूमि व चरनोट की भूमि में बने हैं उनको आदेश दिनांक २४-४-६३ के तहत वैध करने एवं सनद देने को कार्यवाही जारी है।

(५) जी हां, तारीख २४-४-६३ के सक्यूंलर के अन्तर्गत।

(६) दिनांक ३१-७-६३ तक १०१५ आदमियों ने इस सम्बन्ध में दरख्वास्तें दी हैं।

Page No 22

श्री जोधसिंह चौहान : अब तक सरकार कितने गांवों में जमीन निश्चित कर चुकी है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैं कह रहा रहा हूं कि जो दरख्वास्तें आती हैं वे दो तरह की व्यवस्था में आती है। एक तो ग्राम पंचायत सीमा विस्तार के लिये आवश्यक भूमि लेना चाहती है तो अपना प्रस्ताव पास करके कलेक्टर के पास भेजती है और कलेक्टर उनके प्रस्ताव पर आवश्यकता को देखते हुए जितनी जमीन उचित समझता है उसको इलाका आबादी में लेने की मंजूरी देता है। यह अधिकार कलेक्टर को ही है।

इसके अलावा कलेक्टर के ऊपर भी जिम्मेदारी बजरिये सरकारी आदेश सैक्शन ९२ की तहत डाली है। वह गांवों की आवश्यकता को देखकर सुओ मोटो जमीन सैट अपार्ट कर आबादी के लिये दे सकता है और इस तरह उनकी आवश्यकता की पूर्ति हो सकती है।

श्री जोधसिंह चौहान : अध्यक्ष महोदय, कलेक्टर को आदेश जरूर होगा, पर आज तक एक भी गांव में मन्जूरी नहीं दी गई, मेरा निवेदन करना यह है। कई वर्षों से सरकार के पास दर्ख्वास्तें दे रखी हैं। पर कहीं भी किसी भी गांव में जमीन नहीं दी गई।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : चार गांवों में चार पंचायतों की कलेक्टरी में प्रोपोज़ल्स पेन्डिग हैं। इतनी मेरी जानकारी में है। अब आप कह रहे हैं कि कलेक्टर ने नहीं दी तो आप मुझे ऐसी कोई स्पेसिफिक सूचना दें तो मैं जानकारी करके बता सकता हूं।

श्री जोधसिंह चौहान : नाई गांव, कुराडा, बम्बोरी के मामले हैं जहां दो दो हजार की आबादी से कम नहीं है। अभी मन्जूरी नहीं मिली। उनको आवश्यकता है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : आवश्यकता हो सकती है। पर उनका कोई प्रस्ताव ग्राम पंचायत की तरफ से कलेक्टर कार्यालय में पेन्डिग नहीं है। या तो वे भेज दें अब प्रस्ताव अगर पहले नहीं भेजा है तो और यदि उन्होंने भेजा है और मेरी सूचना सही नहीं है तो तहकीक कर लें, जानकारी कर लें कि उन्होंने भेजा या नहीं।

श्री जोधसिंह चौहान : यह निवेदन करना चाहता हूं कि आपके पास सूचना सही शायद नहीं है। आज दिन तक कई गांवों के लिये दर्ख्वास्तें दी हैं, पर भूमि उनको नहीं मिली।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : आप और तहकीक हो जाइये ग्राम पंचायतों के सरपंचों को पूछकर। मैंने दो-तीन बार टेलीफोन पर पूछकर यह सूचना मगाई है।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : अध्यक्ष महोदय, यह एक जनरल प्रश्न है और अभी विशेषकर गिरवां के संबंध में पूछा गया है। इसी प्रकार की दिक्कतें सारे क्षेत्रों में आ रही हैं। आबादी बढ़ रही है और लोगों ने बिना इजाज़त के मकान बना लिए हैं और गवर्नमेंट उन्हें नहीं मानती है तो इनको रेगुलेराइज करने के संबंध में सरकार ने कोई नीति बनाई है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जो रेगुलराइज़ करने का मामला है उसके बारे में मैंने निवेदन किया; इस प्रश्न के उत्तर में भी कि जो सर्कुलर २४-४-६३ को गवर्नमेंट ने निकाला है उसके तहत हजारों केसेज़ रेगुलराइज़ हो रहे हैं, जो उससे कवर्ड हैं।

श्री फूलचन्द जैन (सुजानगढ़) : क्या सरकार ने यह पता लगाया कि गिरवां में इतनी आबादी कैसे बढ़ रही है ?

श्री जोधसिंह चौहान : नाई गांव, कुराडा, बम्बोरा, जगत, सागोदड़ा में यह समस्या है, आप चाहें तो पता लगा लें।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैंने इससे कब इन्कार किया कि समस्या नहीं होगी। समस्या हो सकती है,लेकिन प्रार्थना-पत्र नहीं हैं इसलिये अब आप उनसे कह दें कि प्रार्थना-पत्र दे दें।

श्री अध्यक्ष : यह समस्या जैसा अन्य माननीय सदस्यों ने कहा कि यह समस्या गिरवां में ही हो ऐसी बात नहीं है। अगर मंत्री महोदय कलेक्टर्स को कह सकें तो अच्छा होगा।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : अध्यक्ष महोदय, आपका कहना बिल्कुल सही है। हमने हाल ही में उनको सैक्शन ९२ के तहत सैट-अपार्ट सुओ मोटो करने के लिये चाहे पंचायत करे या नहीं, यह अधिकार उनको दे दिये और साथ ही साथ यह भी कहा है कि इस प्रकार के जो प्रार्थना-पत्र हैं उनको जल्दी से जल्दी डिस्पोज ऑफ किया जाये और इस संबंध में हम और आॅर्डर्स प्रसारित कर देंगे।

श्री कृष्णकुमार गोयल : सैक्शन ९२ के तहत जो आपने उनको पॉवर्स दिये हैं कलेक्टर्स को कि गांवों की आबादी को देखते हुए एक एरिया सैट-अपार्ट कर दें, यह हिदायत आपने कब दी है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह १९६१-६२-६३-६४, तीन सर्कुलर्स निकाले हैं।

प्रश्न संख्या ३१२

श्री अध्यक्ष : श्री लक्ष्मणप्रसाद पटेल।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

स्थगित प्रश्न

प्रश्न संख्या ७३

श्री हरलाल मीणा।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

स्थगित प्रश्न

(४—३—६५)

म्युनिसिपल बोर्ड की जमीन का अलॉटमेन्ट

१६२. **श्री श्रवणलाल** (हिन्डौन-सु०) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सच है कि हिन्डौन म्युनिसिपैलिटी के प्रशासक ने हिन्डौन स्टेशन

(श्री श्रवणलाल)

के पास म्युनिसिपल बोर्ड की जमीन को बिना नीलाम किये अलॉट कर दिया है ?

(२) क्या यह सच है कि उस जमीन को अन्य लोग २०) रुपये गज के हिसाब से खरीदने को तैयार हैं ? यदि हां, तो उनको क्यों नहीं नीलाम की गई ?

उप-मन्त्री, स्वायत्त शासन (श्री दौलतराम सारण) : (१) जी हां।

(२) प्रार्थी को अन्य ली गई भूमि के बदले में यह भूमि अलॉट की गई है। उस समय नगरपालिका में कोई प्रार्थना-पत्र इस भूमि को नजराने पर देने के विरोध में अथवा कीमत अधिक देने के सम्बन्ध में प्राप्त नहीं हुआ।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : जो भूमि एक्वायर की गई थी वह किसी कार्य के लिए एक्वायर की गई थी जिसकी एवज में उसको दूसरी भूमि दी ?

श्री दौलतराम सारण : जगर बांध में इसकी भूमि आ गई थी।

श्री श्रवणलाल : जैसा कि आपने कहा कि जगर बांध में उसकी भूमि आ गई थी तो वह कितने बीघा जमीन आ गई थी ?

श्री दौलतराम सारण : अध्यक्ष महोदय, इस भूमि की स्थिति यह है कि जैसा पहले भी निवेदन किया था उस समय वहां पर प्रशासक थे। उनके सामने प्रार्थना-पत्र दिया भूमि के लिए कि एक साल से मेरे पास यह भूमि है और मेरी भूमि जगर बांध में आ चुकी है और रिहाइश की दूसरी जमीन मेरे पास नहीं है और मैं हिन्डौन का रहने वाला हूं, इसलिए मुझसे नजराना लेकर मुझे यह भूमि दे दी जाये। उस पर एस० डी० ओ० ने यह भूमि नजराने पर दे दी। यह सारी स्थिति है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : यह जमीन तो म्युनिसिपल बोर्ड की है और जो उसकी भूमि जगर बांध में आई वह एग्रीकल्चरल लैण्ड है। यह नहीं हो कि म्युनिसिपेलिटी में एस० डी० ओ० एडमिनिस्ट्रेटर हो इसलिए वहां जमीन दे दी गई ?

श्री दौलतराम सारण : यह सत्य है कि एस० डी० ओ० ने यह जमीन ठीक तरह से नहीं दी, इसलिए एस० डी० ओ० के खिलाफ हम कार्यवाही कर रहे हैं।

श्री श्रवणलाल : जिस आदमी को यह जमीन दी गई है वह एस० डी० ओ० के यहां ही क्लर्क है ?

श्री अध्यक्ष : यह भी जांच से पता लग जायेगा।

श्री दौलतराम सारण : इसकी मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन यदि ऐसा है तो सामने आ जायेगा।

श्री श्रवणलाल : यह निवासी कहां का है ?

Page No 25

श्री दौलतराम सारण : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर चुका हूं कि एस० डी० ओ० ने यह जमीन नियमानुसार नहीं दी इसलिए उसके खिलाफ हम कार्यवाही कर रहे हैं। इसलिए सारी स्थिति स्पष्ट है।

श्री अध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास।

नगरपालिका बीकानेर में प्रशासक की नियुक्ति

२८६. **श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) बीकानेर नगरपालिका के चुनावों को हाईकोर्ट ने किस तिथि को अवैध घोषित किया था ?

(२) क्या यह सही है कि हाईकोर्ट ने अपने फैसले में सरकार को यह कहा है कि सरकार बीकानेर नगरपालिका में प्रशासक नियुक्त कर दे ? यदि हां, तो फिर इसमें विलम्ब क्यों हो रही है ?

उप-मंत्री, स्वायत्त शासन (श्री दौलतराम सारण) : (१) दिनांक ७–९–६४ को।

(२) इस बारे में अध्यादेश जारी कर दिया गया था जिसका दिनांक ५–३–६५ को बिल भी सदन द्वारा पारित कर दिया गया है।

श्री मुरलीधर व्यास : मैं तो इसलिए जानना चाहता हूं कि जो हाइकोर्ट का फैसला है उसमें यह स्पष्ट कह दिया था कि वहां पर प्रशासक नियुक्त कर दिया जाये ?

श्री अध्यक्ष : इसमें तो काफी बहस हो चुकी है सदन में।

श्री मुरलीधर व्यास : सिर्फ इतनी ही जानकारी करना चाहता था कि क्या कानूनी दृष्टिकोण से.......

श्री अध्यक्ष : श्री विजयसिंह झाला।

(अनुपस्थित)

श्री मोहनराज।

(अनुपस्थित)

श्री गणपतिलाल वर्मा।

(अनुपस्थित)

श्री दुर्गालाल बाढ़दार।

(अनुपस्थित)

श्री मानिकचन्द सुराणा।

(अनुपस्थित)

श्री नत्थीसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री हरिप्रसाद शर्मा।

(अनुपस्थित)

श्री उदयलाल वर्दिया।

(अनुपस्थित)

(श्री अध्यक्ष)

श्री लक्ष्मणप्रसाद पटेल ।

(अनुपस्थित)

श्री हरलाल ।

(अनुपस्थित)

श्री श्रवणलाल (हिन्डौन-सु०) : अध्यक्ष महोदय, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं जो मेरा स्थगित प्रश्न था उस पर एक सप्लीमेन्टरी पूछ लूं ।

क्या यह सच है कि एस० डी० ओ० का उस जगह से ट्रान्सफर हो चुका है ?

श्री दौलतराम सारण : ट्रांसफर हो जाने से कार्यवाही में कोई बाधा नहीं पड़ेगी ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए ।

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

सस्ते अनाज की दूकानें

२८७. श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) राजस्थान में अब तक कुल कितनी सस्ते अनाज की दूकानें सरकारी स्तर पर खुल चुकी हैं ?

(२) इन दूकानों की मार्फत कुल कितना अनाज अब तक बिक चुका है ?

उत्तर

(१) राजस्थान में सरकारी स्तर पर ८६६ दूकानें फरवरी माह के आरम्भ में हैं ।

(२) इन दूकानों की मार्फत जनवरी, ६५ तक लगभग ४॥ लाख टन गेहूं बिक चुका है ।

कुम्हारी धंधा करने वालों की कठिनाई

२६३. श्री मोहनराज (बाली) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि देसूरी व बाली तहसील (जिला पाली) में तहसीलदार ने ग्रामीण कुम्हारों द्वारा बनाये गये ईंटों, बर्तनों व घडलियां आदि के कजावे-पकाये हुए एवं कच्चे-जरिये जमानती नोटिस रोक लिये थे और इससे आम जनता विशेषकर काश्तकारों को भारी नुकसान हुआ है ?

(२) क्या यह सही है कि ईंटों के भट्टों के नियम के आधार पर यदि सभी ग्रामीण कुम्हारों को ग्राम्य जीवन की अति आवश्यक वस्तुओं के निर्माण हेतु लीज़ लेना आवश्यक बना दिया गया तो लीज़ लेने की विधि (प्रोसीजर) की कठिनाई व उसमें लगने वाली देरी के कारण यह धंधा बिल्कुल बन्द हो जायगा और इससे कुम्हारी धंधा करने वाले व अन्य सभी ग्रामीणों में भारी असंतोष फैलेगा ?

(३) क्या सरकार इस तरह के उद्योग के लिये लीज़ देने व टैक्स आदि लगाने का कार्य पंचायतों को सौंपने का इरादा रखती है ?

(श्री राजस्व मन्त्री)

उत्तर

(१) जी हां। जो काश्तकार, कुम्हार, या अन्य कोई व्यक्ति राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू ब्रिक क्लीन लीज़ कन्डीशन्स, १९६० के अन्तर्गत बिना लीज़ लिये सरकारी जमीन पर कब्जा करते हैं व ईंटों का भट्टा लगाते या बनाते हैं उन्हें रोक दिया जाता है।

(२) राज्य सरकार के पास इस प्रकार की शिकायतें प्राप्त होने पर राज्य सरकार द्वारा एक परिपत्र सं० एफ० १६ (७१) राज (ख) ५८ दिनांक ११–२–६५ प्रचलित कर दिया गया है, जिसके अनुसार काश्तकारों, कुम्हारों को छोटे कजाने बनाने के लिये, राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू ब्रिक क्लीन, लीज़ कन्डीशन्स, १९६० के अन्तर्गत भूमि लीज़ पर दिये जाने की आवश्यकता नहीं है।

(३) सरकारी नजूल की भूमि जो कि पंचायत क्षेत्र की आबादी में आती थी वह तमाम पंचायतों को हस्तान्तरित कर दी गई है। सरकार का राजकीय कृषि भूमि पर जो तहसीलों के अधिकार में है भट्टे आदि लगाने की स्वीकृति के अधिकार पंचायतों को देने का कोई विचार नहीं है।

सूठेफा ग्राम की लघु सिंचाई योजना का सर्वे

२९४. श्री गणपतिलाल वर्मा (मांडलगढ़) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि भीलवाड़ा जिले की कोटड़ी तहसील के सूठेफा नामी ग्राम में एक लघु सिंचाई योजना के अन्तर्गत बांध बनाने की सर्वे कराई गई थी ? यदि हां, तो सरकार अब उक्त बांध का कार्य कब से शुरू करने का इरादा रखती है ?

उत्तर

जी हां, योजना की अभी तकनीकी दृष्टि से जांच की जा रही है। यदि उपयुक्त पाई गई तो स्वीकृति के उपरान्त कार्यान्वित की जावेगी।

लैन्ड रिकॉर्ड विभाग में प्रमोशन्स

२९९. श्री दुर्गालाल बाड़दार (हवा महल, जयपुर) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या मिनिस्टीरियल स्तर के कर्मचारियों को सबोर्डीनेट सर्विस में प्रमोट किया जा सकता है और यदि नहीं, तो क्या यह सच है कि लैण्ड रिकॉर्ड विभाग में इस प्रकार प्रमोशन किए गए है ?

उत्तर

जी नहीं। इस प्रकार के प्रमोशन नहीं किये गये।

चारभुजा सिनेमा, जोधपुर

३००. श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

Page No 28

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

(१) क्या चारभुजा सिनेमा, जोधपुर को बन्द करने के आदेश श्री जिलाधीश जोधपुर ने दिये थे ? यदि हां, तो किस तारीख को ?

(२) क्या उक्त सिनेमा-गृह के पास कोई लाइसेन्स या पर्मिशन है ? यदि हां, तो उसकी मियाद कब तक की है ? यदि नहीं, तो इसके विरुद्ध क्या कोई कार्यवाही आज तक की गई ?

(३) क्या जिलाधीश महोदय के आदेश के बावजूद उक्त सिनेमा–घर चलता रहा ? यदि हां, तो कितने महीनों तक ?

(४) क्या जिलाधीश के आदेशों के पालन न होने के सम्बन्ध में कोई जांच की गई व किसी अधिकारी को जिम्मेदार ठहराया गया ? यदि हां, तो किसको और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(१) जी हां। जिलाधीश, जोधपुर के आदेश दिनांक २०–४–६२ के थे।

(२) चारभुजा सिनेमा, जोधपुर के पास लाइसेन्स है जिसकी मयाद दिनांक ३१-३-६५ तक की है।

(३) जिलाधीश जोधपुर, द्वारा दिनांक २०–४–६२ को सिनेमा बन्द किये जाने संबंधी आदेश की अपील सिनेमा के प्रबन्ध-कर्त्ता ने रेवेन्यू अपीलेट ऑथोरिटी, बीकानेर कैम्प जोधपुर को की जहां से दिनांक १३-१०-६२ को जिलाधीश के आदेश रद्द कर दिये गये। साथ ही उन्होंने यह भी अन्तरिम आदेश दिये थे कि उनके न्यायालय से निर्णय न किये जाने तक सिनेमा चालू रखा जाये। ऐसी परिस्थिति में सिनेमा चालू रहा।

(४) प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

मेव बोर्डिंग हाउस, अलवर

३०४. श्री नत्थीसिंह (गोविन्दगढ़) : क्या पुनःसंस्थापन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि अलवर में एक मेव बोडिंग हाउस है ? अगर हां, तो यह अब किस के अधिकार में है ?

(२) क्या यह भी सही है कि इसके कुछ कमरे सरकार ने मेव कमेटी को दिये हैं ? अगर हां, तो बाकी बचे हुए कमरे क्यों नहीं दिलाये गये हैं ?

(३) क्या यह सही है कि सरकार ने इस बोर्डिंग हाउस को पुरुषार्थियों से खाली कराने व मेवों को दिलाने के आदेश जारी हो चुके हैं ? अगर हां, तो इस आदेश की कॉपी सदन की मेज पर रखी जावे।

(४) इस बोडिंग हाउस को मेवों को दिलाने में सरकार को क्या कठिनाई है ?

उत्तर

(१) जी हां, यह सही है कि अलवर में एक मेव बोडिंग हाउस है जिसमें कुल

(श्री पुनःसंस्थापन मंत्री)

मिलाकर २५ कमरे है । जिस समय मेव छात्रावास कस्टोडियन विभाग के अधिकार में था उसने २४ विस्थापित व्यक्तियों को निम्न तारीख से २५ कमरे रहने के लिए दिये थे :—

क्रम	रहने वाले के नाम	तारीख	कमरों की संख्या
	१	२	३
१.	श्री शान्ति स्वरूप	८-१२-५१	१
२.	श्री ठाकर दास टेकचन्द	१-७-५१	१
३.	श्रीमती सुक्खाबाई	१-७-५१	१
४.	श्रीमती कलावती	१-६-५१	१
५.	श्री किशनचन्द	१-१-५१	१
६.	श्री रूपचन्द गोरा	१-५-५१	१
७.	श्री गोपाल दास	१-४-५१	१
८.	श्री चुन्नीलाल	७-८-५२	१
९.	श्रीमती चतडीबाई	१-१२-५१	१
१०.	श्रीमती भूरीबाई	जुलाई, ५१	१
११.	श्री रामकृष्ण	—	१
१२.	श्री बिहारीलाल गुप्ता	२२-२-५६	१
१३.	श्री शामन दास	१-७-५१	१
१४.	श्री खण्डूराम	१-४-५१	१
१५.	श्री गुरदयाल व फुम्मनदास	१०-६-५४	१
१६.	श्री रामकृष्ण	१-५-५१	१
१७.	श्री सुखदेव व गोपालदास	जुलाई, ५३	१
१८.	श्रीमती दुवारीबाई	१-१-५१	१
१९.	श्रीमती मुरलीधर	१-७-५१	१
२०.	श्री मंगल राम	जून, ५१	१
२१.	श्री खेमचन्द रामचन्द	१-५-५१	२
२२.	श्रीमती जिदोबाई	अप्रेल, ५१	१
२३.	श्री हरि राम	जुलाई ५१	१
२४.	श्री थारूराम	१-१-५१	१
			२५

उपरोक्त २५ कमरों में से ३ कमरों का मौलवी मोहम्मद इब्राहीम, अध्यक्ष, मेव पंचायत को सन् १९६२ में दखल दिलाया गया तथा ११ कमरे श्री एम० आई० खां, सचिव, मेव पंचायत ने अपने निजी तौर पर विस्थापित व्यक्तियों से प्राप्त कर लिए । इनको दखल नियमानुसार नहीं दिलाया गया । इस प्रकार यह स्पष्ट है कि २५ कमरों में से १४ कमरे मेव प्रतिनिधियों के कब्जे में तथा शेष ११ कमरे विस्थापित व्यक्तियों के कब्जे में हैं ।

शेष ११ कमरों में निम्न तारीख से १० विस्थापित व्यक्ति काबिज हैं—

क्रम	रहने वालों के नाम	दिनांक	कमरों की संख्या
	१	२	३
१.	श्री टेकचन्द	१-७-५१	१
२.	श्रीमती कलावती दयाराम	१-६-५१	[illegible]

(श्री पुनःसंस्थापन मंत्री)

१	२	३
३. श्री श्यामन दास	१-७-५१	१
४. श्री खण्डूराम	१-४-५१	१
५. श्री फुम्मन दास	१०-९-५४	१
६. श्री मुरलीधर भवानीदास	१-७-५१	१
७. श्री मंगतराम सुन्दरदास	जून ५१	२
८. श्री थारूराम आसानन्द	१-१-५१	१
९. श्रीमती केवलबाई	—	१
१०. श्रीमती जिन्दीबाई	अप्रेल ५१	१
		११

(२) यह सही है कि १४ कमरे मेवों के प्रतिनिधियों के पास हैं इनमें से ३ कमरे मौलवी मोहम्मद इब्राहीम, अध्यक्ष, मेव पंचायत को सन् १९६२ में सरकार द्वारा दखल दिलाये गये तथा ११ कमरे श्री एम० आई० खां नई वक्फ कमेटी के सचिव ने अपने निजी तौर पर विस्थापित व्यक्तियों से प्राप्त कर लिये हैं।

केन्द्रीय सरकार के पत्र क्रमांक २ (१५) ५७। प्रापर्टी दिनांक १२-३-५८ के अनुसार विस्थापित व्यक्तियों को रहने के लिए बदले में अन्य स्थान दिए जाने पर ही यह कमरे खाली कराए जा सकते हैं और चूंकि अभी तक उनके लिए उपयुक्त स्थान का प्रबन्ध न [illegible] सका है अतः बाकी ११ कमरे उनसे [illegible] नहीं कराये जा सके हैं।

(३) जी हां सदन की मेज पर रखदी गई है।

(४) विस्थापित व्यक्तियों को जमीन दिलाने की कार्यवाही सन् ५८-५९ से की जा रही है। प्रारम्भ में राज्य सरकार के पत्र सं० डी १२१।एफ २(२६) आर० आर।५८ दिनांक १९-२-५९ के द्वारा जिलाधीश, अलवर को यह आदेश दिए गए थे कि इन विस्थापित व्यक्तियों को मेव छात्रावास के सामने वाले खसरा नं. १६५७।१ व १६५८।१ की भूमि दे दिये जाने पर विचार किया जावे पर यह भूमि कस्टोडियन की थी तथा इस पर पट्टेदार बैठे हुए थे। अतः नियमानुसार पट्टेदारों को बेदखल कर भूमि अवाप्त करने की कार्यवाही की गई। इस ही दौरान में मौलवी मोहम्मद इब्राहीम ने मेव पंचायत के अध्यक्ष की हैसियत से १६५७/१ व १६५८।१ के खसरों के बदले में ५ बीघा भूमि ग्राम दाऊदपुर में श्री रूपचन्द गोरा इत्यादि से ले ली तथा इन खसरा नम्बरान को विस्थापित व्यक्तियों के हक में रजिस्ट्री करादी। इसके अनुरूप यह प्रश्न चल पड़ा कि भारत सरकार की कस्टोडियन भूमि को वेचने का अधिकार मौलवी मोहम्मद इब्राहीम को नहीं था।

नगर सुधार मण्डल, अलवर ने इन खसरा नं० को अवाप्त करवाने के लिए अवाप्त अधिकारी अलवर को प्रार्थना की। उसके अनुरूप में भूमि अवाप्त अधिकारी ने दिनांक २२-९-६४ को खसरा नं० १६५७।१ व १६५८।१ व अन्य खसरान का मुआवजा २८९७१.८७ रुपया निश्चित किया। इस आज्ञा के विरुद्ध भारत सरकार की ओर से प्रबन्ध अधिकारी, अलवर व श्री रूपचन्द

(श्री पुनःसंस्थापन मंत्री)

गोरा इत्यादि ने जिला सैशन जज, अलवर के न्यायालय में लगभग अक्टूबर ६४ में अपील कर दी है, जो अभी तक उसी न्यायालय में चल रही है।

नगर विकास मण्डल, अलवर को सहायक सचिव, नगर विकास योजना विभाग, जयपुर ने अपने पत्र संख्या एफ ६।३६।टी० पी।६४ दिनांक ३०-१-६५ के अधीन मुआवजे के सम्बन्ध में लिखा है। किन्तु इस दावे के सैशन न्यायालय में जाने के कारण तथा मुआवजे की राशि अधिक बतलाये जाने से मुआवजे की राशि का भुगतान अभी तक नहीं किया है चूंकि यह भूमि भारत सरकार के कस्टोडियन विभाग की बतलाई जाती है तथा सैशन न्यायालय में इस का दावा चल रहा है अतः इसके सम्बन्ध में निश्चित समय बतलाना सम्भव प्रतीत नहीं होता है। जहां तक विस्थापित व्यक्तियों का नाम व कमरों के क्रम का प्रश्न है सूचना निम्न प्रकार से है :

(१)	श्री टेकचन्द	१
(२)	श्रीमती कलावती	१
(३)	श्री श्यामनदास	१
(४)	श्री खण्डूराम	१
(५)	श्री कुम्मनदास	१
(६)	श्री मुरलीधर	१
(७)	श्री मंगलराम सुन्दरदास	२
(८)	श्री थारूराम आसानन्द	१
(९)	श्रीमती केवलबाई	१
(१०)	श्रीमती जिन्दीबाई	१
		११

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

तहसील केशवराय पाटन में नदी के कटाव में आई भूमि

३०५. श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने को कृपा करेंगे:—

(१) केशवराय पाटन तहसील में चम्बल व मेज नदी के कटाव के कारण कितने एकड़ भूमि खाल व दरडे व बरडे के रूप में बेकार पड़ी है जिस पर काश्त नहीं होती और जो रेवेन्यू रेकॉर्ड में दर्ज है ?

(२) क्या यह सही है कि इस क्षेत्र को चम्बल प्रोजेक्ट एरिया में शामिल कर रखा है?

(३) क्या यह सही है कि इस कटाव को रोकने हेतु भू-संरक्षक विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई ?

(४) क्या यह सही है कि कई ऐसे दरडे व बरडे को भूमिहीन किसानों द्वारा मेहनत करके काबिल काश्त बना लिया गया है और सरकार उन्हें ट्रेसपासर मानकर बेदखली करने लगी है ?

उत्तर

(१) करीबन २९४५१ एकड़ भूमि खाल, दरडे व बरडे के रूप में बेकार पड़ी है। इसमें कहीं कहीं बीच में समतल भूमि पर काश्त होती है, परन्तु अधिकांश भूमि पर काश्त नहीं होती। यह रकबा रेवेन्यू रेकार्ड में गैर-मुमकिन खाल, दरड़े व बरडे के नाम से दर्ज है।

(श्री राजस्व मन्त्री)

(२) जी हां।

(३) हां यह सही है कि इस कटाव को रोकने के हेतु भू-संरक्षण विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई। किन्तु चम्बल व मेज़ के कटाव को रोकने हेतु डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट विभाग, बून्दी द्वारा एक हजार एकड़ भूमि पर प्लान्टेशन लगाया गया है जिससे खाल व दरड़ों में बढ़ोत्तरी न हो।

(४) जी नहीं, खाल दरडे व बरडे की भूमि को किसी ने भी मेहनत करके काश्त के काबिल नहीं बनाया बल्कि बीच में समतल भूमि को ही काश्त किया गया है इस भूमि पर जिन लोगों द्वारा बिना इजाजत नौतोड़ करके काश्त की गई है उन ट्रेसपासर्स के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।

सड़क निर्माण में आई भूमि का लगान

३०६. श्री उदयलाल बढ़िया (लसाड़िया) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि उदयपुर जिले में हरचन्द तालाब एवं बसी से डींगरी तक सड़क निर्माण कार्यों में किसानों की खातेदारी की जमीनें गई हैं ? यदि हां, तो कितनी कितनी ?

(२) क्या उक्त दोनों निर्माण कार्यों में जाने वाली जमीनों का लगान अब तक सूल हो रहा है ? यदि हां, तो कितना ना ?

(३) क्या सरकार अब तुरन्त ऐसे लगान की वसूली बन्द करके अनियमित रूप से लिये गये लगान को वापिस करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(१) जी हां, किसानों की खातेदारी की जमीनें गई हैं।

हरचन्द तालाब में तहसील सराड़ा के गांव मायर के काश्तकारान की भूमि ४२२।।।) बीघा तथा ग्राम सगतड़ा के काश्तकारान की भूमि ६६।।) ४ गर्क हुई है।

बसी से डींगरी सड़क में तहसील सराड़ा की २५।।।) ३ बीघा तथा तहसील सलूम्बर की ८।।।) २ भूमि आई है।

(२) जी नहीं।

(३) जी हां।

रेवेन्यू पटवारियों की ग्रेड

३१२. श्री लक्ष्मणप्रसाद पटेल (सिकराय) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि रेवेन्यू पटवारी की तनख्वाह एक कनिष्ठ लेखक से भी कम है ? यदि हां, तो क्या सरकार इनकी तनख्वाह बढ़ाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

जी हां। इनकी तनख्वाह बढ़ाने का प्रश्न एक समिति के विचाराधीन है।

स्थगित प्रश्न

(२७-२-६५)

खेतों में निकलने वाली नहरों का मुआवजा

७३. श्री हरलाल मीणा (प्रतापगढ़) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि जिला चित्तौड़गढ़, तहसील प्रतापगढ़ के गादोला टैंक से निकलने वाली नहरें काश्तकारों के खेतों में होकर निकली हैं ? यदि हां, तो कितनी जमीन नहरों में आई व कितने काश्तकारों की ?

(२) क्या यह सच है कि इन काश्तकारों को अभी तक मुआवजा नहीं मिला है ? और इनसे सरकार अभी तक लगान भी वसूल कर रही है ? यदि हां, तो ऐसे कितने काश्तकार हैं ?

उत्तर

(१) जी हां । ६२ कृषकों की ८१।।) १ बीघा भूमि नहरों में आई ।

(२) जी हां, इन सभी कृषकों को मुआवजा शीघ्र दिलाने की कार्यवाही की जा रही है लगान वसूल की जानकारी का रेवेन्यू विभाग से सम्बन्ध है । फिर भी सिंचाई विभाग द्वारा सम्बन्धित जिलाधीश को लगान वसूली रोकने को लिखा जा चुका है ।

(११.५७ म. पू.)

राजस्थान विधान सभा में संयुक्त समाजवादी दल की स्थिति विषयक घोषणा

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूं कि दिनांक १८ अगस्त, १९६४ को राजस्थान विधान सभा में संयुक्त समाजवादी दल को विरोधी दल के रूप में मान्यता दी थी उस समय इसकी संख्या १८ थी । किन्तु अब दल की संख्या ११ रह गई है । इस दल के पदाधिकारी एवं सदस्यों के नाम इस प्रकार हैं :—

श्री मुरलीधर व्यास - नेता
श्री रामकिशन
श्री केदारनाथ
श्री हीराभाई - उप-नेता
श्री विट्ठल
श्री मुकटबिहारीलाल
श्री नत्थीसिंह
श्री हरिशंकर
श्री मोहनलाल सारस्वत
श्री उमरावसिंह ढाबरिया - मंत्री
श्री मानिकचन्द सुराणा - सचेतक

अत: मैं संयुक्त समाजवादी दल को विरोधी दल के रूप में मान्यता नहीं देता ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : पदाधिकारियों के अतिरिक्त सदस्य कौन हैं ?

Page No 34

(११. ५६म. पू.)

राजस्थान की सीमा पर पाकिस्तान की हरकतों विषयक मुख्य मंत्री का वक्तव्य

श्री अध्यक्ष : राजस्थान की पाक सीमा के सम्बन्ध में मुख्य मंत्रीजी वक्तव्य देंगे ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री) : राजस्थान सीमा पर पाकिस्तान की कोई ऐसी हरकत नहीं हुई जिसको हमले की परिभाषा दी जा सके । इससे राजस्थान-पाक सीमा की स्थिति चिंताजनक होने का प्रश्न नहीं उठता । रक्षा मंत्री महोदय ने संसद में जो उत्तर दिया उसकी अधिकृत सूचना नहीं है, किन्तु पी० टी० आई० समाचार के आधार पर यह कहा जा सकता है, रक्षा मंत्री ने यह कहा कि कोई असाधारण स्थिति राजस्थान सीमा पर नहीं पाई गई । फिर भी घुसपैठ के विषय में उन्होंने कहा कि वह इस विषय में स्थिति मालूम कर रहे हैं । आगे उन्होंने कहा कि शायद पाकिस्तानी हमारी शक्ति की जांच करना चाहते हैं तो हम मुकाबिले के लिए पूर्ण क्षमता रखते हैं । यह बताना कठिन है कि पाकिस्तान के राष्ट्रपति श्री अयूब और पीकिंग में हाल ही में क्या वार्ता हुई और क्या समझौता हुआ ।

(१२ मध्यान्ह)

पाकिस्तानियों के अवैध रूप से राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने के विषय में राज्य सरकार पूर्ण रूप से जागरूक है और अब तक ११११६ ऐसे पाकिस्तानियों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जा चुकी है ।

राजस्थान के पश्चिमी भाग में बाड़मेर जिले के अन्तर्गत ग्राम बाकासर में ८ और ९ मार्च के बीच पाक हमलावरों द्वारा कोई डाकेजनी, लूट या हत्या का होना नहीं पाया जाता है ।

जिला जालोर के अन्तर्गत ग्राम भाखरा में लाड़मल महाजन को तीन घुड़सवार लुटेरों द्वारा लूटने की घटना दिनांक ८-३-६५ की रात को हुई और लुटेरों का लूट कर बाकासर की तरफ जाना मालूम हुआ । अधीक्षक, आरक्षी मंडल, जालोर, उनकी पुलिस पार्टी सहित पीछा कर रहे हैं । अभी तक यह ज्ञात नहीं हो पाया कि लुटेरे पाकिस्तानी हैं ।

पाक द्वारा बाड़मेर जिले में गलत अफवाहें कुछ प्रतिक्रियावादी लोगों द्वारा फैलाने की कोशिश की गई, लेकिन इस सम्बन्ध में जनता में किसी तरह का रोष व भय प्रतीत नहीं होता है ।

सन् १९६४ में पाक हमलावरों द्वारा कोई असाधारण घटना सीमा पर नहीं हुई । नाक, कान काटने और लूट की दो घटनाएं सीमा पर हुई हैं । वे सभी भारतीय डाकू दल बहादुरसिंह और रघुनाथ बिश्नोई के द्वारा की गई हैं । यह डाकू दल पाकिस्तान में पनाह पाता है, और इस डाकू-दल को भी जगमालसिंह-तेजसिंह के गैंग की भांति खत्म करने के लिए पूर्ण प्रयास किये जा रहे हैं । ऐसा कोई उदाहरण नहीं है कि जिससे यह संकेत

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

लिया जा सके कि सरकारी कर्मचारियों ने वित्त व गृह विभाग की सूचना पाकर दूतावास को पहुंचाई है। मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि राज्य सरकार पाकिस्तान सीमा पर अपने कर्त्तव्यों के प्रति पूर्ण सतर्क है और भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर): एक सूचना कच्छ की तरफ घुसपैठ की जो समाचार-पत्रों में आई है उससे लगता हुआ एरिया हमारा नमक का रन क्षेत्र है उसके बारे में राजस्थान सरकार ने सिक्योरिटी के लिए क्या इन्तजाम किया है?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया: राजस्थान की सीमा के अन्दर जो कदम उठाने चाहिए वे उठाये जा चुके हैं; विस्तार में क्या किया जा रहा है मैं समझता हूं कि सदन के माननीय सदस्य भी उसको जानना चाहेंगे नहीं।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर): माननीय अध्यक्ष, अभी मुख्य मंत्रीजी ने जो वक्तव्य दिया है उस वक्तव्य में तथ्य उसमें रखे हैं उनमें से कुछ तथ्य तो मैं मानता हूं कि वह वाकई जानकारी के अनुसार हैं जैसा कि मैं समझता हूं, परन्तु कुछ तथ्य जो भी मुख्य मंत्रीजी के पास में हैं, मैं समझता हूं कि उनमें बहुत कुछ फर्क है। सबसे पहली बात तो मैं यह बताना चाहता हूं कि इस समय जो भी अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति के अनुसार जो वातावरण चल रहा है जिसके अन्तर्गत चाहे पेकिंग और पिंडी की जो सन्धि हुई है उसके बाद में जो कार्यवाही हमारे देश में अभी चल रही है और जो निर्णय उन्होंने किये हैं वे सब को स्पष्ट हैं। परन्तु उसी सिलसिले में जो उसके बाद में जो हमारे देश पर हमले हुए हैं उनके सम्बन्ध में केवल डाकुओं तक ही सीमित नहीं हैं। जो घटनाएं अभी आपने कहीं कि जो डाकू रघुनाथ बिश्नोई और बहादुरसिंह के आदमियों ने वहां पर कीं तो वहां पर हमला करने वालों में रावत खां था। यह यहां का आदमी है और वहां पाकिस्तान में पनाह पाता है। वह रावत खां था और वह रावत खां आपके रेकॉर्ड के अन्दर नहीं है। यह बिल्कुल स्पष्ट है कि रावत खां ने हमला किया और उसके साथ में ३० व्यक्ति थे। जो हमला किया है उसमें नाक-कान काटने की बात ही नहीं, बल्कि उनके साथ में ३० आदमी थे और ३० आदमियों में से १० आदमी जो गांव के थे उनको बांध दिया और लोगों पर हमला किया और लूट कर ले गया और पाकिस्तान की सीमा के पास एक गांव जो हमारी सीमा में पड़ता है वहां पर ठहरा और ठहर कर वहां के मगना नाई के यहां उसने चाय पी, इसके बाद पाकिस्तान गया। यह किस्सा बिल्कुल स्पष्ट है।

दूसरी बात, रावत खां का जहां तक सम्बन्ध है उसके साथ में जो आदमी थे वे ३० थे, वे डाकू नहीं थे, बल्कि वहां के सैनिक थे। उनके साथ में जो जो हथियार थे वे बिल्कुल सेना के हथियार थे और उस आधार पर उन्होंने सारी कार्यवाही की।

(श्री मुरलीधर व्यास)

तीसरी बात, मैं आपके नोटिस में यह लाना चाहता हूं कि दूसरी आपने यह बात कही है कि बाड़मेर के पास में हमला हुआ और लूट कर चले गये, उसमें आप गहराई में जायेंगे तो आपको पता चलेगा कि यह जो कुछ किया जा रहा है वह डाकुओं की हैसियत से नहीं हो रहा है, वह इस प्रकार से घुसपैठ कर लोगों को आतंकित करने की दृष्टि से हो रहा है। यह जो आप कहते हैं कि चह्वाण साहब ने जो वक्तव्य किया है उसके बारे में मैं आपसे कहूं कि उन्होंने खुद ने कहा है, पार्लियामेंट में श्री हरिश्चन्द्र के एक प्रश्न के जवाब में, कि स्थिति अत्यन्त ही गम्भीर है। उसको मैं आपके सामने पढ़कर सुनाता हूं।

श्री चह्वाण ने बताया है कि अभी तक जितनी घटनाएं हुई है उसका मुद्दा यह है कि पाकिस्तान हमारी शक्ति के विषय से यह जानकारी प्राप्त करना चाहता है कि भारतीय सेना भी हमला जवाब देने को तैयार है। उन्होंने यह भी बताया है कि पाकिस्तान की तरफ से अगर अधिक गड़बड़ करने का प्रयास हुआ तो सफलतापूर्वक और दृढ़तापूर्वक उसका जवाब देंगे। उन्होंने इस बात को माना है कि पंजाब के साथ भावलपुर इलाके में अवकाश प्राप्त सैनिक द्वारा यानी अवकाश प्राप्त सैनिकों द्वारा सड़क बनाने का काम किया जाता है और वे हमला करते हैं, और दूसरी बात उन्होंने खुद ने कह दी, श्री हरिश्चन्द्र माथुर के एक प्रश्न का जवाब दिया तो उन्होंने बताया कि यह मामला गृह मंत्रालय का है और यह विषय गम्भीर है, सीरियस है बहुत। तो वे यह खुद कहते हैं कि विषय बहुत सीरियस है...

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं निवेदन करूं कि आपने जो कुछ पढ़ा है उससे बहुत कुछ स्पष्ट है कि उनका जवाब ऑल इंडिया के प्रोस्पेक्टिव में है।

श्री मुरलीधर व्यास : नहीं। यह उत्तर जो पाकिस्तान सीमा पर हमले की बात है यह श्री हरिश्चन्द्र माथुर, जो कि पार्लियामेंट के मेम्बर हैं, के प्रश्न पर उन्होंने सीमा के बारे में कहा है।

दूसरी बात मैं आपसे यह अर्ज करना चाहता हूं कि यहां पर आप यह जो फर्मा रहे हैं सीमा की स्थिति के बारे में और जो कुछ घटनाए आपके पास में हैं तो मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे राजस्थान की सीमा के मसले पर जो कुछ भी चल रहा है वह अलग है, परन्तु आज भी हमारे राज्य में बहुत से ऐसे लोग हैं जो पासपोर्ट लेकर नहीं आये हैं और अवैध रूप से हमारे इलाके के अन्दर घूमते हैं जिनकी संख्या हजारों की तादाद में है। वह क्या कार्यवाही करते हैं इसको बहुत गहराई से देखना चाहिए।

तीसरी बात मैं यह आपके नोटिस में लाना चाहता हूं कि ऐसे बहुत से लोग हैं सर्विसेज़ के अन्दर....

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस प्रकार का सवाल हो जो कि बहुत तथ्य पर आधारित हो उनको कहें तो ठीक है।

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

अननेसेसरी पैनिक क्रियेट करने के लिए माननीय सदस्य अगर तथ्यों को रखेंगे तो मैं समझता हूं कि हमारे खुद के देश की सुरक्षा की दृष्टि से कोई बड़ी महत्वपूर्ण बात हम फील करते हों उसके परिणाम से नहीं निकलती है ।

श्री मुरलीधर व्यास : मैं आपसे फर्मा रहा हूँ और एक पत्र प्रस्तुत कर रहा हूं । यह जो पत्र है....

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (मांडल) : अध्यक्ष महोदय, एक जानकारी मैं थोड़ी सी चाहता हूं कि यह बहादुरसिंह वही डाकू है जो झंझा का रहने वाला है और जिसके लिए कई दफा माननीय सदस्य ने प्रश्न किया है ? बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने झंझा के डाकू के लिए, उसको बचाने के लिए कितनी दफा प्रश्न किया है ।

श्री मुरलीधर व्यास : जो कुछ आपने कहा है मैं उसका पूर्ण समर्थन करता हूं कि यह वही डाकू है । मैं यह भी कहता हूं कि...

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : यह भी समर्थन करते हैं कि कई दफा उसको बचाने की कोशिश की है ।

श्री मुरलीधर व्यास : मैं बताना चाहता हूं कि वह बहादुरसिंह इस झंझा काण्ड के बाद डाकू बना था, पहले किसान था और तारीफ यह है कि किसान वह उसके बाद में डाकू बना । अब जो घटनाएं वह करता है मैं उसका सख्त विरोधी हूं और आप अगर कहें ऐसे स्थान पर ऐसे डाकू को समाप्त करने में मेरे शरीर की बाजी लगाने में उपयोग ले सकते हैं तो मैं तैयार हूं, परन्तु मैं यह कहना चाहता हूं....

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंह-नगर) : बहादुरसिंह हरिजनों को दबाता था और हरिजनों पर अत्याचार करता था; उस वक्त आप उसकी रक्षा करते थे ।

श्री मुरलीधर व्यास : मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि अगर यह बात मेरी साबित हो जाय कि हरिजनों को दबाता था तो वहां पर हमने उसकी रक्षा की है । जो श्री हांडा ने इस प्रकार की बात कही है अगर इस प्रकार की बात अगर वे साबित कर देंगे तो त्याग-पत्र दे दूंगा, नहीं तो हांडा साहब तैयार हो जायें उसके लिए । मैंने इस बात के लिए कभी नहीं कहा । मैं कहता हूं वह खुला कहता हूं ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : कालूराम को गोली मार दी और मूलाराम को जो वहां के काम में पड़ता था उसको गोली से घायल कर दिया और पुलिस ने गोली चलाई तो उसके खिलाफ आपने उसका विरोध किया ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य...

(कुछ माननीय सदस्य एक साथ बोलने लगे)

श्री अध्यक्ष : कृपया इस प्रकार के आक्षेप न लगाकर संक्षेप में मुख्य मंत्रीजी के वक्तव्य के सम्बन्ध में कुछ कहना है तो कह कर जल्दी समाप्त करें।

श्री मुरलीधर व्यास : मैं यह कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार हमारे यहां के लोग पाकिस्तान को खबरें पहुंचाने लगे हैं उसकी मैंने जांच की है और एक पत्र की फोटोस्टेट कॉपी यहां पर रखूंगा। उस पत्र में लिखा है :

"Dear Sir,

Received your letter along with five hundred Rupees. I have organised a group as desired and directions from your side. All the concerning papers of Home and Finance affairs will be delivered to you very shortly.

I have got no fear of anybody. I shall deliver all the papers very shortly. All the work has been completed and all the ten members have already hidden someway. You don't worry.

I am equal to three men.

Yours sincerely,"
Saroj Joshi.

To

High Commissioner of Pakistan,
New Delhi.

यह पत्र भेजा है सरोज जोशी ने और दूसरा मैं यह बताऊं कि सरोज जोशी के बारे में बहुत कुछ........

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : एक तो फोटोस्टेट कॉपी सदन की मेज पर रख दें और उसकी ओरिजिनल भी होगी....

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : इसकी ओरिजिनल मेरे पास है, मैं पेश करूंगा अपनी स्पीच के समय।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : आप तो पहले भी बात कर चुके हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : दूसरा यह पत्र है हरिनारायण जोशी का, इसी एड्रेस पर गया है १२ अगस्त, १९६४ को। इसमें लिखा हैं

"Dear Sir,

In response to your letter, I am coming to you on 17th August, 64. I and my sister Saroj Joshi......"

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य इसकी भी फोटोस्टेट कॉपी सदन की मेज पर रखें।

श्री मुरलीधर व्यास : इसकी भी फोटोस्टेट कॉपी रखूंगा।

"...Joshi will assist you in all respect. All will be decided on coming myself to you. All work will be finalised but money will be the main factor. In the end, I promise to you that, I delivere all the concerned papers of Finance and Home Minister to you very shortly.

(श्री मुरलीधर व्यास)

I am a Research Officer in the Evaluation Deptt.

Yours—
H. N. Joshi."

To High Commissioner of Pakistan."

यह पत्र जो है उसकी फोटोस्टेट कॉपी सदन की टेबल पर रखता हूं। हस्ताक्षर मिला कर देख लीजिये आपके डिपार्टमेंट का आदमी है या नहीं। बहुत छानबीन करने के बाद मैं यह रख रहा हूं। इस सिलसिले में मैंने एस. पी. से एन्क्वायरी की थी। एस. पी. ने इतना तो माना कि यह पैसे के पीछे है और पैसे के लिये सब कुछ कर सकता है, अच्छा घराना नहीं है। मैंने यह भी पता लगाया कि यह सरोज जोशी कई बार दिल्ली गई है। उसके पति से भी दर्यापतं किया। उसके पति ने उससे सम्बन्ध विच्छेद किया, उसको छोड़ा और बहुत कुछ शिकायत की। इन्होंने अपनी सीमा, पब्लिसिटी और नक्शों के बारे में सारी जानकारी पाकिस्तान हाई कमिश्नर को दी है...

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : स्टेटमेंट पर स्पीच इतनी हो, यह परम्परा की दृष्टि से ठीक नहीं होगा। जो बातें आपने सदन के सामने रख दी हैं उनके इन्फरेंसेज पर जाना ठीक नहीं होगा। मैं बता दूंगा इस बारे में।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : ये पत्र सबसे पहले मेरे पास आये थे। मैंने उनसे कहा था कि आप मुख्य मन्त्रीजी के पास जावें। इनके पास ये सारे पत्र और फोटोस्टेट कॉपीज़ वगैरह बहुत देरी से आये हैं। इनको एग्ज़ामिन करने के बाद मुझे कुछ लगा कि इसमें कुछ लोगों के आपसी झगड़े थे। इसलिये मैंने उनसे कहा था कि आप यह सारा मामला मुख्य मंत्रीजी को दो। किसी परिवार के लड़के-लड़कियों को इस तरह से स्कैन्डलाइज नहीं कर सकते। वे शायद मुख्य मंत्रीजी के पास भी गये थे और उन्होंने कुछ जानकारी की भी है। वे और भी कुछ सदस्यों के पास गये। जब तक मुख्य मंत्रीजी सारा परिणाम नहीं बतावें तब तक उस लड़की को, जो कि दुर्भाग्य से स्टोव से जल कर मर गई है, उसको इस केटेगरी में लाना ठीक नहीं है। मुख्य मंत्रीजी जब सदन के सामने फेक्ट्स रख देंगे उसके बाद कुछ कहना हो तो कह सकते हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : मैं अध्यक्ष महोदय, आपकी मार्फत एक प्रश्न पूछना चाहता हूं....

श्री अध्यक्ष : इस सम्बन्ध में नहीं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैं जानकारी चाहता हूं कि जिस प्रकार जगमालसिंह का राजनीतिक उपयोग होता था, उसको डरा-धमका कर राजनीतिक उपयोग लिया जाता था अब उसको पाकिस्तान में १८ साल की सजा हो गई है। क्या बहादुरसिंह का भी उसी प्रकार राजनैतिक उपयोग किया जा रहा है, क्योंकि समाचार-पत्रों से स्पष्ट है कि उसने हरिजनों के नाक-कान काटे हैं, कालूराम के और उसके बाद मूलाराम को घायल

Page No 40

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

किया। झंझेऊ का जो कांड हुआ उसके बाद उसने राजनीतिक कार्यकर्ताओं को धमकी दी, चैयरमैन को धमकी दी, न्याय पंचायत के सरपंच को धमकी दी और उप-प्रधान को धमकी दी। चुनाव के सम्बन्ध में ही उसने नाक-कान काटे, माणिक्यलाल वर्मा ने स्टेट-मेंट दिया कि वहां के लोग उससे डर कर सूरतगढ़ में बसना चाहते हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि कुछ प्रतिक्रियावादी तत्व, जागीरदार वगैरह क्या इस बहादुरसिंह को राजनीतिक कारणों से उपयोग में ला रहे हैं ?

दूसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि बाड़मेर के सम्बन्ध में अखबारों में चर्चा थी कि पाकिस्तान ने बाड़मेर को अपने नक्शे में बताया है। मेरे पास इस समय कटिंग्ज नहीं हैं। इस सम्बन्ध में सरकार का कोई बयान हमें देखने में नहीं मिला कि यह कहां तक ठीक है। मैं अन्त में २ मिनिट में अर्ज करूंगा कि सरोज जोशी.......

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य इस बारे में कोई चर्चा नहीं करेंगे।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैं जानकारी चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : कोई जानकारी नहीं मिल सकती।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैं इतनी ही जानकारी चाहता हूं कि मुख्य मन्त्रीजी ने भवानीमलजी को जानकारी करने के लिये यह मामला दिया था, उनकी क्या रिपोर्ट आई....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ! मैं तीन बार निवेदन कर चुका हूं, इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिलेगी।

श्री फूलचन्द जैन (सुजानगढ़) : श्री मुरलीधरजी व्यास ने कुछ फोटोस्टेट कॉपीज और स्टेटमेन्ट्स पढ़े है उसके तुरन्त बाद यह कहा कि वे फोटोस्टेट कॉपी उनके पास आई थी....

श्री अध्यक्ष : इस पर कोई चर्चा नहीं होगी। मुख्य मंत्रीजी जो उचित समझेंगे जबाव देंगे।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : क्योंकि कुछ आधे-कच्चे विषय आ गये हैं, गलत फहमियां बढ़ रही हैं....

श्री अध्यक्ष : आप गलतफहमियां बढ़ा रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : आप थोड़ा सा यह बता दीजिये कि पिछले चार दिनों में चौहटन के पास पुलिस ने कई लोगों को सरचेज लीं उनके पास पाकिस्तानी झंडे, साइट और कुछ ऐसी चीजें मिलीं जिनके कारण राष्ट्र विरोधी होने की संज्ञा दी जा सकती है, क्या यह सच है ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, जिस दृष्टि से ये स्थगन–प्रस्ताव

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

जिस भूमिका में रखे थे वह मूल भूमिका करीब करीब इस सारे झगड़े में समाप्त हो गई....

असली चीज यह है कि पाकिस्तान की गतिविधियां अपने राष्ट्र की सुरक्षा की दृष्टि से अपने राजस्थान की सीमा पर बढ़ रही हैं—यह एक चिन्ता का विषय है। उस दृष्टि से सरकार का ध्यान आकर्षित किया जाय, इस दृष्टि से रक्षा मंत्री, श्री चव्हाण के वक्तव्य का उल्लेख किया गया है। मैं मुख्य मंत्रीजी से निश्चित रूप से जानना चाहूंगा कि राजस्थान के अन्दर जितने पाकिस्तानी नेशनल अवैध रूप से आये हुए हैं वे कितनी संख्या में आये हुए हैं—और इसकी जांच-पड़ताल के लिए सरकार ने क्या व्यवस्था की है ? इसके साथ ही जितने भी पाकिस्तानी नेशनल आपके राजस्थान में हैं और अवैध रूप से पाकिस्तानी पासपोर्ट की मयाद खत्म होने के बाद भी यहां ठहरे हुए हैं, वह नहीं ठहरें और वापिस पाकिस्तान चले जायं—इस दृष्टि से राजस्थान सरकार क्या क्या कदम उठाना चाहती है ? इसके साथ सीमावर्ती इलाकों में जो पाकिस्तानी गतिविधियां चल रही हैं उनको रोकने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ? अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के अन्दर एन्टी-नेशनल एक्टीविटीज चल रही हैं और हमारे कोर्ट्स में जो इस तरह के केसेज जाते हैं, उन सबका हवाला मैं नहीं देना चाहता हूं कि राजस्थान के हाई कोर्ट में एक रिट हुई थी, उसमें सरकार ने माना था कि वह व्यक्ति पाकिस्तानी नेशनल था और राजस्थान या हिन्दुस्तान का नेशनल नहीं है। लेकिन उसके बाद भी उसको डिपोर्ट करने की कार्यवाही नहीं होती है और डिग्री होने के बाद भी वह लोग इस कोशिश में लगे रहते हैं कि किसी प्रकार से हिन्दुस्तान की सिटीजनशिप उनको मिल जाय। उनको डिपोर्ट करने के सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही हैं ? इसके साथ ही जो गलत तरीके से इलेक्टोरल रोल्स में नाम लिखा लेते हैं, मतदाता सूची में नाम लिखा लेते है और उनकी हिन्दुस्तान की नेशनलिटी किसी डॉक्यूमेंट से तस्दीक नहीं होती है—उनके लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ? इसके विपरीत सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले मुसलमानों को इलेक्टोरल रोल्स, मतदाता सूची में सम्मिलित न किये जाने के भ्रामक प्रचार का राजस्थान सरकार ने खंडन किया है और उस विज्ञप्ति में कहा गया है कि सीमावर्ती इलाके में जो मुसलमान रहते हैं उनका नाम मतदाता सूची में दर्ज किया गया है। तो क्या इसके साथ ही सरकार ने यह पूरी तरह से जानकारी की है कि ऐसे अनेक लोग सीमावर्ती इलाकों में हैं जो पाकिस्तान के नागरिक हैं और सीमावर्ती इलाकों में पाकिस्तान के हित में वह गतिविधियां करते हैं ? क्या सरकार ने ऐसी कार्यवाही की है कि ऐसे लोगों के नाम मतदाता सूची में न लिखे जायं और कहीं ऐसा न हो कि उनके नाम मतदाता सूची में लिख दिये जायं और वे चुनाव में खडे हो जायं, खड़े होने के बाद वे चुन लिये जायं, और फिर उस प्रश्न को लॉ डिपार्टमेंट में से एग्जामिन कराने की नौबत आ जाय, जैसा कि अजमेर में हुआ है ? ऐसी स्थिति न आने देने के लिए प्रिकॉ-

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

शन लेने की आप क्या कार्यवाही कर रहे हैं ? इसके साथ ही जो छोटी-मोटी घटनाएं रोज होती हैं,-लूट मार की, आदमियों के नाक-कान काटने की, गाय-बैलों को उठा कर ले जाने की, चोरी-डकैती की-इन सबको रोकने की दृष्टि से और सीमा की सुरक्षा की दृष्टि से कौन कौन सी कार्यवाही सरकार ने की हैं। सरकार यह भी बताये कि आपने जो बोर्डर कमिश्नर के अपाइन्ट-मेंट की व्यवस्था की है, उस व्यवस्था के होने के बाद सुरक्षा को कितना लाभ पहुंचा है ? और सीमावर्ती इलाकों में जो ऐसे पटवारी हैं, शिक्षक हैं और बाकी की सर-कारी मशीनरी के ऐसे लोग हैं जो नेशनल माइन्डेड नहीं हैं-उनके ऊपर चैक रखने और जो व्यक्ति पकड़े जायं उनको अधिक से अधिक दंड देने की दृष्टि से सरकार ने क्या क्या कदम उठाये हैं ? मैं समझता हूं कि यह जो प्रश्न हैं यह हमारी सीमा-सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसीलिए इस स्थगन-प्रस्ताव की सूचना दी थी। हम यह जानते हैं कि हमें आश्वासन दिया था और वह सब आश्वासन एकदम से पूरे नहीं हो सकते हैं। फिर भी जिन खतरों की सम्भावना है और जिस सम्भावना से ऐसा लगता है कि कहीं फिर वही धोखा हमारे साथ न हो जाय जैसा कि २० अक्टूबर, ६२ को हुआ था, जिसकी अब सम्भावनायें बनती जा रही हैं। राजस्थान एक सीमावर्ती राज्य है और इसलिए यह आवश्यक है कि हम इस संबंध में अधिक जागरूक रहें और सरकार को भी सीमा-सुरक्षा के प्रश्न पर जागरूक रखने का भी हमारा परम कर्त्तव्य है। इन सब प्रश्नों के बारे में जो सरकार की नीति हो वह सख्त नीति हो। इसलिए मैं चाहूंगा कि मुख्य मन्त्रीजी इस सम्बन्ध में कुछ कहें और सदन को जानकारी दें।

श्री फतहसिंह (चौहटन) : अध्यक्ष महोदय, हमारे बोर्ड पर जो मुसलमान रहते थे उनको पुलिस ने पाकिस्तानी मान कर वहां से निकाल दिया, लेकिन वे वापिस हिन्दुस्तान में आ गये और उन लोगों ने हाई कोर्ट में रिट की। उसके लिए गवर्नमेंट क्या करेगी ?

कुछ माननीय सदस्य : क्या कहा ? फिर वापस कहिये।

श्री फतहसिंह : पाकिस्तान के जो लोग हिन्दुस्तान के बोर्डर पर रहते थे उनको पुलिस ने पाकिस्तानी मान कर वहां से निकाल दिया। लेकिन वे वापिस आकर रहने लगे और हाई कोर्ट में रिट कर दी। उसके लिए क्या करेंगे ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों की, राजस्थान की जो सीमा पाकि-स्तान से मिलती है उसकी सुरक्षा के बारे में चिन्ता होना और वहां पर पूरी सतर्कता से काम किया जाय-इसकी इच्छा होना, स्वाभाविक मानता हूं और उसका स्वागत भी करता हूं। लेकिन साथ ही साथ मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि जो स्थिति वहां पर है और आज जो कुछ कार्यवाही की जा रही है उसको भी सही तौर से समझ कर

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

चला जाय और ऐसी स्थिति हम किसी भी प्रकार लोगों के मन में न पैदा होने दें कि जो वास्तविकता नहीं है।

राजस्थान की सीमा पर क्या इन्तजाम इसके बारे में किए जा रहे हैं, मैं उनके बारे में विस्तार से तो इस सदन में पड़ना नहीं चाहूंगा; केवल इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि पहले जहां हमारी सीमा पर गश्त वगैरह के बारे में व्यवस्था नहीं थी वहां आज हरएक चौकियों पर एक चौकी से दूसरी चौकी तक बराबर गश्त लगाई जा सके–उसके लिए हर जगह ऊंटों का इन्तजाम करके आवश्यक व्यवस्था कर दी गई है, जिससे बीच के हिस्से में पूरी तौर से जानकारी रखी जा सके कि वहां पर क्या हो रहा है, क्या नहीं।

पाकिस्तान से आकर के जो लोग राजस्थान के अन्दर पनाह पाते हैं या रहते हैं उन लोगों के खिलाफ उपयुक्त कार्यवाही करने का प्रश्न है–यह सबकी जानकारी में है और मैंने भी सदन को यह सूचित किया था कि ११११६ के करीब लोगों के खिलाफ पिछले अर्से में कार्यवाही की गई है। मैं समझता हूं कि माननीय सदस्यों को इस बात का विश्वास होना चाहिए कि जहां इस प्रकार की बात सामने आती है, सरकार सतर्कता के साथ इस बारे में कार्यवाही कर रही है और आगे भी, मैं यह कहना चाहता हूं, कि इस सारी चीजों के बारे में जानकारी करने के लिए हमने हिदायतें जारी की हैं कि जिसके जरिये एक तरह पूरी जांच वहां पर की जाय कि कोई भी व्यक्ति ऐसे तो नहीं हैं जो हिन्दुस्तान और पाकिस्तान के अलग होने के बाद वहां आकर बसे हैं, इसकी सेंसस की रिपोर्ट, इलेक्टोरल रोल की रिपोर्ट, पटवारी के खाते वगैरह-इन सबकी चैकिंग करके इन्टेन्सिव चैकिंग की जाय। इस आधार पर कार्यवाही की जा रही है और यह सब कदम उठाये जा रहे हैं।

मैं यह भी निवेदन करूं, यह जो अभी यहां बताया गया कि पाकिस्तान के लोगबागों की जो रिपोर्ट मिलती है उसके बारे में कहां कहां, क्या क्या कार्यवाही हुई कुछ केसेज़ के बारे में। उन इन्डीविजुअल केसेज़ के बारे में तो मैं तत्काल कोई सूचना नहीं दे सकता।

बीकानेर से आने वाले सदस्य ने कहा कि जो नाक-कान काटने की घटना हुई उसमें तीन व्यक्ति आर्म्ड पाकिस्तान की राइफल्स के साथ आये, बल्कि आपका यह कहना था कि पुलिस और दूसरे उनके साथ आये और उन्होंने हमला किया। यह गलत बात है। दरअसल यह जो तादाद कुल मिला कर उस वक्त में आने वालों की थी उनकी तादाद तीस के बजाय सिर्फ ८ थी, आठ आदमी थे जिन आदमियों ने आकर के उस घटना को किया था। मैं समझता हूं कि उनकी बात ठीक सूचना पर आधारित नहीं है। उसी प्रकार भगातड़ा के पास जो घटना हुई उसमें तीन व्यक्ति थे। उनके बारे में निश्चित तौर से कहना मुश्किल है कि पाकिस्तान से आये थे या यहां के थे। वह पता लगे तो उसके बाद में कहा जा सकता

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

है। लेकिन, अध्यक्ष महोदय, यह सत्य है कि कुछ लोग जो हिन्दुस्तान के रहने वाले हैं और जो डकैती करते हैं जिनमें, जैसा कि मैंने बताया अभी, रघुनाथ का गैंग और बहादुरसिंह वाला गैंग है जो आज पाकिस्तान में पनाह पाते हैं। हम लोगों ने पाकिस्तान की ऑथोरिटीज़ को भी बराबर इस बात के लिए जोर दिया है कि वह इसके सम्बन्ध में कोऑपरेट करें और कोऑपरेट करके उस गैंग को वहां न ठहरने दें क्योंकि वहां ठहर कर वह हिन्दुस्तान और राजस्थान के खिलाफ कार्यवाही करते हैं। अब तक इस बारे में हमें सफलता प्राप्त नहीं हुई है लेकिन हम कोशिश में हैं कि उनसे इसमें हमें सहयोग मिले। आम तौर से जो डकैती और घुस पैठ की घटनायें जिनको कहा जाता है वह राजस्थान के अन्दर इन गैंगों द्वारा हुई घटनायें हैं। इन घटनाओं में कोई उनकी पुलिस और मिलिट्री के दस्ते राजस्थान के अन्दर कहीं भी घुस गये हों, ऐसी घटना नहीं हुई है। ऐसी घटना कहीं भी हो तो उसका पूरी तरह से मुकाबला करने के लिए राजस्थान की आर्म्ड पुलिस है, वह सशक्त है और पूरी तरह से मुकाबला किया जायगा। किसी प्रकार इस बारे में शक और शुबाह होने की बात नहीं है।

मैं इस मौके पर यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जो हम पर पहले वजन था इस सारी स्थिति को समझते हुए और दूसरी जगह जो आर० ए० सी० डेप्लॉय करनी पड़ती थी, अब भारत सरकार ने आर० ए० सी० के लिए विशेष तौर पर खर्च की स्वीकृति करके हम लोगों को अपनी ताकत को ज्यादा स्ट्रेंग्थन करने के लिए मदद की है और अब उस सारी बात के लिए पूरी तौर से कार्यवाही की जा रही है।

अध्यक्ष महोदय, एक फोटोस्टेट कॉपी आज पेश की गई है उसके बारे में इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे पास इस विषय को लेकर श्री हांडा आये थे और उन्होंने आकर सारी बातें मुझे बताई। मैंने उनसे यह कहा कि जयपुर के एस० पी० हैं जो काफी इस मामले में होशियार हैं और इसके बारे में स्पष्ट हैं, उनके पास जाकर पूरी डिटेल्स में जाकर जो इनके पास मेटीरियल था उनको दे दें, वे पूरी जांच पड़ताल करके इस सम्बन्ध में वास्तविकता क्या है, उसको जान सकते हैं। मैं ऑफ हैंड फोटोस्टेट कॉपी के लिए कुछ कह नहीं सकता क्योंकि किसी चीज में क्या एन्ट्री हो सकती है, फोर्जरी हो सकती है, सच्चाई हो सकती हैं, यह कहा नहीं जा सकता है। और उसके बाद सारे मैटर को सौंप दिया था क्योंकि यह सारा मैटर जो कि उनके पास है He is fully seized with that matter.

मैं समझता हूं कि किसी प्रकार की कोई चीज सच्चाई वाली बात होगी तो पूरी तौर से कार्यवाही की जायगी। इसके सिवाय मैं इस बारे में कुछ कहूं, मैं समझता हूं, यह आवश्यक नहीं है।

सादूल टैक्सटाइल लेबर यूनियन, गंगानगर, विषयक श्रम मंत्री का वक्तव्य

श्री अध्यक्ष : सादूल टैक्सटाइल लि०

(श्री अध्यक्ष)

गंगानगर के बारे में श्रम मंत्री अपना उत्तर देंगे ।

श्री भीखाभाई (श्रम मंत्री) : श्री सादूल टैक्सटाइल लेबर यूनियन, गंगानगर ने अपने तारीख १२-२-६५ के पत्र द्वारा मैनेजमेंट के सम्मुख १२ मांगें रखीं तथा इन मांगों को पूरा न होने पर २६-२-६५ से भूख-हड़ताल करने का नोटिस दिया । इस संबंध में समझौता वार्ता के लिये उप-श्रम आयुक्त ने दोनों पक्षों को वार्ता के लिये २६ फरवरी को जयपुर बुलाया और यूनियन को भूख हड़ताल न करने की सलाह दी । उप-श्रम आयुक्त के समक्ष २७ फरवरी को दोनों पक्षों में बातचीत हुई ; इस बातचीत के दौरान श्रमिकों की ओर से १९६३ के बोनस की मांग पर ही अधिक जोर दिया गया, घड़ी में जालसाजी तथा गरेरियों में हेराफेरी की कोई शिकायत अभी तक नहीं प्राप्त हुई । महंगाई भत्ते की अदायगी भी अवार्ड के अनुसार तारीख १-१-६५ से प्रारम्भ कर दी गई है ।

१९६३ के बोनस के प्रश्न पर कोई समझौता अभी तक नहीं हुआ है, अतः पेमेन्ट का प्रश्न नहीं उठता । मुख्य रूप से यही प्रश्न विवादास्पद है । इस प्रश्न पर उप श्रम आयुक्त ने मैनेजमेंट को यह सलाह दी थी कि बोनस कमीशन की सिफारिशों के अनुसार न्यूनतम बोनस मजदूरों के वेतन के ४ प्रतिशत की दर से दे देना चाहिये । मैनेजमेंट ने मुख्य कार्यालय से सलाह कर जवाब देने को कहा । मैनेजमेंट का उत्तर ६ मार्च को मिला, जिसमें उन्होंने उक्त सलाह को मानकर बोनस देने में असमर्थता प्रकट की, क्योंकि उनकी राय में बोनस कमीशन की सिफारिशें अभी कानून लागू नहीं है ।

इसी बीच में श्रमिकों ने (श्री राधाशरण व आनन्द मुक्कराम) तारीख ५-३-६५ से भूख हड़ताल प्रारम्भ कर दी है तथा तारीख ११-३-६५ से हड़ताल करने की भी तार द्वारा सूचना दी है । यूनियन का यह कदम अनुशासन संहिता के विरुद्ध है । श्रमिकों की उचित मांगों पर श्रम विभाग इण्डस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट के अन्तर्गत कार्यवाही कर रहा है और उन्हें औद्योगिक अदालत को सौंपने को भी तैयार है । मैंने मैनेजमेंट व श्रमिकों के प्रतिनिधियों को बातचीत के लिये तारीख ११ मार्च को जयपुर बुलाया है और यूनियन को सलाह दी है कि वे भूख हड़ताल तुरन्त समाप्त कर दें और हड़ताल का कदम न उठायें, अतः श्रमिकों द्वारा भूख हड़ताल या हड़ताल किया जाना उचित नहीं है ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर): अध्यक्ष महोदय, जब मैंने सूचना दी, वे केवल भूख हड़ताल पर थे । अब श्रमिकों ने हड़ताल कर दी है, उसका कारण यह है कि २६ और २७ तारीख को मालिक और श्रमिकों के प्रतिनिधियों की मीटिंग हुई थी । ४ पर्सेन्ट बोनस की बात वे स्वीकार करके गये और उसके बाद जब उन्होंने पत्र लिखा तो ४ पर्सेन्ट बोनस देने की बात को अस्वीकार किया ।

दूसरी बात यह है कि जहां तक घड़ी

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

और गरेरियों का प्रश्न है, वहां पर घड़ी और ताना बना और गरारियें गलत चल रही है। इसके सम्बन्ध में लेबर इन्स्पेक्टर को भी कई बार सूचना दी गई कि घड़ी और गरारियें गलत तरीके से लगाई हुई हैं और ये डिफक्टिव हैं मगर आज तक लेबर इन्स्पेक्टर ने वहां पर आकर इन गरारियों आदि को चैक नहीं किया जिसकी वजह से मजदूरों को ज्यादा वर्क लोड पड़ता है। इसकी सूचना श्रम विभाग को २६, २७ को दी और नोटिस दिया उसकी सूचना भी दी कि वहां पर वर्क लोड गरारियों के छोटी बड़ी फिट करके श्रमिकों से ज्यादा वर्क लिया जा रहा है।

मैं इस बात के लिये श्रम मंत्रीजी की तारीफ करूंगा कि उन्होंने उनको बुला कर आपस में निपटाने की कोशिश की है। मगर मैं साथ साथ यह भी कहूंगा कि सादूल टैक्सटाइल की यह परम्परा रही है कि दोनों की सलाह को नहीं मानते हैं। वे न तो आपके आदेश को मानते हैं और न बोनस कमीशन के फैसले को। आपने मजदूरों के लिये कहा है कि उन्होंने कोड ओफ डिसि-प्लिन को तोड़ा है और आपने मालिकों के खिलाफ कोई रिमार्क नहीं दिया। श्रीवास्तव और शादूल टैक्सटाइल मिल मालिक एरो-गेन्ट हैं, उन्होंने किसी भी श्रम कमीशन की बात को नहीं माना है और कई बार उनको बुलाने पर भी वे नहीं आये हैं। इतना ही नहीं, मैं यह भी कहूँगा कि श्री जवाहरलाल नेहरू के स्वर्गवास पर भी जब मजदूरों और कलेक्टर के कहने के बावजूद भी उन्होंने छुट्टी नहीं रखी और मजदूरों से उस रोज भी काम लिया और जो मजदूर काम पर नहीं गये उसका वेतन मजदूरों से चार्ज किया। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि श्रम मंत्री इस सम्बन्ध में कुछ कार्यवाही करेंगे जिससे शादूल टैक्सटाइल के मजदूरों को कुछ राहत मिल सके।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : अध्यक्ष महोदय, अभी श्रम मन्त्री ने खुद ने फर्माया कि बोनस के बारे में समझौता नहीं हुआ। फिर उन्होंने कहा कि कमीशन ने इतना बोनस देने को लिख दिया और उन्होंने उसको माना नहीं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जब उन्होंने आपको यह नोटिस दिया कि ११-३ से हड़ताल करेंगे तो क्या इन्स्पेक्टर लेबर खुद वहां जाकर उनको रोकने की कोशिश करे और यहां पर वे लोग इस सिलसिले में आकर बातचीत करें, इस प्रकार के आदेश दिये हैं कि जिससे हड़ताल रुक सके।

श्री केदारनाथ (गंगानगर) : अध्यक्ष महोदय, श्रम मंत्री ने प्रयत्न किया, यह ठीक है। मगर आपने यह कहा कि भूख हड़ताल करना कोड ऑफ डिसिप्लिन के खिलाफ है और एतराज काबिल है। मैं यह कहूंगा कि उन्होंने आपसे बातचीत की, मैनेजमेंट ने मान लिया कि ४ पर्सेन्ट बोनस रहेगा और उसकी बुनियाद पर भीलवाड़ा, पाली आदि सभी जगह समझौता हुआ। यहां पर यह स्टैप सब एफर्ट्स एग्जॉस्ट करने के बाद लिया है। इसका जवाब मिलना चाहिये।

श्री अब्दुल जब्बारखां (निम्बाहेड़ा) : मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि जो

Page No 47

(श्री अब्दुलजब्बारखां)

हड़तालें वगैरह होती हैं उसका खास कारण क्या है ? लेबर इन्स्पेक्टर वहां पर इन्स्पेक्शन करने के लिये नहीं जाते हैं और मजदूर वहां पर परेशान होते हैं ।

श्री भीखाभाई : हर साल होते हैं ।

श्री अब्दुलजब्बारखां : मैं यही तो पूछना चाहता हूं कि मंत्री महोदय यह बता दें कि हड़तालें हर साल होने का क्या कारण हैं ? आप यह कहते हैं कि मजदूरों ने यह कदम कोड ऑफ डिसिप्लिन के खिलाफ उठाया हैं । हड़ताल की वजह क्या है, यह मैं पूछना चाहता हूं ।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : अध्यक्ष महोदय, श्रम मंत्री ने कोड ऑफ डिसिप्लिन का जिक्र किया । मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह आरोप मैनेजमेंट पर लगना चाहिये जो कि त्रिदलीय सम्मेलन के बाद बोनस कमीशन को सुपुर्द किया गया । उस कमीशन की रिपोर्ट पेश हो गई । उसको भारत सरकार ने स्वीकार किया और उसके बेसिस पर कानून भारत सरकार बना रही है । उस बोनस कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर दूसरे लोग बोनस को लागू कर रहे हैं । इसका श्रम मंत्रालय की ओर से प्रयास किया गया और इसको मैनेजमेंट ने स्वीकार किया । मगर बाद में ऊपर से यह चिट्ठी लिख दी...

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं मन्त्री महोदय से कि ऑल इंडिया लेवल का फैसला मजदूरों, मालिकों और सरकार के बीच में होने के बाद, बोनस कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद, भारत सरकार द्वारा उनको मंजूर करने के बाद, आपकी सलाह देने के बाद फिर भी मैनेजमेंट उसे स्वीकार नहीं करे और फिर भी आप मजदूरों के लिये इस प्रकार की बात कहें, मजदूरों ने कोड ऑफ डिसिप्लिन के खिलाफ तरीका अख्त्यार किया है । एक तरफ आप स्वीकार करें, फिर आप उसको रेफर करें और सालों तक मजदूर उसके उस रेफरेंस में घूमते रहें । यह रवैया श्रम मंत्रालय का, मैं समझता हूं उल्टा मालिकों को प्रोत्साहित कर रहा है । बजाय इसके कि मालिकों पर दबाव डालें कि वे इस फैसले को स्वीकार करें, उसके विपरीत मंत्री महोदय कहते हैं कि मजदूरों का एटीट्यूड कोड ऑफ डिसिप्लिन के खिलाफ है, आपने इस तरह से मैनेजमेंट को और प्रोत्साहित किया है, श्रम मंत्री के इस तरह के एटीट्यूड की वजह से इस तरह का हठधर्मी का एटीट्यूड मैनेजमेंट की तरफ से लिया जाता है । इसलिये मैं चाहता हूं कि श्रम मंत्री अपने स्टेटमेंट को साफ करें और कहें कि त्रिदलीय सम्मेलन की स्परिट को स्वीकार करें; जो मालिकों, श्रमिकों के बीच में सरकार ने समझौता करवाया, सरकार ने आश्वासन दिया था कि बीच में पड़ कर समझौता कराने की कोशिश करेगी तो आज क्या सरकार ऐसा महसूस करती है कि मालिकों ने जिस फैसले को नहीं माना, उस फैसले को मालिकों से मनवाने में क्या सरकार अपने आपको पंगु समझती है, अपंग समझती है, क्या डिफेन्स ऑफ इंडिया रूल्स को लागू नहीं करके मजदूरों को उनके रहम पर छोड़ देना उचित समझती है ? मैं समझता हूं यह उचित नहीं हैं । इसलिये

Page No 48

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

मंत्री महोदय से कहूंगा कि कोड ऑफ कन्डक्ट के खिलाफ मजदूरों ने कोई कार्य-वाही नहीं की है बल्कि त्रिदलीय सम्मेलन के एग्रीमेंट को मैनेजमेंट ने तोड़ा है इसलिये कड़ी कार्यवाही मैनेजमेंट के खिलाफ करें।

श्री भीखाभाई (श्रम मन्त्री): माननीय अध्यक्ष जी, अभी दो माननीय सदस्यों ने कहा, निम्बाहेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने जो कुछ कहा, उसकी आवश्यकता नहीं थी। अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने अपनी स्पीच में, जैसे श्रम विभाग की डिमान्ड चल रही हो ऐसा भाषण दिया। में निवेदन करना चाहता था कि मैनेजमेंट की तरफ से हम कोई यहां वकील होकर खड़े नहीं हुए हैं। जहां तक मेनेजमेंट का सवाल है, जैसा माननीय सदस्य कहते हैं, वह एरोगेन्ट टाइप का है, में मानता हूं उनकी हठधर्मी रही है।

एक माननीय सदस्य: एरोगेंट को ठीक नहीं कर सकते ?

श्री भीखाभाई: उसके लिए जो बात कानूनी तरीके से कही जाती है तो उसके लिए कानूनी तरीके से ही बात की जा सकती है। इन्डस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट या फैक्टरी रूल्स को वोयोलेट करने पर ही कानूनी कार्यवाही की जा सकती है।

मैंने अनुशासन संहिता का जिक्र किया। कितने मजदूरों ने उसे तोड़ा है तो उनको बुरा लगा। जहां तक श्रम विभाग का प्रश्न है, वह मालिकों और मजदूरों के बीच मध्यस्थता करता है, बिना पक्षपात के उचित कार्यवाही करना अपना कर्त्तव्य समझता है, श्रमिक गलती करते हैं तो उनको कहना चाहिये और मेनेजमेन्ट के लोग गल्ती करते हैं तो उनको कहना चाहिये।

श्रम विभाग का रुख इस पर्टीक्यूलर मामले में बहुत अच्छा रहा है। ज्योंही मज-दूरों का हड़ताल का नोटिस आया तो हमने लेबर ऑफिसर को भेजा, हम डिप्टी लेबर कमिश्नर को भेजना चाहते थे, पर वे किसी काम से गए हुए थे इसलिए हमने लेबर ऑफिसर को भेजा। दोनों पक्षों को बुलाया, बात-चीत की, जो मुद्दे आये उन पर विचार किया। माननीय सदस्य जैसा कि बताते हैं ४ पर्सेन्ट बोनस देना स्वीकार किया था, उन्होंने कहा कि बोनस का मामला पार्लियामेंट के विचाराधीन है, स्टेन्डिग कमेटी में उस पर विचार होगा। यह सही है कि मैनेजमेंट को ऐसे लोगों को बोनस देना चाहिये, फायदा कमाते हैं तो निश्चित रूप से देना चाहिए, पर क्योंकि बोनस के मामले को कानूनी स्वरूप नहीं दिया गया था इसलिए वॉलन्टरी तरीके से श्रम विभाग अपनी तरफ से कहता कि देना चाहिये, तो उसमें उतना वजन नहीं होता। एग्रीमेंट का फर्स्ट आइटम बोनस का था। २७ तारीख को मीटिंग हुई, उसमें उन्होंने कहा कि अगर मैनेजमेंट से पूछकर निर्णय लेंगे। तीन तारीख को उन्होंने चिट्ठी दी, ६ मार्च को वह हमारे पास पहुंची। तब तक उन्होंने हड़ताल शुरू कर दी थी।

२ तारीख को माननीय सदस्य केदार-नाथ जी और श्री एच के. व्यास को, जो निर्णय हुए थे उनकी प्रतिलिपि भेजते हुए

(श्री भीखाभाई)

निवेदन किया था कि तब तक हड़ताल नहीं करें जब तक कि कॉन्स्टीट्यूशनल मीन्स को पूरा नहीं कर लें। गवर्नमेंट इन्डस्ट्रियल ट्रिब्यूनल को रेफर करने को तैयार है, अगर चाहें तो गवर्नमेंट आर्बिट्रेशन को सुपुर्द करने को तैयार हैं। पर हमें समय ही नहीं मिला। ६ तारीख को लेटर आता है और १० को लिख दिया कि यदि उचित समझें तो इन्डस्ट्रियल ट्रिब्यूनल को रेफर कर दिया जाय या आर्बिट्रेशन को दिया जाय। तो इस मामले में श्रम विभाग की किसी प्रकार की शिथिलता नहीं है। श्रम विभाग की तरफ से पूरी तरह से उचित प्रयास किये गये हैं।

अनुशासन संहिता की बात मैं कहूं, जैसा कि मैंने रखा; उदाहरण के रूप में पढ़ना चाहूंगा :

"We are advised to maintain the status-quo till 5th March as agreed upon in the course of discussions today and also not to precipitate the industrial situation resulting in either hunger strike or......"

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज उनके लिए रास्ता है; या तो आरबीट्रेशन में दिया जाय या ट्रिब्यूनल को रेफर कर दिया जाय। अब हमारे पास समय ही कहां रहा? अब भी मैं समझता हूं, दोनों पक्षों के लोग आ जायं, बात-चीत करने के बाद आर्बिट्रेशन को सुपुर्द करने का होगा तो उसके सुपुर्द कर दिया जायगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहूंगा....।

श्री अध्यक्ष : अब इस पर बहस की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई बात रखना चाहते थे तो पहले रख सकते थे।

(१२.४८ म. प.)

आय-व्ययक १९६५-६६ पर अग्रेत्तर वाद-विवाद

श्री केदारनाथ (गंगानगर) : माननीय अध्यक्षजी, मैंने माननीय वित्त मन्त्री महोदय के बजट भाषण को सुना और बड़े गौर से पढ़ा, इस ख्याल से पढ़ रहा था कि इसमें कोई ऐसी चीज मिले जिसके लिए मैं माननीय वित्त मन्त्री महोदय को धन्यवाद के दो शब्द कह सकूं। इसके तीन पोर्शन्स हैं। एक तो यह कि सामाजिक सुरक्षा के नाम से रिलीफ दिए हैं, अध्यक्ष जी, यूनिवर्सल मास मिजरी में यह बिल्कुल अपर्याप्त है।

इसका दूसरा पोर्शन है, जिसमें नये टैक्स लगाये हैं। आज के बजट के हालात को देखते हुए और राजस्थान की वित्तीय हालत को देखते हुए नये टैक्स नहीं लगाने चाहिये थे। इससे पहले सेन्टर का बजट हमारे सामने पेश हो गया था और उसने यह डाइरेक्शन दी थी, दूसरी स्टेट्स के बजट से भी यही डाइरेक्शन मिलती है कि नये कर नहीं लगाये जायं, ताकि जिन पर टैक्सेज का भार बढ़ गया है, उनको राहत मिले। सेन्टर ने यह रास्ता बताया, वित्त मन्त्री महोदय ने न सेन्टर के डाइरेक्शन्स को माना और न दूसरी स्टेट्स के बजट को माना और टैक्सेज बढ़ा दिये, नये टैक्सेज लगा दिये।

(श्री केदारनाथ)

सबसे बड़ा जो गुण बजट का है वह है ऐनेलिटिकल स्टेटमेंट ऑफ पोलिसी। वह हमारे इस बजट में से गायब कर दिया गया है। वित्त मन्त्री महोदय की क्या मन्शा है, इसको गायब करने के लिए ? शायद यह है कि माननीय सदस्य आंकड़ों में फंस कर यह नहीं देख पायें कि राजस्थान की इकोनोमिक पॉलिसी क्या टर्न लेने जा रही है। इसलिए पिछले बजट को पेडेस्ट्रियन बजट कहा, लेकिन इस बजट को कोई संज्ञा वे नहीं दे सके, इसलिए मैं कहना चाहता हूं, इसे संज्ञा देना चाहता हूं कि पोइन्टलैस बजट है, दिशाहीन बजट है।

जो अच्छे शब्द आवड़ी और भुवनेश्वर में कहे गये वे दुर्गापुर में आकर कुछ बिखर गये, कुछ दब गये और कुछ हमेशा के लिए चले गये।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : पेन्शन में बढ़ोत्तरी की है न, जो पिछले साल की थी।

श्री केदारनाथ : बजट का अहम एनलिटिकल स्टेटमेंट ऑफ पालिसी गायब है। मालूम नहीं पड़ता कि हमारी इकोनीमी कहां जा रही है। इन्डस्ट्री के बारे में, एम्प्लायमेंट के बारे में, प्राइसेज को स्टेबिलाइज करने के बारे में, ब्लैक मनी के बारे में, बफर स्टॉक्स के बारे में, कहीं कोई शब्द नहीं कहा गया। हम यही सोचते थे कि इसका कारण क्या है ? कारण यह है कि कांग्रेस भुवनेश्वर अधिवेशन के बाद जिस मजबूती से बढ़ना चाहिये था वह नहीं बढ़ी। राजस्थान कांग्रेस की दोनों पार्टीज का आपस में मेल हुआ, खुशी की बात है। हम सोचते थे कि पंचायतों के चुनावों में जीतने के बाद और आपस में दोनों पार्टीज के मेल के बाद राजस्थान कांग्रेस राजस्थान के लिए नया मोड़ लाएगी और उसकी झलक इस बजट में मिलनी चाहिए थी।

आप विरोधी पार्टियों का मुंह बन्द करने के लिए कहते हैं कि जनता ने हममें दुबारा फेथ किया है, हम जीत कर आये हैं, लेकिन आपका समाजवाद किस तरफ जा रहा है, यह सवाल जब पूछते हैं तो चुप हो जाते हैं। इसलिए जब भी इस बजट के बारे में आलोचना शुरू करता हूं तो मेरे दिमाग में साफ आता है कि जब राजस्थान बना था तो राजस्थान की इकोनोमी कैसी थी वह सेन्चुअरी-ओल्ड स्टैग्नेंट थी, बैकवर्ड थी, लेकिन साथ साथ यह भी चाहता हूं कि जो स्टेट्स हमारे पैटर्न पर हैं, हमारी लेवल पर हैं उन स्टेट्स ने इन १५ सालों में क्या तरक्की की ? दोनों का मुकाबला किया जाय तो मालूम पड़ेगा कि राजस्थान की आर्थिक स्थिति क्या है, क्या राजस्थान आगे बढ़ा ? अगर दूसरी स्टेट्स की कम्पेरेटिव स्टडी को लेकर चलते हैं तो यही एक नतीजा निकलता है कि राजस्थान आगे नहीं बढ़ा।

हमारे ऊपर सिवाय आसाम के लैंड रेवेन्यू सबसे ज्यादा है और पर-कैपीटा इन्कम हमारा सबसे कम है। सोशयल सिक्योरिटीज पर जो हम खर्चा करते हैं, पर हेड वह सबसे कम है, जो एडमिनिस्ट्रेशन पर खर्चा है वह सबसे ज्यादा है,

Page No 51

(श्री केदारनाथ)

डेवलपमेंट पर खर्चा सबसे कम है। अगर राजस्थान की हालत यही रही तो उसका भविष्य क्या होगा ? हम रिटर्नस देखना चाहते हैं। पॉलिसीज़ बनाते हैं, और डेवीएट होते हैं तो नेहरू जी की लीगेसी का नाम नहीं लेना चाहिये। आप स्पष्ट कहें कि हमने इस पॉलिसी को डेविएट किया है। इस बजट में न तो कोई इन्सेन्टिव है, न कोई डाइरेक्शन; सिवाय इसके कि इस बजट की भाषा जिस हाईब्रिड फॉर्म में है उसकी मैं तारीफ करता हूं। इंडिया में एक स्कूल आफ थोट है कि हिन्दुस्तान की सारी नेशनलिटी, कल्चर, भाषा मिक्सड् हैं, हाइब्रिड फॉर्म में हैं।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : यहां मिक्स्ड इकोनोमी चल रही है।

श्री केदारनाथ : मैं लैंग्वेज की बात कह रहा हूं। अगर इसमें शब्द आ जाते कि कांग्रेस अभी भी मिक्स्ड इकोनोमी को मानती है तो भी मैं कहता हूँ कि डेविएट कर रहे है, आप मिक्स्ड इकोनोमी नहीं चला रहे हैं, आपने ट्रांस्फोर्मेशन का वायदा किया था, लेकिन आप डेविएट कर रहे हैं। रूरल इकोनोमी को देखें। जो ७२ प्रतिशत लोग गांवों में रहते हैं और एग्रीकल्चर जो राजस्थान की इन्कम को ४८ प्रतिशत कॉन्ट्रीब्यूट करता है, सबसे ज्यादा लैंड रेवेन्यू है उनके लिए क्या राहत दी है, देहातों में ज्यादातर लोग भूमिहीन हैं और वे लोग हैं जिनके पास कम जमीन है अन-इकोनोमिक होल्डिंग है और वे लोग हैं जो खेतिहर मजदूर हैं, उनको क्या राहत दी है ? पहले साल में उनको २०० दिन का काम मिलता था, अब १५० दिन काम मिलता है, उनक आइडल अवर्स का क्या फायदा उठाते हैं। इसके साथ साथ रोजमर्रा की नेसेसिटीज हैं उनमें मंहगाई, स्टैन्डर्ड में गिरावट, पर्चेसिंग पॉवर में गिरावट और पर्चेसिंग कैपसिटी में कमी। हमारी रूरल इकोनोमी को स्टैग्नेन्ट स्टेज पार करने का कोई इन्सेन्टिव मिलता हो, ऐसी बात कम से कम इस बजट में नहीं।

दूसरी बात, राजस्थान में वित्त मन्त्री ने प्राइसेज को स्टैबिलाइज़ करने के लिए कोई बात नहीं रखी। इस बारे में बहुत कुछ कहा गया। मैं मानता हूं कि आपने मिनिमम प्राइसेज़ तय कर दिए, लेकिन जब तक मैग्ज़ीमम प्राइसेज़ तय नहीं करेंगे, बफर स्टॉक्स पाइल नहीं करेंगे तब तक आप कीमतों को स्टैबिलाइज़ नहीं कर सकते, यह मेरी ही मान्यता नहीं लेकिन हिंदुस्तान का इकोनोमिस्ट इस तरह से सोचता है। एक तरफ पापुलेशन का बढ़ना और दूसरी तरफ ब्लैक मनी का अनर्थ। बफर स्टॉक्स इतने पाइल कर दिए जायं कि व्यापारियों से ज्यादा अनाज आपके पास हो ताकि वे स्केर्यसिटी पैदा नहीं करें और वही प्रोड्यूसर तीन महीने के बाद कन्ज़्यूमर की शक्ल में आ जाता है। अगर मैग्ज़िमम प्राइसेज तय नहीं करेंगे तो न तो प्रोड्यूसर्स को, न कन्ज़्यूमर्स को फायदा पहुंचेगा। ब्लैक मनी के बारे में, अन-अकाउंटेड मनी के बारे में यहां यूनियन सरकार के बजट का हवाला दिया गया। वहां पर फाइनेन्स मिनिस्टर ने उनको तीन महीने का ग्रेस दिया है और

Page No 52

(श्री केदारनाथ)

यह ऐलान किया है कि जो लोग तीन महीने के अन्दर अन्दर अपनी ब्लैक मनी का ६० पर्सेन्ट बैंक में जमा करा देंगे तो बाकी ४० पर्सेन्ट को थ्योरीफाइ कर देंगे, उसको लीगेलाइज़ करेंगे। क्या हम सोच सकते हैं कि जो लोग इस देश में समाजवाद की व्यवस्था लाना चाहते हैं, १५ साल से इन लोगों ने फायदा उठाया है, उनको इतनी ग्रेस देना कहाँ तक उचित है ?

अब लेबर पर इसका क्या असर पड़ेगा? लेबर को कहां इन्सेन्टिव मिलता है कि वह प्रोडक्शन बढ़ाए। एक ओर्गेनाइज्ड लेबर है और दूसरा अन-ऑर्गेनाइज्ड है। उसको सेटिस्फाई करने के लिए माथुर कमेटी की रिपोर्ट निकली है, पेश हो गई है, सिफारिशें हमारे सामने हैं, अगर सारी की सारी सिफारिशें मान लें, १०० पर्सेन्ट न्यूट्रलाइजेशन को मान लें, लिंकिंग के प्रिन्सिपल को मान लें तो एक बहुत बड़ी इकोनोमी जो शूगर फैक्टरी में मजदूर काम करते हैं, जो टेक्सटाइल में काम करते हैं उन पर लिंकिंग प्रिन्सिपल लागू नहीं होगा, वे वंचित हो जाएंगे और जो इंडेक्स की कहानी सारे हिंदुस्तान में मशहूर है, उस कमेटी की रिपोर्ट से, सिवाय ब्यावर के, जयपुर और अजमेर के इंडेक्स में नहीं आ जायेंगे। उसका रिज़ल्ट तीन पोइंट इन्क्रीज होता है, इससे एक रुपया महंगाई में बढ़ा है तो इससे आप सोचते हैं कि जो लेबर ट्रेड और इंडस्ट्रीज़ में काम करता है, जो लेबर अन ऑर्गेनाइज्ड है उसके रीयल वेजेज में कोई बढ़ोत्तरी होगी ? और उनको इन्सेंटिव मिलेगा। आपके स्टेट में प्रोडक्शन बढ़ाने में कोई इन्सेंटिव उसे नहीं मिलेगा।

दूसरी बात पंचायती चुनावों के बारे में कही गई। मैं मानता हूं कि जब तक पंचायती राज मजबूत नहीं होगा, गावों के लोगों में डाइनेमिमज़ नहीं आएगी और जब तक पैसे का असर खत्म नहीं होता तब तक राजस्थान की भूमि पर प्रजातन्त्र सफलता से आगे नहीं बढ़ सकता। इस बारे में कोई कहता है कि ट्रकों पर पाबन्दी हो जाय।

यह सही है कि कोई पार्टी ऐसी नहीं है, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो इन प्रेक्टिसेज से दूर हो सकता हो, उनको ऐसे मोड ऑफ़ इलेक्शन को एडॉप्ट करना पड़ता है। अगर आप चाहते हैं कि पंचायती राज मजबूत हो तो डाइरेक्ट चुनाव के प्रिन्सिपल को मानना पड़ेगा; जैसे पंचों का चुनाव और सर पंचों का डाइरेक्ट होता है वैसे म्युनिसिपल के चैयरमैन का और पंचायत समितियों के प्रधानों का डाइरेक्ट होना चाहिए। तब तो

(१.०० म. प.)

हम राजस्थान में प्रजातन्त्र की ओर बढ़ेंगे वर्ना प्रजातन्त्र में यह चुनाव का तरीका पंचायत राज और म्युनिसिपैलिटीज का यह पैसे का है, जातिपात का है, रीजनेलिज्म का है। यह आम जनता में विश्वास पैदा नहीं कर सकते। हमारे इलाके में इलेक्शन मशीनरी की आवश्यकता नहीं रही, उपेक्षित रही। बीकानेर की एक मिसाल मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। मैं यह नहीं कहना

(श्री केदारनाथ)

चाहता कि कलेक्टर का मेलाफाइडी इन्टेंशन था फैसले में। मैं इस उहस में नहीं जाना चाहता। एक केस आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। प्रमुखों के फॉर्म भरे गये, जांच हुई, विथड्रावल्स हुए और विथड्रॉवल होने के बाद में एक आदमी का पर्चा खारिज किया गया, किसी एक एपेरेन्ट एरर के कारण। यदि यही प्रेक्टिस आयन्दा इलेक्शन में भी एडॉप्ट कर ली और रिटर्निंग ऑफिसर्स ने इसको अपना लिया, हो सकता है कि वोटिंग कास्ट हो रहे हैं तो उस समय भी किसी को खारिज किया जा सकता है। मैं यह नहीं कहता कि इसमें लीगल लेकुना है या नहीं, हाई कोर्ट के सामने यह केस है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता लेकिन आम जनता में डेमोक्रेसी के प्रति जो विश्वास पैदा करना चाहिये उसके विरुद्ध यदि जांच हो जाती है फॉर्म की, विथ्ड्राअल्स हो जाते हैं और सिम्बल एलॉट करने के बाद भी यदि किसी मेम्बर का नाम काटा जाता है तो ये प्रजातन्त्र में कैसे चुनाव हुए ? एक तरफ डेमोक्रेसी की दुहाई देते हैं, उसके लिए कदम उठाते हैं कि यह पनपे, दूसरी तरफ कानून में कमियां हैं और अफसराना रुख हो इस तरीके से काम करें जो नहीं करना चाहिए, वह डेमोक्रेसी के इन्ट्रेस्ट में और जनता के इन्ट्रेस्ट में नहीं है, कानून में डिस्क्रीशन की गुन्जाइश थी तो वह काम में नहीं लेना चाहिए था, यह मेरी मान्यता है, अध्यक्ष महोदय।

मैं निवेदन करना चाहता हूं, अध्यक्षजी, राजस्थान केनाल, प्रोजेक्ट को हमारी स्टेट ने सेन्टर को दे दिया है। उसमें मैं इस बात को भी मानता हूं कि जो उन्होंने लोजिक दिया है कि सारा का सारा खर्चा अपने ऊपर लेते तो फोर्थ और फिफ्ट फाइव ईयर प्लान में भी हमारी सारी प्रायोरिटीज डिस्टर्ब हो जातीं। दूसरे विकास के कार्य जो करना चाहते उनको धक्का पहुंचता। लेकिन इस फैसले के साथ मैं यह भी चाहता हूं कि राजस्थान सरकार का दिमाग साफ होना चाहिये कि जो भूमिहीन हैं उनका क्या होगा। उनको बसाने के लिए जमीन एलॉट की, भाखरा में की, एक तरफ १५ साल से जो लैंड रिफॉर्म्स किये, एक क्रान्ति की और लोगों के दिमाग में यह भावना पैदा कर दी कि "लैंड टु दी टिलर" "लैंड उसकी जो उसकी काश्त करे" बिचौलिये खत्म हो जायं, यह आपने थिंकिंग दिया, यह वातावरण दिया। ये दोनों वातावरण पैदा किये, नोर्म्स और वेल्यूज़ पैदा कीं, उस जमीन को आप ऑक्शन करेंगे। कौन आवेंगे ? वे ही आवेंगे जिन्होंने इस दस-बारह साल के विकास से देश में प्रोस्पेरिटी का लायन शेयर लिया है, सबसे ज्यादा हिस्सा लिया, वे ही जमीन ऑक्शन में आकर लेंगे।

एक तरफ नारा देते हैं "लैंड टु दी टिलर" और एक तरफ नारा देते हैं बिचौलिये खत्म करो, इतनी बड़ी क्रान्ति की, सामाजिक वेल्यू पैदा कर दी और दूसरी तरफ यदि समाज में इस प्रकार की स्थिति और वातावरण पैदा करें तो एक बहुत बड़ा कान्फ्लिक्ट पैदा होगा। हमारी सरकार, सेंटर की सरकार और पंजाब सरकार ये—तीनों सरकारें बैठें। इस बात पर स्ट्रेस करे कि

(श्री केदारनाथ)

जमीन का ऑक्शन न हो। यदि समाजवादी सरकार एक व्यापारी की शक्ल में आकर जमीन बेचती है, पैसा ही कोई एक चीज़ नहीं होती है, समाजवादी सरकार के सामने सोशियल जस्टिस सबसे बड़ा होता है। पैसे के नाम पर सोशियल जस्टिस को बेचना चाहते हैं, वेल्यू जो बनायी उनको खो देना चाहते हैं उसको। समाज अच्छा बारगेन, अच्छा डीलिंग नहीं समझेगा, अच्छी व्यवस्था नहीं समझेगा। दूसरा तरीका यह है कि कलेक्टिव फार्म दीजिये। अध्यक्षजी, सूरतगढ़ का फार्म, उसको देखिये, सबसे कम प्रोडक्शन, घाटे का बजट और आपस में एम्प्लोयर और मजदूरों में रिलेशन्स खराब। कलेक्टिव फार्म का यह पोइन्ट नहीं कि राजस्थान केनाल में वैसे फार्म्स नहीं होने चाहिये। तीसरा तरीका यह है कि इन्डिविजुअल एलॉटमेंट कीजिये। सरकार के सामने अपने दिमाग की राय नहीं है। अपने राज्य में १५ लाख एकड़ जमीन एलॉट की गई। सबसे बड़ी गलती की। यह भी देखा कि दस वर्ष में लोग उस जमीन की कीमत नहीं दे सके। आहिस्ता आहिस्ता ४० प्रतिशत लोगों ने अपनी जमीनें गिरवी रख दीं। इसलिए रख दिया कि इन्स्टालमेंट टाइम पर पे नहीं कर सके। इन्डिविजुअल एलॉटमेंट में यह खतरा पैदा होता है। आहिस्ता आहिस्ता जमीनें निकल कर अमीर क्लास के हाथ में चली जाती हैं। तो हमारा मकसद फेल हो जाता है। यही पाकिस्तान से नॉन क्लेमेंट आये उनकी जमीन की हालत है। जिनको भूमिहीन करके जमीन पर बसाया, वहां यह पोइन्ट है कि उनकी कीमतें ज्यादा थीं, इन्स्टालमेंट का पीरियड कम और अनइकोनोमिक होल्डिंग। ये तीन बातें ऐसी हैं जिससे जमीन पर कब्जा नहीं रह सकता। सरकार के सामने एक ही रास्ता बचता है कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनाये और जोइन्ट फार्मिंग कराये। वह वैसा समाज पैदा करेंगे जो समाजवादी व्यवस्था में लाना चाहिये। हो सकता है इनीशियल स्टेजेज पर हार्डशिप्स आयें, झगड़े पैदा हो सकते हैं। इन एक्सपेरिमेंटल प्रयास में इनहेरेन्ट ताकत आहिस्ता २ इकट्ठी होगी। इस मूवमेंट में ऐसी ताकत है। अगर इसको ब्यूरोक्रेसी को थमा दिया तो एलॉटमेंट के समय टेन्शन हो सकते हैं। इम्पार्शियल तरीके से बसायेंगे तो लाजमी तौर पर पंचायती राज, कोऑपरेटिव मूवमेंट मजबूत होंगे और जो चीज हम करना चाहते हैं मिडिलमैन का प्रोफिट खत्म हो वह खत्म होगा।

ये चारों रास्ते आपकी मार्फत, अध्यक्षजी, अर्ज किये। राजस्थान के सामने बड़ा भारी प्रश्न है। ३० लाख एकड़ पर सिंचाई होगी। कानून बनेंगे, भूमिहीन की क्या तारीफ हो, मोड ऑफ एलॉटमेंट क्या हो, ये बातें रखीं।

चौथी बात है, थर्ड फाइव ईयर प्लान के बारे में, अध्यक्षजी। २३६ करोड़ के प्लान की साइज़ थी। कोर ऑफ दी प्लान २०८ करोड़ थी फिफ्थ ईयर के अकाउन्ट में २०३ करोड़ ही रह जावेंगे। मैं इस बहस में नहीं जाना चाहता कि पांच साल में आपने फाइनेन्शियल और फिज़िकल टार्गेट्स जो अचीव करने चाहिये थे वे अचीव

(श्री केदारनाथ)

कर लिये। मैं इस बहस में नहीं जाना चाहता। मैं मान कर चलता हूं। मैं एक बात अर्ज करना चाहता हूं कि फार्थ प्लान का थिंकिंग शुरू हो गया है। सेमिनार हो रहे हैं, आर्टिकल्स निकल रहे हैं, स्टडी ग्रूप्स कायम कर रहे हैं। राजस्थान की हालत को देख कर नया थिंकिंग देना चाहिए वह मेरी राय से यह है कि इसको तीन हिस्सों में बांटें। एक तो यह कि बोर्डर का दस मील का इलाका, दूसरा डेज़र्ट जहां काश्त न होती हो, तीसरा वह इलाका जहां ईरिगेशन होता है। इन स्टेजेज़ को मान कर चलेंगे। अध्यक्षजी, यह भी मान कर चलेंगे कि राजस्थान में इतने रिसोर्सेज़ नहीं है, रोड्स में, एजुकेशन में, उद्योग में हम ऑल इन्डिया स्टेन्डर्ड से कम हैं तो आपको लाजमी तौर से ज्यादा पैसा लाना पड़ेगा, यदि आप रोड्स में उनकी बराबरी करने जायं, इलेक्ट्रिसिटी में उनकी बराबरी करने जायं, शिक्षा में उनकी बराबरी करने जायं, यह आप तब करेंगे जब सेन्टर बीच में आकर इसको पूरा करे। हर काम आप सेन्टर को सौंप दें और आप ईल्ड हो जांय, यह उचित नहीं है। २३ करोड़ सेन्टर को दे दिया, १२ करोड़ रिज़र्व बेंक को दे दिया। मजबूती के साथ सेन्टर को बतायें, लड़ें उसके लिए, अधिक पैसा लावें और यूटिलाइज़ करें इसलिए कि राजस्थान में बैकवर्डनेस ज्यादा है, रूरल इकोनोमी स्टेग्नेन्ट है और इसके लिए स्पेशल पैसा खर्च कीजिये। तो आखिरी बात यह कहना चाहता हूं फोर्थ फाइव ईयर प्लान के इस स्टेज पर कि यदि आप वास्तव में पंचायती राज्य कायम करना चाहते हैं और उसको अच्छा और मजबूत करना चाहते हैं तो प्लानिंग फ्रोम दी बोटम होना चाहिये।

अध्यक्षजी, कोई भी स्कूल ले लीजिये, आप उसको सारी फेसीलिटीज़ दीजिये; होस्टल की, खेल के मैदान की आदि सभी सुविधायें दीजिये, नया करीकुलम दीजिये, फिर देखिये उसके क्या रिजल्ट्स होते हैं? यदि इस प्रकार से आपके रिज़ल्ट्स ठीक आते हैं तो आप उसी के आधार पर अपनी योजना फ्रेम करिये तभी सफलता और रिज़ल्ट्स बराबर आयेंगे।

एज्युकेशन में क्या हो रहा है, चाहे युनिवर्सिटी की शिक्षा लीजिये, चाहे कॉलेज की शिक्षा लीजिये इलाइट क्लॉस पैदा होती है। मासेज़ और इलाइट क्लास में फर्क है। वे ही इलाइट क्लास ऑफिशियल क्लास में जाती हैं, ब्यूरोक्रेसी में शामिल होती हैं। आप सोच सकते हैं, आप जो समाजवाद की व्यवस्था लाना चाहते हैं और वह भी क्लास के मार्फत जिनका बेन्ट ऑफ माइन्ड ऐसा नहीं, जिनको शिक्षा ऐसी नहीं मीला, जिनको समाज के संस्कार इस प्रकार के नहीं मिले उनकी मार्फत समाजवाद कभी भी नहीं आ सकता।

चौथी पंच वर्षीय योजना के लिये मैं एक बात याद दिलाता हूं सन्तुलित विकास हो। राजस्थान के १४ साल के विकास को देखते हुए मैं यह कह सकता हूं कि जहां भी कहीं इन्डस्ट्रीज़ आपने बिल्ट की, इन्स्टीट्यूशन्स बनायीं उसका सब का आधार आपने पोलिटिकल आधार रखा। जिस इलाके की लीड है वहीं आपने ये बनाये, मेडिकल कॉलेज

(श्री केदारनाथ)

अजमेर में खोले। गंगानगर उसके लिए आप सोच नहीं सकते। वाटर वर्क्स के लिए भी पैसा दिया जाय तो अजमेर को दिया जाय, कोटा में जितनी जमीन बेची जाय उसका तीस लाख का फन्ड बनाया जाय जो वहां सड़कों और नालियों पर खर्च होगा, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं गंग केनाल की जमीन बेची; भाखरा की बेची गई वहां के लिए तो आपने कभी ऐसा फन्ड नहीं बनाया। आपने अब तक इन्डस्ट्री खोलने के लिए, इन्स्टीट्यूशन्स खोलने के लिए, विकास योजना लागू करने के लिए पोलिटिकल फेक्टर्स को ध्यान दिया है इससे सन्तुलित विकास नहीं हो सकता। इस प्रकार लोप साइडेड डेवलपमेंट आप चौथी योजना में न करें, ऐसी गलती इसमें करने की कोशिश न करिये।

हमारे यहां आपने एक एग्रीकल्चर कॉलेज दिया वह भी स्टार्व कर रहा है। जो खुशहाल इलाका था वह इलाका आपकी मजबूत नीति न होने के कारण बरवाद हो रहा है। पिछले दो महिनों में पंजाब ने अपना बेकार पानी बेकार लैंड पर खर्च किया, अगर वह पानी हमें इस्तेमाल के लिए मिल जाता हमारा इलाका हरा-भरा हो सकता था। इससे आपने जो ११ लाख रुपये की बजट में बचत बताई वह कई करोड़ की बचत का होता।

अब मैं टैक्स प्रोपोज़ल्स के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। इसका इन्सीडेन्स किन पर जाकर पड़ेगा। जिन लोगों ने विकास का फायदा उठाया है, जिन्होंने अन-अकाउन्टेड मनी से फायदा उठाया है केपीटलिस्ट क्लास, ऑफिशियल क्लास, इन्डस्ट्रियलिस्ट्स की क्लास है जिन पर टैक्स लगना चाहिये; आप एक भी ऐसा टैक्स बता दीजिये जो इन प्रिविलेज क्लास पर लगा हो।

आपने शराब पर टैक्स बढ़ाया है यह शराब बन्दी के लिये फायदेमन्द नहीं है। मैं इस सिलसिले में एक बात वित्त मंत्री जी से पूछना चाहता हूं। तीन सालों में आपने देशी शराब का तरीका बदल दिया। आप अंग्रेजी शराब को ऑक्शन क्यों नहीं करते? तीन साल में अंग्रेजी शराब के ठेके को भी ऑक्शन करते तो लाखों करोड़ों रुपया आपको मिल जाता।

रीजनल इमबेलेन्स को दिमाग में लेकर चलने वाला मैं नहीं हूं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं जब आपकी नीति के अनुसार लाईसेन्स रिन्यू होते हैं, उनकी फीस आदि ली जाती है दूसरी तरफ अंग्रेजी शराब का ऑक्शन न हो उसके लिए पैसा इकट्ठा किया जाता है, आखिर वह जाता किसकी जेब में है? मेरे इलाके गंगानगर में चार शराब की दूकानें हैं, उनको ऑक्शन किया जाय तो ढाई तीन-लाख रुपये मिल सकते हैं। इसी से आपकी आमदनी करोड़ों तक पहुंच सकती है। आपको दूसरे टैक्स लगाने की जरूरत नहीं रहेगी। इस रेवेन्यू को युटिलाइज़ क्यों नहीं किया जाता, इसके पीछे क्या कारण है? आप अपने बोना-फाइड्स को साबित करने के लिए इस वार जब बजट का उत्तर दें तो यह एलान कर

(श्री केदारनाथ)

दीजिये ताकि आप पर रिफ्लेक्शन प्रिज़म्प्शन का न रह सके ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद): बीस हजार कहां से आते हैं आपके इलाके से, बतलाइये ?

श्री अध्यक्ष : जैसा माननीय सदस्य बोलना चाहें, बोलने दीजिये ।

श्री केदारनाथ : अध्यक्षजी, एक दूकान का लाइसेन्स रिन्यू कराने के लिये ६०० रुपया देना पड़ता है अगर उसके लिए एक दूकानदार का पांच हजार रुपया भी खर्च हो जाता है और रिन्यू करा सकता है तो उसको कोई नुकसान नहीं । अगर उसी का ऑक्शन हो तो ५० हजार देकर एन्टर होना पड़ता है अगर वह इस तरह से रिन्यूअल के लिए पांच-चार हजार भी खर्च कर दे और मिल जाय तो यह उसके लिये फायदेमन्द है । यह अच्छा बार्गेन है । यह कौन इकट्ठा करता है, किनकी मार्फत दिया जाता है, यह तो प्रिजम्प्शन है, "the men who is at the helm of the affairs" यह कौन है, मैं नहीं कह सकता । कमिश्नर आपके बड़े ईमानदार कहलाते हैं । इसी प्रकार का एक चार्ज मैंने गत बजट सेशन में लगाया था । डी० आई० आर० के तहत हमारे इलाके से हजारों रुपया इकट्ठा किया गया, वह जयपुर आया उसका चार्ज एस्टेब्लिश होगया, आपके एन्टी करप्शन विभाग ने जांच की, बीस-पच्चीस आदमियों ने तो गवाहियां दीं, बाकी ने नहीं । बाकी ने विक्टीमाइज़ होने से अपने आपको बचाया । अब जब कि वे बातें साबित हो गई, पैसा इकट्ठा किया, लेकिन उसका क्या हुआ ? उसके पीछे आखिर क्या चीज है ? माननीय वित्त मंत्री जी इस बारे में भी पोजीशन क्लीअर करें और इसके साथ यह भी बतावें कि अंग्रेजी शराब को ऑक्शन नहीं करने के क्या वजूहात हैं ? अंग्रेजी शराब कॉमन मेन नहीं पीता, लेबरर्स नहीं पीते, ग्राम किसान नहीं पीता, प्रिविलेज क्लास पीती है। अगर हाइएस्ट बिड होती है और इसकी कीमत बढ़ती है तो कोई नुकसान होने वाला नहीं है । जिस प्रकार फीस का रुपया इकट्ठा किया जाता है, मेरे एक शहर में ५० हजार रुपया हो सकता है, अगर ऑक्शन हो तो पांच लाख हो सकता है । पांच लाख एक साल में तो तीन साल में १५ लाख हो सकता है । यह १५ लाख रुपया किसी और तरीके से किन्हीं व्यक्तियों की जेब में जाता है वह बर्दाश्त नहीं किया जा सकता ।

मेडिसिन्स पर आपने टैक्स बढ़ाया, यह ठीक नहीं किया । समाजवादी व्यवस्था में जहां हर व्यक्तिको पेन्शन की सुविधा होती है हैल्थ का इन्श्योरेन्स होता है वहां आप मेडिसिन्स पर टैक्स बढ़ाते हैं । यह आपका समाजवाद की ओर कदम है ।

कुओं को आप बेचने जा रहे हैं, कुओं को हम हमेशा से यूज़ करते आ रहे हैं, सारे इन्तकाल पर आपने फीस लगाई ; अब हमारा राइट ऑफ यूज़ हो गया । हम इसके लिये सिंचाई कर देते आये हैं । अगर हमारे टोटल सिंचाई कर को इकट्ठा कर लिया जाय तो आपके मूल्य से कितना ही ज्यादा निकलेगा ?

(श्री केदारनाथ)

आखिरी बात मैं यह कहता हुआ आप बजट का जब जवाब दें तो सरचार्ज को माफ करने की घोषणा करें, छः एकड़ जमीन पर लगान माफ कर दें। हायर सैकन्डरी स्कूल तक शिक्षा माफ कर दें। एम्प्लॉयमेंट जहां तीसरी योजना में ८ लाख लोगों को रोजगार दे रहे हैं, फिर भी बैकलॉग। रहेगा, दो लाख के करीब का बक लॉग रहेगा, उन लोगों को अलाउन्स दें।

फेमिली प्लानिंग पर आपने खर्च किया। इसका असर देखिये। आप इसको नोन एजेन्सीज़ की मार्फत शुरू करें, तो समझ में आ सकता है। समाज में इसके लिये जागृति पैदा करें।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंह-नगर): केदारजी फेमिली प्लानिंग के बारे में नहीं बोल सकते।

श्री केदारनाथ: इसमें मैं सबसे ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूट करता हूं।

आखिरी शब्द जो कौल साहब ने नेहरू के बारे में कोट किये हैं। यह तो हक है उनको जिनका विश्वास है समाज की तब्दीली में और जिनमें जील (जोश) है; जिनमें जनसेवा का माद्दा है, जो सेक्रीफाइस कर सकते हैं। पर जो उस चेन्ज की पीरियड के दौरान में प्रिविलेज की सीट पर बैठकर टेम्प्रामेन्ट एटीट्यूड ले ले कि हमारे यहां बैठकर प्रस्ताव पास करने से समाजवाद आ सकता है, ब्यूरोक्रेसी के रास्ते समाजवाद देश में आ सकता है, असेम्बली में बिल आने से समाजवाद देश में लागू किया जा सकता है, तो कौल साहब यह नहीं आने वाला है आपके इन बिलों के पास करने से और यहां स्पीच दे देने से। वह तो तब आवेगा देश में जब टीम ऑफ वर्कर्स होगी। वह चाहे किसी संस्था की हो, कांग्रेस की हो या किसी की हो। एक मिशन के रूप में काम करेंगे सर्विस और सेक्रीफाइस करेंगे जिसका कि पाठ नेहरू ने हमें पढ़ाया और जिससे प्रेरित होकर ये कुर्सियां और प्रिविलेज की कुर्सियां छोड़ कर उस युग में आन्दोलन में कूद पड़े थे। इसलिए कौल साहब, ज्वालाजी ये शब्द कह सकते थे। आप मत कहिये। आपके बजट से इसको बल नहीं मिलता। डाइनोमिज्म है, फाइटिंग मोरल पैदा करना चाहते हैं और इस इकोनोमी को समाजवादी व्यवस्था में डाइरेक्ट कर रहे हैं; ये शब्द आपके लिये उचित नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष: श्री शंकरलाल।

श्री शंकरलाल (सादड़ी): अध्यक्ष महोदय...

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर): ये तो रात को पार्टी मीटिंग में बोल लिये, साहब।

श्री अध्यक्ष: आप भी सुन लीजिये।

श्री शंकरलाल: माननीय अध्यक्षजी, तीन रोज से बजट की बहस मैं सुन रहा हूं। विरोधी पक्ष के नेता की आलोचना और दूसरे माननीय सदस्यों ने जो अपने विचार प्रगट किये वे मैंने सुने।

(श्री शंकरलाल)

माननीय अध्यक्षजी, बजट प्रति वर्ष की भांति बनाया जाता है और उस पर वित्त-मंत्रीजी का भाषण होता है वह होता है। बजट पर बहस का अर्थ है कि हरेक सदस्य उस पर अपने विचार प्रकट करे। लेकिन तीन दिन की बहस से मैंने यह निष्कर्ष निकाला है कि विरोधी पक्ष के लोगों ने यह मान लिया है कि किसी प्रकार सरकार की आलोचना करना, यह व्यू उन लोगों ने बना लिया है।

१७ वर्षों के शासन-काल में कांग्रेस ने कैसा विकास का काम किया है और आज कैसा चल रहा है, वह हरेक को मालूम है। अब उसमें भी आलोचना करते हैं कि जहां बिल्कुल सड़क नहीं बनी, वहां सड़क बन गई। हमने कहा कि वहां सड़क बनना जरूरी है, तो बन गई। अब सड़क बनती है तो डामर रोड की आशा करते हैं और नहीं बनती है तो आलोचना करते हैं। तो आखिर यह होता कैसे है? जहां पैसे जुटाने का सवाल है, टैक्स का सवाल है तो इसके लिये भी विरोध किया जाता है और जहां विकास का काम होता है और उसमें देर होती है तो भी आलोचना की जाती है।

तो बजाय आलोचना करने के सुदृढ़ सुझाव रक्खे जावें कि कौन से ऐसे रिसोर्सेज हैं कि जिनसे योजनाएं कार्यान्वित की जा सकती हैं तो वे नहीं रखते। ये रक्खें तो बहुत अच्छा है।

अब पंचायतों के चुनावों के बारे में भी आलोचना की गई कि सरकारी जीपों का दुरुपयोग किया गया और पंच सरपंच को बाड़ों में बन्द कर दिया गया और उनको शराब पिलाई गई, गोश्त खिलाया गया, मेरी समझ में नहीं आता यह वे कैसे किस आधार पर कहते हैं? यह तो उन्होंने व्यक्तिगत किया हो तो मालूम नहीं। हमने किया हो, हमें ऐसा पता नहीं। हमने भी चुनाव कराये हैं। दो-तीन हमारी भी चुनाव समितियां हैं। पर हमने तो न शराब पिलाई न कुछ किया। इस आलोचना का सीधा सा कारण यह मालूम होता है कि वे इन चुनावों में हार गये। सदन के समक्ष फिर इस प्रकार की आलोचना करना अच्छा नहीं है। क्योंकि हरेक को वोट देने का अधिकार है। ऐसा थोड़े हो सकता है कि सरपंच जो दो हजार, पन्द्रह सौ की आबादी का प्रतिनिधि होता है जैसे हम एक लाख की आबादी के हैं, तो उसको कहीं बन्द कर दिया जा सके और शराब पिलाने से और गोश्त खिलाने से वह किसी को वोट दे दे। खास बात तो यह है कि वे हार गये उसकी खीझ है उनको।

उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान के एक होने के पहले बहुत से अलग अलग राज्य थे जो अलग-अलग स्वतंत्र थे। उनको समाप्त किया गया, उसके बाद सीलिंग को भी लागू किया गया। तो इस तरह से कई प्रकार के दुख आकर इकट्ठे हो गये हैं, इसलिए यह समझ कर चलें कि जनता के उन दुखों की वकालत करने के लिए ये विरोध करते हैं तो यह मैं नहीं मानता। वे तो दुख उठा रहे हैं और मुख्य दुख पंचायत समितियों और जिला परिषद

(श्री शंकरलाल)

में हारने का दुख है इसलिये वे आलोचना करते हैं।

इसलिये मैं निवेदन करूं माननीय अध्यक्षजी, बजट भाषण मैंने भी सुना और इसको मैंने पढ़ा भी। आलोचना तो होती है स्वाभाविक है तथा बहुत ज्यादा; मैं भी इस पर प्रकाश डालूंगा तो कहूंगा ही।

श्री अब्दुलजब्बार खां (निम्बाहेड़ा): अरे, आप हमारे जातिभाई क्यों बन रहे हो ?

श्री शंकरलाल : कॉलम ३ की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि 'श्री' आजकल हम हरेक के नाम के पहले लगाते हैं। पर हमारे वित्त मन्त्रीजी ने श्री जवाहरलाल नेहरू जो बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है के पहले 'श्री' भी नहीं लगाया। वे हमारे देश के महान् नेता थे जिनकी कि विदेशों में भी कद्र थी। तो आज जब वे हमारे बीच में नहीं हैं तो 'श्री' नहीं लगाना, यह हमारे लिये कतई शोभनीय नहीं है।

दूसरी बात यह है कि गांधी युग गया और नेहरू युग आया और वह भी समाप्त हुआ। यह थोड़ी सी ऐसी बात है जो इस बजट भाषण में मुझे भी अच्छी नहीं लगी क्योंकि आज नेहरूजी ने जो योजनाएं चलाई हैं तो मैं समझता हूं कि यह उनकी ही देन है कि इन योजनाओं के जरिये उन्होंने हमारे देश को प्रगति के पथ पर लाकर खड़ा कर दिया है तो जब तक उनकी ये योजनाएं रहेंगी तबतक हम उनके युग को नहीं भूल सकते। उनका युग रहेगा। तो हम इतने थोड़े से समय के अन्दर ही उनका युग समाप्त कर दें तो यह हमारे लिये बड़ा अशोभनीय है।

माननीय अध्यक्ष जी, जहां तक विकास का सवाल है, सड़कों का है, उद्योगों का है तो हमारे देश में बहुत विकास हुए हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि विकास नहीं हुआ। हुआ है और हो रहा है। लेकिन जो भी विकास हुये हैं वे कम से कम इस प्रकार से होने चाहिये कि सहकारी बेसिस पर सभी को उसका फायदा मिले और जिस सहका-रिता को हम पनपाने के लिये कोशिश कर रहे हैं और जिस आन्दोलन को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं वह ज्यादा से ज्यादा तेजी से चले और सबको उसका फायदा मिले।

पीने के पानी के लिये और स्कूल इत्यादि के लिये भी हमारे बजट में आया है कि इतना पैसा हमने खर्च किया है। पीने के पानी का जहां तक सवाल है मेरी समझ में नहीं आता कि इसमें भी दोहरी नीति क्यों चलती है ? शहरों में वाटर वर्क्स की स्कीम पर लाखों रुपया खर्च होता है और छोटे छोटे गांवों में कुये जहां बने रहते हैं उसमें भी ६५ पर्सेन्ट पैसा जनता को खर्च करना होता है और ३५ पर्सेन्ट सरकार देती है। तो मेरी समझ में नहीं आता कि यह नीति क्या है ? एक तरफ तो हम कहते हैं कि हमने सबको समान अधिकार दिये हैं। केवल वोट लेने के लिये तो समान अधिकार हैं लेकिन जहां विकास कार्यों का सवाल आता है तो इस तरह की बात करते हैं। इसी तरह से स्कूलों के लिए भी ५० पर्सेन्ट

(श्री शंकरलाल)

गवर्नमेंट देती है और ५० पर्सेन्ट जनता को देना पड़ता है। इसलिये विकास के काम हमारे देहातों में रुके हुये हैं। हम चाहे किसी भी रूप में टैक्सेज़ लगायें—वे चाहे डाइरेक्ट हों या इन्डाइरेक्ट हों, सब टैक्सेज़ जनता के ऊपर ही पड़ते हैं। हमारे गांवों में ८५ प्रतिशत किसान हैं और खेती करने वाले हैं तो सबसे पहले तो हम उनका ख्याल रखें तो मैं समझता हूं कि बहुत अच्छा रहेगा। उनके साथ कोई भेदभाव की नीति नहीं होनी चाहिए और इतना होते हुये भी माननीय अध्यक्षजी, मैं आपके द्वारा राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इन पंचायतों के चुनावों में देहाती जनता ने सिद्ध करके बता दिया है कि हम कांग्रेस के साथ हैं। फिर इस प्रकार की नीति सरकार की अच्छी नहीं है।

इसके बाद माननीय अध्यक्षजी, शक्कर का सवाल आता है। किसान गन्ना पैदा करते हैं और जो भी रेट आप निकालते हैं उसी भाव पर वे गन्ना बेचते हैं और इसके बावजूद भी गांवों में शक्कर २५० और ५०० ग्राम ही आप देते हैं और शहरों में एक एक किलो देते हैं।

(१.३३ म.प.)

(राव श्री नारायणसिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

इस तरह से माननीय उपाध्यक्षजी, जो गवर्नमेंट की दोहरी नीति है वह नहीं होनी चाहिए और शहरों और देहातों में कोई फर्क नहीं होना चाहिए।

श्री अब्दुलजब्बार खां : मंगलवाड़ की सड़क बना दी, उसकी भी चर्चा कर दो। कांग्रेस ने बहुत अच्छी सड़क बनाई है।

श्री शंकरलाल : सड़कें बनी हैं, यह मैं नहीं कहता कि नहीं बनी हैं। हर एक जगह सड़कें बन रही हैं लेकिन इसमें शिथिलता बहुत है। कम से कम यह तय कर लें कि चाहे हम २५ मील सड़क न बनायें और ५ मील ही बनायें लेकिन वे कम्प्लीट बननी चाहिए और सड़कें बनाई जायें तो पुलिया का भी ध्यान रखा जाये जिससे आने-जाने में सुविधा रहे। मंगलवाड़ की जो सड़क बनाई है जब श्री वर्माजी मिनिस्टर थे उस समय से बनी थी। तब से अभी तक उसमें गड्ढे पड़े हुए हैं और जो भी सड़कें बन रही हैं वह भी सन् ५२ से छोटी सादड़ी की सड़क बन रही है वह नहीं बन रही है। पहली पंचवर्षीय योजना में यह था कि हर तहसील को जिले से जोड़ दिया जाये लेकिन बड़ी सादड़ी तहसील को चित्तौड़ से नहीं जोड़ा गया है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं बहुत जल्दी ही समाप्त कर दूंगा।

माननीय उपाध्यक्षजी, मैं एक बात और निवेदन करता हूं कि पंचायत समितियों का पुनर्गठन किया जाये। जैसा कि सादिकअली कमेटी की रिपोर्ट में और पंचायत अध्ययन दल ने बताया है कि हर एक तहसीलवाइज़ पंचायत समिति होनी चाहिए। हमारे यहां कहीं तो एक तहसील में दो-दो पंचायत

(श्री शंकरलाल)

समितियां हैं और कहीं पर दो-दो तहसीलों में एक ही पंचायत समिति है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इसलिए जो यह बजट पेश किया गया है इसका तो मैं स्वागत करता ही हूं, लेकिन जो भी मैंने सुझाव दिये हैं उनकी तरफ भी ध्यान रखा जाये।

श्री उपाध्यक्ष : श्री नाथूराम।

श्री नाथूराम (बागीडोरा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो बजट माननीय वित्त मंत्रीजी ने पेश किया है उस पर आज वाद-विवाद का तीसरा दिन चल रहा है। मैं उसका हार्दिक स्वागत करता हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने आजादी के बाद हर तरह से तरक्की की है। यह नहीं कह सकते कि राजस्थान में तरक्की नहीं हुई है। हमारी सरकार ने यह तय किया है कि हमारे यहां समाजवादी समाज की स्थापना हो। लेकिन माननीय वित्त मंत्रीजी ने जो बजट पेश किया है, जो बजट में आंकड़े बताये हैं उसको देखते हुए समाजवादी व्यवस्था नहीं हो सकती। इसके कई कारण हैं। गरीब लोग जो छोटे छोटे कर्मचारी हैं उनको भत्ता बढ़ाने का प्रश्न था तो उन्होंने कम बढ़ाया है और जो बड़े हैं उनका भत्ता आपने अधिक बढ़ाया है और बड़ों की वेतन शृंखला भी आपने कम नहीं की है। माननीय उपाध्यक्षजी, इसके अलावा उन्होंने कुछ घाटे का बजट पेश किया है और कुछ टैक्सेज लगाये हैं। मैं यह कहूंगा कि आपने शराब पर टैक्स लगाया है वह देशी शराब पर टैक्स लगाया है और विदेशी शराब पर टैक्स नहीं बढ़ाया है। इसका मतलब यह होता है कि जो गरीब लोग हैं वे देशी शराब पीते हैं उन पर आपने टैक्स लगा दिया और बड़े बड़े लोग जो देशी शराब नहीं पीते और विदेशी शराब पीते हैं उनके ऊपर आपने कोई टैक्स नहीं लगाया। यदि विदेशी शराब पर टैक्स बढ़ाया होता तो हम कह सकते थे कि गरीबों के प्रति आपकी सहानुभूति है, लेकिन बड़ों को फायदा पहुंचाने के लिए आपने ऐसा किया है। माननीय उपाध्यक्षजी, मैं आपके द्वारा वित्त मंत्री जी से निवेदन करता हूं, वे यहां बैठे हुए नहीं हैं लेकिन उनकी तरफ से जो हमारे मंत्री महोदय नोट करते हैं उनसे निवेदन है कि जब तक आप गरीबों को ऊंचा नहीं उठायेंगे और ऊपर वालों को नीचे नहीं लायेंगे तब तक आप समाजवाद नहीं ला सकते।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गत वर्ष हमारे राजस्थान में १४ जिलों में दुष्काल था। राजस्थान सरकार ने और भारत सरकार ने हर तरह की व्यवस्था की और किसी व्यक्ति को भूख से नहीं मरने दिया।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में हर साल प्रकृति का कुछ न कुछ कोप रहता है, इस साल भी राजस्थान के दक्षिणी हिस्से, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और उदयपुर जिले के २००० गांव अभावग्रस्त हुए हैं। माननीय उपाध्यक्षजी, हमारे

(श्री नाथूराम)

वित्त मंत्री महोदय ने इसके बारे में इस बजट के अन्दर कुछ भी नहीं बताया है। आज जो राजस्थान का दक्षिणी हिस्सा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ की कुछ तहसीलें जिनको राष्ट्रपति ने शिड्यूल्ड एरिया घोषित किया है और लाखों की तादाद में वहां पर आदिवासी रहते हैं; लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री महोदय ने राजस्थान के दक्षिण में दौरा किया होता तो उनके दिमाग में रहता। उन्होंने उस क्षेत्र को देखा ही नहीं होगा कि आदिवासियों की क्या स्थिति है। माननीय उपाध्यक्ष, आज अकाल की ऐसी स्थिति है कि हमारी पंचायत समिति के प्रधान और हम लोगों ने राजस्थान सरकार से गत सेशन में इसकी कोशिश की कि इस दक्षिणी हिस्से में जहां किसी गांव में पानी नहीं बरसा है और फसल सूख गई है और अभी से लोग बेकार बैठे हैं अकालग्रस्त घोषित किया जाय और और उनके खाने-पीने की व्यवस्था नहीं है, सो की जाय। उनके पास में मजदूरी नहीं है तो पहले से कोशिश की और राजस्थान सरकार की राहत मंत्री महोदया, बेनीवालजी का वहां पर दौरा हुआ और वहां के प्रधान और कार्यकर्ताओं एवं स्वयं ने मिल कर सारे क्षेत्र में सही स्थिति बताई। बांसवाड़ा जिले में जहां अकाल था उसको बताया। मंत्री महोदया एवं कलेक्टर महोदय के समक्ष मीटिंग हुई और उसमें सारी स्थिति बताई कि खरीफ की फसलों के बारे में जो काश्तकारों ने नोट कराया तो पटवारी लोगों ने गिरदावरी में सही गश्त नहीं की और जो नक्शा माहवारी वारिश का आता है उसमें बताया गया कि जहां १५-१० इंच भी पानी नहीं बरसा है तो फसल कैसे पक सकती है ?

माननीय उपाध्यक्षजी, वहां पर राहत मंत्री महोदया ने कलेक्टर को आदेश दिया कि इसके लिए दुबारा चैकिंग होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हमने सारी स्थिति को बताते हुए मांग की कि लगान की माफी हो जानी चाहिए और गरीब लोगों को ज्यादा से ज्यादा मजदूरी मिलनी चाहिए। मंत्री महोदया ने यहां आकर राजस्थान सरकार को रिपोर्ट दी और सरकार ने इतना समय उसके लिए कुछ आदेश नहीं दिये। वहां पर बांसवाड़ा, डूंगरपुर और उदयपुर जिलों की कुछ तहसीलों में अकाल पड़ा है उसके बारे में गजट में कहीं आया नहीं हुआ है, अभी हुआ हो तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन कहने का मतलब यह है कि वहां के लोगों के लिए राहत कार्य शुरू नहीं किये गये। आज हजारों की तादाद में आदिवासी लोगों को गुजरात क्षेत्र में शरण लेनी पड़ती है। अहमदाबाद के मिलों में हजारों की तादाद में और बम्बई के होटलों में वे लोग बच्चों को छोड़कर काम करने जाते हैं। वहां पर कई लोग भूखों मरते हैं। एक एक परिवार में ५-५ से १०-१० मनुष्य हैं। उन्हें पूरा खाने को नहीं मिलता है। उनको उनके मवेशी भी सम्हालने पड़ते हैं। उनके चारे के लिए कहा गया और उनके लिए खाने पीने के बारे में कहा, अगर थोड़ा सा दे दिया तो क्या हुआ लेकिन उनके लिए पूरी व्यवस्था नहीं हुई। हजारों आदिवासी लोगों

(श्री नाथूराम)

के पास कोई दूसरा धन्धा नहीं है। जहां एक तरफ समाजवादी समाज का नारा लगाते हैं और दूसरी तरफ लाखों की तादाद में लोगों को कोई धन्धा नहीं मिलता है। फिर भी कहते हैं कि गरीबों को ऊंचा उठा रहे हैं। इस तरह से तो उठाया नहीं जा सकता। इसलिए आपके द्वारा सरकार से यह निवेदन है कि राजस्थान के दक्षिणी हिस्से में, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और उदयपुर जिले में जहां भयंकर दुष्काल है वहां पानी पीने की व्यवस्था करनी चाहिए, लोगों को मजदूरी देनी चाहिए, तालाब और सड़कों का काम जल्दी से जल्दी शुरू करना चाहिये। उपाध्यक्ष महोदय, यही आपके द्वारा मेरा निवेदन है।

आज हमारी सरकार का यह प्रयत्न है कि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ाये लेकिन कहां बढ़ा है। कृषि के लिए मैं आपसे कहूं, बांसवाड़ा जिले की सही स्थिति मैं आपके सामने रखता हूं। बांसवाड़ा जिले में जंगल थे उन जंगलों को सफाचट करा दिये। जहां पर ५०-६० इंच पानी गिरता था। बांसवाड़ा और राजस्थान के दक्षिणी हिस्से में औसत वर्षा ४५-५० इंच वर्षा होती थी वहां हर दूसरे वर्ष अकाल पड़ता है। राजस्थान सरकार ने जंगलों को ठेकेदारों को देकर सफाचट करा दिये और पूंजीपतियों को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचाया।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा सरकार को यह निवेदन करना चाहता हूं कि बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में जहां जंगल खत्म किये हैं वहां एक तरफ सरकार सोच रही है कि माही प्रोजेक्ट बनावे। माननीय उपाध्यक्ष, सरकार को मेरा यह निवेदन है कि भारत सरकार और राजस्थान सरकार ने एक शहद का बड़ा भारी मटका लगा रखा है और पांच लाख जनता को बताया कि मुंह लगाकर उसके एक एक बूंद की तरफ ताकते रहो। उपाध्यक्ष महोदय, माही प्रोजेक्ट हम बनायेंगे जो २४ करोड़ की एक योजना है। लेकिन योजना का सरकार ने आदेश दिया, वहां पर कुछ इन्जीनियरों को बैठाया है, वहां पर जीपें हैं और ट्रक हैं, पेट्रोल आदि का खर्चा है, उनके टी० ए० डी० ए० का खर्चा है, लेकिन डैम के नाम से कुछ भी काम शुरू नहीं किया है। मैंने गत साल एक कटमोशन के द्वारा सरकार से निवेदन किया था, लेकिन सरकार ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। पिछले बजट के वक्त में वित्त मंत्री महोदय ने माही का कुछ नाम भी इसमें रखा था, लेकिन इस साल तो नामोनिशान कुछ नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपके द्वारा सरकार से निवेदन है कि सरकार वहां पर माही प्रोजेक्ट बनायेगी, लेकिन वहां पर छोटे छोटे तालाब बनाने थे वे अधूरे पड़े हैं, तालाब भी नहीं बनाये। बड़े प्रोजेक्ट बनाने के पहले छोटे छोटे तालाब बना दिये जायं तो खेती में ज्यादा से ज्यादा पैदावार मिलती रहे। लेकिन उस प्रोजेक्ट के कारण भूमिहीनों को भूमि देने का प्रश्न होता है तो सरकार कहती है कि यह कमान्डेड एरिया है इसलिए भूमि नहीं मिलेगी। तालाब भी कमान्डेन्ड एरिया में आते हैं; उनको नहीं बनायेंगे; इस तरह का जवाब मिलता है सरकार से।

(श्री नाथूराम)

उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा मेरा सरकार से यह निवेदन है कि माही प्रोजेक्ट का बड़ों बड़ों को फायदा पहुँचाने के लिए आपने खाली नाम कर रखा है, या तो माही के प्रोजेक्ट का काम जल्दी से जल्दी शुरू कर देना चाहिए अथवा छोटे छोटे तालाबों को जल्दी से जल्दी बंधवा देना चाहिए। आज बांसवाड़े की ५ लाख की आबादी में दुष्काल होते रहते हैं और यहां के लोग मानसून पर आधारित रहते हैं। जब पानी ही नहीं बरसेगा तो पैदावाकर हां से बढ़ेगी! उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा मेरा सरकार से निवेदन है कि वहां पर छोटे-बड़े जो तालाब हैं उनको बनवाना चाहिए और माही प्रोजेक्ट की योजना को जल्दी से शुरू करना चाहिए और वहां के लोगों को बसाने की व्यवस्था करनी चाहिए और यह न हो कि खाली सरकार के अफसरों पर ही खर्चा-कार्य बढ़ता रहे।

(समय-समाप्ति–सूचक घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र में अढाई तालाब एवं भगोरा तालाब हैं जो कि तीन वर्ष से मंजूरशुदा तालाब हैं उनका भी काम आरम्भ नहीं हुआ। उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा एक भंडारा तालाब है जहां ५२ हजार रुपयों का खर्चा कर दिया लेकिन वहां पर आधा बीघा भी सिंचाई नहीं होती है। माननीय उपाध्यक्ष, गत वर्ष में मैंने सिंचाई मंत्री महोदय को–सिंचाई मंत्री तो बातें ही करेंगे–मैंने प्रार्थना-पत्र पेश किया था। उन्होंने इसके लिए अपने हाथ से आदेश दिया था कि जिन काश्तकारों को मुआवजा नहीं मिला है और जहा पर मोहरियां, पुलियां आदि की व्यवस्था नहीं है, जहां पर नहरों की व्यवस्था नहीं है, वह व्यवस्था शीघ्र ही होनी चाहिए। लेकिन वह आदेश रद्दी की टोकरी से वापिस नहीं लौटा और आज तक किसी इन्जीनियर ने वहां का मौका नहीं देखा है। इस तरह से ५२ हजार रुपया जो खर्च हुआ है यह सिंचाई की योजना और उत्पादन का नमूना मैं आपके सामने रखता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे पहले भी टाइम नहीं मिला है. इसलिए कुछ पॉइन्ट्स को लेकर विशेष निवेदन करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : कटमोशन पर आप कह सकते हैं और।

श्री नाथूराम : इस तरह से कृषि की स्थिति बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में ऐसी है। प्रकृति की कृपा से पानी बरस जाता है तो खरीफ की फसल पैदा हो जाती है, मक्का चावल वगैरह पैदा होते हैं। इसके साथ साथ वहां पर कॉटन भी होता है। गत वर्ष में चार करोड़ का कॉटन बांसवाड़ा और वागीडोरा तहसील में हुआ, वहां पर बड़ौदिया में एक जिनिंग फैक्टरी है, लेकिन वह फैक्टरी कई वर्षों से बेकार पड़ी हुई है।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ आपके द्वारा सरकार से निवेदन है कि जहां एक डिस्ट्रिक्ट में ४ करोड़ रुपये का कपास होता है और जिसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र कहते हैं

(श्री नाथूराम)

उसकी ओर सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए ।

इसके अलावा और भी कई कारण हैं जिनकी वजह से उत्पादन नहीं बढ़ रहा है । पंचायत समितियों को जो रकम दी जाती है उत्पादन बढ़ाने के लिए उसका दुरुपयोग होता है और इससे कृषि में नुकसान होता है । बांसवाड़ा में आज लगभग ४००० कुए इनकंप्लीट पड़े हैं । मैंने गत वर्ष भी निवेदन किया था कि आदिवासियों के लिए कृषि की उन्नति के लिए जो रकम दी थी उसकी इन्क्वायरी होनी चाहिए लेकिन इन्क्वायरी नहीं करवाई गई । मैं आज फिर निवेदन करता हूं कि बांसवाड़ा में कृषि उत्पादन के लिए लाखों रुपए दिए हैं उसकी इन्क्वायरी करनी चाहिए और जिन्होंने अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए नाजायज़ फायदा उठाया है उनको सजा देनी चाहिए । भारत सरकार भी आदिवासियों के लिए रकम भेजती है उसका भी दुरुपयोग होता है । सारे डिस्ट्रिक्ट में कृषि के लिए और सिंचाई के कुओं के लिए जो रकम दी जाती है पंचायत समिति को उसका दुरुपयोग हर साल होता है, सरकार जांच करावे ।

श्री चौसरसिंह बावल (बेंगू) : कौन खाता है उस रकम को ?

श्री नाथूराम : मुझे बोलने दीजिए ।

इसके साथ साथ कृषि में औद्योगिक खेती की व्यवस्था होनी चाहिए । गुजरात में औद्योगिक खेती होती है, उसका असर हमारे बोर्डर पर होता है । उसे राजस्थान सरकार को शुरू करना चाहिए ।

उपाध्यक्ष महोदय, आदिवासियों के उत्थान के लिए समाज कल्याण विभाग है । उसके बारे में मैं निवेदन करूंगा कि यह राजस्थान की ४० प्रतिशत जनसंख्या के लिए विभाग है लेकिन वह नाम मात्र का ही है । आदिवासियों के लिए जहां रिज़र्वेशन रखा है लेकिन वहां राजस्थान के पढ़े-लिखे हरिजन या आदिवासी लोगों को नहीं लिया जा रहा है ।

इसके अलावा आदिवासियों के लिए शिक्षा की बात आती है, जैसे जो छात्रावास शिड्यूल एरिया में होने चाहिए वे नोन शिड्यूल एरियाज़ में खोले जाते हैं । ५-७ साल में शिड्यूल एरिया में एक भी छात्रावास नहीं खोला है । जहां हायर सैकन्डरी और मिडल स्कूलें हैं वहां पर छात्रावास खोलने चाहिए । आदिवासियों में जो बी. ए. और एम. ए. पढ़े लिखे लोग हैं उनको समाज कल्याण विभाग में भी सर्विस नहीं मिलती है । समाज कल्याण विभाग में, गजटेड ऑफिसर के पद पर या सोशियल वेलफेयर ऑफिसर के पद पर दूसरे साधारण आदमियों को तो लिया जाता है लेकिन हरिजन या आदिवासी को इस पद पर नहीं लिया जाता है । इसलिये मेरा सरकार से निवेदन है कि या तो इस विभाग को ही बंद कर देना चाहिए या ४० पर्सेन्ट जनता के लिये यह विभाग रखा है तो हम में से पढ़े लिखे लोगों को इस विभाग में रखना चाहिये क्योंकि झोंपड़ों में रहने वाले को झोंपड़ों में रहने वालों की हालात मालूम

(श्री नाथूराम)

हो सकती है बंगलों में रहने वालों को नहीं मालूम हो सकती। समाज कल्याण विभाग की व्यवस्था ठीक होनी चाहिए। मैंने गत वर्ष भी मांग की थी। शिड्यूल्ड ट्राइब्स और कास्ट्स के लिये जो बोर्ड बना हुआ है उसकी गत वर्ष एक भी बैठक नहीं हुई। इस विभाग की अव्यवस्था को दूर करना चाहिये ताकि लोगों को फायदा ज्यादा से ज्यादा पहुंच सके।

आदिवासी एरिया में शिक्षा की क्या स्थिति है, यह मैं बताना चाहता हूं। वित्त मंत्रीजी ने समाजवाद लाने के लिये १५ करोड़ रुपये इस विभाग के लिए बता दिये। बांसवाड़ा आदिवासियों का मूल क्षेत्र है जहां पर ९० पर्सेन्ट भील रहते हैं पंचायत समिति भूखिया जहां ४०,००० जन संख्या है लेकिन वहां पर एक भी हायर सैकन्डरी स्कूल नहीं खोली कितने दुःख की बात है। जहां शहर में ५ या १० हायर सैकन्डरी स्कूलें एक ही क्षेत्र में खुल जाती है और हमारे यहां ४० हजार की जन संख्या के पीछे एक भी नहीं खुली है। इसलिये उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा निवेदन है कि इस पिछड़े हुये इलाके में जहां ४० हजार आदिवासी रहते हैं वहां कम से कम दो हायर सेकेन्डरी स्कूलें खोलेंगे तब तो हम कहेंगे कि आपने शिक्षा में तरक्की की है वर्ना शहरों के आंकड़े बताने से तरक्की नहीं होती है। इसके अलावा और भी कई बातें हैं। वहां पर टैक्निकल शिक्षा होनी चाहिए। मिडल स्कूलों में भी उद्योग विषय होना चाहिए। शिक्षा के साथ साथ उद्योग की शिक्षा नहीं मिलेगी तो काश्तकारों के लड़कों को फायदा नहीं पहुंचेगा।

माननीय उपाध्यक्षजी, पंचायती राज्य में हर व्यक्ति चाहता है कि लोकतंत्र की जड़ें मजबूत हों, लेकिन ये नहीं हो सकीं कारण कि आज पंचायती राज्य में इस तरह धन का दुरुपयोग हो रहा है जैसा कि मैंने निवेदन किया कुओं के बारे में और विकास के काम में धन का दुरुपयोग हो रहा है। लेकिन सरकार की तरफ से जांच नहीं हुई। वहां के एग्रीकल्चर एक्सटेन्शन ऑफिसर का उदाहरण आपके सामने रखता हूं। मेरे क्षेत्र में गढी तहसील है वहां ज्यादा से ज्यादा धान और बढ़िया से बढ़िया चावल पैदा होता है लेकिन वहां पर एक्सटेन्शन ऑफिसर ऐसे लोग आते है जिनको प्रेक्टिकल ज्ञान नहीं होता है। गन्ने की खेती में कीड़े लगते हैं, धान की खेती में आर्मी कीड़े लगते हैं जो प्लॉट्स के प्लॉट्स खत्म कर देते हैं। मणासौ चावल और गन्ना पैदा होने वाला होता है उसको ये कीड़े खत्म कर देते हैं। लेकिन कृषि विभाग के इन एक्सटेन्शन ऑफिसरों को पता नहीं होता कि क्या करना चाहिए। ये एग्रीकल्चर ऑफिसर कॉलेज से निकले हुए आते हैं इनको प्रेक्टिकल ज्ञान कराना चाहिये। अच्छे काश्तकारों के घरों से आये हुए हों तो उनको खेती बाड़ी की जानकारी हो सकती है ऐसे जानकार अफसरों को भेजना चाहिए ताकि उनसे कुछ फायदा जनता को पहुंच सके।

इसके अतिरिक्त अब मैं पुलिस विभाग के बारे में कुछ शब्द निवेदन करूंगा।

(श्री नाथूराम)

आज हमारे बोर्डर पर कई जवान अपने देश की रक्षा के लिए बलिदान हो चुके हैं, मैं उन्हें श्रद्धांजली के साथ बधाई पुलिस विभाग को भी देता हूँ. लेकिन आज नीचे लेवल के बारे में कुछ निवेदन करना चाहता हूं। बांसवाड़ा में जो पुलिस की अव्यवस्था है उसका छोटा सा उदाहरण रखता हूं। गढ़ी तहसील में परतापुर कस्बा है उसमें गत दो वर्ष में दो हत्यायें हुई। १०–१५ हजार की आबादी का वह कस्बा है जहां सभी तरह के लोग रहते हैं वहां कस्बे के अन्दर एक मंदिर में एक वृद्ध साधु की हत्या कर दी और उसकी अच्छे ढंग से जांच नहीं हुई। इस वर्ष भी वहां हनुमान जी के मंदिर में एक साधु रहता था जो १२ बजे रात को कई लोगों ने उसको घूमते हुए देखा है, पंचायत समिति के प्रधान जी ने भी देखा था, पर उस साधु की हत्या किसी ने कर दी और १५ रोज तक पता नहीं चला कि हत्यारे कोन हैं। एक केस मे भी पुलिस का यह हाल है तो ये जनता की क्या रक्षा करेंगे ? गृह मंत्रीजी से निवेदन है कि जिस साधु की हत्या कर दी है उसकी जांच शीघ्र होनी चाहिए.......

(समय–समाप्ति–सूचक घण्टी)

मैं अधिक समय नहीं लूंगा। खाद्य स्थिति के बारे में निवेदन कर देता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, बांसवाड़ा........

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई): आगे बढ़िये।

श्री नाथूराम : राजस्थान पर आता हूं। राजस्थान की खाद्य स्थिति के बारे में निवेदन करता हूं। खाद्य मंत्री महोदय ने कोशिश जरूर की है, उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं लेकिन कुछ कमियां भी हैं जिनके बारे में निवेदन करता हूं। आज अच्छा अनाज पैदा होता है. अनाज के कोठे भरे हुए हैं लेकिन व्यवस्था में जो ढिलाई है उसको दूर करना चाहिए। जो कानून बनाया जाता है, अनाज के भावों के बारे में उसमें व्यवस्था ठीक नहीं है। कुछ ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए ताकि ऊंचे भाव न बढ़ जायें और बिल्कुल नीचे भी न गिर जायें ताकि सब लोगों को फायदा पहुंचे। सक्षेप में मैं शक्कर के बारे में बताता हूं। जैसा कि पूर्व वक्ताओं ने बताया है, आज राजस्थान की २ करोड़ आबादी में से लगभग १।। करोड़ लोगों की आबादी देहातों में है। बांसवाड़ा का एक नमूना सामने रखता हूं। जो लोग शहर में रहते हैं उनके लिए फी व्यक्ति १ किलो शक्कर मिलने की व्यवस्था है और देहात में फी परिवार आधा किलो भी शक्कर नहीं मिलती है इस प्रकार की व्यवस्था है। इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा कृषि मंत्रीजी से निवेदन है कि गांवों के लोग ही गन्ना की पैदावार ज्यादा बढ़ाते हैं उनके लिये और शहरों के लिये शक्कर बराबर मिलनी चाहिए, यही मेरा निवेदन है।

(२.०० म. प.)

श्री चौसरसिंह बावेल (बेंगू) : उपाध्यक्ष महोदय, जो बजट वित्त मंत्री जी ने पेश किया है उसमें टैक्सों की भरमार है।....

Page No 69

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : (श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा से) वे बोलने लग गये । आप चार बार खड़े हुए हैं ।

श्री चौसरसिंह बाबेल : मेरा निवेदन है कि यह बजट समाजवादी सरकार का नमूना नहीं हैं । इस सरकार को टैक्स की सरकार कहें तो मैं समझता हूं कि उसमें कोई विरोध नहीं होगा । यह सरकार इन पन्द्रह वर्षों से लगातार टैक्स लगाती रही है, हर साल करीब तीन-चार करोड़ के टैक्स लगाते आ रहे हैं । लेकिन इन पिछले चार सालों में करीब तीस करोड़ के टैक्स लगाये हैं जो प्रति वर्ष साढ़े सात करोड़ के करीब आता है.......

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसींद) : यह आपको गलत बताया है किसी ने ।

श्री चौसरसिंह बाबेल : इतना टैक्स लगाते रहे हैं और जनता के ऊपर टैक्सों का बोझ डालते रहे हैं । लेकिन फिर भी राज्य सरकार के छोटे कर्मचारियों के लिए इसमें कोई तरक्की का साधन नहीं रखा जाता है । यदि रखा जाता है तो हम जैसों के लिए रखा जाता है, जैसे इस सदन में कहा कि हमारे पचास रुपये बढ़ा दिये जायेंगे । मेरा निवेदन है कि इन छोटे कर्मचारियों की ओर ध्यान दिया जाय । अभी जो उनको तरक्की दी है वह आपने मामूली दी है और उनसे आप काम बहुत ज्यादा लेते हैं ।

इसके अलावा यह पंचायत राज का बजट है, लेकिन पंचायतों के लिए इसमें कोई सहायता का प्रावधान नहीं रखा है । मैं समझता हूं कि कम से कम उनको लगान जितनी रकम तो मिलनी चाहिए । जो उनके एरिया से लगान वसूल होता है उसको आप उन्हें सहायता के रूप में दे दें तो मैं समझता हूं कि उन्हें कुछ सहायता मिल सकती है । इस बजट में उनके लिए कोई प्रावधान नहीं है जिसके द्वारा आप इस पंचायत राज को सफल बना सकें...

श्री गिरधारीलाल व्यास : पच्चीस लाख रुपया है ।

श्री चौसरसिंह बाबेल : वे अपने पैरों पर खड़ी हो सकें, ऐसी व्यवस्था नहीं है, फिर कैसे पंचायत राज सफल होगा ?

बेचारे किसान लकड़ी के लिए जंगलों में मारे मारे फिरते हैं । वे रेंजर के पास जाते हैं तो वह कहता है, फारेस्टर के पास जाओ और अगर वे फारेस्टर के पास जाते हैं तो वह कहता है नाकेदार के पास जाओ । और सुबह से शाम तक घूमते रहने से इस छोटे से कार्य के लिए उनके दो रुपये का काम खराब हो जाता है । चार चार कोस तक भटकते रहते हैं और फिर उनको मायूस होकर जाना पड़ता है । इसके बारे में मिनिस्टर साहब को अर्ज करते हैं तो वे सुनते नहीं हैं और उनको इस सम्बन्ध में आराम पहुंचाने की व्यवस्था नहीं करते है । उन्होंने अपने विभाग के अन्दर हजारों आदमी भर रखे हैं लेकिन कोई भी काम नहीं होता है । मैं समझता हूं कि गांवों का एरिया बना कर लकड़ी काटने की छूट दे देनी चाहिए । इस प्रकार की सुविधा आप हर गांव को दे

(श्री चौसरसिंह बाबेल)

सकते हैं, लेकिन ऐसी ,व्यवस्था सरकार सुझाव देने के बाद भी नहीं करती है और इस कारण बेचारे किसान मारे मारे फिरते हैं। अगर वे जंगल में लकड़ी काटने जाते हैं तो उनके ऊपर ज्यादती होती है। जहां एक तरफ ठेकेदार अनियमित रूप से जंगल के जंगल कटवा देता है लेकिन उसके ऊपर कोई पैनल्टी इम्पोज नहीं होती है, वहां अगर दूसरी ओर किसान थोड़ी सी भी लकड़ी काट ले जाता है तो उस पर सौ रुपये, पचास रुपये जुर्माना होता है। मैं समझता हूं यह आप किसानों के साथ अत्याचार कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया ठेकेदार ने ओराई के जंगल की अनियमित रूप से लकड़ी कटवा दी, चित्तौड़ के पास के जंगल में से ठेकेदार ने लकड़ी कटवा दी लेकिन उसका कुछ नहीं हुआ। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार इस बारे में जांच करके उचित व्यवस्था करे।

मैं समझता हूं कि जो सरकार खाद्य-समस्या को हल नहीं कर सकती है, जो सरकार शिक्षा की उचित व्यवस्था नहीं कर सकती है और जो सरकार चिकित्सा की व्यवस्था नहीं कर सकती है उस सरकार को समाजवादी सरकार कहलाने का अधिकार नहीं है, उसे समाजवादी सरकार नहीं कह सकते। मैं समझता हूं कि ऐसी समाजवादी सरकार दुनिया भर में कहीं नहीं होगी जो सरकार दूसरे राज्यों के बजट के औसत को देख कर ज्यादा से ज्यादा टैक्स लोगों पर लगाने की कोशिश करती है वह सरकार जनता की भलाई के लिए नहीं हो सकती।

इसके अलावा राजस्थान के अन्दर बहुत सी सड़कें अधूरी पड़ी हुई हैं, बहुत से काम अधूरे पड़े हुए हैं लेकिन उन सड़कों को और कामों को पूरा करने की ओर ध्यान नहीं है। यहां तक स्थिति है कि राणा प्रताप सागर के खम्भे फेक हो जाते हैं और लाखों रुपयों का नुकसान हो जाता है, लेकिन उसकी ओर ध्यान नहीं देते हैं और इसके सम्बन्ध में जब निवेदन करते हैं तो आप सुनते नहीं हैं।

काश्तकार जो अफीम पैदा करते हैं उनके ऊपर खरीददारी टैक्स लगाने का प्राव-धान आप इस बजट में कर रहे हैं। लेकिन वह टैक्स कौन देगा ? जो अफीम पैदा होती है उस अफीम को सरकार खरीदती है। और सरकार के पास से उनके पास जाती है जो अफीम लेते हैं। इस तरह उनको टैक्स देना पड़ा। इसके अलावा आप देखिये कि जो काश्तकार अफीम की खेती करते हैं वह कितनी मेहनत करते हैं। आप देखिए कि वे सुबह उठकर जाते हैं...

श्री जयनारायण सालोदिया : जा कर देखिये ही नहीं, खा कर भी देखिये।

श्री चौसरसिंह बाबेल : और दिन भर महनत करते हैं। उसके बाद आप यह टैक्स लगा रहे हैं। यह टैक्स कौन देगा और किस तरह से देगा—यह इसको देखने से समझ में नहीं आता है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत वित्त मन्त्री से निवेदन करना

(श्री चौसरसिंह बाबेल)

चाहता हूं कि वे इस पर विचार करें और वे बतायें कि यह टैक्स कौन देगा ? मैं समझता हूं कि इस प्रकार जो टैक्स की तजवीज होती है वह अच्छी नहीं है।

आपने पुलिस का सबसे बड़ा बजट बना रखा है, लेकिन पुलिस की यह हालत है कि कोई भी आदमी पुलिस में शिकायत लेकर जाता है तो उसकी सुनवाई नही होती है। मैं पालनपुर की एक गूजरी का केस आपके सामने रखता हूं। वह थाने में गई तो उसको थाने में से निकाल दिया गया। उसने कहा कि मेरे साथ अत्याचार हुआ है लेकिन उसकी बात नहीं सुनी गई और उस को धक्के मारकर निकाल दिया गया। इसके बाद वह बेंगू के एस. डी. ओ. के पास जाकर कहा कि मेरे साथ यह अत्याचार हुआ है और मेरी सुनवाई नहीं हुई तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। तब जाकर हुक्म दिया गया और उसके बाद तफतीश होती है और डाक्टरी मुआयना होता है। इसी तरह से सूली मगरा में एक माली का कत्ल हुआ है। वह अपने मकान के बाहर सोया हुआ था। मकान के बाहर से उठा ले जाते हैं और उसका कत्ल हो जाता है। बाग पाछली खेड़ी में एक गूजर का कत्ल हो गया। एक घोकणी का छोकरा तथा सेमड़या में मास्टर कत्ल हो गये—लेकिन इन सब केसेज के अन्दर अभी तक कातिल बरामद नहीं हुआ है। इसी प्रकार चोरियां होती हैं उनकी बरामदगी नहीं हुई है। आप क्या करते हैं ? आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं—यह कर रहे हैं, वह कर रहे हैं; लेकिन हम देखते हैं कि वे आराम करते रहते हैं और जब मिनिस्टर आते हैं तो उठ कर खड़े हो जाते हैं और जी हजूर करने को तैयार रहते हैं। उनको कह दिया जाता है कि इस आदमी के हथकड़ी डाल दो तो उस आदमी के हथकड़ी डाल दी जाती है और किसी आदमी के लिए कह दिया जाता है कि इस आदमी का चालान कर दो तो उसका चालान कर दिया जाता है। इस तरह हजारों केसेज़ में झूठा और फर्जी चालान कर दिया है। मैं समझता हूं कि इस प्रकार की बातों को आप रोकें।

इसी तरह से चिकित्सा के बारे में मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अस्पताल और डिस्पेन्सरी में डॉक्टर नहीं हैं। आप इसका इन्तजाम कीजिये। आप देखिये कि बहुत सारी जगह डॉक्टर नहीं हैं उसकी वजह से मरीज मर रहे हैं और सड़ रहे हैं। आप करोड़ों रुपया अस्पताल और डिस्पेन्सरीज़ पर खर्च करते हैं, लेकिन उनमें डाक्टर के बिना क्या हो सकता है ? इसी तरह से हमारे बेंगू कस्बे के अन्दर दो साल से डाक्टर नहीं हैं और वह २५ हजार जनता का एरिया है। मैं आपको बताऊं कि एक ढोलन थी उसका जापा होने वाला था। उसको गांव से अस्पताल ले गया लेकिन क्योंकि वहां पर डाक्टर नहीं था इसलिए वह चित्तौड़ गई और मर गई। आप देखिये कि गरीबों के लिये अच्छी व्यवस्था आप कीजिये जिससे उनका भला हो।

इसी तरह से आपके वन विभाग की हालत बहुत खराब है। मध्यप्रदेश की सीमा

Page No 72

(श्री चौसरसिंह बावेल)

के पास जो मेघावास का जंगल है वहां ठेकेदार और दूसरे लोग लकड़ी काट कर ले गये लेकिन उसका कोई इन्तजाम नहीं है। अगर राजस्थान का कोई आदमी थोड़ी सी लकड़ी काट कर ले आये तो उसका चालान कर दिया जायगा और उसे परेशान किया जायेगा। लेकिन इसके लिए कुछ नहीं होता है। मैं निवेदन करता हूं कि इन बातों की तरफ आप विचारकरें।

बिजली के मामले में निवेदन करूं कि बेंगू एक काफी बड़ा कस्बा है। और आपने तय कर लिया है कि पांच हजार के कस्बे में बिजली पहुंचा दी जायगी लेकिन वहां पर बिजली नहीं पहुंची है। जिस वक्त आजादी की लड़ाई चल रही थी तो वहां के लोगों ने काफी त्याग और कुर्बानी की थी। वहां के रूपाजी और कृपाजी का नाम सब जानते हैं। लेकिन वहां के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। मैं निवेदन करता हूं कि इन सब बातों के बारे में विचार करें और जो खामियां हैं उनको दूर करें। अभी तो वहां पर कोई व्यवस्था नहीं है और न जल का इन्तजाम आप कर सके हैं। मैं समझता हूं कि जो जल प्रदाय योजना चल रही हैं, आप कहते हैं कि नल का इन्तजाम करेंगे, इस बारे में तीन साल से आप चिल्ला रहे हैं लेकिन बेंगू में जल प्रदाय योजना के नक्शे बन जाने के बाद और कुछ होता नहीं है...

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : कांग्रेस में चले जायं तो काम हो जायेंगे।

श्री चौसरसिंह बावेल : मैं क्यों कांग्रेस में चला जाऊं ? मुझे तो जनता ने चुन कर भेजा है। मेरा जो कर्त्तव्य है वह मैं पूरा कर रहा हूं। अब आप करें या न करें, यह आपकी मर्जी है। अगर नहीं करते हैं तो जनता इसके लिए इलाज सोचेगी। आपकी तरह से हम कुर्सी से चिपके रहने वाले नहीं हैं। जो जनता से वायदे किये हैं उनको निभायेंगे। अगर आप नहीं निभायेंगे और अत्याचार करेंगे और टैक्स लगायेंगे तो इस भ्रम में न रहें कि इन कुर्सी पर आप ही कायम रहेंगे। जो अभी चुनाव हुए उनका नमूना मैंने आपके सामने रखा था, उसमें जो हारे हुए थे उनको जीता हुआ घोषित कर दिया और जो जीते हुए थे उनको हारा हुआ घोषित कर दिया। जो स्वतन्त्र पार्टी के लोग जीते हुए थे उनको हारा हुआ घोषित कर दिया गया यह नमूना मैंने आपके सामने रखा था। योजना मंत्री ने वायदा किया था कि उस पर वे एक्शन लेंगे, लेकिन अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया है। मैं समझता हूं कि आप ऐसे काम मत कीजिये। अगर करते हैं तो मैं क्या कह सकता हूं जनता आपको समझेगी।

श्रीमती सुमित्रा (झुन्झुनू) : उपाध्यक्ष महोदय....

श्री विजयराज कटारा (डूंगरपुर-सु.) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय....

श्री उपाध्यक्ष : श्री विजयपालजी बोल लें, फिर आप बोलें।

श्री विजयपाल कटारा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे सामने १९६४-६५ का बजट भाषण पेश हुआ है...

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : ऑन ए पोइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर, माननीय वित्त मन्त्री बजाय सुनने के पेपर्स डिस्पोज़ ऑफ कर रहे हैं। आप इस सदन में बैठे हैं वह इसलिये कि जो सम्माननीय सदस्य भाषण दे रहे हैं....

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई): उनको दत्त चित होकर सुनना चाहिए।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : उनको सुनना चाहिए बनिस्बत ऑफिस का काम यहां किया जाय।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : नोट कर रहे हैं।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : नोट नहीं कर रहे हैं। आप क्यों अपोज़ीशन में बैठ कर सफाई दे रहे हैं ? आप चले जाइए अपनी जगह पर।

श्री विजयपाल कटारा : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे राजस्थान का एक मान चित्र वित्त मन्त्रीजी ने खींचा है और जो राजस्थान की माली हालत उन्होंने बताई है। वह अपने बजट भाषण में बताई है कि राजस्थान की माली हालत क्या है ? वैसे राजस्थान की माली हालत खराब होने का कारण अर्से से गरीबी रही है और इसका सबसे पहला कारण यह है कि राजस्थान सबसे पहले आगे लड़ता रहा है और जो हमेशा संघर्ष करता है या लड़ाई लड़ते रहते है उसका परिवार हमेशा गरीब जरूर होता है। तो हम कहते हैं कि महाराणा प्रताप की भूमि है, वहां पर लोगों ने हमेशा अपना जीवन संघर्ष में बिताया था। मैं वित्त मन्त्रीजी से निवेदन करूंगा कि आपने अपने इस भाषण में राजस्थान की जो माली हालत बताई है लेकिन उसके साथ साथ मैं यह कहूंगा कि एक बड़ी भारी आबादी तो नहीं कहूंगा लेकिन काफी बड़ी आबादी आदिवासियों की है और करीब एक करोड़ जनता देहातों में रहने वाली है और उसमें सबसे ज्यादा आदिवासी है जिन्होंने कभी भी जिन्दगी में यह नहीं देखा कि राज्य क्या चीज होता है। तो उनकी माली हालत को सुधारने के लिये, पिछड़े हुए वर्ग की माली हालत सुधारने के लिये आपने एक अक्षर तक भी नहीं लिखा। आपने अपने भाषण में महिलाओं के उत्थान के लिये जो लिखा है उसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने महिलाओं को आगे बढ़ाने और पढ़ाने का इस प्रकार की हिम्मत की है ? उसी तरह से आपको यही होना चाहिये कि इन जाति के लोगों के लिये भी प्रावधान जबर्दस्त रखते लेकिन आपने यह कौनसे तरीके का यह बजट भाषण पेश किया है ? यह महात्मा गांधी और नेहरू का बजट भाषण नहीं है। आपने यह बता दिया कि आज हमारे देश से महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू चले गये। जब तक महात्मा गांधी और नेहरू जिन्दा थे उस वक्त तक हमारा उद्धार होने वाला था हो गया और आगे गरीबों का उद्धार नहीं हो सकता। मैं नहीं कह सकता कि नेहरू युग चला गया और महात्मा गांधी युग भी चला गया तो हिन्दुस्तान के क्रान्तिकारी थे और गरीबों को लेकर ऊपर चढ़ना चाहते

(श्री विजयपाल कटारा)

थे। आप उनको नीचा दिखलाना चाहते हैं। नेहरू चले गये हम अपने ही ढग से ही बांट खाने को तैयार हैं।

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मन्त्री) : हम निपट लेंगे।

श्री जयनारायण सालोदिया : याद रखना, हम भी निपटाने के लिये तैयार हैं।

एक माननीय सदस्य : आप तो निपट कर आये हैं।

श्री जयनारायण सालोदिया : इनसे नहीं निपटे हैं।

श्री विजयपाल कटारा : मगर हमारे राजस्थान में यह गरीब तबका पीछे रह गया तो गरीबों को कोई फायदा नहीं होगा। आप भी गरीब बनें। जो लोग हमेशा नंगे और भूखे होंगे वे ही हमेशा डाका डालेंगे। तो इसको रोकने के लिये मैं यह निवेदन करूंगा कि आप भूखे और नंगों को अनाज और कपड़े दें। आपने अपने भाषण में बताया और आपने जिन कर्मचारियों के वेतन बढ़ाये, मैं नहीं कहता कि आपने मंहगाई भत्ता क्यों बढ़ाया? मगर मैं यह कहूंगा कि इसके लिये आपको यह करना चाहिये था कि सबसे पहले नीचे के कर्मचारियों का भत्ता ज्यादा बढ़ाते और ऊपर के तबके और ज्यादा तनख्वाह पाने वाले लोग हैं जिनको १०००) या दो-दो हजार रुपये मिलते हैं, जैसे बड़े बड़े जज हैं और सेक्रेट्रीज वगैरह हैं उनकी तनख्वाह कम करके छोटे कर्मचारियों की तनख्वाह को बढ़ाते। सबसे छोटे कर्मचारी हैं, क्लर्क्स हैं वे ज्यादा काम करते हैं और सबसे बड़े अधिकारी हैं उनको काम भी कम करना पड़ता है और फैसिलिटीज़ गाड़ियों की और आने-जाने की, फ्री मकान आदि की सुविधाएं दी हैं। उनके मकानों का किराया चुकाया जाता है और मामूली क्लर्क जिसको ६० या १०० रुपये मिलते हैं, उसको आपने क्या सहूलियतें दी हैं। आपने इसमें इन लोगों का ध्यान नहीं रखा है और सबसे बड़े बड़े लोगों का ध्यान रखा है।

आप कर लगाना चाहते हैं, मगर मैं यह कहूंगा कि अगर आप बड़े बड़े अधिकारियों की तनख्वाह कम कर दें तो हजारों और लाखों रुपयों की बचत हो सकती है। मगर आप इसको बचाना नहीं चाहते। आप जनता पर कर लगाते जा रहे हैं। गरीब जनता करों के भार से दबी जा रही है। तो, मेरा यह निवेदन है कि इस प्रकार से हमको थोड़ा थोड़ा पैसा देकर आपने अलग डालने की कोशिश की है। इसी प्रकार आपने विधान सभा के सदस्यों को ५०) रु० का टुकड़ा डालने की कोशिश की है। आपने सोचा होगा कि उनको भी रिश्वत दे दो तो वे भी चुप हो जावेंगे। आपने पंचायतों के चुनाव भी इसी ढंग से कराये। अध्यापकों की १ तारीख से १० तारीख तक छुट्टियां थीं और आपने उनको वहीं पर रखा और उनके द्वारा प्रचार किया गया। आपका यही ध्यान रहा कि मौजूदा सरकार और सरकारी कर्मचारी मिल कर ही यह चुनाव लड़ा है। आपने किसी को २० रुपये

(श्री विजयपाल कटारा)

किसी को ३० रुपये देकर जनता को लालच देकर जनता का मोरल खत्म किया। आपने इस तरह से जनता को लालच देकर जनता के मोरल को खत्म करने की बात सोची है, यह गलत है। मैं यह कहूंगा कि हमेशा पवित्र चीज को बढ़ाना चाहिये। सब लोगों को देश की पवित्रता को जिन्दा रखना चाहिये। अगर आगे भी आप इसी नीति से काम करेंगे तो मैं यह कहूंगा कि वे लोग आगे नहीं बढ़ सकेंगे और आप पैसों के बल पर सरकार बनाना चाहते हैं। कोई भी विरोधी दल पैसे के बल पर अपनी सरकार नहीं बना सकता है मगर अपनी नीति के आधार पर आगे आ सकता है।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

दूसरी बात यह है कि मैं कुछ आदिवासियों को शिक्षा के लिये कहूंगा। शिक्षा के लिये पढ़ने की होड़ होती है और आगे पढ़ने के लिये कॉलेज तक उनको पढ़ाना चाहिये। मगर माली हालत गिरी होती है, उसको देखते हुए आपको उनकी मदद करनी चाहिये। अगर सरकार गरीबों की मदद नहीं करती है तो वह सरकार ठीक नहीं करती और वह सरकार टिक नहीं सकेगी। इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि उदयपुर, डूंगरपुर, भीलवाड़ा में उच्च शिक्षा देने के लिए कॉलेज होस्टल होना चाहिये जिसमें गरीब लोग ठहर सकें। आपने डूंगरपुर में कॉलेज खोल रखा है इसलिए कि वहां के लोगों को खुश करने के लिए। मगर वहां पर कई सब्जेक्ट्स नहीं होने से लोगों को अजमेर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में जाना पड़ता है। और वे लोग १००, दो-दो सौ मील जाकर अपनी पढ़ाई करने में असमर्थ होते हैं। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि आप उनको पूरी सुविधा दें और आदिवासी के लिए होस्टल कायम करें जिससे वे लोग वहां पर ठहर कर पढ़ सकें। उनको वहां ठहरने और रहने की सुविधा मिल सके और बिजली-पानी का प्रबन्ध भी उनके लिए हो सके।

उदयपुर में छात्रालय है। पहले वहां पर बी. ए. और एम. ए. पढ़ने वाले लड़कों को भर्ती किया जाता था अब बी. ए. से नीचे वालों को भी भर्ती किया जाता है। मगर ऊंची क्लास वालों के लिए सबसे ज्यादा खर्चा आता है। उनके लिए २५) रु० प्रति माह के हिसाब से मिलता है। मगर २५) रु० माहवार में एक उच्च क्लास के पढ़ने वाले के लिए खर्चा चलना मुश्किल है। इसलिए मैं यह निवेदन करूंगा कि छात्रवृत्ति बढ़ाई जावे और प्राइवेट छात्रों के लिए भी छात्रवृति अधिक बढ़ाई जावे।

होस्टल के लिये इस बजट में कोई प्रावधान नहीं रखा, दूसरी चीजों की सुविधाएं होनी चाहिए थीं वे नहीं रखीं। डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर के दक्षिणी एरिया में अकाल की समस्या आई, अकाल में मैंने देखा कि डूंगरपुर के अकालग्रस्त एरिया के लिए १० लाख रुपया रखा। हमारे डिस्ट्रिक्ट में डिप्टी मिनिस्टर कमला बेनीवाल आई, उनको मैं धन्यवाद देना नहीं भूल सकता। उन्होंने आकर उन आदमियों को सपोर्ट किया जो विरोधी थे।

(श्री विजयपाल कटारा)

विरोधी आदमियों को साथ लेकर अकाल-ग्रस्त क्षेत्रों में गई, वहां के लोगों को उससे संतोष हुआ। जो कड़ब कटी हुई थी, उसको खुलवा खुलवा कर भुट्टे देखे कि कितना अनाज है। इस तरह मिनिस्टर दौरा करें और जाकर देखते हैं तो वहां की जनता को और जो हम यहां चिल्लाते हैं उनको भी संतोष मिल सकता है।

तो उपाध्यक्षजी, मैं थोड़ा अस्पतालों के बारे में भी निवेदन करना चाहता हूं। हमारे डूंगरपुर का अस्पताल अब बिलकुल डिस्पेन्सरी की तरह रह गया है। पहले डूंगरपुर में सबसे बड़ा अस्पताल था। जब जब भी हम यहां बोलने खड़े होते हैं तो वहां के लिये लेडी डॉक्टर के लिये मांग करते हैं पर उस पर ध्यान नहीं दिया जाता। वहां की गरीब जनता पैसों से दवा नहीं खरीद सकती. वहां डाक्टरों की पूरी व्यवस्था नहीं है, खाटें नहीं हैं और टी. बी. अस्पताल की व्यवस्था नहीं है। मेरे प्रश्न के उत्तर में बताया कि टी. बी. अस्पताल नहीं है, पर टी. बी. के मरीजों को भर्ती किया जाता है। हम चाहते हैं कि टी. बी. अस्पताल दूर बनाया जाय, डूंगरपुर से टी. बी. अस्पताल दूर नहीं रखा तो आस-पास के मरीजों में टी. बी. के फैलने का डर रहता है। टी. बी. अस्पताल दूर और शुद्ध हवा में होना चाहिए, अस्पताल का प्रबन्ध और डॉक्टरों का प्रबन्ध ठीक होना चाहिये।

आयुर्वेदिक दवाखानों की वहां व्यवस्था बिल्कुल खराब है, कहीं दवाइयां नहीं हैं, कई जगह वैद्य नहीं हैं, केवल कम्पाउन्डर्स काम करते हैं, ऐसे तो दवाखाने खोलना न खोलना बराबर है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

एक मिनट और। उपाध्यक्षजी, मैं सड़कों के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। विकास के लिए सड़कों का होना परम आवश्यक है। सड़कें नहीं बनेंगी तो कोई मिनिस्टर या अफसर वहां नहीं जायेंगे, इसलिये मेरा करबद्ध निवेदन है कि सबसे पहले डूंगरपुर सतूना रोड २५ मील है, जब से मैं विधान सभा में आया हूं इस बात को उठाता रहा हूं, पर अभी तक यह २५ मील की सड़क नहीं बनी है, ५ मील का टुकड़ा पड़ा हुआ है, उसको पूरा करना चाहिये।

हमारे एरिया में सबसे ज्यादा तालाब हैं, उन तालाबों के लिये कई बार इस सदन में कहा गया और आज फिर कहता हूं कि उनमें लीकेज होता है, लीकेज की वजह से पानी वेस्ट होता है, काश्तकार पानी के लिये आतुर हैं, उनको पानी देना चाहिये; पर लीकेज की वजह से इनका पानी वेस्ट चला जाता है और किसानों को नहीं दे पाते। रोडीश्वर, वातरोद आदि तालाबों की इस प्रकार की दशा है, इनमें लीकेज होने की वजह से पानी वेस्ट चला जाता है। वातरोद टैंक से पानी नहीं मिलता, वहां केनाल निकाली जाती तो काफी अनाज हो सकता था पर थोडा सा नाला नहीं बांधने से जो हम काफी सिंचाई कर सकते थे वह नहीं कर सके। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि हमारे इलाके के तालाबों की ओर ध्यान रख कर उनके

(श्री विजयपाल कटारा)

लीकेज को रोका जावे इससे सिचाई के साधन बढ़ेंगे और पैदावार बढ़ेगी।

अब मैं थोड़ा आदिवासियों के सर्विसेज के रिजर्वेशन के सम्बन्ध में कहना चाहूँगा। रिजर्वेशन के अनुसार सबसे पहले हमारे आदिवासियों को राज्य की सर्विसेज में लेना चाहिये। राज्यपाल महोदय के भाषण पर बहस के दौरान में मैंने कहा था कि ४ आदमी एम० ए० सैकन्ड डिविज़न में पास हैं, महाराणा भोपाल कालेज से निकले हुए, विद्याभवन से निकले हुए चार-पांच विद्यार्थी हैं वे बेचारे इन्टरव्यू देते देते थक गये हैं, इन लोगों को बेकार देख कर हमारे आदिवासी समाज में पढ़ाई की ओर उत्साह नहीं बढ़ रहा है। हमारा समाज कह रहा है कि इतने पढ़े-लिखे लोगों को जगह नहीं मिल रही है इससे तो अच्छा है कि जमीन का काम करें; तकाबी, लोन सरकार से लेकर कुओं पर पंप लगायें, पर इन कामों में भी अधिक सहायता सरकार की ओर से नहीं मिलती, इससे उन लोगों में बड़ी निराशा है।

पंचायत समिति सीमलवाड़ा के बारे में मेरा एक प्रश्न था। आपने बताया कि एक भी कुआं तैयार नहीं है। मैं बताऊं कि १९६२ से वहां ट्राइबल लोगों के नाम से ४७ लाख रुपया बंटा है, वह रुपया कहां गया। जो विकास अधिकारी अथवा और कोई जिम्मेदार अधिकारी इसके लिये जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ एक्शन लें कि कितना उत्पादन बढ़ा। आपका जो पैसा जा रहा है कम से कम उसके पीछे थोड़ा ध्यान भी आपको रखना आवश्यक हो जाता है, नहीं तो आप और आपके आदमी मिल कर पैसा खाना चाहें तो खा लें, एक न एक दिन जनता इसका हिसाब जरूर पूछेगी। इसलिये मेरा निवेदन है कि इस ओर ध्यान दिया जाय।

जो नेहरूजी के लिये वित्त मंत्री महोदय ने भाषण में फर्माया कि नेहरू युग चला गया, दूसरा युग आ गया, इन शब्दों को उनसे वापिस लिवाया जाय। गांधीजी को, नेहरूजी को नहीं भुलाया जा सकता, तो जो ये शब्द उन्होंने कहे हैं उन्हें वे वापिस लें।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती सुमित्रा !

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, आप पर्ची आउट कर देते हैं, मेरी भी पर्ची आउट करें।

श्रीमती सुमित्रा (झुंझुनू) : माननीय उपाध्यक्षजी, सर्व प्रथम तो मैं इस सदन में चौथी बार बजट पेश करने के उपलक्ष में वित्त मंत्रीजी को मुबारिकबाद देती हूं। साथ ही साथ में उन्हें धन्यवाद भी दे दूं कि उन्होंने एक ऐसी आमफहम भाषा का प्रयोग करके माननीय सदस्यों का शब्दकोष का ज्ञान बढ़ाया है। वित्त जैसे नीरस और शुष्क विषय के सम्पर्क में रहने के बावजूद भी माननीय वित्त मंत्रीजी ने बड़ा सहृदय और भावुक कवि हृदय पाया है और कवि हृदय पाने के साथ साथ अपने भावों को व्यक्त करने के लिये बड़ी सरल और अलंकारिक भाषा का प्रयोग भी वे जानते हैं।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद): आमीन !

श्रीमती सुमित्रा : लेकिन माननीय वित्त मंत्रीजी ! आपके भाषण के आरम्भ में ही आपने एक सेंटेन्स इस प्रकार का लिख दिया है जिससे, विरोधी दल के माननीय सदस्यों का तो मैं नहीं जानती किन्तु कांग्रेसी सदस्यों को इससे बड़ा आघात पहुंचा है। वह वाक्य है नेहरू युग के खत्म होने की बात का कहना। क्योंकि भारतीय दर्शन में आत्मा को अमर माना जाता है। नाश तो इस नश्वर शरीर का होता है। इसलिये नेहरूजी की निश्छल, हंसमुख और दृढ़ निश्चयात्मक संकल्प वाली तस्वीर न सिर्फ हमारे प्रान्त के सामने है, अपितु समस्त भारतवर्ष के सामने है और उनकी कल्पना आज भी हमारा लक्ष्य है।

उपाध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्रीजी ने अपनी जिस भाषा को आम-फहम होने की संज्ञा दी है वह भाषा मेरी समझ में बहुत कम माननीय सदस्यों के पल्ले पड़ी है। वित्त मंत्री महोदय और राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में दिये गये अकाल राहत कार्य के जो आंकड़े हैं वे मेरी समझ में नहीं आये कि राज्यपाल महोदय वाले आंकड़े सही हैं या वित्त मंत्रीजी ने अपने बजट भाषण में जो आंकड़े दिये हैं वे सही हैं।

राज्यपाल महोदय ने अकाल राहत कार्यों पर पिछले वर्ष जो खर्चा बताया था वह ५,१४,५०,००० बताया था जबकि वित्त मंत्रीजी ने अपने बजट भाषण में ये आंकड़े ४,७२,००,०००) बताए हैं। तो वित्त मंत्रीजी आप स्पष्टीकरण कर दें कि कौनसा आंकड़ा सही है और कौनसे गलत हैं।

वित्त मंत्रीजी ने अपने भाषण के दौरान में महंगाई बढ़ने के कारण भाव बढ़ने की वजह से कम वेतन वाले लोगों को जो दो दफा पांच पांच रुपए की वेतन-वृद्धि की है और उन्होंने यह भी माना है अपने भाषण में कि महंगाई काफी हद तक बढ़ गई है लेकिन यह महंगाई देखते हुए क्या दो बार इस प्रकार पांच पांच रुपए का इजाफा देना आप पर्याप्त समझते हैं ? और इस बढ़ती हुई महंगाई को क्या दस रुपए बढ़ाकर वित्त मंत्रीजी को संतोष हो गया है ?

उन्होंने अपने भाषण के दौरान में यह भी स्वयं महसूस किया है कि "गैर योजना खर्चे में बढ़ोत्तरी हुई है" में वित्त मंत्री से पूछती हूं कि इसका क्या कारण है ? और इस बढ़ोत्तरी को रोकने के लिए आगे किस प्रकार से सरकार कदम उठाएगी। इस बारे में बहुत गंभीरता से सोचना चाहिए क्योंकि गैर योजना खर्चे में बढ़ोतरी होने पर लोक-कल्याणकारी और समाजवादी समाज के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए सरकार के लिए वाजिब नहीं है।

झुंझुनू जिला लगातार तीन साल से स्माल सेविंग्ज़ के अन्दर प्रथम आ रहा है। झुंझुनू ने स्माल सेविंग्ज के टार्गेट्स को एक्सीड किया है। वित्त मंत्री जी ने अपने भाषण में कहा है कि :

"छोटी बचतों में खालिस जमा बढ़ाने की सख्त जरूरत है। जिस हद तक छोटी बचतों में ज्यादा रुपया जमा होगा उसी हद तक टैक्सों का बोझ हल्का करने में मदद मिल सकती है, इसलिए मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि छोटी बचतों की

(श्र मित्रा)

खालिस जमा बढ़ाने का वातावरण बनाने में मदद करें।"

झुंझुनू जिले ने यह वातावरण बनाने में बहुत हद तक मदद दी है। लेकिन उसके बावजूद भी आपने उस जिले को क्या विशेष राहत दी, क्या विशेष सहूलियत दी ? इतना ही नहीं बल्कि मैं यह भी कहना चाहती हूं कि आपने उस जिले के साथ न्याय नहीं किया है और बजट बनाते समय अन्याय किया है।

आपने जो बजट भाषण पढ़कर सुनाया इसको पढ़कर मुझे काफी हद तक संतोष हुआ था और तीन दिन से लगातार मैं विरोधी दलों के माननीय सदस्यों की दलीलें भी सुन रही हूँ लेकिन इस दफा उनमें गर्मी नहीं है जैसे कि हर बार हुआ करती थी। लेकिन जब मैंने आपके एक्चुअल बजट को देखा तो दुख हुआ वह इसलिए हुआ कि जहां आप एक तरफ महसूस करते हैं कि बचतों में धन जमा करना चाहिए वहां पर तीन साल से लगातार आने वाले जिले को आपने ध्यान में नहीं रखा। मैं कुछ आंकड़े प्रस्तुत करना चाहती हूं कि किस प्रकार से आपने हर जिले का अलॉटमेंट किया है, रुपयों का।

झुंझुनू में कुल रुपया सड़कें, स्कूल, मेडीकल फैसिलिटीज़, सारा आपका जो बजट है वह सिर्फ ६,४६,०००) का उसमें प्रावधान है जबकि जयपुर जिले का प्रावधान है ३२,९८,५००) का। मैं मानती हूं कि हम सब लोग जयपुर में रहते हैं इसलिए जयपुर के डेवलपमेंट और झुंझुनू के डेवलपमेंट में फर्क होना चाहिए। जयपुर बहुत बड़ा शहर है, लेकिन झुंझुनू जिले की आबादी और क्षेत्रफल के बराबर जो दूसरे ज़िले हैं और सब बातों को देखते हुए कम से कम समानता और न्याय का व्यवहार तो बरतना चाहिए था। भीलवाड़ा जिले में १३,९०,०००) झुंझुनू से दुगना, चित्तौड़गढ़ १७,९०,०००) झुंझुनू से तिगुना। झुंझुनू के अन्दर असेम्बली कॉन्सटीट्यूनसीज़ ७ हैं और चित्तौड़गढ़ के अन्दर ६ हैं। मुझे मालूम है क्योंकि मैं डीलिमिटेशन कमीशन की मेम्बर हूं। नागौर जिले के लिए १० लाख का प्रावधान किया गया है। मैं उदयपुर और अजमेर की बात नहीं कहती क्योंकि उन जिलों से तुलना करने की क्षमता मुझ में नहीं है। वहां का बजट ४०-४० लाख तक पहुंच जाता है लेकिन जो आबादी में बराबर हैं जो एरिया में बराबर हैं कम से कम उन जिलों में बराबर का तो प्रावधान रखना चाहिए था जबकि झुंझुनू जिले ने आपको तीन साल से स्माल सेविंग्स में प्रथम आकर दिखाया है। पिछली बार जबकि हमारी सीमाओं पर आक्रमण हुआ था और प्रधान मंत्री ने अपील की थी तो हमारे जिले के लोग सबसे ज्यादा तादाद में सीमा के प्रहरी बन कर फौज के अन्दर भर्ती हुए थे। १९५८ से लेकर १९६५ तक हमारा जिला सर्व प्रथम रहा है लेकिन वित्तमंत्री ने इन सब बातों को मद्देनजर नहीं रखा है और न्याय नहीं किया है, आपका जो बजट है वह अन्यायपूर्ण है तथा कुछ विशेष जिलों तथा क्षेत्रों के विकास के लिए बनाया गया है।

इस वर्ष १९६५-६६ की जो टोटल रिसीट्स हैं वे १२५.२६ लाख की हैं और

(श्रीमती सुमित्रा)

टोटल एक्सपेंडीचर १२४.८६ लाख है। इस प्रकार से कुल मिला कर वित्तमंत्री ने हमको ११ लाख की बचत का बजट दिया है। मैं माननीय वित्त मंत्री से निवेदन करना चाहती हूं कि जो ११ लाख की बचत का बजट प्रस्तुत कर रहे हैं तो उनको फिर इस तरह से टैक्सेज के अन्दर ११ लाख की कमी कर देनी चाहिए थी क्योंकि लोक-कल्याणकारी राज्य के लिए हमेशा घाटे का बजट ही अच्छा होता है और घाटे का बजट रखना परम्परा है। इन ११ लाख का क्या किया जाएगा, मेरी समझ में नहीं आता।

स्त्री शिक्षा के बारे में "लड़कियों के सहायता प्राप्त कॉलेजों और हायर सैकन्डरी दर्जे तक की स्कूलों को अनुदान सहायता देने में फीसों की आमदनी को हिसाब में नहीं लिया जायगा", यह प्रशंसा की बात है।

अब मैं टैक्सेज पर आती हूं। एक टैक्स लगाया है कुओं के इंतकाल पर। वित्त मंत्री-जी ने इससे २० लाख की आमदनी बताई है। मैं और किसी जिले की बात नहीं कहती लेकिन अपने जिले की बात जानती हूं। वहां पर इस तरह के कुएं ४०-५० से ज्यादा नहीं होंगे, किस हिसाब से यह अंदाज लगाया है। सदन के अन्दर स्पष्टीकरण दे दें क्योंकि पहली बात यह स्पष्ट नहीं है कि कौन से कुएं होंगे, किसके द्वारा बनवाए जायेंगे और यदि किसान ने लेने से मना कर दिया तो इसका क्या उपयोग होगा ?

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : मेज के दराज में रख लेंगे।

श्रीमती सुमित्रा : दराज में तो कुआ नहीं आ सकता। एक तरफ आप अन्न के उत्पादन की बात करते हैं, आपकी जो यह योजना है इससे कोई लाभ नहीं पहुंचने वाला है इसलिए आप किसी के साथ जबर-दस्ती नहीं कर सकते, कुओं का उपयोग नहीं होगा तो अन्न का उत्पादन कम होगा। इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए यदि इस टैक्स के अन्दर किसी प्रकार की राहत दे सकें और स्पष्टीकरण कर सकें कि कौन से कुएं हैं और किस तरह से वे दूसरों को देने की बात आएगी और यदि किसी ने ना किया तो क्या अन्न-उत्पादन पर असर नहीं पड़ेगा ?

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : यह घास पर टैक्स है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : आपने ही सारी जिम्मेदारी ले ली है क्या ?

श्री रघुनाथ बिश्नोई : आपको क्या चिन्ता हो गई ?

श्रीमती सुमित्रा : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बीच में विघ्न और बाधा न पहुँचाई जाय।

माननीय उपाध्यक्षजी, दूसरा टैक्स जो इस नये बजट में लगाया गया है और जिसके बारे में मुझे कहना है वह है दवाओं पर बिक्री कर की दरें बढ़ाई गई। राज-स्थान में चिकित्सा सुविधा एक तरफ जुटा रहे हैं और दूसरी तरफ तकदीर से, भाग्य से, परमात्मा की जिन पर कृपा नहीं है बेचारे बीमार पड़ जाते हैं उनकी जिन्दगी

(श्रीमती सुमित्रा)

के लिए आवश्यक दवाओं पर बिक्री कर बढ़ा रहे हैं, यह आप उनके साथ अन्याय कर रहे हैं। परमात्मा भी अन्याय करेगा और सरकार भी अन्याय करेगी तो बेचारा इन्सान जायेगा कहां ? दवाओं पर बिक्री कर बढ़ा दिया सो तो बढ़ा दिया, जो जिन्दगी के गम भुलाने के लिए मनोरंजन करने के लिए सिनेमा में जायेंगे तो वहां भी मनोरंजन टैक्स बढ़ा दिया। कुछ तो न्याय कीजिए। बीमार के साथ न्याय नहीं। उसकी दवा पर भी टैक्स। जिंदगी के गम को भुलाने के लिए मनोरंजन के लिए सिनमा में जाय तो वहां भी टैक्स। कहीं तो इस टैक्स को माफ कीजिये । कहीं तो कुछ राहत दीजिये ।

श्री मानसिंह महार : अब तो मानना ही पड़ेगा।

श्रीमती सुमित्रा : इसके साथ साथ माननीय वित्त मंत्री ने अपने भाषण का समापन करते हुए पंचायत चुनावों के बारे में कहा है। उन्होंने कहा, "पंचायतों के चुनाव जिस आरास्तगी से हुए हैं और देहात की जनता ने उनमें जो दिलचस्पी दिखाई है, उससे भरोसा और बढ़ता है कि लोकतन्त्र विकेन्द्रीकरण की ये संस्थाएं, राज्य के चौमुखी विकास का कर्मठ साधन बन सकती हैं।" मुझे 'आरास्तगी' शब्द के मतलब का पता नहीं है किन्तु जो निष्कर्ष और सारांश मैंने निकाला है उससे यह समझ पाई हूं कि "आरास्तगी" का मतलब आराम से है। यदि यह गलत है तो मुझे दुरुस्त कर दें।

(विराम)

'आरास्तगी' का मतलब यही है ना ?

माननीय वित्त मंत्रीजी मुझे इस बारे में यह निवेदन करना है कि आपको इस शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिये। जिस तरह के शब्द का पंचायतों के चुनाव के बारे में आपने प्रयोग किया है वह जनता को गुमराह करने वाला है। पंचायतों के चुनाव में बहुत गड़बड़ व घोटाले किये गये हैं। उसके लिए मैं एक उदाहरण पेश करना चाहती हूं।

नवलगढ़ पंचायत समिति में एक गांव है, कारी पंचायत। उसमें पंचायत के चुनाव हो गये। पंचायत के चुनाव होने के बाद दो महिलायें कोऑप्ट कर ली गई। महिला कोऑप्ट कर लीं, डिक्लेरेशन हो गया, नोटिस बाहर निकाल दिया गया। उप-सरपंच का चुनाव कर लिया उन महिलाओं को उप-सरपंच के चुनाव में शामिल किया गया। उसके बाद रिटर्निंग ऑफिसर से मिल कर जो जीता हुआ सरपंच था उसके खिलाफ महिलाओं का कोऑप्शन हुआ, उसके खिलाफ उप-सरपंच सरपंच के खिलाफ आया है। पैसा देकर, मिलकर कागज बनाये गये। एक तरफ के पंच जितने थे, अनपढ़ थे, अंगूठा टेक थे, दूसरी पार्टी के पंच सरपच पढ़े-लिखे थे। जो बिना पढ़े-लिखे लोग थे और अंगूठा टेक थे उनके अंगूठे चिपका लिए और महिलाओं के कोऑप्शन को बदल दिया। पता तब चला, जब इलेक्टोरल रोल छप कर आया, तब लोगों ने देखा। हारे हुए सरपंच की धर्मपत्नि कोऑप्ट की गई थी। उसने कहा, नाम कैसे गलत हो गया ? कलेक्टर ऑफिस में गया। पूछा, पंचायत समिति के कोऑप्शन में गलत महिला कैसे आ गई, दूसरी महिला कैसे आ गई ? कागज देखे। कलेक्टर थे नहीं। ए. डी. एम. ही वहीं

(श्रीमती सुमित्रा)

चुनाव के इंजार्ज थे। मैं भी ए. डी. एम. के पास गई। जो महिला कोऑप्ट हुई है उसका नाम नहीं और दूसरा नाम। पूरी फाइल देखी। उन्होंने कहा, आप भी देख लीजिये। कहीं गड़बड़ी मालुम नहीं होती है। उनकी चोरी एक कागज पर पकड़ी गई, जिस कागज पर रिटर्निंग ऑफिसर ने लिखा था दो महिलाओं को ४ वोट, २ महिलाओं को ५ वोट, फिर नीचे एड किया था कि इन महिलाओं को छः छः वोट मिले; इसलिए निर्वाचित घोषित की गई। पंच तो ६ थे। १५ पंच कैसे आये? इस बात पर ए. डी. एम. ने माना कि गल्ती की गई थी। जिनका नाम इलेक्टोरलरोल में छप गये वे ही वोट देंगे। इन लोगों के पास सिवाय पिटीशन में जाने के और कोई चारा नहीं था, लेकिन उनको उनके अधिकार से तो महरूम कर दिया गया। माननीय वित्त मंत्रीजी, मुझे बड़े असफोस के साथ निवेदन करना पड़ता है कि बजट भाषण में जिस आरास्तगी का हम लोगों को आश्वासन दिया गया है उस आरास्तगी के साथ आपके पंचायतों के चुनाव नहीं हुए हैं।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री महोदय ने जो अपना यह बजट भाषण सदन में दिया है उसके लिए मैं उनको सबसे पहले इस बात की बधाई देना चाहूंगा कि नेहरू युग समाप्त होने के बाद भी उनको बजट प्रस्तुत करने का अवसर मिल गया है। उनकी पृष्ठभूमि में वे स्वयं भी महसूस करते हैं कि राजस्थान के मंत्रि मन्डल में वे नेहरूजी की कृपा के कारण से ही थे और स्वाभाविक है कि जब एक आदमी की पृष्ठभूमि किसी कारण से खराब हो तो उन्हें इस प्रकार की चिन्ता भी होना बहुत ही आवश्यक है। मैं यह नहीं समझ पाया कि इस बजट के ऊपर नेहरूजी की मृत्यु की छाया कहां है? एक एक पेज मैंने पढ़ा, बजट मेमोरेन्डम जो प्रस्तुत किया गया उसको भी देखा, एस्टीमेट जो दिये गये उनको भी देखा और सब देखने के बाद मुझे इस बात का कहीं भी पता नहीं लगा कि इस बजट के ऊपर नेहरूजी की मृत्यु की किसी भी प्रकार की कोई छाया है। अवश्य है। लेकिन वह छाया नेहरूजी की मृत्यु की नहीं। राजस्थान के मंत्रि-मंडल की अयोग्यता की छाया है। हर पृष्ठ पर राजस्थान के मंत्रि-मंडल की अयोग्यता, अकर्मण्यता और भ्रष्टाचार के बढ़ावे की प्रवृत्ति का हमें उल्लेख मिलेगा तो साथ साथ उसकी छाया भी हमको मिलेगी।

वित्त मंत्री जी ने कहा है कि राजस्थान का नक्शा बनाने से पहले या राजस्थान का इस वर्ष का बजट प्रस्तुत करने से पहले मुझे राजस्थान का नक्शा बनना पड़ेगा; उस नक्शे में रंग भरना पड़ेगा और उन परिस्थितियों का उल्लेख करना पड़ेगा जिन परिस्थितियों में यह बजट प्रस्तुत करना पड़ा है। मैं ऐसा समझता हूं कि यदि इस राज्य के साथ न्याय करना चाहते हैं तो राज्य की वास्तविक स्थिति क्या है इसकी जानकारी वे सदन को अवश्य दे दें और उसकी जानकारी देने के पश्चात् अपने बजट प्रोपोजल्स का निर्धारण और निर्धारण के साथ वित्तीय साधन किस प्रकार से जुटाये जा सकते हैं उसका उपाय, इन दोनों का उल्लेख

(श्री भैरोंसिंह)

करते तो कुछ समझ में आता। लेकिन वे शायद इसलिए बताने को तैयार नहीं हैं कि राजस्थान की हालत बाकी के प्रदेशों के मुकाबले में बहुत ही ज्यादा गिरी हुई है। मैं इस सम्बन्ध में कहना चाहूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, प्रत्येक आइटम पर कि हमारी आज की स्थिति क्या है। आरम्भ करता हूं मैं राजस्थान के प्रति व्यक्ति की आय से।

पिछली बार मैंने कहा था, राजस्थान में प्रति व्यक्ति आय २६७ रुपया है। उस समय योजना मंत्रीजी ने कुछ दूसरी रिसर्च का हवाला देकर मेरे द्वारा दिये गये फीगर्स को कंट्राडिक्ट करने की कोशिश की। मैंने दुबारा ध्यान से उन सब आंकड़ों के बारे में जानकारी करने की कोशिश की। मैं विश्वास पूर्वक कह सकता हूं कि जिस सेम्पल सर्वे के बारे में उन्होंने इस सदन के अन्दर उल्लेख किया था, उस कन्सर्न द्वारा उसी फर्म ने उसी इन्स्टीट्यूशन ने इस बात को स्वीकार किया कि इससे पहले प्रति व्यक्ति आय के आंकड़े जितने हमने दिये सारे के सारे डिफेक्टिव हैं। इस समय जो आंकड़े दे रहे हैं वे वास्तव में सही हैं।

तीसरी योजना के अन्त तक हमने जो लक्ष्य निर्धारित किया था राजस्थान में प्रति व्यक्ति आय और भारत के प्रति व्यक्ति के आय में बहुत बड़ा गेप है। उसको किस प्रकार से मीट किया जाय, यह हमारा लक्ष्य होगा। इस बात को सरकार ने स्वीकार किया है कि चौथी योजना के जो सरकार द्वारा प्रोपोजल्स तैयार किये गये हैं और जो प्लानिंग कमीशन के सामने पेश किये हैं उसमें हमारी सरकार ने इस बात को स्वीकार किया है प्रति व्यक्ति आय राजस्थान में और भारत के प्रति व्यक्ति की आय में जो गेप था वह कम नहीं कर पाये हैं बल्कि वह गेप निरन्तर बढ़ा है। हमारी सरकार के लिए इससे बड़ी कोई चिन्ता की बात नहीं हो सकती। तीसरी योजना के अन्त तक जो लक्ष्य निर्धारित किया था वह आप ही के शब्दों में पूरा नहीं कर पाये।

इसी प्रकार राजस्थान का इन्डस्ट्रियल प्रोडक्शन, महाराष्ट्र, बंगाल इन स्टेट्स का मैं जिक्र नहीं करता राजस्थान के समान मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा बिहार जिनका सारा पोटेन्शियल एग्रीकलचर पर-बेस है इन स्टेट्स के मुकाबले राजस्थान के अन्दर इन्डस्ट्रियल प्रोडक्शन बहुत कम है। इतना कम है १.०१ परसेन्ट बाकी स्टेट्स के अन्दर राजस्थान के मुकाबले बहुत ज्यादा है।

इसी प्रकार प्रति व्यक्ति राजस्थान में जो एक्सपेन्डीचर होता है वह आल इंडिया एवरेज पर पहुंच पाया है। बाकी की स्टेट्स आल इन्डिया अबव एवरेज हैं खर्चे की स्थिति में। वही मध्यप्रदेश, वही बिहार उड़ीसा ये जो सारी स्टेट्स हमारे समान है इन स्टेट्स में प्रति व्यक्ति खर्चा प्लान के ऊपर ज्यादा खर्चा हुआ है। सोशियल सर्विसेज़ के नाम पर ज्यादा खर्च हुआ है। हम उनके मुकाबले में पहुँचने की स्थिति में नहीं। रोड्स का सवाल आता है। सड़कों का माइलेज लीजिये हमारे यहां सड़कें बनी हैं लेकिन हमें इस बात पर विचार करना

(श्री भैरोंसिंह)

होगा कि भारत का रोड माइलेज क्या है ? उसकी तुलना में हम किस स्थिति पर पहुंचे हैं। तीसरी योजना के अन्त तक माइलेज सर्फेस ऑफ दी रोड प्वोइन्ट ऑल इन्डिया का १४.८ है, वह भी दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक। तीसरी योजना के समाप्ति तक भारत का रोड माइलेज २६ होगा। इसी प्रकार उपाध्यक्ष महोदय, मेडिकल व्यवस्था का हल देखिये। हमारे यहां एक डॉक्टर को ९६ स्क्वायर माइल को कवर करना पड़ता है, बंगाल में १०.५ माइल ही करना पड़ता है। हमारे यहां एक डॉक्टर को १४,५५२ व्यक्तियों को देखना पड़ता है, बंगाल में ५४३७ को ही देखना पड़ता है। मुदालियर कमेटी ने जो रिपोर्ट दी है उसके अनुसार ५० लाख आदमियों के पीछे एक मेडिकल कॉलेज होगा। उस सिद्धान्त को हमने भी स्वीकार किया है। इस सिद्धान्त को स्वीकार करने के बाद मैं आज यह कह सकता हूं, बंगाल प्रोपोर्शन के अन्दर यहां मेडिकल कॉलेजेज नहीं हैं। यहां मेडिकल कॉलेजेज नहीं दूसरी स्टेट्स के मुकाबले। आज राजस्थान की हालत यह है कि डॉक्टरों की कमी के कारण हम मेडिकल फेसिलिटीज प्रोवाइड नहीं कर पाते। इसलिये आवश्यक है कि राजस्थान में डॉक्टरों की संख्या बढ़ाने के लिए मेडिकल कॉलेज खोलने की व्यवस्था करें। राजस्थान में सरकार इस बारे में घोषणायें अवश्य करती है, लेकिन वह पूरा नहीं कर पाती। इसका परिणाम यह हुआ कि राजस्थान में मेडिकल सर्विसेज की बहुत कमी नजर आ रही है। आज राजस्थान में ६७०० जनरल प्रेक्टिशनर्स की आवश्यकता है, ४४२२ स्पेशलिस्ट की आवश्यकता महसूस होती है। उसके मुकाबले बंगाल में १ हजार जनरल प्रेक्टिशनर्स और १३० स्पेलिस्ट की आवश्यकता है। जब उपरोक्त संख्या हमारे यहां उपलब्ध हो जाय तभी जाकर हम मेडिकल फेसिलिटीज प्रोवाइड कर सकते हैं।

इसी प्रकार पावर का सवाल आता है। अगर हम देखें पर केपिटा कन्जम्प्शन राजस्थान का दूसरी स्टेट्स की अपेक्षा बहुत कम है। वेस्ट बंगाल और महाराष्ट्र के सामने तो हम टिक नहीं पाते। आल इंडिया एवरेज के मुकाबले तिगुनी कमी राजस्थान में है। यहां १३.७२ पर केपिटा कन्जम्प्शन है। बंगाल में ६१, महाराष्ट्र में ६२। बाकी की स्टेट्स के मुकाबले हमारे यहां पर केपिटा कन्जम्प्शन बहुत कम है। तीसरी योजना के अन्त में और चौथी योजना के अन्त में राजस्थान की रिक्वायरमेन्ट ६२५ मेघावाट बिजली की होगी और हमारा दुर्भाग्य है कि चौथी योजना के अन्त तक हम ३२० मेघावाट बिजली का उत्पादन कर पायेंगे। जितनी हमारी रिक्वायरमेन्ट है उतनी नहीं कर पायेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, बिजली की कमी वित्त रोड्स की कमी, इसके बावजूद भी, हमारे वित्त मंत्री महोदय जिनके मस्तिष्क के अन्दर एक ही चीज घुसी हुई है, वह यह कि यहां राजस्थान में एग्रीकल्चरिस्ट की संख्या ज्यादा है उन्हीं पर टैक्स का बर्डन ज्यादा डाला जाय, ये लोग बर्दाश्त कर सकते हैं। मैं वित्त

(श्री भैरोंसिंह)

मन्त्री महोदय को बताना चाहता हूं हमारे यहां के एग्रीकल्चरिस्ट की इन्कम पर एकड़ के हिसाब से दूसरी स्टेटों की अपेक्षा बहुत कम है। केरल में ५३१ पर एकड़ एग्रीकल्चरिस्ट की इन्कम है राजस्थान के अन्दर केवल ८४ पर एकड़ है। आल इन्डिया एवरेज २४७ है जब कि राजस्थान में केवल ८४ है। केरल में ५३१ है। आज राजस्थान के किसान की पर एकड़ आय ८४ है वहां आप उस पर टैक्स लगाना चाहते हैं। हमारा किसान जब ८४ की हालत में है आप उस पर टैक्स लगाना चाहते हैं।

श्री मथुरादास माथुर (विधि मन्त्री): यह तो एग्रीकल्चरिस्ट की इन्कम है, इसमें एनीमल हस्बेन्ड्री भी शामिल बताई है क्या?

श्री भैरोंसिंह: यह पर एवरेज आउटपुट पर है, इसमें एनीमल हस्बेन्ड्री शामिल नहीं है।

जहां तक एम्प्लोयमेन्ट का सवाल है उसमें भी पांच लाख बैकलॉग रहेगा। तीसरी योजना में ११ लाख एक्सपेक्टेड है, चौथी प्लान में जो बेकार होंगे उनकी संख्या १६ लाख होगी। दोनों योजनाओं में बेकारों की संख्या मिला कर करीब ११ लाख का बैकलॉग रहने वाला है।

जहां तक पब्लिक कन्ट्रीब्यूशन का सवाल है १९५५-५६ के अन्दर पब्लिक सेकरीफाइसेज के अन्दर १५ स्टेट्स के मुकाबले हमारा आठवां नम्बर था। ६०-६१ में राजस्थान का चौथा नम्बर हो गया और ६३-६४ में हमारी राजस्थान की सेक्रीफाइसेज का नम्बर सब से ऊपर है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं वित्त मन्त्रीजी से कहना चाहता हूं कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में २२६ करोड़ का प्रावधान रखा था। कोर ऑफ दी प्लान में २०८ कर पाये और खर्च २०१ करोड़ रुपये कर पाये हैं। इसमें पब्लिक से टैक्स द्वारा ३२ करोड़ रुपया वसूल करना था जहां आपने २९ करोड़ रुपये के करीब प्राप्त कर लिया है और इस साल आपने १.५० लाख के टैक्स लगाये हैं। इनकी आमदनी जोड़ी जाय तो ३२ करोड़ तक हम इसी साल पहुंच जायेंगे। एक्चुअली तो मैं नहीं कह सकता लेकिन मेरा अनुमान है और वह सही निकलेगा तीसरी योजना के अन्त तक जो हमने राजस्थान की जनता से कमिटमेन्ट किया था ३२ करोड़ का वहां राजस्थान सरकार ३४ करोड़ रुपया वसूल करेगी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपने किस आधार पर कमिटमेन्ट लिया था।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य-मंत्री): मैं निवेदन करूं कि ३४ नहीं होगा, ३२ से कम होगा।

(३.०० म० प०)

श्री भैरोंसिंह: ३२ से कम होने का तो सवाल ही नहीं है।

मैं प्लान के एण्ड की बात कह रहा हूं। प्लान के एण्ड तक दूं यह सारी स्थिति बन जावेगी और इसलिये बन जायेगी कि आपने स्वयं ने यह स्वीकार किया है कि चार वर्षों में हम २९ करोड़ रुपया वसूल कर पाये

(श्री भैरोंसिंह)

हैं और उस पर १ करोड़ पचास लाख के टैक्स लगा दिये। यह आपकी बजट स्पीच में है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं, एग्जेक्टली क्या वर्डिंग्ज़ है, यह तो नहीं जानता, पर उसका मतलब यही होगा कि जो अब तक टैक्सेशन किया गया है उससे प्लान के एण्ड तक २९ करोड़ एन्ड समथिंग की आमदनी होगी ।

श्री भैरोंसिंह : आज तक मुख्य-मन्त्री जी, आपने वित्तमन्त्रीजी को छूट दी होगी कि वे बजट भाषण बिना आपके दिखाये यहां दे दें। पर भविष्य में आप यह पाबन्दी लगा दें कि जो वे भाषण यहां दें, आपको पूछ कर दें।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंह-नगर) : पर उनको लीक हो जाने का डर रहेगा।

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, उनके बजट भाषण में यह स्पष्ट लिखा है और इसके बाद म ऐसा समझता हूं कि फाइनेन्स के मामले में मुझे वित्त मंत्रीजी की राय को ज्यादा महत्व देना चाहिये और वह महत्व देकर ही मैं यह समझता हूं कि हम ३४ करोड़ तक पहुंचेंगे । प्रश्न यह नहीं है उपाध्यक्ष महोदय......

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : ३५ करोड़ लिखा है, यह शामिल है कि नहीं। वह भी जनता से आया है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार,जयपुर) : यह अलग है।

श्री भैरोंसिंह : यह मैं पढ़कर ही सुना दूं :

"इसमें राज्य सरकार को ३२ करोड़ रुपये के नये टैक्स लगाने थे, २२ करोड़ रुपये प्रोजेक्टों के सिंचाई क्षेत्रों में बैटरमेंट लेवी व जमीनों की बिक्री से वसूल करना था, और ३० करोड़ रुपया राज्य ऋण व छोटी बचतों से इकट्ठा करना था। १९६१-६२ से १९६४-६५ तक लगाये गये नये टैक्सों की कुल वसूली करीबन २९ करोड़ ७३ लाख रुपया होगी।"

श्री बालकृष्ण कौल (वित्तमंत्री) : यह ठीक है।

श्री भैरोंसिंह : यही तो मैं कह रहा हूं। मैं ठीक ही कह रहा हूं।

श्री मथुरादास माथुर : ये भी ठीक ही कह रहे हैं।

श्री बालकृष्ण कौल : पंचवर्षीय योजना तक २९ करोड़ रुपया होगा।

श्री भैरोंसिंह : यह तो आपके दिमाग में होगा, आपकी इस आम फहम भाषा में तो नहीं है।

श्री बालकृष्ण कौल : यह आपकी समझ का फर्क है।

श्री भैरोंसिंह : मेरी समझ का फर्क है या आपके मस्तिष्क का है ? यह सुनने वाले जानते हैं।

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मन्त्री) : आज तक जितने टैक्स लगाये हैं चार सालों में उनकी कुल जोड़ मिलाकर थर्ड प्लान के एण्ड तक २९ करोड़ होंगे ।

श्री भैरोंसिंह : यह लिखा नहीं है ।

श्री नाथूराम मिर्धा : लिखा हुआ है, उसके माने यही है ।

श्री भैरोंसिंह : इसके माने तो आप किसी अध्यापक से जाकर पूछना । वह ज्यादा सही बतावेगा आपको ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : इसमें हैडिंग ही यही है, "तीसरी योजना के वित्तीय पहलू" थर्ड प्लान में ये एफर्ट्स हैं ।

श्री भैरोंसिंह : आप चाहें तोड़ मरोड़ कर कहीं ले जाने को कोशिश करें ।

पर ऐसी स्थिति में, मान लीजिए आपके फिगर्स भी करेक्ट हैं, ३१ करोड़ के लगभग के हैं । मेरा वह पोइन्ट डिस्प्यूटेड नहीं है । मेरा पोइन्ट डिस्प्यूटेड यह है कि आपने पब्लिक से पूरी की पूरी रकम वसूल कर ली और वह किस आश्वासन पर कर ली कि हम २३६ करोड़ तीसरी योजना में खर्च करेंगे । मैं समझता हूं कि कोर ऑफ दी प्लान आपने जब २०८ करोड़ की बनाई उस समय राजस्थान के माननीय मुख्य मन्त्री जी को याद होगा राजस्थान विधान सभा के सदस्यों में सरक्यूलेट किया कोर ऑफ दी प्लान, उसमें सरकार ने स्वीकार किया था कि २४ करोड़ से ज्यादा टैक्स वसूल नहीं किया जावेगा ।

मैं पूछना चाहता हूं कि जनता को धोखा देकर आप ३० करोड़ क्यों कर रहे हो ? आप इससे भी इन्कार कर दीजिये । कर दीजिए इन्कार कि हमने २४ करोड़ की बात नहीं कही थी । कोर ऑफ दी प्लान में कोई उल्लेख नहीं किया था, कर दीजिये इससे इन्कार । आपने पहले भी इन्कार किया था और पहले भी आपका प्लानिंग बोर्ड का रिकॉर्ड देखिये जिसमें स्वीकार किया है कि हम २४ करोड़ से ज्यादा टैक्स लगाने वाले नहीं हैं ।

पर अफसोस इस बात का है कि पब्लिक कॉन्ट्रीब्यूशन देती है पर गवर्नमेंट अपना कान्ट्रीब्यूशन नहीं दे पाती । जिस आश्वासन पर ३२ करोड़ वसूल किया, राज्य सरकार को चाहिये था कि वह चाहे भारत सरकार से लाए, चाहे प्लानिंग कमीशन से लाए, किसी भी आधार पर इकट्ठा करे पर उसे २३६ करोड़ रुपया खर्च करना चाहिये था अपना; वह हमारी सरकार ने खर्च नहीं किया ।

इन सबका परिणाम आज यह होता जा रहा है कि पब्लिक की जेबें तो खाली होती जा रही हैं और इनके साथ २ लोगों की जो आमदनी होनी चाहिए पर-कैपिटा इन्कम के रूप में वह बढ़ती नहीं है ।

यह तो स्वयं सरकार ने स्वीकार किया है इस वर्ष को छोड़कर आय गिर रही है । आय गिर रही है, टैक्स बढ़ रहे हैं, खर्चे ज्यादा बढ़ रहे हैं, मंहगाई बढ़ रही है तो क्या अन्दाज लगाकर चलेंगे ?

उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन का ज्यादा समय नहीं लेना चाहूंगा पर आज एजुकेशन

(श्री भैरोंसिंह)

के क्षेत्र में भी राजस्थान की गति जो है वह हिन्दुस्तान के दूसरे स्टेटों का जो एवरेज है उससे कम है ।

छः से ग्यारह वर्ष के बच्चों को ले लें, ११ से १४ वर्ष के बच्चों को ले लें या १४ से १७ वर्ष के बच्चों को ले लें । हम दूसरी स्टेटों के मुकाबले में उनको कम संख्या में शिक्षा दे पाये हैं, इसके विपरीत खर्चा जो एक बच्चे पर औसत आता है वह एवरेज ऑल इण्डिया के एवरेज से कम है और हमारी राजस्थान सरकार को ज्यादा खर्चा करना पड़ता है ।

आज यद्यपि इस बात की कमी, लड़कों की कमी, स्कूलों की कमी, प्रति व्यक्ति खर्च ज्यादा । यदि इस दिशा में एफर्ट्स किये जाते तो छात्रों की संख्या बढ़ती और प्रति छात्र पर खर्चे में भी कमी आती । पर वह भी सरकार नहीं कर पाई । बल्कि इसके विपरीत ऑल इण्डिया एवरेज जो है प्रति सात प्राइमरी स्कूलों पर एक मिडल स्कूल है, वहां राजस्थान में १४ पर एक मिडल स्कूल है ।

हम ट्रेन्ड टीचर्स में भी ऑल इण्डिया एवरेज से नीचे जा रहे हैं । तो आज एजूकेशन के क्षेत्र में हमारी यह हालत है ।

इसी प्रकार से एनिमल हस्बेण्डरी के मामले में, जो राजस्थान का एक बहुत ही इम्पोर्टेन्ट कम्पोनेन्ट है स्टेट इन्कम के लिए, पर कैपिटा इन्कम के लिए, उसमें भी वेटरिनरी हॉस्पिटल ऑल इन्डिया एवरेज से बहुत कम हैं । जो हमारी नस्ल है उसको सुधारने के लिये भी राजस्थान जैसे प्रदेश में जहां पर कैटल पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, जहां कैटल सबसे बढ़िया है वहां बुल्स को ज्यादा नहीं कर पाये । राजस्थान में ४२ हजार बुल्स चाहिए, सारी कैटल पॉपुलेशन को सुधारने के लिये । पर बदकिस्मती यह है कि और किसी को करे या नहीं, हम १२ हजार बुल्स दे पावेंगे । सरकार यह कहती है । पर मैं पूछता हूं, आप लावेंगे कहां से इनको ? कहां से इम्पोर्ट करने वाले हैं ? कहीं से आने वाले नहीं हैं ।

श्री मथुरादास माथुर : 'की' स्कीम के नीचे है यह ।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : बुल्स की कमी नहीं है यहां बहुत घूमते रहते हैं ।

श्री भैरोंसिंह : बुल्स तो माथुर साहब जैसे बहुत घूमते रहते हैं । उनका तो स्टेरिलाइजेशन कर दिया जाये तो अच्छा है ।

तो उपाध्यक्ष महोदय, ऐसी हालत में मैं कहना चाहूंगा लाइव स्टॉक के बारे में भी जो हमारी खेती करने का स्तम्भ है, आधार है उसको भी किसी प्रकार से नहीं पकड़ पाये इस सम्बन्धी टार्गेट्स को ।

इस हालत में कहना चाहूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, कि राजस्थान ने इरिगेशन के मामले में जो पोटेन्शियलिटी क्रिएट की है उसकी पोटेन्शियलिटी को पूरा नहीं कर पा रहे हैं । हमारे यहां तो पब्लिक का कुल ७८ परसेन्ट हिस्सा ऐसा है पूरे राजस्थान में जिसमें

(श्री भैरोंसिह)

कहीं पीने के पानी का प्रबन्ध नहीं है, कहीं पानी मीठा नहीं है, कही पानी खारा है, कहीं पानी कम है। ये सारे फीगर्स चाहें तो आप हरिश्चन्द्र माथुर कमेटी की रिपोर्ट में देख लें। स्वयं सरकार ने स्वीकार किया है कि ७८ प्रतिशत राजस्थान की जनता पानी के अभाव से ग्रस्त है और राजस्थान सरकार को इसकी व्यवस्था करनी चाहिये।

राजस्थान में काफी बड़ा क्षेत्र रेतीला है, सैण्डमय है जहां उत्पादन नहीं होता। हर साल लोगों के सामने भयंकर संकट सा खड़ा रहता है वहां।

इन सारी स्थितियों में राजस्थान का पूरा विकास देखना चाहें आप तो ऐसा लगता है कि बाकी के प्रदेश आगे बढ़ते जा रहे हैं और राजस्थान पिछड़ता जा रहा है।

आज तक हम राजा महाराजाओं को गालियां देते रहे हैं कि उनके कारण बहुत कम इन्वेस्टमेंट पब्लिक सर्विस में हो पाता था, इसलिये हमारा यह क्षेत्र अविकसित रहा है। वे अपने ही व्यक्तिगत उपभोग में आय का बहुत बड़ा हिस्सा खर्च कर देते थे। पर उपाध्यक्ष महोदय, मैं पूछता हूं सन् ४७ में हमारा पिण्ड इनसे छुट गया। देश आजाद हुआ। सन् ४७ से लेकर आज सन् ६५ तक १८ वर्ष हो गये कांग्रेस की हुकूमत को यहां पर। फिर भी आज यह कहना चाहें कि इन १८ वर्षों में हम वह स्थिति ले आये हों तो हम वह स्थिति नहीं ला पाये जो किसी भी क्षेत्र में जो ऑल इन्डिया एवरेज बनता है उसको हम कवर कर सके हों। हम कवर नहीं कर सके, इन १८ सालों में भी। बहुत पीछे रहे हुए हैं। उस हालत में आज जो योजना बनाई है ४३८ करोड़ की ; इस ४३८ करोड़ रुपये की योजना में हमने नये टैक्सेज़ २५ करोड़ के लगाने का प्रावधान किया है। हम कुछ कर्जा लेंगे, कुछ जमीन की बिक्री से लेंगे, लेकिन सारी स्थिति आज ऐसी बन गई है कि उस स्थिति में अब जनता से हम ज्यादा नहीं ले सकते। तो मेरी मान्यता यह भी है कि जो हमने ४३८ करोड़ रुपये का प्लान बनाया है उससे चाहे पर-कैपिटा इन्कम का सवाल हो, चाहे जनेरेशन का सवाल हो, चाहे कन्ज़म्पशन का सवाल हो, हर क्षेत्र में जो ४३८ करोड़ रुपये की योजना बनाई है फिर भी इस योजना के खत्म करने के बाद हम चौथी पंचवर्षीय योजना के अंत में भी जो ऑल इन्डिया एवरेज बनने वाला है उसमें पीछे रहने वाले हैं।

चौथी योजना के लिए कहा गया है कि पहली योजना, दूसरी योजना और तीसरी योजना, इन तीनों योजनाओं का जितना जोड़ है उसके मुकाबिले की चौथी योजना होगी। हम ४३८ करोड़ रुपये में क्यों संतोष करें? हमें मांग करनी चाहिए कि यह ५०० करोड़ रुपये की होनी चाहिए और इस योजना के लिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा और इस सदन से भी निवेदन करना चाहूंगा कि जब तक हम भारत सरकार पर इसका दबाव नहीं डालेंगे कि वह अपने गलत ऑब्जेक्ट को, जो गलत आधार बना रखा है, उसमें जब तक इसका परिवर्तन नहीं करें कि हिन्दुस्तान में या हिन्दुस्तान की सरकार

Page No 90

(श्री भैरोंसिंह)

उन राज्य सरकारों की अपने रिसोर्सेज़ जुटाने की जितनी कैपेसिटी है उसके आधार पर सेन्ट्रल असिस्टेन्स देगी, मैं समझता हूं कि यह बिल्कुल गलत सिद्धान्त है और इसके लिये सदन से निवेदन करना चाहूंगा कि एक कहा जाये कि

इस सिद्धान्त को बदला जाये और जो हमारी स्थिति है, जो हमारे सामने कमियां हैं, जो हमारी जनता की सेक्रीफाइज़ करने की ताकत है उसको मद्देनजर रखते हुए हमारी योजना ५०० करोड़ रुपये की बनाई जाये और जो भारत सरकार सहायता दे वह बाकी के प्रदेशों में जो एवरेज है, उस एवरेज पर किस आधार पर आ सकते हैं, उसके आधार पर हमें सेन्ट्रल असिस्टेंस मिलनी चाहिए और जब तक हम सदन में इसका दबाव नहीं डालेंगे भारत सरकार और राज्य सरकार इसमें किसी प्रकार से भी आगे आने वाली नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि हमारी भारत सरकार ने राजस्थान कैनाल जैसे नेशनल प्रोजेक्ट को अपने हाथ में लिया है। लेकिन इसके साथ में हम उनको क्या दे रहे हैं, इस पर भी विचार करना पड़ेगा। राजस्थान नहर का निर्माण, उसके साथ कोलोनाइज़ेशन का सारा कार्य यह भारत सरकार करेगी। यह खुशी की बात है कि इसको नेशनल प्रोजेक्ट मान कर भारत सरकार ने इसे अपने हाथ में लिया है, लेकिन इस राजस्थान की जमीन जो हमने आज तक इस राजस्थान के लिए टैक्स के रूप में इस राजस्थान कैनाल के लिए बाकी के मदों को छोड़कर जो खर्च किया उसका फल किस को मिलने वाला है ? आज कोई नहीं कह सकता कि राजस्थान के लोगों को उसका फल मिलेगा। राजस्थान कैनाल के लिए जो ऑथोरिटी बनने वाली है उसमें राजस्थान का रिप्रेज़ेन्टेशन क्या होगा, मंत्री-मण्डल के सदस्य कितने उसमें लिये जायेंगे, इसमें भी सन्देह है। किसान कितने होंगे, ऑफिसर्स कितने होंगे, इन सब चीजों में असंतोष बनता जा रहा है। हम राजस्थान कैनाल को नेशनल प्रोजेक्ट बनाकर अपना भार भारत सरकार पर डाल दें लेकिन उसके फल हमें मिलने वाले नहीं हैं। यदि भारत सरकार ने राजस्थान कैनाल की भूमि को नीलाम करना शुरू कर दिया तो पंजाब के लोगों के मुकाबले में राजस्थान की गरीब जनता उस जमीन को नहीं खरीद पायेगी। इसलिए भारत सरकार को दें, इनकी तो खुशी है, इसका हम सहयोग करना चाहते हैं, लेकिन इस शर्त पर दें कि कैनाल ऑथोरिटी में राजस्थान का रिप्रेज़ेन्टेशन होगा। कैनाल की जमीन की जितनी बिक्री होने वाली है उसमें राजस्थान के भूमिहीन किसानों को प्रायोरिटी दी जाये और साथ ही साथ जिस समय यह स्कीम पूरी हो जाये तो इसको सारा का सारा राजस्थान की सरकार को ट्रान्सफर कर दिया जाये। ये तीनों चीजें जब तक भारत सरकार नहीं करती है तब तक मैं मुख्य मंत्रीजी को कहना चाहूंगा कि नेशनल प्रोजेक्ट के नाम पर राजस्थान के इतने बड़े असेट को वे अपने हाथों से न जाने दें। भारत सरकार ने जैसे अजमेर को एक न्यूक्लियर बनाकर आस-पास के भागों पर अपना नियंत्रण रखा था उसी प्रकार गंगा-

(श्री भैरोंसिंह)

नगर को भी अपना एक न्यूक्लियर बनाकर राजस्थान को गवर्न करने की कोशिश करेगी तो राजस्थान ने जो कुछ किया है वह अपने आप में समाप्त हो जायेगा।

अब उपाध्यक्ष महोदय, मैं बजट पर आता हूं। हमने बजट को देखा और बजट को देखा तो ऐसा लगता है, उपाध्यक्ष महोदय, कि बजट में भयंकर रूप से जगलरी की गई है। इस तरह से आंकड़ों को तोड़ा-मरोड़ा गया है कि कहीं तो ६ करोड़ का डेफिशिट बता दिया और उसके बाद में अपनी तारीफ अपने मुंह से करते हैं। माननीय सदस्यों को खुशी है कि वित्त मंत्री जी के प्रयत्नों से ६ करोड़ का डेफिशिट अब घटते-घटते ११ लाख रुपये सरप्लस में परिणत हो गए। वित्त मंत्रीजी की इस जादूगरी को आसाम के जादूगर भी दाद देंगे, लेकिन आज हमारी स्थिति क्या है ? आपने टैक्स लगाये १ करोड़ ५० लाख के और टैक्स लगाकर सारा भार डाल दिया राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों पर। अगर वे नहीं होते तो टैक्स लगाने की आवश्यकता नहीं थी।

राजस्थान के कर्मचारी ही राजस्थान के फाइनेन्सेज़ को इमबैलेन्स करते आये हैं, इस तरह का आरोप वित्त मंत्रीजी ने लगाया है। मैं समझता हूं कि राजस्थान के कर्मचारी यदि राजस्थान की जनता दुख पाती है तो ५ रुपये स्वीकार करेंगे; इसमें मुझे कुछ सन्देह है और स्वीकार क्यों नहीं करेंगे उसके भी कुछ कारण हैं। स्वीकार इसलिए नहीं करेंगे कि एक तो हमारी समाजवादी सरकार है। आई० ए०एस० ऑफिसर्स, यूनीवर्सिटी के लेक्चरार्स और प्रोफेसर्स, आई०पी०एस० ऑफिसर्स-इनका जो वेतन स्तर है वह तो ऑल इन्डिया सर्विसेज़ के मुकाबले का है। बाकी के लोग हैं उनका जो स्तर है वह स्तर तो स्टेट के अनुसार ही होगा। भारत सरकार के कर्मचारी और राजस्थान राज्य के कर्मचारी में बहुत बड़ा अन्तर बना रखा है और उस अंतर के लिए वे राज्य सरकार को कहें कि आपने कोई एस्टीमेट किया कि यदि केन्द्रीय कर्मचारियों के अनुसार ही राज्य के कर्मचारियों का वेतन बना दिया जाये तो सरकार पर कितना बर्डन आने वाला है ? तो मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि राजस्थान की इनएफीशियन्ट गवर्नमेंट ने आज तक इसका अनुमान नहीं लगाया कि कितना अन्तर आने वाला है। अनुमान क्यों लगाते ? दूसरी पंचवर्षीय योजना तक भारत सरकार से इस व्यय को मीट करने के लिए कुछ सहायता मिलती थी, तीसरी पंचवर्षीय योजना में वह सहायता नहीं मिल पाई। फाइनेन्स कमीशन के सामने हमने इस मांग को पुरजोर शब्दों में नहीं रखा और उसका परिणाम यह हुआ कि आज एक ही शहर में, एक ही क्षेत्र में, एक प्रकार का काम करने वाले व्यक्तियों में, तनख्वाहों में बहुत बड़ा अन्तर है।

उपाध्यक्ष महोदय, अभी बिहार में बजट पेश हुआ, बंगाल में बजट पेश हुआ, अन्य राज्यों में भी बजट पेश किये गये और मैं कहना चाहता हूं कि बिहार में ५ करोड़ के घाटे का बजट पेश किया, बंगाल में ५ करोड़ रुपये कर्मचारियों के लिये रखे हैं, लेकिन एक पैसा का भी टैक्स नहीं लगाया।

(श्री भैरोंसिंह)

कई स्टेटों ने डेफिसिट बजट पेश किये और उसके बाद भी सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाहें बढाई और हमारे वित्त मंत्रीजी ५-५ रुपये भी दे रहे हैं और ५–५ रुपये किस तरह से दे रहे हैं। एक हाथ में ५ रुपये और दूसरे हाथ में चपत। चपत वह किस प्रकार से कि आपको याद होगा, उपाध्यक्ष महोदय, कि कर्मचारी संघ के कुछ प्रतिनिधि हमारे वित्त मंत्रीजी से मिलने गए। उनसे क्या बात हुई, उसका सारांश मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। हमारे वित्त मंत्रीजी के मुखारविन्द से यह निकलता है कि श्री टी. टी. कृष्णमाचारी द्वारा बनाई गई योजना मुझ पर लागू नहीं होती.... ...

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मुखारचन्दर या मुखारबन्दर।

श्री भैरोंसिंह : मुखारबन्दर कह दो।

"मूल्य वृद्धि की जिम्मेदारी केन्द्रीय सरकार की है।" यह मेरे शब्द नहीं हैं, यह हैं राजस्थान के वित्त मंत्री के। राज्य सरकार केन्द्र से अनुदान देने के लिए बाध्य नहीं कर सकती राज्य कर्मचारी कर सकते हैं— "एजीटेशन करो। क्या कर्मचारी चाहते हैं कि मैं उनके लिए इस्तीफा दे दूं, मेरे पास कर्मचारियों को देने के लिए कुछ नहीं है। कर्मचारियों की वर्तमान संख्या में से ५० प्रतिशत में ही सरकार चलाई जा सकती है। यह वित्त मंत्रीजी का कहना है। ५० परसेन्ट में आप सरकार चलाना चाहते हैं ? आप कहते हैं कि कर्मचारी दिन भर लोइटरिंग करते रहते हैं और केवल अपने स्वार्थों के बारे में सोचते रहते हैं। अगर पेट नहीं भरता है तो कौन कहता है कि यहां रहो, आप इस्तीफा देकर चले जाओ।

आप इस बात का ध्यान रखें कि राज्य के वित्त मंत्री से आप बात कर रहे हैं। यदि लोकतन्त्र नहीं होता तो इस प्रकार नहीं कर सकते थे। इन सारी बातों का मतलब यह न समझिए कि मुझे आपसे सहानुभूति नहीं है।"

कुछ माननीय सदस्य : बहुत सहानुभूति है।

श्री भैरोंसिंह : आप जहर दे दें और कह देते हैं कि मिट जाओ, लेकिन मरोगे नहीं। मैं समझता हूं कि आपको दुःख भी नहीं होता, आपको इस पर संकोच भी नहीं होता, लेकिन कोई व्यक्ति निर्लज्ज हो जाए तो कहने की भी कोई आवश्यकता नहीं, और इसलिए आवश्यकता नहीं होती. चेहरे पर किसी प्रकार की शिकन नहीं आती, बल्कि जैसे कोई आदमी, उपाध्यक्ष महोदय, खींच कर तमाचा मारता है, परन्तु कोई रोक नहीं सकता, मैं समझता हूं कि वैसी हालत वित्त मंत्रीजी की हो रही है। वह सरकारी कर्मचारियों का वेतन नहीं बढ़ा रहे हैं, बल्कि यह कहूं कि बजट वित्त मंत्रीजी ने नहीं बनाया है बल्कि बजट बनाया है राजस्थान सरकार के उन अधिकारियों ने जिनकी तनख्वाह

(श्री भैरोंसिंह)

३२०) रु. से ऊपर है, ४००) रु. हो गई थी। आपका यह समाजवादी बजट है। मैं समझ नहीं पाया कि यह महंगाई है वह बराबर है, गरीब के लिए भी महंगाई है और अमीर के लिए भी महंगाई है। अमीर मंहगाई को एफोर्ड कर सकता है, लेकिन गरीब महंगाई को एफोर्ड नहीं कर सकता है। ४००) रु. से ऊपर पाने वाले को ३५) रु. महंगाई भत्ता कर दिया और नीचे के हैं उनको वे दे रहे हैं ५) रु.। ऊपर वालों से आपको सहानुभूति है। मैं समझता हूं कि सहानुभूति हो सकती है किसी को प्रमोशन देने के बारे में।

सरकारी कर्मचारियों की मीटिंग हुई थी आज से तीन दिन पहले। उस मीटिंग में, मैंने सुना है कि जो वित्त मंत्रीजी कहते हैं कि तुम्हारी तनख्वाहें नहीं बढ़ायेंगे, लेकिन वित्त मंत्री के यहां जो महिला एल. डी. सी. थीं उनका प्रमोशन हो गया, स्टेनो का काम करती थीं उसका प्रमोशन हो गया। मैंने उनसे कहा कि आपको जलन नहीं करनी चाहिए। महिलाओं के साथ इस सरकार का रुख सदा से नम्र रहा और नम्र है और प्रमोशन देते हैं उन लोगों को जो कि उनके इशारे पर काम करते हैं और वित्त मंत्री जी को खुश कर दे उस एल. डी. सी. की तनख्वाह बढ़ती है और जिन्होंने खुश नहीं किया वे रोते फिरें! उसकी चिन्ता की बात नहीं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप सरकारी कर्मचारियों के इस तबके से इस दृष्टि से फर्क नहीं कर सकेंगे। मैं आज फिर कहता हूं कि आपको और आपकी हुकूमत को इस बात पर गम्भीरता से विचार करना पड़ेगा कि राजस्थान के इन सारे कर्मचारियों के वेतन-स्तर के बारे में एक बार डट कर इस बात का निर्णय ले लीजिए कि भारत सरकार सुने या न सुने, भारत सरकार की नीतियों के कारण से यदि, मंहगाई होती है तो इसमें जिम्मेदारी भारत सरकार के ऊपर है तो क्यों नहीं राज्य सरकार स्पष्ट रूप से कहती है कि यदि भारत सरकार केन्द्र के कर्मचारियों का वेतन बढ़ाती है तो हम भी बढ़ायेंगे और आपको बढ़ाना पड़ेगा और नहीं बढ़ायेंगे तो मैं इस सदन में कहता हूं कि सरकारी कर्मचारी आपको चैन से नहीं बैठे रहने देंगे। अभी आपके खिलाफ जुबान खोली है और आगे जाकर न जाने क्या क्या खोलें, वह समय आपको बतायेगा। लेकिन असन्तोष उनमें बढ़ रहा है। उसके ऊपर और सारी बातों पर आपको विचार करना पड़ेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे वित्त मंत्रीजी ने कहा टैक्सेज़ के बारे में, उन्होंने स्वयं ने एक जगह भाषण दिया और भाषण देकर कहने लगे कि अब राजस्थान में टैक्स लगाने की कोई गुंजाइश नहीं है। भाषण तो दे गए, क्योंकि उस समय माला पहनी थी और माला के जोश में कह गये कि राजस्थान में अब टैक्स लगाने की व्यवस्था नहीं है। कोई टैक्स नहीं लग सकता है, लेकिन जब माला उतार कर विधान सभा में आए तो १ करोड़ ४० लाख का तोहफा ले आये और वह बढ़ा तो किसान पर पड़ा। माला पर टैक्स लगे वह उपाध्यक्ष महोदय, बड़ी जगह है उस पर मैं जाना नहीं चाहता। वित्त

(श्री भैरोंसिंह)

मंत्रीजी किस पर लगाना चाहते हैं और किस पर लगा, लेकिन किसान के कुएं पर टैक्स लगा है। मुझे याद है कि जिस समय जागीरदारी खत्म हुई और जिस समय जागीरदारों ने जमीन के परचे किसान के नाम पर दो और कुएं के पर्चे जागीरदार के नाम पर दो यह कहा, इस प्रकार से कराने की कोशिश की तो इस विधान सभा में टिनेन्सी बिल की डिबेट के अवसर पर राजस्थान सरकार के प्रतिनिधियों के द्वारा बार बार कहा गया था कि जमीन जिसकी है उसका कुआं है। आज हमारे वित्त मंत्री-जी कहते हैं कि जिसकी जमीन है उसका कुआं नहीं है। यदि कुआं रखे तो कुएं की अधिक कीमत देनी पड़ेगी। बैटरमेंट लेवी आप वसूल नहीं कर पाये और न ही कर सकते हैं, और आज मैं फिर कहता हूं कि आपने २० लाख का प्रावधान रखा है कुओं की कीमत का पर आप अगले वर्ष बता दें यदि दो लाख रुपए भी आपको मिल जायें। कोई काश्तकार नहीं देगा। इसलिए नहीं देगा कि हिन्दुस्तान में किसानों के ऊपर, सिवाय आन्ध्र प्रदेश को छोड़कर, सब राज्यों के मुकाबले राजस्थान में किसान पर पर-कैपिटा टैक्सेशन सबसे ज्यादा है। वह नहीं देने वाले हैं। पर-कैपिटा आउटपुट यहां पर बहुत कम है और पर-कैपिटा टैक्सेशन सबसे ज्यादा है और उस पर ज्यादा टैक्सेशन का बर्डन डालना चाहते हो। मैं समझता हूं कि इसको किसान बर्दाश्त करने वाला नहीं है और न आपको। खास तौर से माननीय मुख्य मंत्रीजी ने, मुझे याद है, वह शब्द तो मैं रिपीट नहीं कर सकता, लेकिन सर-चार्ज पर इस सदन में विवाद चल रहा था तो माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने विश्वास दिलाया था कि अभी तो जितना है कम कर दिया जाय और उसके बाद में धीरे धीरे कम कर दिया जाय, लेकिन आज तक सरचार्ज कम नहीं हुआ। सरचार्ज कम करने की बात तो सरकार भूल गई, लेकिन सरकार ने कुओं पर टैक्स और लगा दिया। ऐसी हालत में, उपाध्यक्ष महोदय, सरकार टैक्स लगाती जाय और इसके जो कारण हैं उसके मुकाबले में आज राजस्थान की हालत ऐसी नहीं है कि हम किसी स्टेट से पिछड़े हुए हैं। राज-स्थान में कुल राजस्व कर प्रति व्यक्ति जितना है उसके मुकाबले में उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश और बिहार इन चारों में पर-केपिटा टैक्सेशन है वह दूसरी स्टेट्स से कम है और राजस्थान में इन चारों स्टेट्स से ज्यादा है।

तो राजस्थान हर क्षेत्र में बहुत ज्यादा पिसता जा रहा है और इसलिए पिसता जा रहा है कि हमारी सरकार बजट में जो नोन-टैक्सेशन की इन्कम है वह नहीं बढ़ाती है। वह धीरे-धीरे कम होती जा रही है और इतनी कम होती जा रही है और टैक्स रेवेन्यू ज्यादा बढ़ रही है। टैक्स रेवेन्यू में भी इन्डाइरेक्ट टैक्सेज़ बढ़ रहे हैं और डाइरेक्ट टैक्सेज कम होते जा रहे हैं। मैं समझता हूं कि किसी देश या राज्य की बहबूदी के लिए और जनता की बहबूदी के लिए इन्डाइरेक्ट टैक्सेज़ यदि बढ़ते गये और डाइरेक्ट टैक्सेज़ कम होते गये और पर केपिटा टैक्सेशन बढ़ता गया तो एक दिन हालत यह हो सकती है कि आज राजस्थान

(श्री भैरोंसिंह)

में ६२ परसेन्ट लोग कर्जदार हैं और इसी प्रकार से टैक्सेशन की पॉलिसी रही सरकार की तो वह ६२ से बढ़कर ८० प्रतिशत तक पहूंच जायेगा। राजस्थान की जनता कर्जदार होगी और इस कर्जदारी से बचाने के लिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान के इस वर्ष के बजट में आपको रिलीफ देना चाहिए, राजस्थान की जनता को कुछ राहत मिलनी चाहिए। वह राहत आप दे नहीं पाये और वह इसलिए कि आपकी नॉन-टैक्स रेवेन्यू नहीं बढ़ी है। नॉन-टैक्स रेवेन्यू क्यों नहीं बढ़ी है, इसलिए कि पिछले वर्ष आपने कहा था कि मितव्ययता की जाय और इस वर्ष हमारे वित्त मन्त्रीजी ने मितव्ययता की बात को बिल्कुल ही समाप्त कर दिया। आप फर्मा रहे है, "चूंकि मितव्ययता के कई कदम उठाये जा चुके हैं इसलिए अब इसमें भी बहुत कम गुन्जायश रह गई है।" यानी मितव्ययता के विषय में अब कोई गुंजायश नहीं रही है। आगे आप बोलते हैं कि ६५-६६ में तृतीय पंचवर्षीय योजना का जो कमिटेड एक्सपेन्डीचर है उसका भार ५ से १० करोड़ के बीच हर वर्ष राजस्व खाते में बढ़ने वाला है इसलिए वे उपदेश देते हैं कि "इस बात की अत्यन्त आवश्यकता है कि खर्चे का बहुत सावधानीपूर्वक विश्लेषण करके और अनिवार्य हो वही स्वीकृत किया जाय।" आज तक तो जो अनिवार्य नहीं था उस पर भी खर्च किया गया है और अब यह तय कर लिया है कि ज्यादा खर्चा नहीं होगा। मितव्ययता नहीं हो सकती है अब, तो आज तक कौनसी मितव्ययता की? नॉन-टैक्स रेवेन्यू हमारी बढ़ती नहीं और बढ़ती इसलिए नहीं कि राजस्थान की हालत क्या है? राजस्थान में लगभग ४ करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी समझता हूं कि राजस्थान को केवल ५ लाख रुपये के डिविडेन्ड्स मिलता है। चार करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट है। और उस चार करोड़ के इन्वेस्टमेंट के अन्दर पांच लाख की आमदनी हो, अब इससे आप अन्दाजा लगा लीजिये कि जो लोग बार बार कहते हैं कि सरकार इन्वेस्टमेंट के अन्दर अपनी इन्कम बढ़ाये वह सरकार उस समय तक अपनी इन्कम नहीं बढ़ा सकती है जिस समय तक कि सरकार एफिशियेन्ट न हो और एफिशियेंन्सी कई बार बिल्कुल अपने स्वार्थों से परे चली जा रही है।

राजस्थान की राजधानी जयपुर के अन्दर जयपुर स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स हैं, उसमें राज्य सरकार के शेयर्स हैं जिन पर डिविडेन्ड नहीं मिला। डिविडेन्ड के अगेन्स्ट में जो रकम हमारी ड्यू थी प्रिफरेन्शियल शेयर्स के नाते उस रकम को माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने अपने हमदर्द रामनाथजी पोद्दार को प्रोटेक्शन देने के लिये ७,५०,००० की रकम को फोरगो किया। उस समय मैंने सदन में कहा था कि श्री रामनाथजी सिर्फ इससे ही सन्तोष करने वाले नहीं हैं बल्कि उनका एक प्लान है राजस्थान सरकार के १५ लाख रु० के शेयर्स इस मिल में हैं उनको लोन में कन्वर्ट कराने का प्लान है। इस शेयर की रकम को लोन में कन्वर्ट किया जाय, उसके लिये एप्लीकेशन दी

(श्री भैरोंसिंह)

गई। मुझे जानकारी मिली है कि उसको स्वीकार किया गया। अब तक इसका नाम जयपुर स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स था अब पोद्दार मिल्स हो जायगा। राजस्थान सरकार के शेयर्स लोन में कन्वर्ट हो जायेंगे। भारत सरकार के सामने पार्लियामेंट के सदस्यों ने मांग की थी कि जिस कम्पनी को सरकार की ओर से लोन दिया गया हो वह लोन शेयर्स में कन्वर्ट कर दिया जाय, लेकिन राजस्थान सरकार तो उसके विपरीत करना चाहती है, वह अपने शेयर्स को लोन में कन्वर्ट करती है। इस तरीके से आमदनी नहीं बढ़ने वाली है।

फोरेस्ट में खास करके पानरवा की मयाद २९ जनवरी को खत्म हो गई उसके बाद भी वह किस प्रकार अपना काम करता रहे और किस प्रकार वह ठेका चालू रहे इसके लिये एक डिस्प्यूट खड़ा कर दिया और वह यह है कि जो ठेका हुआ था वह तारीख से नहीं था बल्कि वर्किंग सीज़न पर था और वर्किंग सीज़न २९ अप्रेल तक होता है। इसी तरह से छोटी-मोटी कई कम्पनियां हमारे यहां लिक्विडेट होती है और लाखों रुपये राइट ऑफ कर देते हैं। हमारे वित्त मन्त्रीजी टैक्सेज़ में तो सख्ती करते हैं लेकिन जो इन्वेस्टमेन्ट किया है उसका रिटर्न नहीं आता है, उसके लिये भी कुछ किया है क्या आपने ? मैं समझता हूं कुछ नहीं किया। मैं सुझाव के लिये कहना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकार के जिन जिन कम्पनियों में इन्वेस्टमेन्ट या शेयर्स हैं उनको सेफगार्ड करने के लिये पब्लिक एन्टरप्राइज़ेज़ में, हमारा किसी भी क्षेत्र में इन्वेस्टमेन्ट क्यों नहीं हो उसको सेफगार्ड करने के लिये हमें अलग मन्त्री बनाना चाहिये जिसके पास और कोई काम न हो सिवाय इसके कि नोन रेवेन्यू सोर्सेज़ को किस प्रकार टेप किया जाय और राज्य की इन्कम किस प्रकार बढ़ाई जाय ; जिससे कि टैक्सेज़ का भार न बढ़े।

मैं निवेदन करूंगा कि इस राजस्थान सरकार को तो राजस्थान खादी बोर्ड ही खा जायगा। यह खादी बोर्ड राजस्थान के लिये इतनी बड़ी लाएबिलिटी है कि इसको यदि किसी प्रकार नहीं हटाया गया तो हमारी हालत खराब हो सकती है। एक तरफ यह खादी बोर्ड, दूसरी तरफ भारत सेवक समाज और तीसरी तरफ समाज कल्याण, इनको यदि कोई पूछे कि तुमने क्या काम किया, तो खादी बोर्ड कहता है कि उसने कांग्रेस वालों को सस्ता कपड़ा देने का........

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : कौन कहता है ?

श्री भैरोंसिंह : खादी बोर्ड ; कांग्रेस वालों को सस्ता कपड़ा देना यह उसका काम है और खादी बोर्ड को हम देते क्या हैं ? खादी बोर्ड को हमने हर साल दिया है। खादी कमीशन ने २९६ लाख का लोन और ९४ लाख की ग्रान्ट और राजस्थान सरकार ने दी है २५ लाख रु० की ग्रान्ट। खादी बोर्ड को २५ लाख की ग्रान्ट राजस्थान सरकार दे, १६ लाख की ग्रान्ट भारत सर-

(श्री भैरोंसिंह)

कार दे, २९६ लाख का कर्जा दिया जाय उसकी एवज में कुछ नहीं मिलता। खादी बोर्ड कांग्रेस केलिये घोंसला है। चिड़िया बेकार हो जायं, तब उनको रोजगार चाहिये, मकान चाहिये तब उसका किस प्रकार स्वार्थ सिद्धि के लिये प्रयोग किया जाय, उसका साधन कांग्रेस ने कर दिया। पहले कांग्रेस में काम करो, सरकारी कर्मचारी रिटायर होते हैं तो उनको पेन्शन दी जाती है तुमको खादी बोर्ड दिया जाता है, महात्मा गांधी की जय बोलो, भगवान भला करे, कम से कम इससे पेट तो भरते हैं। इस खादी बोर्ड की आवश्यकता क्या है ? लाखों रुपये आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं। यदि आप लोगों को एम्पलॉय करना चाहते हैं तो कोऑपरेटिव विभाग आपके पास है उसको सोंप दीजिये।

(३. ३४. म० प०)

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत, सभानेत्री, पदासीन)

कोऑपरेटिव इन्स्टिट्यूशन बन जायगा तो खादी बोर्ड पर कम से कम, सरकारी अफसर और विधान सभा कंट्रोल तो कर पायगी। हरिभाऊजी ने त्यागपत्र दे दिया। उस समय लाखों रुपयों का घोटाला खादी बोर्ड में हुआ, वह क्या उनके साथ गया ? वह तो उनके साथ नहीं गया और जाने भी नहीं देंगे। राजस्थान सरकार ने इन्क्वायरी के लिये कमेटी बैठाई क्या हरिभाऊजी के जाने से वह खटाई में पड़ गई ? उसको पॉवर दो, वह इन्क्वायरी करे तब पता लगेगा।

राजस्थान में कितनी रिकवरी लोगों में बकाया है। राजस्थान खादी बोर्ड में ११ करोड़ रुपये बकाया हैं और ६० हजार रुपये बकाया है मन्त्रियों में........

श्री मथुरादास माथुर (विधि मंत्री) : क्या खादी बोर्ड के ?

श्री भैरोंसिंह : दूसरे मन्त्री भुगतान नहीं कर सकते। इतने गरीब वे नहीं हैं। राजस्थान की जनता का पैसा है उसका भुगतान करें........

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मन्त्री) : कितने रुपये हैं ? सात हजार ?

श्री भैरोंसिंह : ६० हजार, सिक्स्टी थाउजेंड। यह वह लोन नहीं है जिसमें से हाउस लोन के तौर पर आपने भी कुछ लिया है, वह इसमें शामिल नहीं है।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : ड्यू नहीं हुआ होगा।

श्री मथुरादास माथुर : मंत्री अभी मोजूद हैं वे या भूतपूर्व ?

श्री भैरोंसिंह : अब इसमें भूत है या पलीत हैं, इसका मुझे पता नहीं। नाम हैं मंत्रियों के। अब उनमें से कोई भूत हो गये तो पता नहीं और पलीत हो गये तो पता नहीं। मंत्री हैं। आज राजस्थान की यह हालत है कि यह मंत्रि-मंडल शिवजी की बरात है। इस शिवजी की बरात में डांगीजी हैं, इस शिवजी की बरात में भीखा भाई हैं; इस शिवजी की बरात में कौल साहब हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंह-नगर) : इस शिवजी की बरात में नंदी बैल भी है क्या ?

श्री मथुरादास माथुर : नांदिया तुम हो।

श्री भैरोंसिंह : बजट बनाने का और लोगों पर टैक्सेज़ लगाने का काम इस शिवजी की बरात को दिया । अब शिवजी की बरात में डांगीजी के बारे में विशेष नहीं कहना चाहता और मैं समझता हूं इस एक प्रश्न को लेकर मेरी यह मान्यता बन गई है कि इस राजस्थान की हकूमत में मोरल स्कूपल्स नहीं हैं। मैं समझता हूं, उनमें इन्सानियत मर गई है। मानवता और लौकिक दृष्टिकोण से हो सकता है, इस प्रकार की स्थिति नहीं है ।

सभापति महोदया, मैं समझता हूं यदि किसी प्रकार के मोरेलिटी के मामले में एक अंश भी इस मंत्रि-मंडल में होता तो प्रताप-सिंहजी कैरों की लाश को याद करते हुए डांगीजी को कम से कम त्यागपत्र देने के लिये तो मजबूर करते । लेकिन आप इसकी एन्क्वायरी करते हैं । किस बात की एन्क्वा-यरी करेंगे ? एन्क्वायरी में अपराध बनता है तब तो बाद में भी फंस जायेंगे लेकिन यदि आप में मोरेलिटी होती तो उनसे त्याग-पत्र ले नहीं लेते ।

फोरेस्ट विभाग दे रखा है भीखाभाई को । हमारे यहां फोरेस्ट ऐसा विभाग है जिस विभाग में बाहर के एग्ज़ॉस्टेड ऑफि-सर्स हों वे आकर कब्जा करें । राजस्थान के लोगों में से कोई इस प्रकार का ऑफिसर नहीं है जो यह काम कर सकें । आप या तो यह समझ कर चलते हैं कि वे अयोग्य हैं या यह समझते हैं कि बाहर के लोग ही कब्जा करें तो अच्छा हो । मैं जहां तक समझता हूं, मुझे जानकारी है, खुले रूप से नहीं कहना चाहता लेकिन फोरेस्ट विभाग में आपके मंत्री महोदय की गफलत के कारण ऐसे ऐसे आदमियों को भर रखा है जो खुले-आम लूट करते हैं । उदयपुर की एक मस्टर रोल बनाई गई । मामला आपके ध्यान में भी आया होगा, १८,०००) रु० का मस्टर रोल बना । एक ऑफिसर ने दो जगह बनाया । दोनों जगहों का फासला ८० माइल है । एक गांव का मस्टर रोल बना कर अपना क्लेम बनाते हैं और ८० माइल के फासले पर दूसरे गांव में फिर वही मस्टर रोल बनता है। जिन लोगों के नाम लिखे हैं और वहां पर दस्तखत कराये हैं वे फर्जी हैं, लेकिन करने वाले ऑफिसर ऐसे हैं जो वन मंत्रीजी के बहुत पास रहते हैं । मुझे यह कहने में संकोच नहीं होगा कि हमारा स्तर धीरे धीरे गिरता जा रहा है । आज यह हालत हो गई है कि लोग आम चर्चा करने लगे ।

पैसे खाने की शिकायत तो लोगों की होती है लेकिन बदचलनी की शिकायत है । और इस बदचलनी की शिकायत के सम्बन्ध में, मुख्य मंत्रीजी, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि लोगों ने यहां तक तय कर लिया है कि सरकार से कोई काम कराने के लिए किसी तवायफ को एम्प्लाय कर लिया जाय, और एम्प्लॉय ही नहीं कर लिया जाय, एम्प्लॉय हो भी गई हैं । आप

(श्री भैरोंसिंह)

चाहें तो मैं बताऊंगा और आप चाहें तो मैं उनको पकड़वाऊंगा । इन सब बातों को लेकर राजस्थान के मंत्रि मण्डल के सदस्यों की चर्चा की जाय, राजस्थान के अधिकारियों की चर्चा की जाय और कहा जाय कि पैसा तो खाते ही हैं, बदचलनी भी करते हैं और बदचलनी करा कर काम करवा सकते हैं, तो मैं समझता हूं कि यह राजस्थान की हुकूमत के लिए सबसे बड़ी शर्म की बात है, इससे बड़ी शर्म की बात हो ही नहीं सकती कि इस प्रकार की चीजें चलती हैं । मैं इस बात को नहीं कहना चाहता था क्योंकि मुझे खुद को शर्म आती है इस प्रकार की बात करते हुए, लेकिन प्रत्यक्ष मैं देखता हूं कि लोग इस प्रकार की शिकायतें करते हैं और दिखाने के लिए तैयार हैं-इसलिए यह मेरा कर्त्तव्य हो जाता है कि यह बात मैं सरकार के ध्यान में लाऊं...

श्री दौलतराम सारण (उप-मंत्री, स्वायत्त शासन) : ऐसी बात आपको साफ कहनी चाहिए । सारे मंत्रिमण्डल के सदस्यों पर आरोप लगाना गलत है । किसी के बारे में प्रमाण हो तो आप प्रस्तुत करें ।

श्री भैरोंसिंह : प्रमाण मैं प्रस्तुत कर दूंगा, मुझे संकोच नहीं है ।

श्री दौलतराम सारण : आपको संकोच नहीं है तो हमें भी फेस करने में कोई संकोच नहीं है ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : प्रमाण हैं तो लाइये ।

श्री भैरोंसिंह : सदन के दो-तीन मैम्बर्स मेरे साथ आ जायं । जब मैं उनको इत्तला दूं तो मेरे पास आ जायं । तब मैं आपको पूरा प्रमाण बता दूंगा । केवल प्रमाण ही नहीं........

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (मांडल) : यह जो बदचलनी की बात कही.......

श्री दौलतराम सारण : इस तरह निराधार बात कहना उचित नहीं है ।

श्री भैरोंसिंह : जो बात कही गई उसके बारे में मैंने बताया ।

श्री दौलतराम सारण : हम इस प्रकार की बात को कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे । उपाध्यक्ष महोदय, हम इस सम्बन्ध में आपका प्रोटेक्शन चाहेंगे ।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : इस तरह वेग् रेफरेन्स देकर आप सदन में सनसनी फैलाते हैं । कोई कॉन्क्रीट फैक्ट आपके पास हो तो आप कह सकते हैं ।

श्री भैरोंसिंह : कॉन्क्रीट बात कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है...

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : तो आपके पास आ जायं क्या ?

श्री भैरोंसिंह : वह कॉन्क्रीट बात जरूरत से ज्यादा भद्दी है, इसलिए उसको मैं कहना नहीं चाहता ।

श्री हरिराम घारू (सिवाना-सु०) : आपने कह तो दिया, अब आप साबित कर

Page No 100

(श्री हरिराम धारू)

दीजिये। आपने जैसा कहा है, वैसा और तो कोई है नहीं। मैं जानता हूं कि कोई ऐसा मिनिस्टर नहीं हैं। तो किसी ने आपको रिश्वत दी है जिसके लिए कह रहे है उसको कहने के लिए आपने थैलियां ली है या आपने उनका वह काम कराया होगा। जैसा कहा है वैसा कोई नहीं है। अगर रहा हो तो आप बता दें।

श्री भैरोंसिंह : मैं ऐसा समझता हूं...

श्री किशनसिंह बाटड़ (लक्ष्मणगढ़) : जब आप थानेदार थे........

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : (जौहरी बाजार, जयपुर) : हनुमानजी, आप बैठ जाओ।

श्री भैरोंसिंह : जब मैं थानेदार था तब आप जैसों के कइयों के जूते लगाये थे। और अब भी जूते लगाकर खत्म कर दूंगा। मैंने चोरी करने वालों को जूते लगा लगाकर ठिकाने लगा दिया है और अब भी मैं कईयों को ठिकाने कर दूंगा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : आप यह बता दें कि कुम्भाराम जी जब थानेदार थे तब क्या होता था ?

श्री किशनसिंह बाटड़ : आप सैंकडों भिड़ाते थे.......

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : बजरंगबली, बैठ जा !

श्री भैरोंसिंह : राजस्थान में उदयपुर में पिछले तीन बांध बनवाये, उन तीन बांधों में एक उरई का प्रोजेक्ट है, एक वल्लभनगर का प्रोजेक्ट है और एक बड़गांव का प्रोजेक्ट है। इन तीनों प्रोजेक्ट्स के सम्बन्ध में जितनी शिकायतें की जा सकती हैं उतनी लोगों ने शिकायतें कीं। इन प्राजेक्ट्स में लाखों रुपयों का घोटाला है—इस बात की शिकायत की। जिस प्रकार का मैटीरियल यूज करना चाहिए था उस प्रकार का मैटिरियल यूज नहीं किया—इस प्रकार की शिकायत थी। आउट स्टेंडिंग होने के बावजूद किसी को एडवांस दे दिया गया—इस प्रकार की शिकायतें हैं। जितनी जिस प्रकार की शिकायतें की जा सकती थीं वह शिकायतें कीं। लेकिन उन शिकायतों का कोई असर नहीं हुआ है और वह इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि दो कॉन्ट्रेक्टर्स थे इसमें—एक मुखी गोर्धनदास और दूसरा हेमनदास।

श्री दिनेशराय डांगी (उप मंत्री, छोटी सिचाई योजना) : वह मुखीदास जो पहले आपकी पार्टी का सदस्य था, आपको यह जानकारी है या नहीं कि जिस दिन मैं लुधियाना जा रहा था तो आपकी पार्टी का सदस्य भी मेरे साथ था—जनसंघी सदस्य !

श्री भैरोंसिंह : कौन साथ था पार्टी का सदस्य ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कौन था ?

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई): अब नहीं बोलेंगे वह। गलती की है उन्होंने।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मुखीदास पार्टी का मेम्बर है जो कार में गया था आपके साथ ?

श्री भैरोंसिंह : इतना और कहूं, सभापति महोदया, मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि जो उपमंत्रीजी बोल गये उनको निवेदन करना चाहता हूं, मैं इस बात के पक्ष में नहीं हूं कि कोई जनसंघ का सदस्य बेईमानी करे तो राजस्थान सरकार उसको प्रोटेक्शन दें। यह व्यक्ति जनसंघ का सदस्य है या नहीं-इसका मुझे पता नहीं। वैसे मेरी जानकारी में है कि वह जनसघ का सदस्य नहीं है। अब जनसंघ का सदस्य कौन बनता है, इसका रजिस्टर आपके पास जाता हो और आपने नाम देख लिया हो-यह आप बता दें। लेकिन मैं आपकी बात को सही मान कर चलता हूं और आप से पूछता हूं कि आपने उस जनसंघ के सदस्य को छुड़ाया क्यों ? क्यों छुड़ाया आपने उसको ? क्या इसलिए छुड़ाया कि उसके पास सर्टीफिकेट था कि वह जनसंघ का सदस्य है इसलिए करप्शन कर सकता है ? क्या प्रमाण-पत्र था उसके पास कि वह जनसंघ का सदस्य है, इसलिए आप उसके खिलाफ एक्शन नहीं ले सकते थे ? आप यह कहिये कि जब वह जनसंघ का सदस्य था तब आप उसके खिलाफ एक्शन लेने के लिए तैयार थे और जब वह कांग्रेस का सदस्य बन गया तो उसके खिलाफ एक्शन नहीं लिया।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : ओन ए पोइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर, मैं आपकी इस बात को पसन्द करता हूँ कि आप तथ्यों पर सीधी बात करते हैं। लेकिन मैं जनसंघी और कांग्रेसी की बात कहना गलत समझता हूं। जो बेईमान है वह बेईमान है-न जनसंघी का सवाल है और न कांग्रेसी का। मैं बहुत अदब के साथ कहूंगा इस तरह कहने से सारी बात का वजन कम हो जाता है और कांग्रेसी और जनसंघी की लड़ाई बन जाती है। जो बेईमान है, वह सरकार के सामने भी बेईमान है और इस सदन के सारे सदस्यों के सामने भी बेईमान है....

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : आप उप-मंत्री को समझाइये।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मैं आपको समझा रहा हूं।

श्री भैरोंसिंह : मैं निवेदन करना चाहता हू कि जो भी बेईमान हैं उन सबके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। यह मेरी भी इच्छा है और मैं समझता हूं कि यह सदन की भी इच्छा होनी चाहिए। लेकिन कोई भी बच कर चला जाय-यह मैं नहीं मान सकता। आप कहते हैं कि हमने एन्टी-करप्शन डिपार्टमेंट स्थापित कर रखा है, हमने विजिलेन्स कमीशन स्थापित कर रखा है। मैं समझता हूं कि आपका विजिलेन्स कमीशन और एन्टी-करप्शन डिपार्टमेंट—यह दोनों बॉडी इमुअफेक्टिव हैं। और मैं समझता हूं कि आप जब तक राजस्थान के मंत्रिमण्डल और राजस्थान की विधान सभा के १७६ सदस्य हैं, इनके अलावा जो पोलिटिकल पार्टीज में काम करने वाले व्यक्ति हैं, राजनैतिक दृष्टि से उपदेश देने वाले उपदेशक हैं-इन सबके बारे

(श्री भैरोंसिंह)

में जो जनता में भ्रांतियां हैं, वह जब तक दूर नहीं होंगी तब तक आपका जो यह एन्टी–करप्शन डिपार्टमेंट है और लोगों में जो विश्वास पैदा होना चाहिए वह नहीं हो सकता है। इसलिए में सदन के माननीय सदस्यों से अपील करना चाहता हूं कि राजस्थान से करप्शन दूर करना है तो सबसे पहला लक्ष्य यह बना कर चलें कि यह देखा जाय, इन १७६ सदस्यों में तो कहीं करप्शन नहीं है।

(हियर, हियर)

यह जो तय करने की बात है, यह जो करप्शन का इलाज करने की बात है–मैं समझता हूं इसको विजिलेंस कमीशन या एन्टी-करप्शन डिपार्टमेंट नहीं कर सकता है।

अभी जो सरकार के एक माननीय सदस्य बोल रहे थे और अभी जो दूसरे सदस्य बोल रहे थे–इन दोनों को मैं चुनौती देकर कहता हूं कि कांग्रेस के ९० सदस्यों में से आप एक दो सदस्यों की समिति नियुक्त कर दें जो जनसंघ पार्टी के चौदह सदस्यों के आचरण आदि के बारे में जांच करके अपनी रिपोर्ट विधान सभा के समक्ष प्रस्तुत कर दें कि इनका आचरण किस प्रकार का है। आप इस चुनौती को स्वीकार करें और इस प्रकार की हमारी जांच करायें। इसके अलावा मैं इतना ही और कह सकता हूं कि मंत्रि-मंडल में बैठे हुए जो सदस्य हैं और कांग्रेस पार्टी के जो सदस्य हैं केवल एक समिति बना कर हमारी बात को सुनें तो मैं कह सकता हूं कि राजस्थान से करप्शन उसी तरह उड़ जायगा जिस तरह से एक चिड़िया उड़ जाती है। लेकिन मैं जानता हूं कि आप यह नहीं कर सकते। इसलिए मैं···

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : आपने हमारे मंत्री महोदय से ये बातें प्राइवेसी में की हैं तो कब आपको मना किया है इन सब बातों को कहने से...

श्री भैरोंसिंह : कौनसी बात ?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : जो आप फर्मा रहे हैं और एक बहुत बड़ा उपदेश देकर जिस बात को लाये हैं, उनके सम्बन्ध में इधर की तरफ से तो पूरा रास्ता खुला हुआ है। आप खुद और दो, तीन, चार मेम्बर्स या पांच मेम्बर्स, जो कुछ भी आये हैं और जो यहां पर कहते हैं उस पर विचार होता है और आगे भी विचार हो सकता है। लेकिन इससे तो काम चलने वाला नहीं है कि हर पन्द्रहवें दिन आप यह कह दें कि हम ऑपोजीशन के नेता एक चार्ज-शीट चीफ मिनिस्टर के खिलाफ दे रहे हैं। इस सबका वजूद क्या है ? जनता यह सुनते सुनते तंग आ गई है। सवाल यह है कि आप जो कहते हैं उसको हम एक्सेप्ट करते हैं कि आप कह सकते हैं लेकिन हर बार कहना और हर जगह कहने का नतीजा क्या हुआ ?

श्री भैरोंसिंह : नतीजा जो हुआ है, वह आपको मालूम है। फोरिन लिकर के बारे में आप तीन वर्ष से गला फाड़ फाड़ कर बोलते रहे हैं, लेकिन कोई नहीं सुनता।

(श्री भैरोंसिंह)

इसलिए मैं आपकी भावनाओं को प्रदर्शित करता हूं।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मेरी भावना है उसको कहने के लिए मैं भी जुबान रखता हूं।

श्री भैरोंसिंह : आपकी जुबान चलती है लेकिन इफेक्टिव नहीं हो सकती। इसका मुझे अफसोस है। अगर आपकी जुबान इफेक्टिव होती तो फोरिन लिकर के मामले के कारण कौल साहब मिनिस्टर नहीं बने रहते।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : आप अपनी जुबान बन्द रखें तो मेरी जुबान इफेक्टिव हो सकती है।

श्री भैरोंसिंह : सभापति महोदया, इन प्रश्नों के साथ साथ मैं निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान के अन्दर पंचायतों ने भी टैक्स लगाये हैं और राजस्थान के अन्दर म्यूनीसिपेलिटीज़ ने भी टैक्स लगाये हैं-लेकिन सादिकअली कमेटी ने इस बात को स्वीकार किया है कि पंचायत राज्य के अन्दर बैकवर्ड क्लासेज़ का अपलिफ्टमेंट नहीं हो सका है। उन्होंने स्वीकार किया है कि पंचायत राज के बेनिफिट्स हैं वह ऐसे लोगों को मिलते हैं जो समाज में अपना प्रभाव रखते हैं या जिनका प्रभाव बना हुआ है। इसलिए उन्होंने इस बात की सिफारिश की समाज कल्याण विभाग का विघटन किया जाकर यह सारा कार्य पंचायत समिति को ट्रान्सफर किया जाय और बाकी का काम कलेक्टर को दिया जाय। इसके साथ ही मैं यह समझता हूं कि राजस्थान सरकार इस खादी बोर्ड, समाज कल्याण विभाग और भारत सेवक समाज– इन तीनों संस्थाओं पर खर्च करती है या भारत सरकार इनकी मार्फत खर्च कराती है–मैं समझता हूं कि इन सबको खत्म करके यह रुपया डिपार्टमेंट्स की मार्फत खर्च करवाना शुरू करें और यह जो संस्थायें बनी हुई हैं इनको बाइफर्केट करने की कोशिश करें तो मैं समझता हूं कि राजस्थान में कर लगाने की गुंजाइश नहीं होगी और हम आज की परिस्थिति में चल सकेंगे आगे।

सभापति महोदया, राजस्थान में पब्लिक सेक्टर में कोई उत्पादन नहीं हो रहा है। या तो इसके लिये यह कहना चाहिये कि भारत सरकार हमारी बात नहीं सुनती या यह कहना चाहिये कि हम भारत सरकार के सामने डिफेन्स रूप में पब्लिक सेक्टर की बात को ठीक तरह से नहीं रख सकते। मैं यह निवेदन करूंगा कि हमारे यहां खेतड़ी पब्लिक सेक्टर में काम चल रहा है और जैसलमेर में गैस निकालने का काम चल रहा है। यह कितने वर्षों से चल रहा है और कब जाकर राजस्थान सरकार को और भारत सरकार को लाभ मिलेगा, यह सब अभी भविष्य के गर्भ में हैं। किस प्रकार से जल्दी से जल्दी इसको तैयार किया जावे। लेकिन इस बात को छोड़िये। राजस्थान में पब्लिक सेक्टर में होने वाले काम भी दूसरी बाकी की स्टेटों के मुकाबले में सबसे कम हैं। मैं यह कहूंगा कि यहां पर दूसरी स्टेटों के मुकाबले में १ परसेन्ट है। पब्लिक सेक्टर

(श्री भैरोंसिंह)

में दूसरी स्टेटों ने काफी तरक्की की है। राजस्थान में हमने हिन्दुस्तान सॉल्ट कम्पनी को नमक और सोडा एश बनाने के लिये कारखाना खोलने को था वह भी यहां नहीं खोल रहे हैं, वह भी मद्रास में खोल रहे हैं। राजस्थान में ६० हजार टन सोडा एश निर्माण किया जा सकता है, मगर वह कारखाना भी मद्रास में खोला जा रहा है, राजस्थान में नहीं। सोडियम सल्फेट के कारखाने के लिये हमने प्लान्ट लगाया। मगर कूलर एपेरेटस खराब हो गये और इफेक्टिव नहीं हुए। इसके लिये मैंने कुछ टैक्निकल एक्सपर्टों से बात की तो उन्होंने यह कहा कि हमने राजस्थान सरकार के अधिकारियों से कहा था कि राजस्थान की वेदर रिपोर्ट डिफेक्टिव थी उसके कारण कूलर एपरेटस डिफेक्टिव हो गये। उसके लिये काफी रुपया खर्च करने के बावजूद भी हमें उसका कोई फायदा नहीं हुआ है। प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर में कोई उन्नति नहीं हो रही है। राजस्थान की इन्कम गिरती जा रही है और इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए और राजस्थान की वित्तीय स्थिति क्या है उस पर विचार करें तो आज हमारे सामने यह प्रश्न आता है कि आय को कैसे बढ़ाया जावे ?

राजस्थान में एक्साइज़ बहुत बड़ी इन्कम का सोर्स है। मगर इसके बारे में कोई नीति नहीं बनाते। हर साल इस पर टैक्स बढ़ा देते हैं। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि आपकी नीति इस सम्बन्ध में प्रोहिबिशन की है या नहीं और अगर आपकी नीति प्रोहिबिशन की नहीं है तो आप स्पष्ट कहिये। आप कहते हैं कि इससे आप इन्कम नहीं करते तो शराब से लोगों की आर्थिक हालत गिरती है, इसलिये आप शराब पर ज्यादा से ज्यादा टैक्स लगा दीजिये ताकि लोग ज्यादा टैक्स होने के कारण भी इसको छोड़ दें। इस तरह से आप थोड़ा थोड़ा टैक्स बढ़ा कर स्लो पोइज़निंग लोगों को क्यों दे रहे हैं ? लोग शराब भी पीते जावें और बीमार होते जावें। इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि या तो आप इसको बन्द कर दीजिये या टैक्सेशन से आप इसको बन्द करना चाहते हैं तो इस पर बहुत टैक्सेज़ बढ़ा दीजिये। लेकिन मैं यह कहूंगा कि आप जनता को स्लो पोइज़निंग से न मारें। स्लो पोइज़निंग से मारना उचित नहीं है।

सभापति महोदया, गारन्टी सिस्टम पर कॉन्ट्रेक्ट होते हैं। इसमें राज्य सरकार की नीतियां स्पष्ट नहीं। अभी बांदीकुई में कॉन्ट्रेक्ट हुआ। जो टेन्डर देने वाले थे उन्होंने एप्लीकेशन दी। उनकी एप्लीकेशन्स आईं। हैल्दी कॉम्पिटीशन था। मगर यहां पर अधिकारियों ने एप्लीकेशन्स को फाड़ कर फेंक दिया और कहा कि दोनों मिलकर आपस में तय करके आओ। जयपुर में शराब का कॉन्ट्रेक्ट हुआ। मगर मैं यह कहूंगा कि इसमें आपको इन्कम पूरी आती नहीं है। इससे आपके सोर्सेज़ खत्म होते जाते हैं। मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि कौनसे सोर्सेज़ आपके बढ़ते हैं ? आप यह कहते हैं कि नोन-टैक्सेबल रेवेन्यू बढ़ाना चाहते हैं, वह बढ़ती नहीं। आपका रेवेन्यू एक्सपेन्डीचर बढ़ता जा रहा है। नोन-टैक्सेबल एक्स-

Page No 105

(श्री भैरोंसिंह)

पेन्डीचेर बढ़ता जा रहा है। आपकी इन्कम गई साल भी बढ़ी नहीं और थोड़ी बढ़ी तो उसके साथ साथ खर्चा भी बढ़ा और इस खर्चे को आप कम नहीं कर पाये। इन्कम के सोर्सेज में करप्शन को रोका नहीं जा सकता और आप उसको रोक नहीं पाते तो इसका यह तरीका नहीं कि आप गरीब जनता का इस प्रकार से शोषण करें। मैं यह निवेदन करूंगा कि वित्त मंत्रीजी ने अपना बजट पेश किया और बजट पर नेहरू की साया और नेहरू युग का जिक्र किया। मैं यह कहूंगा कि अब नेहरू की साया नहीं, आप की साया है। जितना राजस्थान का प्रशासन कुशल होगा उतना ही राजस्थान की इनकम के सोर्सेज बढेंगे, इन्कम बढ़ेगी, टैक्सेज कम होंगे और जनता की आर्थिक स्थिति ठीक होगी तो अपना पैसा भी सरप्लस बना पावेंगे। आज स्थिति यह है कि सेविंग के लिये गुंजायश नहीं है। लोगों के पास पैसा नहीं है, इसलिये इन्वेस्टमेंट के लिये गुंजा-यश नहीं है। और इसीलिये इन्वेस्टमेंट कम है।

इन सारी बातों को लेकर मैंने अपने विचार आपके सामने रखे हैं। वित्त मंत्री और राजस्थान मंत्रि-मंडल के सदस्य सामुहिक रूप से इन मसलों पर विचार करेंगे और भारत सरकार पर दबाव डालने की कोशिश करेंगे जिससे पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर बढ़ें और शासन में कुशलता लाने की कोशिश करेंगे और हमारी इन्कम किस प्रकार बढ़े, इसकी व्यवस्था करेंगे।

इतना ही कह कर मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद): सभापति महोदया, बजट के सिलसिले में आज तीन रोज से बहस हो रही है। इस बहस में सम्माननीय वित्त मंत्री ने बजट रखा, मेरी प्रतिक्रिया थी कि जिन स्थितियों में यह बजट रखा गया है वह खास तरह का बजट हो। लेकिन इस बजट को देखने के बाद ऐसा लगा कि यह बजट का सेन्सर है और बजट के लिये कमी करते करते जो विकास के काम हैं, राजस्थान को आगे बढ़ाने के काम हैं जिनके लिये जनता इस साल के आखिरी दिन का इन्तजार करती है और यह देखना चाहती है कि हमारी तकलीफों और हमारे दुखों को सरकार क्या महसूस करती है और उनको महसूस करते हुए आगे के लिये क्या सोल्यूशन निकालती है और उनको किस तरह तय करना चाहती है. उसकी बातें इस बजट में देखने को मिलेंगी। लेकिन शुरू से अन्त तक मैंने इसको देखा।

(३.५६ म.प.)

(श्री अध्यक्ष, पुनः पदासीन)

जहां तक शब्दों का प्रश्न है, भाषा का प्रश्न है, बजट की भाषा के लिये मैं यह कहूंगा कि कहीं के शब्द आवें और वह आम जनता के बोल-चाल की भाषा में बरते जाते हैं तो मुझे कोई एतराज नहीं। लेकिन जहां अफसर लिखा जाना चाहिये, प्रधान कहा है। आपने आम फहम भाषा लिखा है; मैं यह कहूंगा कि आपने हमारी व्याकरण

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

है उसको तोड़ मरोड़ करने की कोशिश की है, यह गलत है। हिन्दी जिसको आपने राष्ट्रीय भाषा घोषित किया है यह उसके खिलाफ है। इसके सिलसिले में मैं यह कहूंगा कि उन्होंने भाषा का प्रयोग किया है जिसको मैंने पढ़ा है।

(४.०० म० प०)

मैं विरोधियों के भाषण जब सुनता हूं, उस वक्त मैं एक बात सोचा करता हूं कि क्या जो यह हमारी सरकार की टीका टिप्पणी हो रही है, वह टीका-टिप्पणी उन लोगों के द्वारा हो रही है जो हमारे सिद्धांत हैं, हमारे देश में गरीबी से लड़ने की जो स्कीम है, उसके सहयोगी हैं, वे सहयोगी नहीं पर उनसे सारे तरीके, सरकार की बातों को देखने का नुक्ते निगाह होता है वह सारा हमारा ही होता है, हमारे ही हथियार, हमारे ही आंकड़े, हमारी ही स्कीमें, जो देश को आगे बढ़ाने की और गरीबी से लड़ने की हैं उन्हीं में खामियां निकालते हैं, जहां होना यह चाहिये था कि आप अपने सिद्धांनत जो जनता के सामने सुनाते हैं उन सिद्धांतों की रोशनी में हमें समझाने की कोशिश करते कि यह बजट इस तरह से नहीं पेश किया जाना चाहिये था; यह नक्शा, ये पंच साला योजनाएं इस तरह से नहीं, इस तरह से चलनी चाहिये, जो हम रास्ता बताते हैं उनमें आपकी ये सारी योजनाएं, यह बजट, ये स्कीमें फिट नहीं होती हैं. इनको इस तरह से चलाना चाहिये। पर यह नहीं बताते। सारी चीजें हमारी, आंकड़े भी हमारे, बातें भी हमारी, चाल भी हमारी जो किताबें हम देते हैं, उन्हीं के आधार पर बताते हैं, हमारा ही सिर और हमारी ही जूती। इस तरह का प्रदर्शन किया जाता है। मैं कहता हूं जनतन्त्र को बढ़ाना है तो, आज हम भी ज्यादा उत्सुक हैं, इस बात को विरोधी पार्टियां, उनके स्पोक्समैन, उनके नेता बतायें कि उनके सिद्धांत के अनुसार किस तरह जनतन्त्र को आगे अब बढ़ाया जा सकता है। योजनाओं के बारे में उन्हें विश्वास नहीं, पर योजनाओं के बारे में हमारा जो लिटरेचर निकलेगा, जो हमारी ओर से कदम उठाये जायेंगे, उन्हीं बातों को लेकर, उन्हीं सिस्टम को लेकर, उन्हीं फीगर्स को लेकर, विचार भिन्नता पैदा करने की कोशिश करते हैं, हमारे विचारों में एकता नहीं आये इस प्रकार की कोशिश की जायगी। मैं कहना चाहता हूं कि इस प्रकार की कार्यवाही से काम नहीं चलेगा। मैं मानता हूं, खामियां हर एक में हो सकती हैं, हर एक पार्टी में कमियां हो सकती हैं, बाप-बेटे की गारन्टी नहीं ले सकता, आप सारी पार्टी की गारन्टी लेते हैं। इधर भी अच्छे लोग हैं, उधर भी अच्छे लोग हैं, बुरे भी हैं, बुरे उधर भी हैं, सब कौमों, सब पार्टियों में हैं और उसका रिफ्लेक्शन बुरा पड़ता है। हमें करप्शन के खिलाफ और दूसरी बुराइयों के खिलाफ लड़ना है, इसके सम्बन्ध में जितनी बातें कहते हैं,उन पर शासन को गौर करना चाहिये, उनका हम भी सपोर्ट करेंगे; पर जहां तक बजट के सिलसिले में आंकड़े दिये गये हैं मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि एक बात का ध्यान रखना चाहिये, आज की स्थिति में बंगाल और राजस्थान का मुकाबला किया जाय, आज उनकी सड़कों का राजस्थान की

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

सड़कों से मुकाबला किया जाता है, मद्रास और महाराष्ट्र की बातों को मिला कर यह एक इतना बड़ा विरोधाभास करना कि यहां कुछ नहीं हुआ, वहां यह हुआ, पर हमें देखना चाहिये कि कांग्रेस किन हालात में राजस्थान में पावर में आई, क्या हालत थी यहां बिजली की, सड़कों की और दूसरी चीजों की, इन चीजों को देखते हुए बतायें कि किस प्रकार बटे हुए राजस्थाम को जोड़ कर कांग्रेस ने इकट्ठा किया, राजस्थान में जनतंत्र की स्थापना की है, जिस वक्त राजस्थान को कांग्रेस ने हाथ में लिया उस वक्त यहां क्या स्थिति थी, उसे साफ कर दें तो सारी पार्टीज के सामने, जनता के सामने सही स्थिति आ सकती है। मैं यह नहीं कहता कि इसमें बढ़ोतरी नहीं होनी चाहिए, इस दिशा में हम और आप जोरों से काम करें, इस चीज की आवश्यकता है। लेकिन इस तरह के फीगर्स देकर यह समझाना कि हम बहुत पिछड़े हुए है, यह उचित नहीं। हम कहां पिछड़े हुए हैं, यह मैं बाद में बताऊंगा लेकिन जब से आजादी प्राप्त हुई, जनतन्त्र कायम हुआ राजस्थान की एक तस्वीर बनी है, राजस्थान दबा हुआ था, घुटने के बल चलने लगा, फिर उठा और आज चल रहा है।

साथ ही साथ में सरकार से भी कहना चाहूँगा, यह सरकार कांग्रेस की सरकार, इस राजस्थान की कांग्रेस सरकार से कांग्रेस की कुछ पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स की बातों के ऊपर इस बजट के बारे में अर्ज करना चाहूँगा। कांग्रेस ने भुवनेश्वर के बाद सोश्यलिस्ट, समाजवादी व्यवस्था के लिए दृढ़ संकल्प जाहिर किया। मैं आपकी सरकार से जानना चाहूंगा कि क्या उस दृढ़ संकल्प के बारे में भी इसमें आता है। आप इसे पढ़ जाइये, पढ़ कर आपको इस नतीजे पर पहुंचना पड़ेगा, इसमें सिवाय इसके कि बगैर लिखा-पढ़ा पनवाड़ी मुनीम को रख ले और उससे शाम को हिसाब ले ले, इससे और ज्यादा इसमें नहीं है, वेगिंग दी टेल आर्ग्यूमेंट है, किसी दलील के आगे नहीं ठहरता। मैं कुछ नमूना पढ़ कर सुनाना चाहता हूं। कांग्रेस के जो हमारे मूलभूत सिद्धान्त हैं जिनकी निस्बत कांग्रेस ने ऐलान किया है, उन डाइरेक्टिव्ज की रोशनी में देखा जाय तो उनके बारे में असंतोष हैं, उस असंतोष के लिये क्या तरीका है दूर करने का?

इस सवाल पर विचार करते वक्त सरकार को कुछ वजनी मुद्दों का लिहाज रखना पड़ता है। ऊंची कीमतों से सरकारी कर्मचारियों को जो दिक्कतें हैं, उनको सरकार पूरी तरह महसूस करती है।

लीडरी का दम तो है, पर आराम के साथ। आगे कहते हैं :—

लेकिन भत्तों में बढ़ोत्तरी इनका, कोई मुस्तकिल हल नहीं है। बल्कि इससे भत्तों और कीमतों में लगातार चढ़ाव का एक बेइन्तहा सिलसिला शुरू होता है। पंच वर्षीय योजनाओं को पूरा करने के लिए, राज्य के वित्त साधनों पर हद दर्जे का दबाव पड़ रहा है। दूसरी तरफ आम लोग टैक्सों का भारी बोझा इस उम्मीद में झेल रहे हैं कि किसी तरह राज्य का आर्थिक विकास

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

तेजी से हो जाय । सरकारी कर्मचारियों के मासिक भत्तों में, अगर एक एक रुपया भी बढ़ाया जाय तो पंच वर्षीय योजना के अर्से में करीब सवा करोड़ का खर्चा बढ़ जाता है । वजह यह है कि यह तरक्की सिर्फ सरकारी कर्मचारियों को ही नहीं दी जा सकती, बल्कि उन सब पर लागू होती है, जो इसके मुस्तहक हैं, यानी पंचायत समितियों के कर्मचारी, सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के शिक्षक, और मुख्तलिफ विभागों के वर्क चार्ज्ड (work charged) कर्मचारियों की कुछ श्रेणियां ।"

"कर्मचारियों के भत्तों में तरक्की के साथ साथ सरकार यह जांच पड़ताल भी करना चाहती है कि काम के घंटों, काम की मिकदार, योग्यता भर्ती व तरक्की के तरीकों, वगैरा, में क्या सुधार किये जा सकते हैं । इसके अलावा, इस बात की भी जरूरत महसूस की जा रही है कि अनुशासन, काम की रफ्तार, और कार्य कुशलता के स्तर बढ़ाये जायं । भत्तों में बढ़ोतरी तभी आसान होती है, जब कार्य कुशलता बढ़े, ताकि कुल मिला कर काम की मिकदार और वेतन भत्तों में संतुलन रहे ।"

इन्डाइरेक्टली महसूस करते हैं, स्वीकार करते हैं, यह लांछन है कि सरकार के एड्मिनिस्ट्रेशन में कार्य-कुशलता नहीं है । आज कार्य-कुशलता नहीं, इसलिए बढ़ोत्तरी की बात मत करो, मत बोलो, कार्य-कुशलता नहीं है, इसलिये रोटी मत खाओ !

सरकारी कर्मचारियों के वेतन भत्तों में तरक्की का मतलब यह है, कि या तो योजना की लागतों में कटौती की जाय, या फिर टैक्स बढ़ाये जायं ।

यह दुख की बात है कि किस तरह वेगिंग दी टेल आर्ग्यूमेंट है ।

मैं कांग्रेस के दृढ़ संकल्प की बात कर रहा था । ढेबर कमेटी बनी कि इसके रीयलाइजेशन के लिये क्या करना चाहिए । ए. आइ. सी. सी. में सभी थे, कौल साहब भी थे, वहां उस रिपोर्ट को पेश करके आये और उसको पास करने के बाद वित्त मंत्री महोदय, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इस बजट में तस्वीर, तख्मीनें, रंग वगैरह का जिक्र किया है, ढेबर कमेटी की रिपोर्ट के डेढ़ साल बाद, उन इरादों का क्या हुआ ? जो इन्स्ट्रक्शन्स मिलीं कि जो मिनिस्टर काम को पूरा नहीं करेगा, हर एक मिनिस्टर को काम की मिकदार देनी पड़ेगी, बोम्बे में तय हुआ, जो मिनिस्टर नालायक साबित होगा, उस मिनिस्टर से जवाब तलब होगा, इन सबका क्या हुआ ?

इस सिलसिले में अपने मिनिस्टरों से पूछता हूं कि हमारी सामाजिक व्यवस्था के अंदर जो क्रांति लाने की बात है उसमें क्या किया ? मैं एक कांग्रेस मैन की हैसियत से पूछता हूं । आपने आंकड़े तो पेश कर दिए हैं लेकिन यदि मैं इन्हीं आंकड़ों के बारे में वित्त मंत्री से पूछूंगा तो कहेंगे कि मुझे याद नहीं ।

आपने बजट पेश किया, टैक्स आप लगाइये कोई इन्कार नहीं, लेकिन उन पर लगाइये जिन लोगों की अच्छी आमदनी है,

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

जो अच्छा कमाते हैं, आप स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के बारे में क्या हिसाब करते हैं ? आज जो समाज में गरीबों का शोषण करता है उसको तो आप आगे बढ़ा रहे हैं और गरीब को गरीबतर कर रहे हैं। और इन दोनों के बीच की डिस्पैरिटी को बढ़ाते जा रहे हैं। आज आप इन बेचारे सरकारी नौकरों को किस स्थिति में डालना चाहते हैं ? जब यहां खाद्यान्नों की कीमतों का सवाल उठता है तो आप कहते हैं कि हम मजबूर हैं, यह तो ऑल-इन्डिया पॉलिसी है, इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते, कभी यहां से चना निकाला जाता है, कभी और चीज बाहर चली जाती है तो आप कहते हैं कि यह भारत सरकार की पॉलिसी है और जब हमारे नौकरों की तनख्वाह का सवाल आता है तो आप चुप हो जाते हैं। १९६२ में सेंट्रल गवर्नमेंट ने कन्ट्रीब्यूट किया था, आप उसको मजबूर कीजिए ; जिसकी पालिसी की वजह से कीमतें बढ़ती रहीं। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट अपने नोकरों की तनख्वाहों के मुकाबले आपको सब्सिडी नहीं देती तो मैं समझता हूं कि सेंट्रल गवर्नमेन्ट को कोई अधिकार नहीं कि वह हमें मजबूर करे कि राजस्थान का अनाज इधर भेजो या उधर भेजो।

इस सिलसिले में आपने महंगाई भत्ते का जिक्र किया। चाहे बड़े ऑफिसर, चाहे छोटे, आटा-नमक ही खाते हैं। आप सब्सीडाइज्ड नेसेसिटीज नोकरों को क्यों नहीं देते, इनके बच्चे पैसे नहीं चबाते, पैसा आप अपने पास रखो और उनको नेसेसिटी की चीजें दी जायं। अमीर भी लें, गरीब भी लें। आपने ४००) वालों को ३५) रु० दिए। दीवार पर लिखा हुआ है कि जिस सरकार के नौकर परेशान हों, लाइन में लगाकर भी बच्चों के पेट पालना नहीं कर सकते, उसको आप इस बजट भाषण के अन्दर योग्यता बढ़ाने के लिए कहते हैं। आपने हालत तो यह पैदा कर रखी है कि आदमी परेशान रहे। कोई जादू का डंडा है जिससे आप उनको एफीशियेन्ट बनाएंगे ? आपने ऐसी हालत पैदा कर रखी हैं कि वे आदमी आराम में नहीं हैं। इतने सरकारी नोकरों के अंदर कोई ऐसा आदमी नहीं है जिसकी सीनियोरिटी और जूनियोरिटी का केस पेंडिंग नहीं है, कागजी काम बढ़ा है। किसी का फिक्सेशन नहीं करते, उसकी गरीबी के अंदर और गरीबी ला रहे हैं, उसके पैसे आपके पास फिक्सेशन न होने से रुके हुए हैं और उन लोगों का समय इसमें नष्ट होता है। वह अफसरों की और आप लोगों की खुशामद में ही अपना समय खराब करता है।

वक्त कम होने की वजह से मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं। इसलिए नौकरों की समस्या के बारे में फिर भी यही कहूंगा कि इनको सब्सीडाइज्ड नेसेसिटीज दें, उनके बच्चों के लिए आप अनाज प्रोक्योर कर लें। आप कारखाने वालों को मजबूर करें कि कपड़ा सही मूल्य के अंदर सब नौकरों के लिए दें ; जितना इंडस्ट्रियल लेबर है और जितने सरकारी कर्मचारी हैं उनको कोई अलाउंस देने की जरूरत नहीं है। उनके घरों के अन्दर जो नेसेसिटीज की चीजें हैं वे सरकार मुहैया करे और बुजुर्ग की तरह इनको इन चिंताओं से निश्चित करें।

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

टैक्स लगाने की स्कीम को बाद में क्रिटिसाइज करूंगा। लेकिन एक मेरी शिकायत है। किसी भी सरकार को यदि अपनी इकोनोमी साउंड करनी है और समाजवाद की तरफ बढ़ाना है तो उसके लिए पैसा जनता से वसूल नहीं किया जाता, उसकी योग्यता इसके अन्दर है कि वह अपनी नॉन-टैक्स रेवेन्यू को बढ़ाए, उसका क्या हल है ? अगर कोई डिक्टेटर होता तो वह सही तौर से नॉन-टैक्स रेवेन्यू मालिक की तरह बढ़ाता, लेकिन यहां तो किसी को परवाह नहीं। यह बड़ी दयनीय अवस्था है, तीन साल हो गये। आज मैं पूछना चाहता हूं कि आपने इस सिलसिले में क्या किया ? हमारी हालत दयनीय की। दुनियां के मुल्क गरीब हिन्दुस्थान को मदद करने को तैयार हैं कि रुपया लो और गरीबी से लड़ो। हम सिद्धान्त रूप से मानते हैं कि जब तक एक वर्ग गरीबी में फंसा रहेगा, हम गरीब को अपने मुल्क से दूर नहीं कर सकते। आपने सारे हिन्दुस्तान में क्या नक्शा बना रखा है ? सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमारे रिसोर्सेज का एक्सप्लोइटेशन कर रखा है। राजस्थान में जिप्सम ६५ परसेंट पैदा होता है। पहले हमको दो रुपये रॉयल्टी मिलती थी और आज १२ आने मिलते हैं। मेरी समझ में नहीं आता, आप कैसे रक्षक बैठे हैं ? जिप्सम के मामले में मैं समझता हूं कि देश एक है, लेकिन यह रॉ मैटीरियल बाहर भेजा जाता है, इंगलैंड भी हमारा रॉ मैटीरियल बाहर ले जाता था, हमने इस चीज को बुरा माना, आज आपकी इनएफीशियेन्सी की वजह से रॉ मैटीरियल यहां से बाहर जाता है। मैं यह सब नॉन-टैक्स रेवन्यू के बारे में कह रहा हूं। भोपाल और मध्यप्रदेश के अन्दर कितनी बड़ी बड़ी फैक्टरियां बनी हैं; हैवी इलेक्ट्रीकल्स, टूल्स। सारे हिन्दुस्तान में राजस्थान को ही क्रेडिट है कि हमें पिछड़े से पिछड़ा किया जा रहा है। जिस तरह से दुनियां वाले उम्मीद करते हैं उस तरह सारे मुल्क के अन्दर राजस्थान को नया बनाया जाय। अगर राजस्थान पिछड़ा रहा तो हिन्दुस्तान की तरक्की नहीं हो सकती। पब्लिक सेक्टर में बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लगाई जायं। लेकिन आप नहीं कर सकते। आप इन्कार कर दीजिये। सदन का प्रत्येक माननीय सदस्य, राजस्थान का बच्चा २ और जनता एक है। जिस तरह मध्य प्रदेश, यू. पी. और गुजरात में है। अभी अभी एलान किया था कि टूल्स फैक्टरी आयगी। उसमें भी टांग अड़ रही है। ढालने की भट्टी। वह भी आधा बांट कर ले गये। आप यदि एजीटेशन चाहते हैं तो एजीटेशन हो सकता है, डिमोन्स्ट्रेशन चाहते हैं तो डिमोन्स्ट्रेशन हो सकता है। सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट जो तरीका अख्तियार कर रही है उसमें हिन्दुस्तान का फायदा नहीं है। ढंग से तरक्की करना हो तो पब्लिक सेक्टर में कोई न कोई इन्डस्ट्रीज, इस तरह की चीज हो, जो हमारे यहां चीजें निकलती हैं उनका उपयोग नहीं कर सकते। तेल के निकालने की बात चल रही है। इस तरह से बात चल रही है, जैसे चींटी चल रही हो। गुजरात में काम शुरू हो गया। १७ साल से खेतड़ी खेतड़ी हो रही है। अभी तक एक पैमाने पर नहीं आ रहे हैं। यह

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

निराशाजनक स्थिति सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट की ओर से हो रही है।

मैं इन सब बातों पर जोर देते हुए लिग्नाइट और अन्य धातुओं की पोटेन्शियलिटीज़ हैं; राजस्थान प्राकृतिक साधनों से भरा पड़ा है, भगवान् ने और कुदरत ने अपार प्राकृतिक साधन दिये हैं गरीबी से लड़ने के लिए, उनके विकास को बढ़ायें, उनका सही उपयोग करें, उस लायक हमको बनाया है। हमारा हक है, हम सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट से लड़ें।

शराब का मामला एक इस तरह का मामला है कि मैं इसे टैक्स नहीं मानता। यह तो इस तरह का है कि जब जितना रुपया चाहे, कोई सरकार वाले नहीं, कौल साहब जब चाहें प्राप्त कर सकते है। मैं इस सिलसिले में कहना चाहता हूं, पहले भी मैंने कहा है। उस पर रामसिहजी ने एक इन्क्वायरी की और इसको देखा कि किस तरह गारन्टी सिस्टम के अन्दर एक आदमी को दे दिया, दूसरे आदमी को कॉम्पीटिशन में आने नहीं दिया। पिछली दफा अपनी मोनोपोली थी उसको कायम रखा। किनकी वजह से रखा, क्या रिपोर्ट थी? क्या रेगुलेशन्स हैं? वह रिपोर्ट आप पढ़ दें, रामसिहजी सेटिस्फाइड हैं या नहीं, उसको भी बता दें। उस समय भी मैंने कहा था आज भी कहता हूँ कि जी. एफ. आर. जो कहलाती है उसके मातहत अगर फाइनेन्स डिपार्टमेन्ट और एक्साइज़ डिपार्टमेन्ट अलग होते तो फाइनेन्स डिपार्टमेन्ट कभी इन चीजों को बर्दाश्त नहीं करता। आज लेने वाला और देने वाला दोनों एक हैं। रूल्स की अवहेलना हो रही है। इस तरह हो रही है। ईमानदार आदमी परेशान हो गये। दस परसेंट। चार लाख रुपया उनके यहां जमा कराये वह करोड़ प्राप्त कर सकता है। पहली मर्तबा शुरू किया था, अहमदअली को छः महीने की मयाद बढ़ायी। बगैर टेन्डर के कर दिया और उस टेन्डर के बाद दूसरा टेन्डर आया तो टेन्डर वाले को टेन्डर नहीं देने दिया। तीसरी साल की बताता हूं कि इन्क्वायरी हुई, चीफ मिनिस्टर चाहें तो देख सकते हैं। रामसिहजी की इन्क्वायरी का क्या किया? अभी की हालत बतता हूं। कोई उनके कमीश्नर को नहीं पूछता है। मैं चेक करवाऊंगा कि कैसे टेलीफोन के साथ होता है। मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूं।

श्यामकरणसिहजी एक साहब हैं, उन्होंने टेन्डर मंगाये। यहां पर एक आदमी है, उसने टेन्डर दिया। चार लाख रुपया जमा कराना पड़ता है, नहीं तो टेन्डर नहीं मिलता। उससे राजीनामा कराया कि अजमेर में दे दिया जावेगा। यहां इसी के पास रहने दो। २७ हजार रुपया में एक व्यक्ति को दिया। टेन्डर का मिनिमम है उससे एक पैसा नहीं बढ़ता। सरकार ने दिया है, कम से कम नहीं देती। फिर मोनोपली कायम कर दी। दूसरा आदमी जाता है; सवा लाख रुपया कहता है। एक लाख रुपया इम्प्रेस्ट मनी का जमा करा देता है, १० परसेन्ट। टेन्डर नहीं देते हैं। उसे कहा जाता है तुम पार्टनर हो गये। १५ पैसे की पार्टनरशिप।

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मंत्री) : कौन देता है ?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मैं नाम दे दूंगा। पार्टनर किसने बना दिया ? तो फिर फोर्जरी होती है, पार्टनर से काट देते हैं। बीकानेर में इसका पार्टनर मौजूद है। अजमेर का पार्टनर हुक्म से काट दिया जाता है। मैं रूल्स की कह रहा था। यह कोई कॉम्पीटिशन नहीं है। आखिर आप ऐसी स्थिति बना देते हैं जिसके अन्दर कोई कॉम्पीटिशन नहीं हो सकता। चार लाख बगैर कोई मतलब ऐसे ही नहीं दे सकता। मैं समझता हूं कि इसकी जांच होनी चाहिये। चार लाख रुपया नहीं मिलता है और एक ही टेन्डर आता है। जो रूल्स के अन्तर्गत कॉम्पीटिशन नहीं होता है तो कोई टेन्डर नहीं है। एग्रीमेन्ट टेन्डर नहीं है। किसी ने किसी को पार्टनर बना लिया तो एक स्थिति बन जाती है। लोग कॉन्सपिरेसी करते हैं और आप जिनको चाहते हैं वे ही आते हैं। आप हंसते हैं। किसी पर ड्यूज हों तो ड्यूज वाला ठेका नहीं ले सकता। तीन बार जिस पर ड्यूज हैं उसको ठेका दिया। आपने डिस्क्वालिफाई नहीं किया। वे ही चले आ रहे हैं। और बताऊं ? अजमेर वाले पर ड्यूज ! उनसे नाराज थे। आपने मना किया। इन्कम टैक्स नहीं देने के लिए नुकसान हमेशा दिखायेंगे। आपके द्वारा सौदा होता है, तुम छोड़ दो तो इम्प्रेस्ट दी है उसका सौदा।

श्री बालकृष्ण कौल : क्या सौदा ?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : इम्प्रेस्ट मनी तुम खा जाना और मुझे माफ कर देना।

श्री बालकृष्ण कौल : मालूम हो जाय गवर्नमेन्ट खा जाय, मैं खा जाऊं ; साफ कहिये।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : इसके बारे में मैं दास कमीशन को क्वोट करना चाहता हूं। ब्लेटेन्ट करप्शन क्या है, यह निश्चित हो चुका है कि ...

श्री बालकृष्ण कौल : मैं यह जानना चाहता हूं कि 'इम्प्रेस्ट मनी खा जाय' तो कौन खा जाय ? किसी आदमी का नाम लें, कौन खा जाय ? गोलमाल सी बात कह देने से समझ में नहीं आता। कैसे भी अन्दाज लगा लेंगे ? मुझे मालूम होना चाहिये जिसके लिए कहा है इम्प्रेस्ट मनी खा जाय।

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा बोलने को पुनः खड़े हुए)

श्री अध्यक्ष : आपका समय समाप्त हो गया। जो वित्त मंत्री महोदय ने जानकारी चाही है वह दे दें ताकि उसका निराकरण हो सके।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : एक मामला खड़ा कर दिया गया, उसका जवाब देकर मैं समाप्त कर दूंगा।

श्री अध्यक्ष : आप जल्दी जवाब देकर पांच मिनिट में समाप्त कर दें।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मैं तो आपसे वेरिफिकेशन चाहता हूं ...

श्री बालकृष्ण कौल : आपको क्रोस एग्ज़ामिन करने का अधिकार नहीं है। आपने कहा इम्प्रेस्ट मनी छोड़ देंगे। कौन छोड़ देंगे; कैसे, यह बतलाइये। आपको क्रोस एग्ज़ामिनेशन करने का अधिकार नहीं है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : यह बात सही है कि जो गारन्टी मनी केल्कुलेट हुआ उसके फीगर्स आपने मुझे नहीं दिये, कितनी वसूली हुई, कितनी नहीं, इसकी जानकारी नहीं दी। मैं कहना चाहता हूं आज तक पूरी वसूली नहीं हुई। वसूल नहीं होने के कारण आज नौबत यह आ रही है कि वे डूब रहे हैं। दूसरी बातों के बारे में आप मुझ से बात कर लें....

श्री बालकृष्ण कौल : आपने इम्प्रेस्ट मनी का जो चार्ज लगाया था वह बताइये। बाकी की कोई शिकायत है तो बातचीत से दूर की जा सकती है। आप इम्प्रेस्ट के बारे में बतलाइये, यह कौन ले रहा है ?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : इसमें उखड़ने की बात नहीं है, अभी बतलाता हूं, आप कहलवाना ही चाहते हैं तो। इस सिलसिले के अन्दर जब डिस्क्रीशन करते हैं, सर्कम्बेन्ट रूल्स का करते हैं; तो यह प्रिज़म्प्शन साफ है कि मिसयूज़ ऑफ पॉवर किया गया है...

श्री बालकृष्ण कौल : कौन से रूल्स का सर्कम्बेन्ट किया, कौन सा रूल तोड़ा गया; वे सब बातें सामने आनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य अधिक समय ले रहे हैं। माननीय सदस्य का अपना तरीका है, अपना गढ़ है भाषण करने का लेकिन सदन में जो भी बातें रखी जाय गोलमाल न रख कर तथ्यों के साथ रखी जायं ताकि उसका उत्तर दिया जा सके। आपके पास निश्चित तथ्य हों तो उनको उचित तरीके से रखिये।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : विद् कन्वीनियेन्स जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि गारन्टी सिस्टम के अन्दर जिस तरह से मोनोपोलाइज़ किया जा रहा है उसके अन्दर बुरी मन्शा है, यह जिम्मेदारी से कहता हूं।

श्री अध्यक्ष : आपके भाषण का लुब्बेलबाब यही रहा; आपको पांच मिनिट का समय तथ्य बतलाने के लिये दिया, तथ्य का नाम नहीं।

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

आप बैठ जाइये।

श्री शीशराम ओला।

श्री शीशराम ओला (खेतड़ी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो १९६४-६५ का बजट विचारार्थ प्रस्तुत हुआ है उसका मैं समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं।

हमारे वित्त मंत्री महोदय ने यह बजट बनाते समय सभी पहलुओं को ध्यान में रखा है उसके लिये मैं इनको बधाई देता हूं। इससे आम जनता को राहत मिली है। समाजवादी व्यवस्था की तरफ यह बजट जा रहा है। इसके अलावा जो कुछ तथ्य मेरी नजर में आये हैं वह मैं आपके जरिये वित्त मंत्री के समक्ष पेश करना चाहता हूं।

(श्री शीशराम ओला)

सबसे पहले मैं लड़कियों की शिक्षा के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। आपने गर्ल्स कॉलेज और हायर सैकन्डरी स्कूल्स को अनुदान देने की बात कही है। आपने अपने बजट भाषण में फर्माया है कि उससे जो फीस ली जाती है वह माफ कर दी जायगी। उनकी मन्शा यह है कि लड़कियों को राहत मिले और लड़कियों से फीस न ली जाय। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि लड़कियों के कॉलेज और हायर सेकन्डरी स्कूल्स गांवों में तो हैं, नहीं सभी शहरों में हैं। इसलिये मैं वित्त मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं, आप इस बात को भूल गये। आज गांवों में रहने वाली लड़कियों को शिक्षा मिले इसके लिये आपको योजना बनानी चाहिये। इस सम्बन्ध में मेरा एक सुझाव है कि जिस प्रकार शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स की लड़कियों को शिक्षा के लिये वजीफा देते हैं उसी प्रकार गांवों में रहने वाली लड़कियों को जो पढ़ना चाहती हैं उनको भी बजीफा दिया जाय। रूरल एरिया में जो भी छात्रायें पढ़ती हैं उनको हरिजन छात्राओं की तरह वजीफा मिले, तभी जाकर वे शिक्षित हो सकती हैं। वर्ना आपकी इस योजना से गांव में रहने वाली लड़कियों को फायदा होने वाला नहीं है।

कृषि के मामले में वित्त मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि आज हमारा कृषि प्रधान देश होते हुए भी हम अनाज के लिये दूसरे मुल्कों से भीख मांग रहे हैं; हमारे देश के सामने अनाज की बड़ी भारी समस्या है—काश्तकार मौजूद है—भूमि मौजूद, प्रोडक्टिविटी भी बहुत ज्यादा है परन्तु फिर अन्न की समस्या हमारे सामने है, यह एक प्रकार से हमारी अयोग्यता है।

आज हम जिस प्रकार से दूसरी योजनायें बनाते हैं उसी प्रकार कृषि के लिये विशेष प्लान बनाकर हमारी स्टेट के लिये हम अपने ढंग से योजना बनायें और एमर्जेन्सी के तौर पर कार्यान्वित करें तो मैं नहीं समझता कि अन्न की समस्या हल न हो।

इसके अलावा आप देखिये शहर में रहने वाले लोगों के लिये मकानों के लिये लोन मिलता है, उनके पास बहुत सारे मकान हों तो भी लोन मिल जाता है। इसी प्रकार की अन्य बहुत सी योजनायें हैं जिनमें कटौती की जा सकती हैं; उसमें कमी की जा सकती है। अगर कृषि के लिये नहरों की व्यवस्था हो सकती है तो वह की जानी चाहिये, जहां नहरों की व्यवस्था नहीं हो सकती वहां ट्यूब वैल्स लगवाये जा सकते हैं उसमें पम्पिग सेट लगा सकते हैं, उससे कृषि में काफी तरक्की हो सकती है। हम सबको इस ओर विशेष तौर से ध्यान देना चाहिये। दूसरी सारी कुछ महत्ववाली स्कीमों को कम करके भी यदि खेती के लिये ज्यादा रकम रखी जाती है और उससे ज्यादा अन्न पैदा हो सकता है तो यह हमारे देश के अधिक हित में होगा। इससे बेरोजगारी भी दूर होगी और अन्न का उत्पादन भी अधिक होगा। सारी इन्डस्ट्रीज़ सब खेती पर निर्भर करती हैं, खेती का प्रोडक्शन अगर अच्छा हुआ तो अनएम्प्लोयमेंट में कमी आयेगी। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि कृषि के मामले में, खेती के मामले से अधिक ध्यान दें।

(श्री शीशराम ओला)

इसी प्रकार मेडिकल फैसिलिटीज़ के बारे में भी अर्ज करना चाहता हूं। आज किसान ही है जो सब से ज्यादा टैक्स देता है। टैक्स केवल उपजाऊ भूमि का देते हों, यही बात नहीं है जो बंजर भूमि पड़ी है उसका भी लगान किसान देता है और इसके अतिरिक्त कुछ दूसरे टैक्सेज़ भी देता है। हम टैक्सेज़ से घबराते नहीं हैं, हमारी केपेसिटी इतनी बढ़ा दीजिये जिससे हम ज्यादा से ज्यादा टैक्स दें सकें, हमें कोई एतराज नहीं होगा। अधिक अन्न पैदा करने के लिये तैयार हैं, लेकिन हमें आप सभी प्रकार की सुविधा दीजिये। टैक्स तो हम दें और सहूलियतें शहर में रहने वालों को अधिक मिलें, यह नहीं होना चाहिये। जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर आदि केवल बड़े शहरों को सहूलियतें मिलें, यह नहीं होना चाहिये। मेडिकल कॉलेज शहरों में हैं, हायर सेकन्डरी स्कूल्स जिनमें साइन्स, बायोलोजी आदि विषय हैं, वे भी शहरों में ही हैं और दूसरी दूसरी सहूलियतें भी शहरों में ही हैं। टैक्सेज़ गांवों से लिया जाय, इसके कारण आप देखिये थोड़ा गांव में कोई व्यक्ति पढ़ गया वह शहर में बसने के लिये आकर्षित होता है। वह चाहता है जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर आदि में बंगला बनाऊं। गांवों में रहते हैं तो वहां बिजली का साधन नहीं, पढ़ाई की व्यवस्था नहीं, शहर के लोगों को आपने ज्यादा सहूलियतें दे दी हैं लेकिन गांवों में १९४७ से पहले जो सहूलियतें थीं वे ही हैं, उनसे कोई अधिक सुविधायें नहीं मिली हैं। इसलिए ज्यादा से ज्यादा टैक्स जिनसे लेते हैं उनको उसी हिसाब से फेसिलिटी मिलने दीजिए। कमावे कोई और खावे कोई, यह मत होने दीजिए।

आप देखें कि गांव में एक नौजवान को टाईफॉइड हो गया। एक भारोड़ा नाम का गांव है। वहां एक बुढ़िया रहती थी। उसका एक लड़का नेफा में बोर्डर पर फौज में है और एक लड़का उसके पास था, जिसका नाम भरतसिंह था। मां और बेटे दोनों को टाइफॉइड हो गया, सात दिन रहा—सातवें दिन एक घण्टे के फासले से दोनों का देहान्त हो गया। जो बेटा नेफा में देश की पहरेदारी कर रहा था उसको चिन्ता हुई कि उसका घर बरबाद हो गया। वह मां और भाई के दाह-संस्कार में भी नहीं पहुँच सका। अब यदि उस जगह हॉस्पिटल होता तो यह दुर्घटना बच सकती थी।

इसी प्रकार एक पालोता नाम का गांव है। वहां कितने ही बच्चे चेचक से चले गए। न मालूम उनमें कितने मिनिस्टर और योग्य होनहार व्यक्ति बनने वाले होते। तो यह हमारी स्थिति है।

आज जहां देश की रक्षा का प्रश्न खड़ा होता है ये गांव वाले अपनी जान की बाज़ी लगा देते हैं और दूसरी तरफ हम शहरों में रहने वाले? उन झोंपड़ों में रहने वालों को न मेडिकल फेसिलिटी आप देते हैं न शिक्षा की फेसिलिटी। और तो और यह हमारे ही दुर्भाग्य की बात है कि हमारे ही किसान, गांव का रहने वाला व्यक्ति, फूड मिनिस्टर हो और उन्हीं गांवों को गेहूं तक न मिले? खाने को अनाज भी

(श्री श्री राम ओला)

ठीक रेट पर न मिले, शहरों को मिल जाय। चीनी की जरूरत हो तो शहरों को मिले, गांव के लोगों को गुड़ भी न मिले। तो इसमें या तो वितरण प्रणाली का दोष है या फिर कुर्सी का दोष है। इसके लिए किसको कहें ?

इसके अलावा आप देखिए स्कूलों को। बड़ी बड़ी स्कूलें, कॉलेज, अच्छे अच्छे अध्यापक वगैरह सब शहरों में हैं। बड़ी स्कूलें नाम मात्र के लिए गांवों में खुली हैं। फिर जो प्राइमरी स्कूलें गांवों में खोली हैं तो उनमें भी होता क्या है ? उस स्कूल का टीचर गांव से तीन मील दूर रहता है। जब स्कूल का वक्त होता है तो चेष्टा करता है वक्त पर आने की पर पहुंच नहीं पाता। खाना भी उसको खाना है, खाना बनाना भी उसको है, कपड़े भी पहनने हैं, धोने भी हैं, शेव भी बनानी है। अगर खाना नहीं बनाता-खाता है तो स्कूल में दिन भर भूखा रहना पड़ता है, अच्छी तरह से पढ़ा नहीं सकेगा, शेव अगर नहीं बनाता है तो लड़कों पर अच्छा असर नहीं पड़ता कि मास्टरजी गन्दे रहते हैं। इधर तीन मील आने-जाने में समय लगता है, ऐसी स्थिति में वह कैसे अच्छी शिक्षा उन बच्चों को दे पावेगा ? इसलिए मेरा सुझाव है कि कम से कम आप उनके रहने के लिए क्वार्टर भी स्कूलों के साथ साथ बना दें। इससे बच्चे अच्छी शिक्षा पा सकेंगे। नहीं तो आज इस अच्छी शिक्षा के अभाव में वे ऊंचे स्थानों पर नहीं पहुंच सकते। या तो चपरासी बन जाओ या कोई जगह छोटे मोटे कर्मचारी बन जाओ। पुलिस में भले ही चले जाओ। यह उस मिसाल की तरह है कि जहां हवाई जहाज से उड़ान लेने वाला व्यक्ति हिन्दुस्तान से लन्दन ९ घण्टे में पहुंच जाय और समुद्री जहाज वाला व्यक्ति २०-२५ दिन में पहुंचे; तो शहरों की और देहातों की शिक्षा में ठीक इतना अन्तर है जितना इस बात में। इसलिए निवेदन करूंगा कि देहाती शिक्षा में भी आप अच्छे विज्ञान के विषय रखें और टीचर्स के लिए अच्छे क्वार्टर बनावें। इसके लिए भी बजट में प्रावधान होना चाहिए।

इसके अलावा एक महत्वपूर्ण बात है जो मैं पहले भी एक बार अर्ज कर चुका हूं। आज फिर अर्ज करूंगा कि एक तरफ तो सरकार के सामने समस्या रहती है कि जब तक कोई भी आर.ए.एस., आर.पी.एस., आई.ए.एस. रूरल सर्विस न कर ले तब तक उसको ऊंची पोस्ट नहीं दी जाय, और दूसरी तरफ जो देहातों के रहन-सहन, पहनावा, बोली, चाली से पूरी तरह से परिचित हैं और गांवों में रहना पसंद करते हैं, जब कि वे पसंद नहीं करते, अगर कभी ऐसा हुआ तो सिफारिशें पहुंचती हैं कि इसको गांव में न भेजा जाय और ऑर्डर तक कैंसिल हो जाते हैं वहां इन देहाती कार्यक्रमों से परिचित, सब तरह से वहां के योग्य जो व्यक्ति हैं उनकी सेवाओं का उपयोग सरकार नहीं लेती और वे आगे इसलिए नहीं आ पाते कि वे अंग्रेजी अच्छी नहीं जानते। इसलिए वे पी. एस. सी. में जाते है तो पिछड़ जाते हैं। उनके मुकाबले

(श्री शीशराम ओला)

में जो सेन्ट जेवियर और पब्लिक स्कूल सरीखी ऊंची जगहों में शिक्षा पाते हैं जहां सब सहूलियतें उनको मिलती हैं वे आगे निकल जाते हैं। तो इस प्रकार इन सारी चीजों का वहां कम्पीटीशन होता है। तो वह वहां उनके मुकाबले में रिजेक्ट होकर आ जाते हैं, यह बुरी बात है।

देहात वालों ने टैक्स दिया, चला गया शहरों में, सर्विसेज वाले भी शहरों से आए। इसलिए मेरा निवेदन है कि ऐसी कुछ व्यवस्था की जाय कि ५० प्रतिशत ऐसी सर्विसेज रूरल एरियाज के लोगों के लिए रिजर्व कर दी जायें। जाति विशेष के लिए नहीं, रूरल एरियाज के नाम से कर दी जाय; जैसे हरिजनों के लिए है। वे लोग अधिक अच्छी सेवा कर सकेंगे।

झुंझुनू जिला राजस्थान का आखिरी जिला है। एक तरफ पंजाब की बोर्डर है, एक सौ बीस या तीस मील के क्षेत्र में एक तरफ अलवर लगता है, एक तरफ चूरू जिला है और साथ में ही सीकर आ जाता है और थोड़ा हिस्सा जयपुर क्षेत्र को भी छूता है। वहां की लैंड रेवेन्यू राजस्थान भर में सबसे ज्यादा है। बारानी जमीन का लगान, इरिगेटेड लैंड का लगान राजस्थान भर में वहां सबसे ज्यादा है। कहीं कहीं तो खेतड़ी तहसील के शिमला आदि गांव में लगान की दर १२ रु. बीघा है। जहां सिंचाई के साधन कुछ नहीं वहां भी यह रेट है। इससे ज्यादा बोझ किसानों पर और हो नहीं सकता। इसलिए अध्यक्ष महोदय, रेवेन्यू मिनिस्टर यहां नहीं हैं, और जो हमारे मिनिस्टर महोदय हैं, उनको निवेदन करूंगा कि झुंझुनू जिले का लगान दूसरे जिलों के स्तर पर लावें, सीकर, चूरू, अलवर, के स्तर पर जो उसके पड़ोसी जिले हैं और जहां की जमीन मिलती-जुलती है। आशा है, इस पर आप ध्यान देंगे।

टाउन प्लानिंग की बात है। बड़ी योजनायें हैं। बहुत ज्यादा खर्चा लगता है। बेमतलब मकान बनते हैं, बेमतलब खर्चा होता है। छोटी सी आबादी के लिए आपका दल जिनके बल पर आज शक्तिशाली बना बैठा है उनमें से ८०-९० फी सदी गांवों में बसते हैं। उनके लिये ये पॉवर वाली कुर्सियां नहीं सोच पातीं कि उनका क्या हाल है? उनकी क्या तरक्की आपने की है? क्या उनके उत्थान के लिये आपके पास प्लानिंग है? किस प्रकार से उनके रहन सहन को, शिक्षा के स्तर को, चिकित्सा के स्तर को ठीक किया जा सकता है? आप शहरों में तरक्की इसलिये करते हैं कि आपको उनके वोटों की फिक्र है। शहर वाले चतुर लोग है। अपने वोट की कीमत आप से लेना जानते हैं। जहां आप नहीं देते वहां वे जबर्दस्ती से लेना जानते हैं। रिक्शा वालों की बात नहीं मानो आप तो वे हड़ताल करने को तैयार हैं। किसी दूसरे का कोई काम न हो तो वे आपको मजबूर करना जानते हैं। टाउन हॉल के सामने हड़ताल पर बैठेंगे। पर जो सिंसियरली आपको वोट देते हैं, आपको बनाये रखना चाहते हैं, कांग्रेस के प्रति साफ दिल से श्रद्धा रखते हैं और देश के सही भक्त हैं उनकी तरफ ये शक्ति वाली कुर्सियां नहीं देखतीं।

Page No 118

(श्री शीशराम ओला)

आज शहर के साधारण से आदमी को कर्जा मिलता है मकान बनाने के लिये। लोगों के यहां बंगले हैं, हवेली हैं, नल हैं, बिजली है, पर जो गांवों में रहते हैं उनको अगर सांप भी काट जावे तो चिकित्सा की व्यवस्था नहीं है। पानी न हो तो वे भले दस मील से लावें, इस सरकार को पर्वाह नहीं, क्योंकि वे मजबूर करना जानते नहीं शहरी लोगों की तरह, दस मील से पानी लाओ तो लाया करो, दस दिन से न नहाया हो तो न नहाया करो, कपड़े गन्दे हैं तो गन्दे रहो, सब्जी खाने को नहीं है तो नहीं है। मकान नहीं है तो नहीं है। बिजली नहीं है तो नहीं है। नल नहीं है तो नहीं है। चक्की पीसते समय चक्की के नीचे से सांप निकल कर औरतों को काट जाया करे तो काट जाया करे। आपने इसका कोई प्रबन्ध नहीं किया। हैल्थ डिपार्टमेन्ट ने कभी सर्वे नहीं कराया कि सालाना इस तरह से कितने केस होते हैं और कितनी मृत्यु होती हैं, कितनी नौजवान औरतें मर जाती हैं सांपों के काटने से हर साल, इस पर कभी हमारी सरकार ने गौर नहीं किया।

इसलिए मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि जिस तरह से अर्बन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट है इसी प्रकार से रूरल इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट भी हों और गांवों का यह प्लानिंग करें और इसके साथ ही जो काम हों वह गांव वाले जितने टैक्स के रूप में पैसे देते हैं उन पैसों का काम उनके क्षेत्र में ही हो....

श्रीमती सुमित्रा (झुंझुनू) : आपके गांव में तो बिजली भी है, सड़क भी है और हाईस्कूल भी है।

श्री शीशराम ओला : मेरे गांव से सारे राजस्थान का कल्याण नहीं हो जाने वाला है। मैं चाहता हूं कि सारे राजस्थान का कल्याण हो। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं आपको यह निवेदन करना चाहूंगा कि यह इस प्रकार का भेद-भाव रूरल और अर्बन लोगों के साथ है यह नहीं रहे और जो जितना टैक्स पे करता है वहां उतना ही काम हो। अर्बन वाले जितना टैक्स देते हैं तो उनके वहां उतना ही काम हो। हम इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते कि आप टैक्स तो रूरल एरिया से वसूल करो और काम करो अर्बन एरिया में।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर वित्त मंत्री जी को बधाई दूं और शुभकामना करूं कि आप हमेशा ही बजट पेश करते रहा करें और हमने जो कुछ कहा उस पर गौर फर्मायें। मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

(कुछ माननीय सदस्य बोलने के लिए खड़े हुए)

श्री अध्यक्ष : १० मिनट में कोई माननीय सदस्य भाषण समाप्त करना चाहता हो वह बोल लो।

(विराम)

श्री चतुर्भुज उपाध्याय।

श्री चतुर्भुज उपाध्याय (चित्तौड़गढ़) : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आज सदन के सम्मुख बजट पर वाद-विवाद चल रहा है। मेरी भी इच्छा हुई कि मैं इस बजट के सम्बन्ध में आपके द्वारा अर्ज करूं कि जो बजट बन रहा है उसमें आये साल जनता पर जो टैक्स लगाये जा रहे हैं उनका भार जनता पर काफी पड़ चुका है। किन्तु जो नॉनटैक्सेबल रेवेन्यू है, जिससे बिना टैक्स के ही सरकार की आमदनी हो सकती है उसके ऊपर सरकार का ध्यान आकृष्ट नहीं होता है।

सबसे पहले मैं यह अर्ज करूंगा कि रेवेन्यू डिपार्टमेन्ट का मेरे क्षेत्र के अन्दर गम्भीरी बांध और सोन्याणा प्रोजेक्ट हैं। उसमें काफी जमीन सिंचित क्षेत्र उस कमान्डेड एरिया में आई हुई है। उसके लिये निवेदन किए जाने के बावजूद उसका कोई प्रीमियम तय नहीं हुआ। मेरे ही क्षेत्र में लगभग पन्द्रह हजार एकड़ जमीन जो काश्तकार लेना चाहते हैं उसका प्रीमियम तय नहीं होने से नहीं मिल सकी। इससे सरकार को काफी आमदनी हो सकती है। इसके अलावा जो भूमि अलॉट हुई है, जो सन् ५७ में नियम बने हैं उसके आधार पर राजस्थान के भूमिहीन किसानों को भूमि एलॉट हो रही है। उनके अलावा भी बहुत से ऐसे काश्तकार हैं जिन्होंने नाजायज कब्जे बना रखे हैं, जैसे किसी को ५ बीघा जमीन एलॉट हुई उसने १० बीघा पर अपना कब्जा बनाये रखा है और वह चल रहा है और किसी को भूमि एलॉट हो चुकी उनको अभी तक नहीं मिल पाई है। यह स्थिति रेवेन्यू विभाग की है। तो इस तरह से १५ हजार एकड़ जमीन पड़ी है। एक ओर तो रेवेन्यू में जो जमीन दी जाती है वह समय पर नहीं मिलती। यह सारी अव्यवस्था, मैं समझता हूं कि नीचे के स्तर पर है, इसकी ओर सरकार को अवश्य ध्यान देना चाहिए। साथ ही साथ मैं अध्यक्ष महोदय, यह अर्ज करूं कि सिंचित क्षेत्र में जो प्राजेक्ट्स बने हैं उनमें काफी लागत लगी है, अब तक भी सिंचित जमीन नहीं बन पाई और काफी जमीन यों ही बेकार पड़ी हुई है और पानी भी बेकार बहता है, इसकी भी व्यवस्था होनी चाहिए।

खास तौर से मैं सहकारिता के सम्बन्ध में अर्ज करूं। सहकार आन्दोलन देश का बहुत प्रगतिशील आन्दोलन है। इसमें हर एक गरीब और काश्तकार को प्रोत्साहन मिलता है किन्तु यह आन्दोलन ऐसे पूंजीपतियों के अथवा बोहरों के हाथ में चला गया है जिसे कि सरकार उसको खुद पनपा रही है। मैं तो ऐसा समझता हूं, मिसाल के तौर पर अर्ज करूं कि पंचायत समिति चित्तौड़गढ़ में दुवाला नाम की सहकारी समिति को सन् ५७-५८ में कृषि विभाग की ओर से १०० मन बीज गेहूं का किसानों को बोने के लिए दिया गया। वहां का एक बोहरा रामजस सोमानी है वह सारा का सारा गेहूं खा गया। बावजूद इस विभाग को बारबार निवेदन किये जाने पर भी और ३-४ पत्र राजस्थान सरकार द्वारा आने पर भी वह गेहूं वसूल नहीं हुआ। उस समिति के पदाधिकारी के नाते अगर उसको गेहूं दिया जाये और वह बाजार में बेच दे या खुद खा जाये, वह भी वसूल नहीं हो, यह क्रिमिनल केस है और पी० डी० आर० आये और गेहूं

(श्री चतुर्भुज उपाध्याय)

नहीं निकले-मैं समझता हूँ कि बहुत सी समितियों में ऐसी व्यवस्था चल रही होगी इसके ऊपर पूरा ध्यान सरकार की ओर से दिया जाना चाहिए जिससे जो करोड़ों रुपया ऋण के रूप में दिया जाता है उसका सदुपयोग हो।

इसी तरह से कृषि के लिए अर्ज करूंगा कि चद्दर और सीमेन्ट हजारों की तादाद में काश्तकारों के नाम से इश्यू होती हैं और सही माने में एक-आध परमिट काश्तकार को दे देते हैं तो मुश्किल से आपको चद्दरें और सीमेन्ट ५ प्रतिशत काश्तकारों के यहां मिलेगी, वर्ना ९५ प्रतिशत ब्लैक में चली जाती है। आखिर इस ओर सरकार को ध्यान देना चाहिए और यह देखना चाहिए कि ये चद्दरें और सीमेन्ट सही माने में काश्तकार लेते हैं या नहीं। मैं आपको बताऊं कि बोहरे लोग उनके नाम पर परमिट्स हांसिल कर लेते हैं और सरकार कोई तवज्जोह नहीं देती। इसके अलावा चद्दर और सीमेन्ट का कोटा जो कि पंचायत समिति तहसील गंगराल के काश्तकारों को मिलता है उनका कोटा कपासन में है, इससे उनको तकलीफ होती है और बावजूद अर्ज किये जाने पर भी मैं अर्ज करूंगा कि उनकी तकलीफ को दूर करने के लिए सरकार अवश्य ध्यान देगी।

इसी तरह से हर साल काश्तकारों को छड़ी और काश्तकारी काम में आने वाली लकड़ियां सरकार की ओर से जंगल में से मिलती हैं। मेरे क्षेत्र के अन्दर चित्तौड़ रेन्ज के लिए कम से कम २५० एकड़ जंगल काश्तकारों को हर साल फ्री उनके काम के लिए दिया जाता है। उसकी कीमत के मुकाबिले में अगर सरकार उनको एक ही बार सबसिडी दे दे और यह कह दे कि इस सब्सिडी के द्वारा अपनी फसल का सड़ा मुस्तकिल कर लें उससे उनको हर साल जो नुकसान होता है वह बच जायगा और बहुत बड़ा लाभ काश्तकारों को हो जायेगा। इस जंगल के अन्दर सन् ६२ के अन्दर सरकारी कर्मचारियों द्वारा अवैध कटवाई हुई। यदि कोई काश्तकार एक लकड़ी भी अवैध रूप से काट लेता है तो उसको तो सीखचों में बन्द होना पड़ता है। इस ओर बावजूद ध्यान दिलाने के कोई कार्यवाही नहीं हुई। इससे भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन मिलता है। आशा है कि इस ओर आप अवश्य ध्यान देंगे। बल्कि इसके लिए जो कर्मचारी, उसको मुअत्तिल कर दिया था और अब वापिस उसको बहाल भी कर दिया। उस कर्मचारी पर पूर्व के भी ऐसे ही केसेज हैं। ऐसे कर्मचारी के लिए कार्यवाही कड़ी से कड़ी होनी चाहिए....

श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाहेड़ा) : कहां का है?

श्री चतुर्भुज उपाध्याय : चित्तौड़ रेन्ज के रेंजर थे। करीब १ लाख रुपये का उसने सरकार को नुकसान दिया।

इसी तरह से उद्योगों के लिए लाखों का अनुदान दिया जाता है। उसका युटीलाइजेशन होता है या नहीं, यह सोचने की आवश्यकता है। बहुत से चर्म उद्योग हैं,

(श्री चतुर्भुज उपाध्याय)

चानी है इनको सरकार सब्सिडी देती है। मैं खुद ३ साल तक प्रधान रह चुका हूं, मुझे अच्छी तरह से अनुभव है कि जो सहकारी विभाग से अनुदान दिया जाता है—मैंने एक केस भी दिया है, एक पंचायत समिति का, वहां के कर्मचारी मिलकर उस अनुदान को एक साल पहले पहले ही बांट लेते हैं और काम वहां पर कुछ भी नहीं होता है। इसलिए जो कुछ अनुदान दिया जाये मैं सरकार को प्रार्थना करता हूं कि उनको इन टाइम दिया जाये और उसके ऊपर पूरी निगरानी रखनी चाहिए।

(५.०० म. प.)

खास तौर से मैं अर्ज करूं प्रशासन के बारे में कि जहां तक मैं समझता हूं कि एक से एक अच्छे कानून हमारे लिए निकाले जाते हैं और ऐसा है कि इस लोकतन्त्र और जनतन्त्र को मजबूत करने के लिए ये कानून उपयोगी हैं, लेकिन वास्तव में वे कानून साधारण जनता के सामने जनहित की दृष्टि से आते हैं या नहीं आते हैं या उस कानून के द्वारा कितने आदमी विरोधी प्रचार के द्वारा दुःखी होते हैं, यह सरकार नहीं सुनती है। जैसा कि मैंने अर्ज किया कि हजारों रुपयों का निर्माण कराया और यह कार्य पंचायत समितियों को दिया जाता है। मुझे अनुभव है कि जिस समय पंचायत समितियां नहीं बनी थीं, जब ब्लॉक्स में उस समय का करोड़ों रुपया सरपंचों और विकास मंडलों के पास है और सरकार का बराबर ध्यान दिलाये जाने के बावजूद उनसे वापिस नहीं लिया जाता है।

इसके अलावा मैं अर्ज करूं कि कानून जरूर अच्छे हैं, उपयोगी हैं और जनहित की दृष्टि से लाभदायक हैं किन्तु यदि अनुशासन पालन में नहीं है तो निश्चित बात है कि कानून बेकार हो जाते हैं। इसलिए मेरी यह प्रार्थना है कि पहले कानून को अनुशासन के साथ में लागू कर दें। यह डर न रहे कि हमारी सरकार रहेगी या न रहेगी। हमारी सरकार अवश्य रहेगी विरोधी पक्ष चाहे कुछ भी करता रहे, लेकिन जनता को कानून का लाभ अच्छा हो आपके अनुशासन के द्वारा, यही मेरी प्रार्थना है।

इस बजट भाषण में विशेषकर मैं अर्ज करता हूं कि यह तृतीय पंचवर्षीय योजना का अन्तिम वर्ष है। इसमें ऐसा है कि देहाती क्षेत्र की ओर आप ध्यान रखेंगे।

.. आखिर में मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि सन् ६२ में जो पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के क्षेत्र के अन्दर केवल दो मील का टुकड़ा तृतीय पंचवर्षीय योजना में मन्जूर किया गया था, लेकिन वह अब तक बन नहीं पाई है और न सर्वे हुआ है जब कि तृतीय पंचवर्षीय योजना का चौथा वर्ष समाप्त होने जा रहा है। इसके साथ साथ लोगों को कतई बिजली नहीं मिलती हैं। पांच हजार का गांव मौजूद है बस्सी, वहां पर बिजली नहीं है, वहां के लोग कृषि के लिए बिजली लेने के लिए लालायित हैं। राज्य सरकार से मेरा निवेदन है कि रूरल एरिया की तरफ ध्यान दिया जाय।

मैं अर्ज करूं कि आरई डेम का हमारे

(श्री चतुर्भुज उपाध्याय)

यहां निर्माण हो रहा है। उसके लिए आदिवासियों की जमीनें लीं...

श्री अध्यक्ष : बाद में भी कहने का अवसर है।

श्री अब्दुलजब्बार खां (निम्बाहेड़ा) : इनको टाइम दे दें। अच्छा मसला है। वह बैकवर्ड इलाका है और सरकार ध्यान नहीं देती है। मेरी भी उनके साथ सहानुभूति है।

श्री अध्यक्ष : ५ मिनट में समाप्त कर दें।

श्री चतुर्भुज उपाध्याय : जैसा कि मैंने अर्ज किया था कि नॉन-टैक्सेबल रेवेन्यू के लिए सिंचाई में काफी जमीन पड़ी हुई है कमाण्डेड एरिया में। वन के अन्दर इस तरह से नुकसान हो रहा है उसको बचाया जाय और इस तरह से जो ब्लॉक सिस्टम कायम किये गये जिससे लाखों रुपयों की लकड़ी उन लोगों को दे देते हैं। दूसरे साल भी वही का वही आदमी लेने को आता है। इसके बजाय किसानों को सरकार सब्सिडी दे दे। उद्योगों के लिए मैं अर्ज करूं कि जितने उद्योग हैं वे सारे बड़े उद्योगों को पनपाने के लिए पूंजीपतियों के हाथ में रकम चली गई है। इससे यह अच्छा होगा कि जैसे घाणी तेल है, जैसे बुनकर हैं ऐसे छोटे छोटे कामों में रकमों को ज्यादा बांट कर उनको प्रोत्साहित करेंगे तो हमारा हरेक काम लघु उद्योगों को पनपायेगा। सिंचाई के लिए बिजली दें तो उससे प्रोडक्शन बढ़ेगी, उससे इनकम बढ़ेगी, उससे हरेक किसान सरसब्ज होगा। यह मेरा अर्ज करना है।

अब मैं खास तौर से सेल्स टैक्स पर आता हूं। सेल्स टैक्स के बारे में यह निवेदन करना चाहता हूं कि सेल्स टैक्स का बोझ साधारण व्यापारी पर जो कि एक कोथला फेर कर अपना पेट भरता है उस पर पड़ा है। उस पर सालाना टैक्स २५ रुपये होगा। लेकिन उसके लिए उसको इन्वेस्टमेंट २००) रु० तक लग जायेगा। इस किस्म का हैरासमेंट हो तो मैं निवेदन करूंगा कि उसको उठाया जाय और वह टैक्स वहां पर जो आधुनिक युग में अपनी सम्पत्ति को लाखों से बढ़ा कर करोड़ों की कर देते हैं उस पर टैक्स लगाना चाहिए जिससे कि जनता को ज्यादा आराम मिले। उसका २५ रु० के टैक्स के लिए इन्वेस्टमेंट २००) रु० का हो जायेगा तो यह बहुत हैरासमेंट होता है।

श्री अध्यक्ष : अब आखिरी बात कह दें।

श्री चतुर्भुज उपाध्याय : मैं अर्ज करूं कि सिंचाई के बारे में ४० पर्सेन्ट उन किसानों पर लगान जिनके सिंचाई क्षेत्र में कुए आ गये हैं। उनकी जमीनों पर अभी बाकी निकाल रखी है। उनको माफ किया है कि वसूल नहीं करेंगे लेकिन खाते में से हटाकर उनको माफ कर दिया जाय, नहीं तो वह लगान जो है आगे जाकर उनके लिए आफत होगा, क्योंकि उनके खाते में बाकी है।

श्री अब्दुलजब्बारखां : नेशनलाइजेशन का भी कह दें कि बसें नहीं चल रही हैं।

श्री चतुर्भुज उपाध्याय : यातायात के सिलसिले में मैं खास तौर से अर्ज कर दूं। यातायात के बारे में हमारी बूंदी रोड और भीलवाड़े से लगा कर जितने रूट हैं उन पर गाड़ियों की कमी हैं। ८० पर्सेन्ट गाड़ियां ओवर लोड जाती हैं और इस वजह से जाती हैं कि खासतौर से कुछ व्यक्ति इस तरह के बैठ जाते हैं फ्री कि उनकी जुबान बन्द हो जाती है और जनता तकलीफ पाती है। इसलिये सरकार उस रूट पर और गाड़ियें मन्जूर करे ताकि जनता को सहूलियत मिल जाय। यह आखिरी बात कह कर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री अध्यक्ष : सदन की कार्यवाही कल प्रातःकाल ११ बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही म०प० ५ बज कर ७ मिनट पर दिनांक १२ मार्च, १९६५ के म० १०.११ बजे तक के लिए स्थगित हुई)।

शुद्धि-पत्र

(कार्य-विवरण गुरुवार, दिनांक ११ मार्च, १९६५)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
१	२	३	४
२५६८	१०	स्वास्थ्य,	स्वास्थ्य—
२५७०	२१	कौंसल हुए थे तो अध्यक्ष महो- दय, को	कौंसिल हुए थे तो अध्यक्ष महोदय को
२५८२	शीर्ष	(श्री भैरोंसिह)	—
२६१०-११	शीर्षक	मार्च ० ६५	मार्च, ६५
२३ ‹ ६-१७	,,	११ मा र्ा	११ मार्च
२६२३-२४	१४	बोडिग	बोर्डिंग
२६२४-२५	शीर्षक	११ माच	११ मार्च
२६२६	अन्तिम से ७	प्रापर्टी	प्रोपर्टी
२६२८-२९	शीर्षक	११ र्च	११ मार्च
२६२९	१६	कायवाही	कार्यवाही
२६३०-३१	शीर्षक	११ माच	११ मार्च
२६३०	१८	वढ़िया	वर्दिया
२६३१	२	अनियमिन	अनियमित
२६३४	अन्तिम से ४-३	राजस्तान	राजस्थान
२६४०-४१	शीर्षक	११ मा र्ा	११ मार्च
२६५०	९-१०	अर्पाइन्टमेन्ट	अपोइन्टमेन्ट
२६५४-५५	शीर्षक	१९ मार्च	११ मार्च
२६५५	५	फोटोएस्टेट	फोटोएस्ट
२६५८	३	रही है	रही हैं
,,	६	डिफक्टिव	डिफेक्टिव
२६६१	अन्तिम से २	देना । उचित	देना उचित
२६६४-६५	शीर्षक	मार्च, ६४-सन्बन्धी	मार्च, ६५—सम्बन्धी
२६६५	७	अग्रेसर	अग्रेत्तर
२६६७	,,	—६५	६५—
२६६८	३	रिटर्नस	रिटर्न्स
२६७०-७१	शीर्षक	१० मार्च	११ मार्च
२६७०	शीर्ष	(श्री केवारनाथ)	(श्री केदारनाथ)

१	२	३	४
२६७६-७७	शीर्षक	११-मार्च	-११ मार्च
२८७७	२३	मीला	मिली
२६६६	१२	पैदावाकर हां	पैदावार कहां
२७६७,			
२७४८			
२७६६ व			
२८०१	शीर्षक	अग्रतर	अग्र तर
२६६८	अन्तिम से ६	बाबल	बावेल
२३०२-०३	शीर्षक	मार्च,-६५	मार्च,-६५—
२७०२	शीर्ष	(श्री ना ूराम)	(श्री नाथूराम)
२७०४	१८	बावेल	बावेल
२६०५	१२	,,	,,
२७०७	२६	,,	,,
,२७०८	शीर्षक	;,	,,
२७०६	२	मिनिश्टर	मिनिस्टर
२७१०	शीर्ष	बाबेल	बावेल
२७१०-११	शीर्षक	१—मार्च	-११ मार्च
२७१०	२२	व्यवस्या	व्यवस्था
२७१४	७	ढग	. ढंग
२७२३-२४	शीर्षक	११-मार्च	११ मार्च-
२७२४	शीर्ष	(श्रीम मित्रा)	(श्रीमती सुमित्रा)
२७४८	११	डेफिशिट	डेफिसिट
२७५१	८	इस प्रकार	इस प्रकार से बातें
२७५२-५३ व			
२७५८-५६	शीर्षक	११ मा ,	११ मार्च
२७६४-६५	,,	मार्च. -६५	मार्च. ६५—
२७६४	१४	मैं देखता	में देखता
२७७४	शीर्ष	(श्री भैरोंसिह)	(श्री भैरोंसिंह)
२७७५	१६	पोइज़्निंग	पोइज़निंग
२७७६	शीर्षक	११—मार्च	—११ मार्च
२७७७	२४	(श्री अध्यक्ष, पुन:	(श्री अध्यक्ष पुन:
२७७८	२	सिद्धांनत	सिद्धान्त
२७८०	६	राजस्थाम	राजस्थान
२७८१	शीर्षक	२७८०	२७८१

१	२	३	४
२७८१	२४	बढ़ोत्तराई नका, कोई	बढ़ोत्तरी को काई
२७८६	१६	में चेक	मैं चैक
२७९२-९३	शीर्षक	मार्च—६५	मार्च, ६५—
२७९४	प्रथम	सर्व पहले	सबसे पहिले
२८०३	शीर्षक	२७०३	२८०३
,,	८	चाहुंगा	चाहूंगा
२८०४	प्रथम	श्री चतुभुज	श्री चतुर्भुज
२८१०-११	शीर्षक	मार्च, —६५	मार्च, ६५—
२८१३	६	के म०	के म० पू०